बौद्धिक अक्षमता
निर्देश पुस्तिका

डा. उषा ग्रोवर
रवि प्रकाश सिंह

विशेष शिक्षा विभाग
राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान
(सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार)
(आई.एस.ओ. 9001:2008 संस्थान)
मनोविकास नगर, सिकन्दराबाद - 500 009, तेलंगाना, भारत

nqa. ISO 9001 Registered

बौद्धिक अक्षमता
निर्देश पुस्तिका

डा. उषा ग्रोवर
रवि प्रकाश सिंह

nqa. ISO 9001 Registered

विशेष शिक्षा विभाग
राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान
(सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार)
(आई.एस.ओ. 9001:2008 संस्थान)
मनोविकास नगर, सिकन्दराबाद - 500 009, तेलंगाना, भारत
ग्राम्स : ''मनोविकास'' फोन : 040-27751741 फैक्स : 040-27750198
ई-मेल : library@nimhindia.org वेबसाइट : www.nimhindia.gov.in

बौद्धिक अक्षमता - निर्देश पुस्तिका

लेखकगण
डा. उषा ग्रोवर
रवि प्रकाश सिंह

कापी राइट © 2014

राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान
मनोविकास नगर, सिकन्दराबाद - 500 009, तेलंगाना, भारत

मुद्रकः श्री रमणा प्रासेस प्रा.लिमिटेड, सिकन्दराबाद - 500 003. फोन : 040-27811750

प्राक्कथन

वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कुल 2.68 करोड़ व्यक्ति विकलांग पाए गए हैं जिनमें अधिकांश लोग ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करते हैं। भारत के संविधान में प्रत्येक नागरिक के लिए समानता, स्वतंत्रता, न्याय तथा सम्मान निहित है जिसमें विकलांगजन भी शामिल हैं।

भारत सरकार ने समावेशित, बाधामुक्त एवं समान अधिकारों वाले समाज के निर्माण के लिए यू.एन.सी.आर.पी.डी. पर हस्ताक्षर किए हैं । सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा विकलांग व्यक्तियों के सशक्तिकरण से जुड़े कार्यक्रमों को और अधिक गति प्रदान करने के लिए मई 2012 में एक नए विभाग की स्थापना की गई जो कि पुनर्वास के लिए कई परियोजनाओं एवं योजनाओं पर कार्य कर रहा है ।

शिक्षा का अधिकार अधिनियम (2009) के अंतर्गत 06 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को गुणवत्तायुक्त निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान किया जाना है, जिसमें विकलांग बच्चे भी शामिल हैं । अतः इन सभी बच्चों को समावेशित शिक्षा के माध्यम से उनके निकटतम् विद्यालयों में अन्य बच्चों के साथ उनकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं को पूरा करते हुए गुणवत्तायुक्त शिक्षा प्रदान की जाएगी। विकलांगता से प्रभावित बच्चों को गुणवत्तायुक्त शिक्षा प्रदान करने के लिए बड़ी संख्या में कुशल व्यवसायिकों को प्रशिक्षित करना आवश्यक है । इस दिशा में राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान द्वारा किए जा रहे प्रयास निश्चित रूप से सराहनीय हैं। इस पुस्तक में बौद्धिक अक्षमता से जुड़े विभिन्न पहलुओं को सरल रूप में समझाने का प्रयास किया गया है ।

पुस्तक के लेखकों द्वारा किया गया प्रयास प्रशंसनीय है । मैं आशा करती हूँ कि यह पुस्तक अपने उद्देश्यों को पूरा करने में सफल होगी।

स्तुति कक्कड़

स्तुति कक्कड़
सचिव,
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय,
भारत सरकार

प्राक्कथन

पुनर्वास सेवाओं की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए मानव संसाधन का विकास विशेष शिक्षा का महत्वपूर्ण भाग है। अंतर्राष्ट्रीय तथा राष्ट्रीय स्तर पर बनाए गए नियम भी पुनर्वास सेवाओं के क्षेत्र में त्वरित मानव संसाधन विकास की आवश्यकता को रेखांकित करते हैं। भारत सरकार द्वारा प्रत्येक बच्चे को शिक्षा का अधिकार प्रदान किया गया है। अतः विकलांग व्यक्ति भी गुणवत्तायुक्त शिक्षा पाने के समान रूप से अधिकारी है।

इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कई नए पाठ्यक्रम शुरू किए गए हैं तथा कई नए संस्थानों में भी प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किए गए हैं। संख्यात्मक वृद्धि के साथ-साथ पुनर्वास सेवाओं में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे व्यवसायिकों के कौशलों की गुणवत्ता भी सुनिश्चित किया जाना अत्यन्त आवश्यक है। इसके लिये उपयुक्त शिक्षण सामग्री तैयार करना बहुत जरूरी हो जाता है। हिन्दी भाषा क्षेत्र के अधिसंख्य विद्यार्थियों तथा पुनर्वास कर्मियों की समस्याओं को देखते हुए हिन्दी भाषा में और अधिक पुस्तकें प्रकाशित करने की आवश्यकता लम्बे समय से समझी जा रही है।

इस पुस्तक में बहुत ही सरल तथा व्यवस्थित तरीके से जहाँ एक ओर बौद्धिक अक्षमता की अवधारणा, विशेष शिक्षा का इतिहास, उसकी शीघ्र पहचान तथा हस्तक्षेप इत्यादि पर विस्तारपूर्वक चर्चा की हैं वहीं दूसरी ओर विशेष शिक्षा नीतियों, कक्षा प्रबंधन, आई.ई.पी. आदि विषयों पर भी व्यापक प्रकाश डाला गया है। इस पुस्तक द्वारा विकलांग व्यक्तियों, विकलांगता के क्षेत्र में अध्ययन कर रहे छात्रों तथा कार्यरत व्यवसायिकों को अत्याधिक लाभ प्राप्त होगा। हिन्दी भाषी विद्यार्थियों के लिए यह पुस्तक बहुत सहायक होगी।

इस दिशा में आगे भी प्रयास किया जाना चाहिए। मुझे पूर्ण आशा है कि विकलांगता पुनर्वास के क्षेत्र में प्रकाशित की जा रही यह पुस्तक अत्यंत उपयोगी सिद्ध होगी।

दिनांक : 03.12.2013

स्थान : सिकंदराबाद (आंध्र प्रदेश)

टी. सी. शिवकुमार, निदेशक

राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान

भूमिका

बौद्धिक अक्षम व्यक्तियों के शिक्षण-प्रशिक्षण के क्षेत्र में निरंतर बदलाव आ रहे हैं। अब यह सुव्यवस्थित तथा सुनियोजित तरीके से क्रियान्वित किया जा रहा है। इसके लिए यह आवश्यक हो जाता है कि बौद्धिक अक्षम व्यक्तियों को शिक्षण प्रदान करने के लिए स्वयं को कुशल बनाया जाए।

विशेष शिक्षा के क्षेत्र में अध्ययन करने वाले अधिकतर छात्र-छात्राएँ हिन्दी भाषी होते हैं। हमारे इन विद्यार्थियों द्वारा हमेशा ही हिन्दी में एक ऐसी पुस्तक उपलब्ध कराने की माँग की जाती रही है जिसमें विशेष शिक्षा की मूल अवधारणा से जुड़े सभी विषय सरल रूप से दिए गए हों। उससे उन्हे विषयों को समझने में आसानी होगी।

इस पुस्तक के लेखन में 'पूर्ण चक्रीय उपागम' (Whole cycle approach) का प्रयोग किया गया है जिसमें बौद्धिक अक्षमता की अवधारणा, उसकी शीघ्र पहचान तथा हस्तक्षेप के साथ-साथ बौद्धिक अक्षम व्यक्तियों के आकलन तथा व्यक्तिगत स्तर पर कार्यक्रम बनाने के लिए भी विस्तारपूर्वक चर्चा की गई है। बौद्धिक अक्षम व्यक्तियों को कार्यात्मक पठन-पाठन के क्षेत्र में शामिल गतिविधियाँ, कक्षा प्रबंधन, समस्यात्मक व्यवहारों का प्रबंधन आदि पर विस्तृत चर्चा की गई है। कार्यात्मक पठन-पाठन के अंतर्गत आने वाली क्रियाओं के साथ-साथ विशेष शिक्षा को खेल क्रियाओं के प्रयोग के द्वारा रोचक बनाने के बारे में भी बताया गया है। विकलांग व्यक्तियों के लिए बनाए गए बनाए अंतर्राष्ट्रीय तथा राष्ट्रीय कानूनी प्रावधान विशेष रूप से अक्षमता ग्रस्त व्यक्तियों के अधिकारों के लिए संयुक्त राष्ट्र समझौता (यू.एन.सी.आर.पी.डी.) का भी उल्लेख किया गया है। इसके अतिरिक्त बौद्धिक अक्षम व्यक्तियों को आर्थिक आत्मनिर्भरता प्रदान करने के लिए रोजगार प्रशिक्षण तथा उपयुक्त रोजगार में व्यवस्थित करने के उपायों पर भी प्रकाश डाला गया है जिससे वे समाज की मुख्यधारा में शामिल होकर उसका उपयोगी हिस्सा बन सकें। इस प्रकार इस पुस्तक में बौद्धिक अक्षम बच्चे के पूरे जीवन चक्र - शीघ्र पहचान, शीघ्र हस्तक्षेप, आकलन, शिक्षण कार्यक्रम योजना निर्माण, उसका क्रियान्वयन, व्यवसायिक प्रशिक्षण तथा उपयुक्त रोजगार में व्यवस्थित करने की तकनीकों को समझाने का प्रयत्न किया गया है।

बौद्धिक अक्षम बच्चों के लिए वैयक्तिक शैक्षणिक कार्यक्रम योजना (आई.ई.पी.) तथा समूह शिक्षण के लिए पाठ योजना को निर्धारित प्रपत्र में उदाहरण के साथ विस्तारपूर्वक बताया गया है। इससे छात्रों को प्रायोगिक विषयों में सहायता मिलेगी।

मैं आशा करती हूँ कि यह पुस्तक बौद्धिक अक्षमता के क्षेत्र में अध्ययन कर रहे विद्यार्थियों, इस क्षेत्र में कार्य कर रहे व्यवसायिकों तथा सामुदायिक कार्यकर्ताओं को बौद्धिक अक्षमता तथा उसके प्रबंधन को समझने में सहायता प्रदान करेगी। इसके साथ-साथ इससे बौद्धिक अक्षम बच्चे के अभिभावकों को भी बच्चे की स्थिति समझने तथा समस्याओं के निदान में सहायता मिलेगी।

मेरा आपसे अनुरोध है कि इस पुस्तक के विषय में अपने विचारों से हमें अवगत कराएँ जिससे भविष्य में हम आवश्यकतानुसार सुधार कर बेहतर शिक्षण सामग्री तैयार कर सकें।

उषा ग्रोवर

डा. उषा ग्रोवर
प्रभारीअधिकारी,
राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान क्षेत्रीय केन्द्र, नई दिल्ली

आभार

इस पुस्तक के लेखन, संरचना तथा प्रकाशन में पुनर्वास शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत अनेक सहयोगियों की सहायता प्राप्त हुई। सर्वप्रथम में अपने विद्यार्थियों को धन्यवाद देना चाहूँगी जिन्होने अपनी समस्याओं से अवगत कराते हुए इस पुस्तक के लेखन की प्रेरणा दी तथा समय-समय पर अनेक बिंदुओं पर अपना सुझाव दिया।

इस पुस्तक को उपयुक्त मानते हुए लेखन तथा प्रकाशन हेतु प्रेरित करने के लिए संस्थान के निदेशक डा. टी. सी. शिवकुमार के लिए मैं हृदय से आभार प्रकट करती हूँ। इसके साथ-साथ इस पुस्तक को तैयार करने में सहयोग प्रदान करने के लिए मैं श्री (मेजर) बी. वी. रामकुमार, सहायक निदेशक को विशेष धन्यवाद देती हूँ। इस पुस्तक की संरचना में अपनी रूचि तथा उत्साह के साथ योगदान प्रदान करने के लिए मैं पूरी टीम को धन्यवाद देती हूँ।

मैं पुस्तक के लेखन में विशेष सहयोग देने के लिए संस्थान के सभी सहयोगियों को धन्यवाद देना चाहती हूँ। इसके साथ-साथ पुस्तक की सामग्री को टाइप करने के लिए श्री त्रिलोक सिंह को मैं विशेष आभार प्रकट करती हूँ।

-डा. उषा ग्रोवर

लेखिका की कलम से....

'बौद्धिक अक्षमता- निर्देश पुस्तिका' का लेखन बौद्धिक अक्षम व्यक्तियों के पुनर्वास के संबंध में प्रशिक्षुओं एवं अभिभावकों की जानकारी एवं कुशलता को बढ़ाने के उद्देश्य से किया गया है। मैं आशा करती हूँ कि आप इस पुस्तक के माध्यम से बौद्धिक अक्षम व्यक्तियों को समाज की मुख्यधारा से जोड़ने का प्रयास करेंगे। इस पुस्तक में लेखक ने सैद्धांतिक विषयों के साथ-साथ अपने व्यवसायिक अनुभव का समावेश करने का प्रयास किया है। पुस्तक के लेखन में अधिकाधिक सावधानी बरतने का प्रयास किया गया है। यद्यपि मानवीय त्रृटियों की संभावना फिर भी रह जाती है।

यदि आपको ऐसी को त्रृटि का पता चले तो कृपया लेखक को अवगत कराएँ।

शुभकामनाओं के साथ...

-डा. उषा ग्रोवर

विषय सूची

अध्याय	विषय	पृष्ठ संख्या
01	बीमारी, क्षति, अक्षमता और विकलांगता की अवधारणा Concept of Disease, Impairment, Disability and Handicap	13
02	बौद्धिक अक्षमता की प्रकृति Nature of Intellectual Disability	19
03	विशेष शिक्षा का इतिहास History of Special Education	23
04	शीघ्र पहचान Early Identification	27
05	आकलन Assessment	31
06	शीघ्र हस्तक्षेप Early Intervention	57
07	वैयक्तिक शैक्षणिक कार्यक्रम Individualized Educational Program	63
08	पाठ योजना Lesson plan	71
09	विशेष शिक्षा नीतियाँ Special Education Strategies	75
10	खेल क्रिया के माध्यम से शिक्षण तथा अधिगम Teaching and learning through games	85
11	पठन कौशल Reading skills	93
12	लेखन कौशल Writing skills	95
13	गणितीय कौशल Arithmetic skills	97

अध्याय	विषय	पृष्ठ संख्या

14 पाठ्यक्रम
Curriculum 101

15 विभिन्न स्तरों के लिए पाठ्यक्रम का प्रारूप
Curriculum outline at various levels 107

16 व्यवसायिक प्रशिक्षण एवं रोज़गार
Vocational training and Employment 113

17 कक्षा प्रबन्धन
Classroom management 125

18 समावेशित शिक्षा
Inclusive Education 133

19 विकलांग व्यक्तियों के राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय कानूनी प्रावधान
National and International Legal Provisions for Persons with Disabilities 139

संदर्भ/अतिरिक्त पठन
References/Further Readings 172

अध्याय 1

बीमारी, क्षति, अक्षमता और विकलांगता की अवधारणा

Concept of Disease, Impairment, Disability and Handicap

बीमारी के परिणाम

मनुष्य से जिन कार्यो और उत्तरदायित्वों को निभाने की आशा की जाती है, उनको निभाने की क्षमता में बीमारी बाधा पैदा करती है। दूसरे शब्दों में, बीमार आदमी अपनी सामान्य सामाजिक भूमिका को निभाने में असमर्थ हो जाता है और दूसरे लोगों के साथ लोक व्यवहार के अनुसार संबंधों को बनाए नहीं रख सकता।

यद्यपि दैनिक व्यवहार में अपेक्षित स्वास्थ्य की देखभाल के अंतर्गत शरीर की गड़बड़ियों को दूर करने के लिए या उन्हें न होने देने के लिए कारगर साधनों की व्यवस्था मौजूद है। इससे बीमारी के प्रभाव से अप्रत्यक्ष रूप से छुटकारा मिल जाता है लेकिन यह व्यवस्था अपूर्ण है क्योंकि इसमें बीमारी के परिणामों को पूरी तरह समाप्त नहीं किया जाता। ऐसी हालत में बीमारी के परिणाम मनुष्य के दैनिक जीवन में गड़बड़ी पैदा करते है। इसके लिए ऐसा ढाँचा तैयार किया जाना चाहिए जिसमें इस तरह के अनुभवों के बारे में जानकारी हो। यह तथ्य विशेष रूप से पुरानी, निरंतर बढ़ने वाली या लाईलाज गड़बड़ी पर लागू होता है।

बीमारी और उसके परिणामों के क्रमों को इस प्रकार रखा जा सकता है :-

Disease → Impairment → Disability → Handicap

बीमारी → क्षति → अक्षमता → विकलांगता

वर्गीकरण का विकास

बीमारी के परिणामों को जाँचने - परखने के बारे में कई दृष्टिकोण है । एक दृष्टिकोण का संबंध नैदानिक (Clinical) और पुनर्वास (Rehablitation) के संदर्भ में संरचना अनुभव से है। यह विशेष रूप से अमेरिका में देखा जा सकता है। इसमें दैनिक रहन-सहन जैसी गतिविधियाँ पर आमतौर पर अधिक जोर दिया जाता है। यह दृष्टिकोण मूल्यांकन प्रणालियों पर आधारित है।

बीमारी के परिणामस्वरूप तीन भिन्न वर्गीकरण किये गये है जो कि अनुभव के अलग-अलग स्तर से संबधित है। यह है :-

क्षतिः- स्वास्थ्य संबधी अनुभव के संदर्भ में क्षति किसी भी हानि, मनोवैज्ञानिक या शारीरिक संरचना अथवा कार्य में असामान्यता को कहते है। सैद्धांतिक रूप से यह क्षति अंग या शारीरिक ढाँचा के स्तर पर गड़बड़ी के रूप में प्रकट होती है।

उदाहरण - रेटिना की खराबी से कोई दृष्टि अक्षम हो जाता है, तो उसे क्षति कहते है।

अक्षमता - स्वास्थ्य संबधी अनुभव के संदर्भ मे अंग स्तर पर होने वाली कमी अर्थात क्षति के परिणामस्वरूप सामान्य व्यक्ति की तरह क्रियाकलापों को करने में बाधा या क्षति को अक्षमता कहते है। सैद्धांतिक रूप में यह अक्षमता कार्यात्मक स्तर पर गड़बड़ी के रूप में प्रकट होती है।

उदाहरण - रेटिना में क्षति होने से व्यक्ति को देखने में समस्या होगी । इसके परिणामस्वरूप लेखन क्रिया में बाधा उत्पन्न होगी जिसे अक्षमता कहेंगे।

विकलांगता - स्वास्थ्य संबंधी अनुभव के संदर्भ में विकलांगता व्यक्ति की वह दशा है जो क्षति एवं अक्षमता के परिणामस्वरूप उत्पन्न शारीरिक एवं मानसिक क्रियाओं संबंधी भूमिकाओं को सामान्य व्यक्तियों की तुलना में निर्वाह करने में बाधक होती है। विकलांगता का सामाजिक स्वरूप वातावरण को परिलक्षित करता है।

उदाहरण - यदि एक दृष्टि अक्षम व्यक्ति किसी कार्यशाला में भाग लेता है तथा वहाँ उसे लिखित सामग्री दी जाएगी तो वह उसे पढ़ने में असमर्थ होगा और उसकी विकलांगता प्रकट होगी लेकिन यदि वही सामग्री उसे ब्रेल लिपि में दी जाए और वह उसे पढ़ ले तो इस स्थिति में वह अक्षम होते हुए भी विकलांग नहीं कहलाएगा।

विकलांगता को समझने के लिए एक अन्य उदाहरण है : एक व्हीलचेयर के योग्य व्यक्ति का सीढ़ी नहीं चढ़ पाना विकलांगता है। लेकिन लिफ्ट या रैम्प की उपस्थिति में वह चढ़ सकता है। इस स्थिति में यह विकलांगता नहीं कहलाएगी।

क्षति, अक्षमता तथा विकलांगता की अवधारणा को निम्न प्रकार से भी समझा जा सकता है -

बर्थ मार्क (जन्म-जात निशान) क्षति है लेकिन वह विकलांगता नहीं है। परन्तु इस कारणवश यदि किसी व्यक्ति के विवाह में समस्या आ रही है तो यह विकलांगता कहलायेगी। यदि प्लास्टिक सर्जरी द्वारा उसे दूर कर दिया जाता है तो वह व्यक्ति विकलांग नहीं कहलाएगा।

आम जिन्दगी में क्षति, अक्षमता तथा विकलांगता में बहुत अंतर नहीं किया जाता है तथा ये शब्द आपस में परिवर्तित होते रहते हैं। उदाहरण के लिए शारीरिक क्षति वाले व्यक्ति के लिए भी अकसर विकलांग शब्द का प्रयोग किया जाता है। किन्तु विशेष शिक्षा में अध्ययन कर रहे व्यवसायिकों को इसके मूल अंतर को समझना आवश्यक है।

आपका रवैया, न कि आपकी योग्यता,
आपकी ऊँचाई का निर्धारण करेगा।

विकलांगता के वर्गीकरण का नवीन उपागम
(Modern Approach of Classification of Disability):

विश्व स्वास्थ्य संगठन का कार्यात्मकता अक्षमता एवं स्वास्थ्य का अंतर्राष्ट्रीय वर्गीकरण (International Classification of Functioning, Disability and Health):

पिछले दशक में विकलांगता को परिभाषित करने तथा समझने के तरीके में परिर्वतन हुआ है। पहले विकलांगता को स्थाई रूप से होने वाली कमियों के रूप में समझा जाता था किन्तु अब विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा एक नई अंतर्राष्ट्रीय वर्गीकरण प्रणाली विकसित की गई है जिसे '**कार्यात्मकता, अक्षमता तथा स्वास्थ्य का अतंर्राष्ट्रीय वर्गीकरण**' (आई.सी.एफ.)कहा जाता है।

यह नैदानिक कारकों के स्थान पर कार्यात्मक स्तर पर बल देती है। प्रथम बार आई.सी.एफ. ने मानसिक अथवा शारीरिक दशाओं में भेद करने वाले कारकों को समाप्त करने की बात कही है।

09 वर्षो के अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों के पश्चात् विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 22 मई 2001 को 'कार्यात्मकता, अक्षमता तथा स्वास्थ्य का अतंर्राष्ट्रीय वर्गीकरण' पारित किया। इसके पहले 1980 में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने प्रथम वर्गीकरण किया जिसे 'क्षति, अक्षमता तथा विकलांगता का अंतर्राष्ट्रीय वर्गीकरण' (आई.सी.आई.डी.एच.) कहा गया।

आई.सी.एफ. स्वास्थ्य तथा स्वास्थ्य संबंधी क्षेत्रों का वर्गीकरण है। इन क्षेत्रों को शरीर, व्यक्ति तथा सामाजिक परिप्रेक्ष्य में 02 सूचियों में वर्गीकृत किया गया है :

- शारीरिक कार्यों एवं संरचना की सूची,
- क्रिया तथा प्रतिभागिता के क्षेत्रों की सूची। वैयक्तिक कार्यात्मकता तथा अक्षमता के अनुसार आई.सी.एफ. में वातावरणीय कारकों की सूची को भी शामिल किया गया है।

आई.सी.एफ. के अंतर्गत क्षमता तथा निष्पादन के मध्य संबंधों का विश्लेषण करने पर ध्यान केन्द्रित किया जाता है। यदि व्यक्ति की क्षमता उसके निष्पादन स्तर से अधिक होती है तो इस अंतर को दूर करने तथा सहायक कारकों को चिन्हांकित करने का प्रयास जाता है।

विश्व स्वास्थ्य संगठन की अक्षमता की नई परिभाषा :

विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार, 'अक्षमता कम या ज्यादा व्यक्ति के अन्य व्यक्तियों, संस्थागत तथा सामाजिक वातावरण में अंत:क्रिया के संदर्भ में देखी जानी चाहिए।'

शारीरिक संरचना : इनकी संख्या 310 दी गई है। इनमें शारीरिक अंग तथा उसके घटक शामिल हैं।

शारीरिक कार्य : शारीरिक कार्य शारीरिक तंत्र दैहिक कार्य हैं जिनमें मनोवैज्ञानिक कार्य भी शामिल हैं।

क्रिया : क्रिया का अर्थ व्यक्ति द्वारा किसी कार्य को करना है। यह व्यक्ति के कार्यात्मक पहलू को दर्शाता है।

प्रतिभागिता : प्रतिभागिता का अर्थ किसी जीवन स्थिति में शामिल होना है। यह कार्यात्मकता के सामाजिक पक्ष को दर्शाता है। क्रिया तथा प्रतिभागिता की संख्या 384 है।

वातावरणीय कारक : वातावरणीय कारकों की संख्या 253 है। वातावरणीय कारक भौतिक, सामाजिक तथा अभिवृत्तात्मक वातावरण से निर्मित होते हैं जिनमे व्यक्ति अपना जीवनयापन करता है। वातावरणीय कारक बाह्य कारक होते हैं तथा उनका व्यक्ति पर धनात्मक (सहायक) अथवा ऋणात्मक (बाधाएँ) प्रभाव पड़ता है।

व्यक्तिगत कारक : उदाहरण- लिंग, आयु, जीवन शैली, आदतें, सामाजिक पृष्ठभूमि, अन्य स्वास्थ्य दशाएँ, आदि।

कार्यात्मकता : कार्यात्मकता मानव अनुभव है जो कि स्वास्थ्य दशाएँ, व्यक्तिगत तथा वातावरणीय कारकों की अंतःक्रिया के परिणामस्वरूप प्राप्त होता है।

आई.सी.एफ. ने कार्यात्मकता, अक्षमता तथा स्वास्थ्य की व्याख्या के लिए एक समान अंतर्राष्ट्रीय भाषा तथा वैश्विक अवधारणा का ढाँचा प्रदान करता है।

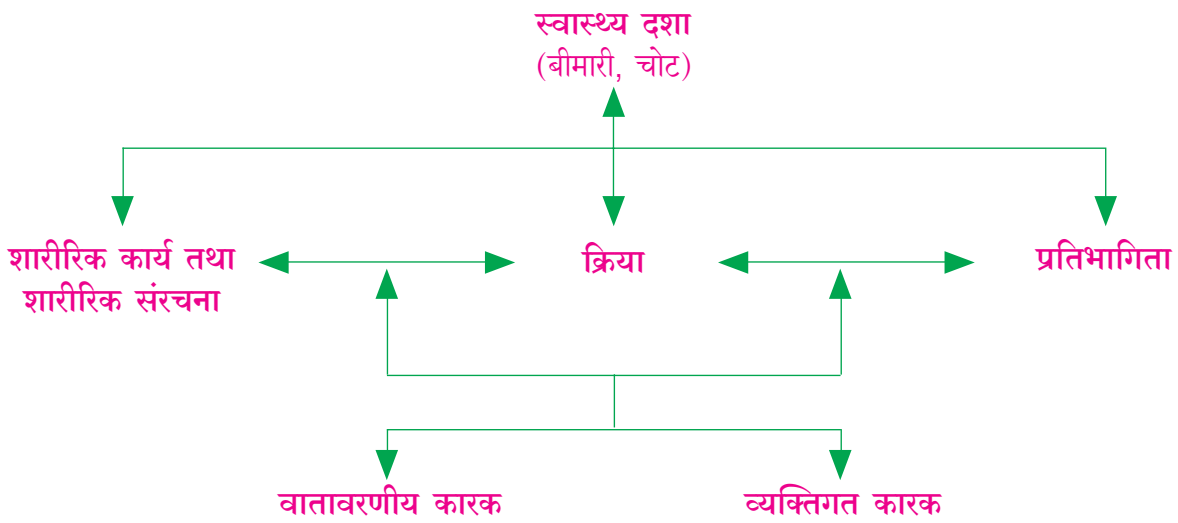

आई.सी.एफ. एक 03 स्तरीय वर्गीकरण की व्यवस्था है।

01 स्तरीय वर्गीकरण :

अध्याय	शारीरिक कार्य	शारीरिक संरचना	क्रियाएँ तथा प्रतिभागिता	वातावरणीय कारक
1	मानसिक प्रकार्य	तंत्रिका तंत्र की संरचना	अधिगम तथा ज्ञान का प्रयोग	उत्पादन तथा तकनीकि
2	संवेदी कार्य तथा दर्द	आँख, कान तथा संबंधित संरचना	समान्य कार्य तथा माँग	प्राकृतिक वातावरण तथा वातावरण में मानव निर्मित परिवर्तन
3	ध्वनि तथा वाणी कार्य	ध्वनि तथा वाणी संबंधित संरचना	संप्रेषण	सहयोग तथा संबंध
4	कार्डियोवैस्कुलर, हिमैटोलॉजिकल, प्रतिरक्षण तथा श्वसन तंत्र	कार्डियोवैस्कुलर, हिमैटोलॉजिकल, प्रतिरक्षण तथा श्वसन तंत्र से संबंधित संरचना	गति	अभिवृत्ति

5	पाचन, उपापचय तथा इण्डोक्राइन तंत्र के कार्य	पाचन, उपापचय तथा इण्डोक्राइन तंत्र से संबंधित संरचना	स्वयं की देखरेख	सेवाएँ, तंत्र तथा नीतियाँ
6	जेनिटोयूरीनरी तथा प्रजनन तंत्र	जेनिटोयूरीनरी तथा प्रजनन तंत्र से संबंधित संरचना	घरेलू जीवन क्षेत्र	-
7	न्यूरोमस्कुलोस्केलेटन तथा गति संबंधी कार्य	न्यूरोमस्कुलोस्केलेटन तथा गति से संबंधित संरचना	अंतःक्रियाएँ	-
8	त्वचा तथा संबंधित संरचना के कार्य	त्वचा से संबंधित संरचना	मुख्य जीवन क्षेत्र	-
9	-	-	सामुदायिक, सामाजिक तथा नागरिक जीवन	-

आई.सी.एफ. की संरचना :

आई.सी.एफ.

शारीरिक संरचना	शारीरिक कार्य	क्रिया तथा प्रतिभागिता	वातावरणीय कारक	व्यक्तिगत कारक
b	s	d	e	
b1-b8	s1-s8	d1-d9	e1-e5	अध्याय
b110-b899	s110-s899	d110-d899	e110-e599	द्वितीय स्तर
b1100-b7809 b11420-b54509	s1100-s8309 s11000-s76009	d1150-d9309	e1100-e5959	तृतीय स्तर

उदाहरण :

एक 28 वर्षीय महिला जो कि छात्रावास में वार्डन के पद पर कार्यरत है, उसे कंधों में तेज़ दर्द _____ की शिकायत है उसे दाएँ हाथ से सामान ले जाने में _____ बहुत कठिनाई हो रही है। उसे छात्रावास में अपने कार्य को करने में तथा अपने 06 माह के बच्चे की देखभाल करने _____ में बहुत समस्या हो रही है। अपने सहकर्मियों की सहायता न मिलने _____ के कारण वह बीमारी के अवकाश पर है। रात में जब वह दाईं ओर लेटती है तो उसे दर्द होता है। उसे बाईं ओर लेटने की आदत पड़ गई है। अतः वह अच्छी तरह से सो जाती है।

परीक्षण करने पर पता चला कि उसे बाहर की ओर तथा शरीर से दूर कंधों को घुमाने में समस्या है। परीक्षण से पता चला कि उसे रोटेअर कफ सिंड्रोम है। उसे सब एक्रोमियल इंजेक्शन तथा भौतिक चिकित्सा कार्यक्रम प्रदान किया गया। अब उसका दर्द ठीक हो रहा है।

उपरोक्त स्थिति की व्याख्या आई.सी.एफ. के आधार पर निम्न प्रकार से की जाएगी :

एक 28 वर्षीय महिला जो कि छात्रावास में वार्डन के पद पर कार्यरत है, उसे कंधों में तेज़ दर्द b28016 की शिकायत है उसे दाएँ हाथ से सामान ले जाने में d430 बहुत कठिनाई हो रही है। उसे छात्रावास में अपने कार्य d850 को करने में तथा अपने 06 माह के बच्चे की देखभाल करने d660 में बहुत समस्या हो रही है। अपने सहकर्मियों की सहायता न मिलने e325 के कारण वह बीमारी के अवकाश पर है। रात में जब वह दाईं ओर लेटती है तो उसे दर्द होता है। उसे बाईं ओर लेटने की आदत पड़ गई है। अतः वह अच्छी तरह से सो जाती है b134।

परीक्षण से पता चला कि उसे बाहर की ओर तथा शरीर से दूर कंधों को घुमाने b710 में समस्या है। परीक्षण से पता चला कि उसे रोटेअर कफ सिंड्रोम (M75.1) है। उसे सब एक्रोमियल इंजेक्शन e1101 तथा भौतिक चिकित्सा कार्यक्रम e580 प्रदान किया गया। अब उसका दर्द ठीक हो रहा है।

आई.सी.एफ. के अंतर्गत कार्यात्मकता में आने वाली बाधाओं तथा सहायकों के स्तर को अंकों के द्वारा निम्न प्रकार से प्रदर्शित करने की व्यवस्था है :

बाधा स्तर :

अंक	बाधा स्तर	बाधा प्रतिशत
0	कुछ नहीं (NO barrier)	0-4%
1	अल्प बाधा (MILD barrier)	5-24%
2	मध्यम बाधा (MODERATE barrier)	25-49%
3	गहन बाधा (SEVERE barrier)	50-95%
4	पूर्ण बाधा (COMPLETE barrier)	96-100%

सहायता स्तर :

अंक	सहायता	स्तर सहायता प्रतिशत
0	कुछ नहीं (NO facilitator)	0-4%
1	अल्प सहायक (MILD facilitator)	5-24%
2	मध्यम सहायक (MODERATE facilitator)	25-49%
3	गहन सहायक (SEVERE facilitator)	50-95%
4	पूर्ण सहायक (COMPLETE facilitator)	96-100%

* * *

अध्याय

2

बौद्धिक अक्षमता की प्रकृति

Nature of Intellectual Disability

हमारे समाज में सामान्य व्यक्तियों के साथ कुछ बौद्धिक अक्षमता में कमी वाले व्यक्ति भी रहते है। इन व्यक्तियों को बौद्धिक अक्षम कहा जाता है। इनकी बौद्धिक क्षमता सामान्य व्यक्तियों की तुलना में कम होती है तथा इनके सामाजिक अनुकूलन में भी कमी पाई जाती है। समय-समय पर बौद्धिक अक्षमता को विभिन्न विशेषज्ञों द्वारा पारिभाषित किया गया है।

बौद्धिक अक्षमता की परिभाषाओं में चिकित्सीय कारणों पर अधिक ध्यान दिया गया किन्तु अमेरिकन असोसिएशन ऑन इंटेलेक्चुअल एण्ड डेवेलेपमेण्टल डिसएबिलिटीज़ (ए.ए.आई.डी.डी.) द्वारा वर्ष 2010 में दी गई नवीनतम् परिभाषा में सामाजिक कारणों पर अधिक ध्यान दिया गया।

- **बौद्धिक अक्षमता की परिभाषा :-**

अमेरिकन असोसिएशन ऑन इंटेलेक्युअल एण्ड डेवेलेपमेण्टल डिसएबिलिटीज़- ए.ए.आई.डी.डी (American Association on Intellectual and Developmental Disabilities- AAIDD) 2010 के अनुसार :- ''बौद्धिक अक्षमता एक अक्षमता है जिसमें बौद्धिक क्रियात्मकता एवं अनुकूल व्यवहार दोनों में सारभूत सीमितता पाई जाती है जिसके अंतर्गत कई दैनिक सामाजिक एवं व्यवहारिक कौशल आते हैं। यह अक्षमता 18 वर्ष से पूर्व प्रकट होती है।''

"Intellectual disability is a disability characterized by significant limitations both in intellectual functioning and in adaptive behavior, which covers many everyday social and practical skills. The disability originates before the age of 18."

- AAIDD, 2010

ए.ए.आई.डी.डी. के अनुसार बौद्धिक अक्षमता को नामित, पारिभाषित एवं वर्गीकृत करने के उद्देश्य से इस परिभाषा को लागू करने के पाँच अनिवार्य अवधारणाएँ निम्नलिखित हैं-

1. व्यक्ति की वर्तमान क्रियाकलाप में कमी को उस व्यक्ति की उम्र तथा संस्कृति के सापेक्ष सामुदायिक वातावरण के संदर्भ में देखा जाना चाहिए।
2. प्रमाणिक आकलन के अंतर्गत सांस्कृतिक तथा भाषाई भिन्नताओं के साथ-साथ संप्रेषण (communication), संवेदी, गामक तथा व्यवहारिक तथ्यों को सम्मिलित किया जाना चाहिए।

3. व्यक्ति में कमी प्रायः उसकी क्षमता के साथ जुड़ी होती है।
4. व्यक्ति की कमियों की व्याख्या करने का एक मुख्य उद्देश्य उसे प्रदान की जाने वाली आवश्यक सहायता की रूपरेखा विकसित करना है।
5. एक निश्चित अवधि तक उपयुक्त वैयक्तिक सहायता द्वारा बौद्धिक अक्षम व्यक्ति के जीवन के क्रियाकलापों में सामान्यतया सुधार होता है।

अन्य व्यक्तियों की तरह बौद्धिक अक्षम व्यक्तियों में बहुत सी बातें सामान्य होती हैं। कुछ विशेष अवस्थाओं को छोड़ ये देखने में सामान्य लोगों की तरह ही होते हैं। कुछ विशेषताएँ या व्यवहार संबंधी लक्षण ऐसे हैं जो इन्हे सामान्य व्यक्तियों से अलग करते हैं।

• बौद्धिक अक्षमता के लक्षण :-

1. **धीमी प्रतिक्रिया** : बौद्धिक अक्षम व्यक्तियों की प्रतिक्रिया सामान्य व्यक्तियों से धीमी होती है। कभी-कभी ये प्रतिक्रिया भी नहीं कर पाते है।
2. **स्पष्टता का अभाव** : अपने विचार, आवश्यकताएँ और भावनाएँ व्यक्त नहीं कर पाते हैं।
3. **सीखने में धीमापन** : ये लोग धीरे-धीरे ही सीख पाते हैं।
4. **कम समझ** : समझने में भी धीमापन दिखाई देता है।
5. **निर्णय लेने की क्षमता में कमी** : बौद्धिक अक्षम व्यक्ति या तो निर्णय नहीं ले पाते या निर्णय लेने में अधिक विलम्ब करते हैं।
6. **एकाग्रता का अभाव** : बौद्धिक अक्षम व्यक्तियों को किसी गतिविधि पर ध्यान केन्द्रित करने में समस्या होती है। उन्हें एक गतिविधि से दूसरे पर जाना भी कठिन होता है।
7. **जल्दी गुस्सा करना या नियंत्रण खो बैठना** : बौद्धिक अक्षम व्यक्ति अपने संवेगों पर नियंत्रण नहीं रख पाते हैं।
8. **याद रख पाने में कमी** : बौद्धिक अक्षम व्यक्तियों में सीखने की क्षमता में कमी पाई जाती है तथा सीखे गए कौशलों को याद रखने में समस्या होती है।
9. **समन्वय का अभाव** : शरीर के विभिन्न अवयवों और उनके क्रियाकलापों में समन्वय रख पाना कठिन होता है। क्रियाएँ समायोजित नहीं हो पाती हैं। निराशा, चिढ़चिढ़ापन या अवांछनीय व्यवहार अधिक दिखाई देने लगता है।
10. **विकास में देरी** : सामान्य अवस्था के अनुकूल क्रियाओं को न कर पाना, जो एक सामान्य बालक से अपेक्षित है। बौद्धिक अक्षम व्यक्ति वास्तविक आयु के विकास के अनुपात में पीछे रह जाते हैं।

बौद्धिक अक्षम व्यक्तियों को प्रशिक्षण और शिक्षा से बेहतर बनाया जा सकता है तथा उसे ऐसी दशा तक ले जाया जा सकता है जहाँ वह आत्मनिर्भरता का अनुभव पा सके एवं दूसरों पर कम आश्रित रह पाएँ।

बौद्धिक अक्षम व्यक्तियों के कुछ बाहरी लक्षण स्पष्ट दिखाई पड़ते हैं। जैसे-उनके सिर का बहुत छोटा या बहुत बड़ा होना, लार टपकते रहना, दाँतों का असामान्य रूप, छोटी बाँहें, पैर का सपाट तलवा (flat foot) आदि।

• बौद्धिक अक्षमता के प्रति मिथ्या धारणाः-

1. बौद्धिक अक्षमता एक रोग है। यह ठीक हो सकती है।
2. विवाह बौद्धिक अक्षमता की समस्या का एक समाधान है।
3. बौद्धिक अक्षमता से प्रभावित व्यक्ति बढ़ती उम्र के साथ सामान्य हो जाते है।
4. बौद्धिक अक्षमता एक संक्रामक रोग है।
5. बौद्धिक अक्षमता कर्म का फल है। अतः उसके लिए कुछ नहीं किया जा सकता है।
6. बौद्धिक अक्षम व्यक्ति को कुछ नही सिखाया जा सकता है।
7. बौद्धिक अक्षमता मानसिक रोग के समान है।

• बौद्धिक अक्षमता एवं मानसिक रोग में भिन्नता -

क्र.सं.	बौद्धिक अक्षमता	मानसिक रोग
1.	बौद्धिक अक्षमता एक स्थिति है बीमारी नही।	यह एक बीमारी/ रोग/ विकार है।
2.	बौद्धिक अक्षमता विकासात्मक अवस्था (0-18 वर्ष) के दौरान होती है।	मानसिक रोग किसी भी उम्र में हो सकता है।
3.	बौद्धिक अक्षम व्यक्ति की बुद्धि औसत बुद्धि से कम होती है।	मानसिक रोग से प्रभावित व्यक्ति की बुद्धि सामान्य या सामान्य से ज्यादा हो सकती है।
4.	बौद्धिक अक्षम व्यक्ति के शिक्षा की आवश्यकता होती है जो प्रशिक्षित व्यक्ति द्वारा दी जाती है।	मानसिक रोग से प्रभावित व्यक्ति के प्रशिक्षित चिकित्सक की विशेष सहायता की आवश्यकता होती है।
5	बौद्धिक अक्षम व्यक्ति असामान्य व्यवहार को प्रदर्शित करता है क्योंकि उसे सही तरीको का ज्ञान नही होता है। उन्हे इन तरीकों को सिखाने की आवश्यकता होती है।	दिमाग को प्रभावित करने वाले रोगों के कारण मानसिक रोग से प्रभावित व्यक्ति सामान्य व्यवहार का ज्ञान होने के बावजूद अपरिचित व्यवहार को प्रदर्शित करता है।
6.	यह पूर्ण रूप से ठीक नहीं किया जा सकता। शीघ्र पहचान एवं हस्तक्षेप से विकास एवं अधिगम को बढ़ाया जा सकता है।	शीघ्र पहचान करते हुए इसे पूर्णतः ठीक किया जा सकता है।

बौद्धिक अक्षमता की विस्तार दर एवं व्यापकता दर (Incidence and Prevalence rate of Mental Retardation)

विस्तार दर (Incidence rate):

विस्तार दर से तात्पर्य है, 'किसी निर्धारित जनसंख्या में विशेष समयावधि में पाए गए नए मामलों की संख्या।' इसे निम्न सूत्र से बताया जाता है :

$$\frac{\text{निश्चित समयावधि में विशिष्ट बीमारी के नए मामलों की संख्या}}{\text{संकटग्रस्त आबादी}} \times 1{,}000$$

उदाहरण के लिए, यदि 1,00,000 की आबादी में एक वर्ष में किसी विशेष बीमारी जैसे-स्वाइन फ्लू के 210 नए मामले सामने आए हैं तो इस बीमारी की विस्तार दर होगी :

210/1,00,000 X 1,000 = 2.1 प्रति हजार प्रति वर्ष

व्यापकता दर (Prevalence rate):

व्यापकता दर से तात्पर्य, 'दी गई जनसंख्या में निर्धारित समय में किसी विशेष बीमारी के कुल (नए व पुराने) मामलों की संख्या से है।' इसे निम्न सूत्र से बताया जाता है :

$$\frac{\text{किसी निर्धारित समय पर किसी विशेष बीमारी के कुल (नए व पुराने) मामलों की संख्या}}{\text{कुल आबादी}} \times 100$$

बौद्धिक अक्षमता की व्यापकता दर (Prevalence of Intellectual Disability):

विभिन्न स्रोतों से प्राप्त आँकड़े बौद्धिक अक्षमता की व्यापकता दर 20 व्यक्ति प्रति 1,000 दर्शाते हैं। डायग्नोस्टिक स्टेटिकल मैनुअल (डी.एस.एम.-4) के अनुसार बौद्धिक अक्षमता (मानसिक मंदता) की व्यापकता दर लगभग 1.0 प्रतिशत है।

भारतीय परिप्रेक्ष्य में सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार के अनुरोध पर विकलांग व्यक्तियों का सर्वेक्षण **'नेशनल सैंपल सर्वे आर्गेनाइजेशन (एन.एस.एस.ओ.)'** द्वारा 58वें चक्र में किया गया। इसके अनुसार भारत में बौद्धिक अक्षमता (मानसिक मंदता) की व्यापकता दर 94 व्यक्ति प्रति 1,00,000 है।

विस्तार एवं व्यापकता दर का महत्व (Importance of Incidence and Prevalence rate):

विस्तार एवं व्यापकता दर का महत्व निम्न बिंदुओं से जाना जा सकता है :

- इसके द्वारा विकलांगता की वास्तविक स्थिति पता चलती है।
- विकलांग व्यक्तियों के पुनर्वास में प्रभावी रणनीति बनाने मे सहायता मिलती है।
- किसी विशेष विकलांगता के बढ़ने की स्थिति में उसके रोकथाम के लिए रणनीति तैयार की जा सकती है।
- विकलांग व्यक्तियों की संख्या के अनुसार कुशल व प्रशिक्षित व्यवसायिकों को तैयार करने की योजना बनाई जा सकती है।

सही आँकड़े प्राप्त करने में कठिनाइयाँ (Difficulties in obtaining accurate data):

विकलांगता की वास्तविक स्थिति के बारे में सही आँकड़े प्राप्त करने में हम अभी तक सफल नहीं हो पाए हैं। इसके कुछ कारण निम्नलिखित है :

- भारतीय परिपेक्ष्य में वैयक्तिक बौद्धिक परीक्षणों (Individualized Intelligence Tests) जिनका प्रयोग विभिन्न मनोसामाजिक, शैक्षिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक समूहों पर किया जा सकता है, बहुत सीमित हैं।
- अल्प (माइल्ड) बौद्धिक अक्षम व्यक्ति सामान्यतया सीमित कौशल वाले कार्यों में व्यवस्थित हो जाते है, इसलिए उनकी पहचान करना कठिन हो जाती है।
- कुशल व्यवसायिकों की कमी जिनके द्वारा सर्वेक्षण कार्यों किया जाएगा।
- जागरुकता तथा साक्षरता की कमी।

* * *

अध्याय 3

विशेष शिक्षा का इतिहास
History of Special Education

17वीं शताब्दी से पूर्व असाधारण (Exceptional) व्यक्तियों की अवधारणा बहुत ही क्रूरतापूर्ण थी। शरीर में आई कमी को भगवान का अभिशाप माना गया, अर्थात्, असाधारण (Exceptional) व्यक्ति के विषय में यह धारणा थी कि इनके अन्दर कमी इनके पूर्वजन्मों का परिणाम है। इसलिए इनके साथ किया गया व्यवहार अत्यंत क्रूरतापूर्ण था।

उनके संवेगात्मक कष्टों का कारण किसी प्रेत, राक्षस आदि को माना जाता था। धनी एंव शाही लोगों ने बौद्धिक अक्षम व्यक्तियों को 'मूर्ख' कहा और उन्हें मनोरंजन का साधन मात्र समझकर बन्द रखा गया।

कुछ यूरोप के शहरों में तो बौद्धिक अक्षम व्यक्तियों को चिड़ियाघरों में जानवरों की तरह रखा जाता था और लोगों का मनोरंजन करके उसके बदले में पैसे भी लिए जाते थे। ग्रीक, रोमन के शहरों में ऐसी संस्कृति पनपी की अनचाहे बच्चों को मारना शुरू कर दिया गया।

ज्ञान का काल (Age of Enlightenment) :

ये बुरी धारणाएँ (Misconceptional Abuses) उस काल तक चलती रही जिसे हम ज्ञान का काल मानते है। इसी के मध्य में शारीरिक क्षमता (Feudalism) की मूल नींव रखी गई। शारीरिक रूप से दोषी व्यक्ति को थोड़ा सम्मान दिया जाने लगा।

18वी शताब्दी में लंदन में 70% जन्में बच्चे 5 वर्ष की आयु के होकर मर गये जिसमें शारीरिक अपंगता के कारण बच्चो की मृत्यु दर बहुत ही ज्यादा थी। (Wright, 1980)

शीघ्रता से सही तरीके द्वारा श्रवण एवं दृष्टि विकलांग लोगों (Deaf & Blind) को पढ़ाने के प्रयास शुरू हुए। अस्पतालों में विशेष वार्ड नेत्रहीन लोगों के लिए बनाए गए ताकि उनकी देखरेख, शिक्षा एवं पुर्नगठन किया जा सके।

चौथी शताब्दी में रोमन की राजधानी पालासटाईन (Palestine) में सेंट बेसिल में दृष्टिहीन के लिए Hospice की नींव रखी। सर्वप्रथम National Des Quinze - Vingts Hospice की स्थापना पेरिस में 13वीं शताब्दी के मध्य लुईस नौवे के द्वारा की गई।

सन् 1651 में रोमन शासक डाइडमस (Didymus) जो एक नेत्रहीन दार्शनिक एवं सिद्धांतवादी थे। उन्होने एक 'वर्णमाला के बड़े अक्षर' (Block Letters In Alphabet) बनाने की योजना बनाई। हार्सडार्फर (Horsdorffer) ने दृष्टिहीनों को मोम के टैबलेट्स के द्वारा लिखना सिखाने की योजना बनाईं। - (Wright, 1980)

चार्ल्स मिकेल (Charles Michael Delepee) ने 1755 में श्रवण अक्षम लोगों के लिए एक स्कूल खोला जिसमें उन्होने सम्प्रेषण (Communication) के बारे में बताया और सिखाया। स्काटलैंड के थामस ब्रैडवुड (Thomas Braidwood) एवं जर्मनी के सेमुअल हेनके (Samuel Heinecke) के कार्य को 'श्रवण अक्षम के शिक्षण की मौखिक विधि' (Oral Method of Teaching the Deaf) का नाम दिया गया। यूरोप में श्रवण अक्षम के लिए प्रथम विद्यालय 1817 में थॉमस (Thomas Hopkins Gallaudet) के द्वारा खोला गया।

शिक्षा के इतिहास में ज्ञात होता है कि फ्रांस के शिक्षा शास्त्री वैलेनटीन हुवे (Valentin Huay) ने पेरिस में 1784 में एक स्कूल की स्थापना की ताकि नेत्रहीन पढ़ने का प्रशिक्षण ले सकें। इस स्कूल के बहुत प्रसिद्ध छात्र लुइस ब्रेल (Louis Braille) ने नेत्रहीनों के लिए एक ऐसा तरीका ईजाद किया, जिसका प्रयोग दृष्टिहीनों के लिए विस्तृत रूप से आज भी किया जाता है। बाद में हुवे ने रूस एवं जर्मनी में कई स्कूलों की स्थापना की। आज यूरोप के बहुत से देशों में इन स्कूलों की शुरूआत की गई है।

एक बहुत ही बुद्धिमान दार्शनिक थॉमस जेफरसन (Thomas Jefferson) ने अमरीका में तथा जीन जैक (Jean Jaque Rousseau) ने रूस से एक नई नीति का प्रादुर्भाव किया जिसमें हार्दिक तौर पर मानव स्वतंत्रता एवं समानता की बात कही गई है। प्रजातंत्र एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता ने एक ऐसा माहौल बनाया जिसमें व्यक्ति के विकलांगता के चिकित्सा की जा सकें। सबसे पहले यूरोप के चिकित्सक (Physician) थे जिन्होनें असामान्य (Exceptional) बच्चों के ऊपर अपने विचार लागू किए। इनमें तीन नाम थे :-

1. पिनेल, 2. इर्टाड, 3. सेग्विन

19वीं सदी के अंत में विशेष शिक्षा के लिए सृजनात्मक कार्य आरंभ हुए।

इस दौरान देश नागरिक युद्ध के कारण सामाजिक, राजनैतिक एवं आर्थिक संघर्ष कर रहा था। देश एक नए औद्योगिकरण की ओर अग्रसर था।

19वीं शताब्दी में वंश के आधार की व्याख्या में भी रूचि ली जाने लगी। इस रूचि का माध्यम चार्ल्स डार्विन (Charles Darwin) द्वारा दिए गए लिखित मूल्यांकन से काफी बल मिला। इस दौरान इस बात पर भी ध्यान दिया गया कि समाज की यह जिम्मेदारी है कि विकलागों को संस्थागत सेवाएँ प्रदान करें एवं जो समस्याएँ एक समान है उन्हें दूर किया जाए। अब असाधारण जनसमूह (Exceptional Populations) के लिए सामाजिक धारणा नए नियमों में आ चुकी थी । यह प्रथम विश्वयुद्ध का समय था।

बगिया के फूल हर रंग के हैं,
हम बच्चे अलग ढँग के हैं।

यहाँ याद रखने योग्य बात है कि बिना विकलांगता के भी यहाँ बहुत से बच्चे शिक्षा से वंचित रह गए जबकि 1876 में अमेरिका में करीब 5 प्रतिशत बच्चे 5 से 17 वर्ष की आयु के विद्यालय में थे। दूसरी ओर गाँवों में योजना तथा यातायात के साधनों की कमी जैसी समस्याएँ अपनी जगह है जो कि औद्योगीकरण के साथ-साथ बढ़ती जा रही थी। यहाँ तक कि और 6 वर्ष की आयु के बच्चे भी 10 से 14 घंटे मेहनत के कार्य में लगे हुए थे। सभी के लिए आवश्यक शिक्षा सभी राज्यों में 1918 में लागू किया जो कि 'शिक्षा का प्रगति काल' (Progressive era of Education) के नाम से जाना गया। इस शताब्दी को सामाजिक धारणाओं में परिवर्तन एवं लोगों की इच्छाओं एवं आवश्यकताओं को देखते हुए कार्य्रकम की योजना बनाई गई। इस दौरान, मनोविज्ञान एवं शिक्षा के सिद्धांतों का विकास और सरकारी नीतियों के साथ-साथ चिकित्सा तकनीक तथा अन्य क्षेत्रों में भी काफी कार्य हुआ।

अनेक विषमताओं की दिशाओं को देखते हुए चिकित्सा के क्षेत्र में भी काफी अध्ययन हुआ तथा दिमाग तथा सीखने के व्यवहार के संबंध में नए आविष्कारों के लिए रास्ता खुला। डर तथा अस्वीकृति की दशा में विकलांगों को समझना कैसे संभव है और इस प्रकार से मिर्गी (Epilepsy), प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात् (Cerebral Palsy) आदि अन्य बिमारियों में कैसे व्यक्तियों की समझ में परिवर्तन आ जाता है और कैसे इसका उपचार किया जाता है, यह पता लगाने का प्रयास किया गया। माँ एवं नवजात शिशु की किस प्रकार से देखभाल की जाती है और कैसे उसे पोलियो जैसी घातक बीमारी से बचाया जाता है, इन सब का अध्ययन इस दौरान किया गया।

तकनीकी विकास भी मुख्य हैं। बच्चों को स्कूल लाने व ले जाने हेतु यातायात का होना भी आवश्यक है। अन्य उपकरण जैसे- व्हीलचेयर, टेपरिकार्डर, श्रवण यंत्र आदि भी विशेष शिक्षा (Special Education) को तकनीकी विकास की देन है। उदाहरण के तौर पर सबसे अच्छा आविष्कार के रूप में एलेक्ज़ेंडर ग्राहम बेल को जाना जाता है, जिनके प्रयासों से श्रवण दोष के क्षेत्र में 1876 में टेलिफोन का आविष्कार किया।

फ्रांस के एक प्रोफेसर एल्फ्रेड बिनेट एवं अन्य छात्र साइमन ने बुद्धि का प्रथम मानकीकरण 1905 में किया जिसका परिचय 1908 में संघीय राज्यों में अपनाया गया। शिक्षा के सिद्धांतों एवं अभ्यास में 19वी सदी के बीच में उन्नति हुई जब व्यक्ति के मनोचिकित्सा, वाणी चिकित्सा एवं अन्य सम्बधित आविष्कारों में फ्रायड तथा स्कीनर के अध्ययनों को कक्षा में लागू किया गया।

उपरोक्त माध्यम से लक्ष्य तक पहुँचने में सहायता तो नहीं मिली लेकिन वृद्धि की दिशा अवश्य दिखाई पड़ी।

18वीं सदी के उत्तरार्ध में दृष्टि और श्रवण अक्षम बच्चों की शिक्षा के लिए कारगर प्रणालियाँ तैयार की गयी। 19वीं सदी के आरंभ में जड़मति और बौद्धिक अक्षम बच्चों को पढ़ाने के लिए कुछ सुव्यवस्थित प्रयत्न किए गए। अब हम उन बच्चों को बौद्धिक अक्षम या भावनात्मक रूप से असंतुलित कहते हैं। यूरोप के चिकित्सकों जैसे- इटार्ड, पिनेल, सेंगुइन और मोन्टेसरी ने विकलांग बच्चों का इलाज करने व शिक्षा देने के व्यवस्थित प्रयत्न किए। उनकी शिक्षा की पद्धति मुख्य रूप से ज्ञानेन्द्रियों के माध्यम से था।

इटार्ड '1775-1838' ने बौद्धिक अक्षम बच्चों को सिखाने-पढ़ाने का शुरुआत की। उन्होंने एवेएरान के जंगल से विक्टर नामक जंगली बच्चे को लेकर धैर्य और व्यवस्थित शिक्षा से बच्चे में अद्भुत सुधार दिखाया।

इटार्ड के शिष्य एडवर्ड सेंगुइन '1812-1880' बौद्धिक अक्षम बच्चों को पढ़ाने में लोकप्रिय हो गए। उनकी पुस्तक "Idiocy and its Treatment by the Physiological Methods" 1866 में इटार्ड की शिक्षा प्रणाली का विस्तार से विवेचन और व्याख्या की गई है। मैडम मौन्टेसरी के काम का आधार भी यही पुस्तक है।

इटली में मोंटेसरी पहली महिला थी जिन्होने चिकित्सा शास्त्र में डिग्री ली। उन्होनें बौद्धिक अक्षम बच्चों की शिक्षा देने के रूप में प्रसिद्धि पाई। इटार्ड और सेंगुइन दोनों ने गंभीर रूप से विकलांग बच्चों को शिक्षित करने की दिशा में प्रयत्न किए परन्तु मोंटेसरी ने अपने काम के क्षेत्र को असहाय और मानसिक रूप से अविकसित बच्चों तक सीमित रखा। ज्ञानेन्द्रियों द्वारा सिखाने के अतिरिक्त उन्होंने पढ़ने-लिखने और गणित की बुनियादी कौशल पर विशेष ध्यान दिया। ऐसे बच्चों को सिखाने के लिए उन्होनें विशेष उपकरणों का आविष्कार किया।

इन आरंभिक अग्रणी व्यक्तियों की उपलब्धियों के बावजूद 19वीं सदी के उत्तरार्द्ध में अमेरिका में विशेष शिक्षा की गति धीमी पड़ गई। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ही विकलांगों के उपचार के लिए लोगों में रूचि जगी। लोगों में यह भावना ज़ोर पकड़ने लगी कि इन लोगों की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। शिक्षा शास्त्री जैसे-फ्रास्टिंग, स्ट्रास, वर्नर और होब्स ने विकलांग बच्चों के प्रशिक्षण के लिए नए तरीके विकसित किए। चिकित्सा शास्त्र, मनोविज्ञान, और समाजशास्त्र तथा विशेष शिक्षा ने मिलकर पूरे तालमेल के साथ परंपरागत शिक्षा से अच्छी शिक्षा और प्रशिक्षण देने की व्यवस्था तैयार की। उन्होनें यह माना कि विशेष शिक्षा एक निरंतर प्रक्रिया है जो शिशु को प्रेरणा देने से लेकर व्यक्ति को व्यवसाय में लग जाने तक चलती रहती है। अन्य सलाहकार समय-समय पर सहायक होते हैं।

पिछले 10 सालों में बौद्धिक अक्षम व्यक्तियों की शिक्षा में अनेक परिवर्तन हुए हैं। आजकल व्यक्तिगत शिक्षा और व्यवहार -सुधार सिद्धांतों को लागू करने पर अधिक ज़ोर दिया जाने लगा है । दूसरा महत्वपूर्ण विकास उन बच्चों को ध्यान में रखकर किया जा रहा हैं जिन्हें विकलांग होने का खतरा है। ऐसे बच्चों को शीघ्रातिशीघ्र अथवा जितना पहले हो सके सहायता दी जाए जिससे विकलांगता को रोका जा सके और कम भी किया जा सके।

* * *

विषमता नहीं है अक्षमता।

हम विकलांग नहीं, खास हैं ।

अध्याय 4

शीघ्र पहचान

Early Identification

बौद्धिक अक्षम बच्चों की पहचान (Identifiction of Children with Intellectual Disability) : सामान्य बच्चों के विकास के क्रम को ध्यान में रखते हुए अवरोध या विलम्ब का पता लगाया जा सकता है। उसी के अनुरूप ऐसे बच्चों के संपूर्ण निदान की व्यवस्था की जा सकती है जिससे समुचित शिक्षा व प्रशिक्षण शीघ्रातिशीघ्र हो सके।

बच्चों में बौद्धिक अक्षमता (मानसिक मंदता) की शीघ्र जाँच करने के लिए राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान (एन.आई.एम.एच.) द्वारा 03 स्क्रीनिंग शेड्यूल विकसित किए गए हैं जो इस प्रकार हैं :-

- **स्क्रीनिंग शेड्यूल संख्या 01 (3 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए)**

स्तर सं.	बच्चे की प्रगति	सामान्य विकास आयु विस्तार	यदि इस आयु तक न कर पाए
1	नाम/आवाज़ पर प्रतिक्रिया	1 से 3 माह	04 माह तक
2	दूसरों को देखकर मुस्कराना	1 से 4 माह	06 माह तक
3	सिर को संभालना	2 से 6 माह	06 माह तक
4	बिना सहारे बैठना	5 से 10 माह	12वें माह तक
5	बिना सहारे खड़ा होना	9 से 14 माह	18वें माह तक
6	अच्छी तरह चलना	10 से 20 माह तक	20वें माह तक
7	2-3 शब्द वाक्यों में बोलना	16 से 30 माह तक	तीसरे वर्ष तक
8	स्वयं से भेजन करना/तरल पदार्थ पीना	2-3 साल	चौथे वर्ष तक
9	अपना नाम बताना	2-3 साल	चौथे वर्ष तक
10	शौच आदि में नियंत्रण	3-4 साल	चौथे वर्ष तक
11	सामान्य मुश्किलें दूर करना	3-4 साल	चौथे वर्ष तक
अन्य कारक			
12	दौरे आते हैं	हाँ	नहीं
13	शारीरिक अक्षमता है	हाँ	नहीं

यदि बच्चा 01 से 11 तक के चरणों में धीमा पाया जाता है तथा यदि बच्चे को दौरे (fits) आते हैं अथवा शारिरिक अक्षमता है तो बौद्धिक अक्षमता (मानसिक मंदता) की संभावना है।

• स्क्रीनिंग शेड्यूल संख्या 02 (3 से 06 वर्ष तक के बच्चों के लिए)

1.	अन्य बच्चों की तुलना में क्या बच्चे के बैठने, खड़े होने, चलने में गंभीर या अधिक देरी है ?	हाँ	नहीं
2.	क्या बच्चे के सुनने में समस्या है ?	हाँ	नहीं
3.	क्या बच्चे के देखने में समस्या है ?	हाँ	नहीं
4.	जब आप बच्चे को कुछ समझाते हैं तो क्या उसे आपके द्वारा कही गई बात को समझने में समस्या है?	हाँ	नहीं
5.	क्या बच्चे को कभी-कभी हाथ अथवा पैर में कमजोरी तथा/अथवा कड़ापन आ जाता है तथा/अथवा चलने में अथवा बाँह मोड़ने में समस्या होती है ?	हाँ	नहीं
6.	क्या बच्चे को कभी-कभी दौरे आते हैं, अकड़न हो जाती है अथवा अचेतन अवस्था (बेहोश) में चला जाता है ?	हाँ	नहीं
7.	क्या बच्चे को उन कार्यो को सीखने में कठिनाई होती है जिसे उसकी समान आयु के बच्चे कर लेते हैं?	हाँ	नहीं
8.	क्या बच्चा बिन्कुल नहीं बोल पाता ? (अपनी बात मौखिक रूप से अभिव्यक्त नहीं कर पाता)	हाँ	नहीं
9.	क्या बच्चे की वाणी सामान्य से किसी प्रकार भिन्न है ? (इतनी स्पष्ट नहीं है जिसे मेरे परिवार के अतिरिक्त अन्य व्यक्ति समझ सकें)	हाँ	नहीं
10.	उसकी आयु की तुलना में क्या बच्चा किसी प्रकार से पिछड़ा, फीका (सुस्त) अथवा धीमा है ?	हाँ	नहीं

यदि ऊपर दिए गए बिन्दुओं किसी का उत्तर 'हाँ' है तो बच्चे के बौद्धिक अक्षम (मानसिक मंद) होने की संभावना है।

• स्क्रीनिंग शेड्यूल संख्या 03 (07 वर्ष एवं अधिक आयु के बच्चों के लिए)

1.	अन्य बच्चों की तुलना में क्या बच्चे के बैठने, खड़े होने, चलने में गंभीर या अधिक देरी है ?	हाँ	नहीं
2.	क्या बच्चा कार्यो को स्वयं नहीं कर सकता जैसे - भोजन करना, कपड़े पहनना, श्रृंगार करना आदि ?	हाँ	नहीं
3.	क्या बच्चे को समझने में समस्या होती है जब आप कहते हैं 'यह या वह काम करो'	हाँ	नहीं
4.	क्या बच्चे की वाणी अस्पष्ट है ?	हाँ	नहीं
5.	क्या बच्चे से पूछे जाने पर कि उसने क्या देखा अथवा सुना, बच्चे को अभिव्यक्त करने में कठिनाई होती है?	हाँ	नहीं
6.	क्या बच्चे के हाथ अथवा पैर में कमजोरी तथा/अथवा कड़ापन आ जाता है तथा/अथवा चलने में अथवा बाँह मोड़ने में समस्या होती है ?	हाँ	नहीं
7.	क्या बच्चे को कभी-कभी दौरे आते हैं, अकड़न हो जाती है अथवा अचेतन अवस्था (बेहोश) में चला जाता है ?	हाँ	नहीं
8.	उसकी आयु की तुलना में क्या बच्चा किसी प्रकार से पिछड़ा, फीका (सुस्त) अथवा धीमा है ?	हाँ	नहीं

यदि ऊपर दिए गए बिन्दुओं किसी का उत्तर 'हाँ' है तो बच्चे के बौद्धिक अक्षम (मानसिक मंद) होने की संभावना है।

ऊपर दिए गए एन.आई.एम.एच. स्क्रीनिंग शेड्यूल के अतिरिक्त नीचे एक अन्य आकलन सूची दी जा रही है जो कि बच्चों के विकासात्मक विचलन (Developmental Deviations) का पता लगाने में अत्यंत उपयोगी सिद्ध होगी :

आकलन सूची :-

- **आयु : 0 - 6 माह**

1. व्यक्ति जब उसको बुलाए या गोद में लेने का प्रयत्न करें तब बच्चा अन्य को देख कर मुस्कराता है।
2. जब उसे पेट के बल लिटाया जाता है तब अपनी गर्दन ऊपर उठा पाता है।
3. टा टा, बा बा आदि जैसी ध्वनि निकाल पाता है।
4. पीठ से पेट के बल पलट पाता है।
5. किसी वस्तु को अपनी पूरी हथेली से पकड़ पाता है।

- **आयु : 7 - 12 माह**

6. बच्चा अपना नाम लिये जाने पर कोई प्रतिक्रिया करता है जिससे लगे कि वह नाम अपना जानता है।
7. बिना सहारे के बैठ पाता है।
8. पेट के बल चल पाता है।
9. किसी चीज़ की सहायता से खड़ा हो पाता है।
10. वस्तुओं को उंगली और अंगूठे की मदद से पकड़ पाता है।

- **आयु : 1 - 2 वर्ष**

11. बिना सहारे के खड़ा हो लेता है।
12. मामा, पापा कह सकता है।
13. बिना सहारे के चल लेता है।
14. एक गिलास या कप से पानी/दूध स्वयं पी लेता है।
15. पूछे जाने पर अपने अंगों को बता देता है।
16. कहे जाने पर दूसरों को नमस्कार करता है।

- **आयु : 2 - 3 वर्ष**

17. दोनों पाँव जोड़े कूद पाता है।
18. सामान्य प्रश्नों का उत्तर दे पाता है।
19. एक पेंसिल पकड़ लेता है।
20. अपनी शौच आदि आवश्यकताओं को दर्शा लेता है।
21. अपना नाम बता पाता है।
22. 2-3 शब्दों के वाक्य बोल लेता है।
23. सामान्य रंगों का मेल कर पाता है।

- **आयु : 3 - 4 वर्ष**

24. ब्रश से दाँत साफ कर पाता है।
25. अपने कपड़ों के बटन खोल लेता है।
26. काम में आने वाली चीजों को दिखाता है।
27. सीढ़ियों पर चढ़ लेता है।
28. अपने आप खा पाता है।
29. छोटी व बड़ी वस्तुओं को अलग कर पाता है।

- **आयु : 4 - 5 वर्ष**

30. सीधी, तिरछी लाइन व गोलाकार रेखाओं की नकल पेंसिल से कर पाता है।
31. अपने कपड़ों के बटन लगा या बंद कर पाता है।
32. बिना मदद के बालों में कंघी कर लेता है।
33. अपना मुँह बिना मदद के धो लेता है।
34. किसी क्रिया से समय का संबंध जोड़ पाता है।
35. 10 तक गिनती बोल पाता है।
36. दिखाने पर वस्तु का रंग बता पाता है।

- **आयु : 5 - 6 वर्ष**

37. दो निर्देशों को एक साथ समझ पाता है।
38. क्रम में दिनों के नाम बता पाता है।
39. साधारण शब्दों को पढ़ पाता है।
40. अर्थपूर्ण ढंग से 10 तक गिन पाता है।

अगर बच्चा अपनी आयु के अनुसार दिए गए व्यवहारों को नहीं कर पा रहा है तो हम बौद्धिक अक्षमता की सम्भावना प्रकट कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में बच्चे को किसी बाल निर्देश केन्द्र या किसी विशेष स्कूल अथवा बाल रोग विशेषज्ञ से सम्पर्क करें। बौद्धिक अक्षम बच्चों की देख-रेख या शिक्षण-प्रशिक्षण के लिए आवश्यक है उनका सही आकलन हो। इससे उनके स्तर का पता लग सकेगा और आगे क्या सिखाना है, उसके लिए उचित मार्गदर्शन हो पाएगा। इसका वर्णन आगे के अध्यायों में किया जाएगा।

* * *

विकलांगता नहीं है अभिशाप,
ज्ञान की रोशनी से
छुप जाएगा यह विकार ।

अध्याय

5

आकलन

Assessment

विशेष शैक्षणिक आवश्यकताओं का आकलन अपने आप में पूर्ण या अंतिम नहीं होता है। अपितु बच्चे की निष्पादन स्तर (Performance Level) को अच्छी तरह से समझने का एक मात्र साधन है ताकि इससे बच्चे को शिक्षा के लिए मार्गदर्शन मिल सके और इसी के आधार पर बच्चे की प्रगति को जाँचा जा सके। विशेष शिक्षा आकलन (Special educational assessment) एक सतत् चलने वाली प्रक्रिया है क्योंकि किसी भी बच्चे की आवश्यकताएँ निश्चित ही उसके बड़े होने के साथ-साथ और उसके रहन-सहन के वातावरण मे परिवर्तन के कारण भी बदलती रहती है।

परिभाषा :- लोंगन (1997) ने आकलन की परिभाषा करते समय उसे 'दक्षता के स्तर और प्रगति को जाँचने के लिए इस्तेमाल किये जाने वाले विभिन्न उपकरणों (परीक्षण सूची), अवलोकन आदि का प्रयोग बताया है।'

आवश्यकता :- प्रत्येक बच्चे की अपनी-अपनी विशेष आवश्यकताएँ होती है। प्रत्येक बच्चा दूसरे से पूर्णतः अलग होता है। अतः ये अत्यंत आवश्यक होता है कि प्रत्येक बच्चे का विस्तार से शैक्षणिक आकलन (Educational assessment) किया जाए। इस तरह के आकलन में बच्चे का स्वास्थ्य इतिहास, दृष्टि, मानसिक योग्यता, वाणी और भाषा, श्रवण शक्ति, मनोगामक (सायकोमोटर) विकास, सामाजिक कार्यकलाप, शैक्षिक स्वर और अन्य आवश्यक समझी जाने वाले तत्वों का मूल्यांकन शामिल होना चाहिए। यदि किसी बच्चे की मनोशैक्षणिक आकलन रिपोर्ट अच्छी है तो हम सीधे ही उसका प्रयोग बच्चे के शैक्षिक कार्य्रकम तैयार करने में कर सकते है।

आकलन के उद्देश्य (Purpose of assessment)

बौद्धिक अक्षम बच्चों की शिक्षा और प्रशिक्षण में कई महत्वपूर्ण पहलूओं का आरम्भ है - आकलन । आकलन के प्रमुख उद्देश्य है :

- **पहचान के लिए आकलन (Assessment for Identification)**

मनौवेज्ञानिक और उपलब्ध परीक्षणों से जो आँकड़े एकत्र किये जाते है उनसे बच्चों की पहचान करने में मदद मिलती है। इसके द्वारा बच्चों के वर्गीकरण किया जा सकता है जिसके द्वारा बच्चों को प्रशासनिक उद्देश्यों के लिए जैसे- शिक्षा के योग्य (Educable), प्रशिक्षण के योग्य (Trainable) या अत्याधिक गंभीर रूप से बौद्धिक अक्षम (Custodial), भावनात्मक रूप से

पीड़ित (Emotionally Disturbed), शैक्षणिक रूप से पिछड़ा हुआ (Slow Learner), अधिगम अक्षम (Learning Disable) आदि वर्गों में बाँटा जा सकता है। इस प्रकार से एकत्र की गई सूचना बच्चे के संबंध में एक अलग सीमित दृष्टिकोण प्रस्तुत करेगी। इस प्रकिया में केवल उन्हीं बच्चों की पहचान की जाती है जिन्हें सिर्फ सहायता की आवश्यकता होती है। अतः पढ़ाने के लिए आकलन अति आवश्यक है।

- **निर्देश के लिए आकलन (Assessment for Instruction)**

पढ़ना, लिखना जिन बच्चों की प्रमुख समस्या है उन बच्चों के आकलन का मुख्य पहलू ऐसे आँकडे तथा सूचना एकत्रित करना है जिसके आधार पर बच्चे की शिक्षा का कार्य्रकम तैयार किया जा सके। इस प्रकार की आकलन सूचना शिक्षक को बच्चे की विशेष समस्याओं को समझने में मदद देगी और उनके लिए योजना तैयार करने और कार्य्रकमों व तकनीकों को लागू करने के लिए मार्गदर्शक का काम भी करेगी। सूचना के अंतरगत शिक्षा का वर्तमान स्तर, विशेषताएँ और कमजोरियाँ, सीखने की शैली प्रेरणा तथा व्यवहारिक तत्व भी शामिल होंगे। आकलन सूचना निरंतर एकत्र की जाती रहेगी और इसमें योजनाएँ व कार्यक्रम तैयार करने में और बच्चे को शिक्षित करने में माता-पिता को भी शामिल किया जायेगा।

शिक्षा देने के उददेश्य से एकत्र की गई सूचनाओं को आकलन के विभिन्न रूपों से उपयोग में लाया जाता है। इनमें से कुछ शिक्षक द्वारा तैयार किये जाते है। कुशल आकलन प्रक्रिया वह प्रक्रिया है जिसमें औपचारिक व अनौपचारिक प्रणालियों का प्रयोग किया जाता है और उनकी व्यवस्था सावधानी से की जाती है जिसके आधार पर वर्गीकरण व शैक्षिणिक कार्य्रकम तैयार किया जाना संभव हो।

आकलन के स्तर

किसी भी विशेष बच्चे की समस्याओं को देखते हुए आकलन के तीन विशेष स्तरों का प्रयोग किया जाता है।

आरंभिक स्तर :- जाँच (Screening)

इस स्तर के समूह में पूरे समूह की परीक्षा ली जाती है ताकि व्यक्ति के कार्य को विशेष कक्षा में जाँचा जा सके और उन बच्चों का पता लगाया जा सके जिनके शैक्षिक उद्देश्य के लिए अधिक विश्लेषण की आवश्यकता होगी।

मध्यम स्तर :- निदान (Diagnosis)

इस चरण में विशेष नैदानिक परीक्षण किये जाते है, ताकि बच्चे की और अधिक जाँच की जा सके। इससे बच्चे की योग्यताओं व कमियों से संबंधित विशेष समस्याओं के संभावित क्षेत्रों की पहचान हो सके।

अंतिम स्तर :- सेवार्थी अध्ययन (Case Study)

इस स्तर में बच्चे का पूरा अध्ययन किया जाता है जिसमें बच्चे की पृष्ठभूमि, विद्यालय का इतिहास, मेडिकल/स्वास्थ्य का इतिहास, सामाजिक व आर्थिक इतिहास और कार्य का वर्तमान स्तर शमिल हो। अपेक्षित सूचनाएँ एकत्र करनें में सफलता के लिए यह आवश्यक है कि विभिन्न व्यवसायिकों, विशेषज्ञों, अध्यापक, मनोवैज्ञानिक, डॉक्टर, सामाजिक कार्यकर्ता और माता-पिता के बीच समुचित समन्वय होना चाहिये।

आकलन के सिद्धांत :

आदर्श मनोशैक्षिक आकलन में नीचे लिखे अनुसार 04 चरण होना चाहिए (स्मिथ, 1974):

- विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान।
- आकलन की तकनीक।
- शैक्षणिक योजना का विकास।
- पढ़ाने की नीतियों को अमल में लाना।

- **विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान करना** : हम पहले देख चुके है कि इस चरण में सामान्य जाँच की जाती है कि किन- किन बच्चों में सीखने की समस्याएँ हैं। सीखने की समस्याओं वाले बच्चों का पता लगाने के लिए शिक्षकों व अभिभावकों की राय को ध्यान में रखा जाता है।

- **आकलन की तकनीक** : इस चरण में और अधिक गहन आकलन विशेष उपकरणों की मदद से किया जाता है। इसमें मनोवैज्ञानिक तथा शैक्षिक परीक्षण भी शामिल है जिसका प्रयोग किया जाता है। इस चरण में सही-सही आकलन के लिए आवश्यक है कि इस प्रकार की जाँच एक बार के बैठक में न करते हुए विभिन्न परिस्थितियों में कई दिनों तक की जाए।

- **पढ़ाने की योजना का विकास** : आकलन के जरिए प्राप्त जानकारी को एकत्र करने के बाद इस चरण में पढ़ाने की योजना एकत्र किये गए विवरणों के आधार पर तैयार की जाती है। यह बहुत आवश्यक है कि आकलन विवरण का अच्छी तरह से प्रयोग किया जाए और तब बच्चे का दीर्घ-कालीन और अल्प-कालीन ध्येय वाले लक्ष्यों का शैक्षणिक कार्यक्रम तैयार किया जाए।

- **पढ़ाने की नीतियों को अमल में लाना** : पहले चरण में तैयार की गई योजना को इस चरण में कार्यांवित किया जाता है। योजना को लागू करने के बाद बच्चों का फिर से आकलन किया जाए ताकि उनमें प्रगति की जाँच की जा सके, और जिस योजना का विकास किया गया है उसमें सफल या असफल रहे उसका पता लग सके। अतः किसी अध्यापक द्वारा किया जाने वाला आकलन सामयिक आकलन होना चाहिए जिसे निरंतर आकलन भी कहा जाता है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए जेनट लर्नर ने एक साईकल का निर्माण किया जिसे नैदानिक शैक्षणिक चक्र (Clinical Teaching Cycle C.T.C) कहते हैं। जैसा कि इस चित्र में हम देखेंगे कि आकलन अपने आप में पूर्ण परिणाम नहीं है बल्कि यह एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है।

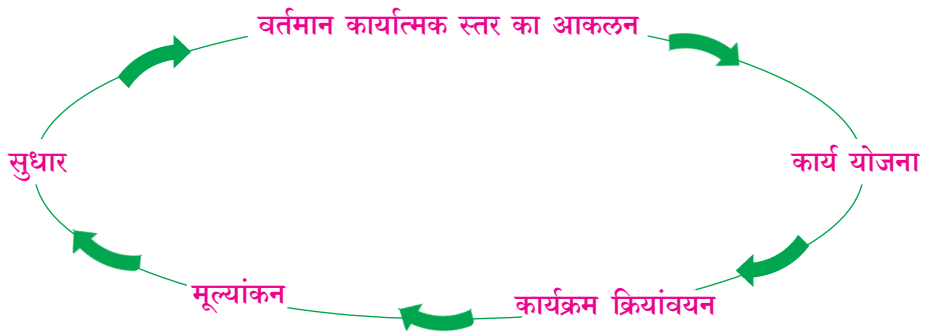

नैदानिक शैक्षणिक चक्र
Diagram of the clinical teaching cycle

नैदानिक विवरणात्मक शिक्षण के चरण (Steps of Diagnostic Teaching Cycle - DPT):

मोरन (Moran -1978) के अनुसार, नैदानिक विवरणात्मक शिक्षण में नौ चरणों की व्याख्या होनी चाहिए। ये चरण हैं :-

- पूर्व आँकड़ों का मूल्यांकन।
- कक्षा में अनौपचारिक आकलन करना।
- सुधार के लिए प्राथमिकता तय करना।
- लक्ष्य व्यवहार तय करना।
- शिक्षण विधि तथा शिक्षण सामग्री तय करना।
- कार्यक्रम के लिए समय सीमा निर्धारित करना।
- कार्यक्रम को क्रियान्वित करना।
- कार्यक्रम का मूल्यांकन करना।
- कार्यक्रम में सुधार करना।

इन चरणों का पालन कर शिक्षक अपने कार्यक्रम को सुव्यवस्थित कर सकता है।

विशेष शिक्षा आकलन के उपागम (Approaches in Special Educational Assessment)

सूचना एकत्र करने के लिए शिक्षाविद् कई तरीके उपयोग में लाते हैं। अधिक उपयोग में लाये जाने वाले जो तरीके हैं : मानदण्ड आधारित परीक्षण - सी.आर.टी. (Criterian Referenced Test - CRT), अनौपचारिक आकलन परीक्षण, अवलोकन और साक्षात्कार । इस तरह से प्राप्त आँकडों की मदद से विद्यार्थियों की विशेष शैक्षणिक समस्याओ की जाँच की जा सकती है और बच्चे के लिए उचित पाठ्यक्रम भी चुना जा सकता है। इस तरह से विद्यार्थियों की शैक्षणिक कमजोरी को दूर किया जा सकता है।

औपचारिक आकलन (Formal Assessment) :

क. मानक आधारित परीक्षण - एन.आर.टी. (Norm Referenced Test - NRT):

एक मुख्य गूढ़ औपचारिक आकलन है। एन.आर.टी. एक मानकीकृत परीक्षण है। इस प्रकार के मापन में संबंधित व्यक्ति की तुलना एक मानक या औसत समूह से कर सकते है। उदाहरण सहित - बीने इंटेलिजेंस टेस्ट (Binet Intelligence Test - BIT), वेश्लर इंटेलिजेंस स्केल फार इंडियन चिल्ड्रेन (WISIC), वाइनलैंड सोशल मैच्योरिटी स्केल (VSMS), आदि।

ख. मानदण्ड आधारित परीक्षण - सी.आर.टी. (Criterian Referenced Test - CRT):

इसके अंतर्गत ऐसे परीक्षण आते है जो कि 'निष्पादन स्तर' (Performance) पर आधारित होते है, जिसमें विद्यार्थियों की कार्य क्षमता की तुलना पाठ्यक्रम के उद्देश्यों से की जाती है, न की मानक संदर्भो की कार्यक्षमता ''निष्पादन स्तर' (Performance) से। इस प्रकार के आकलन हेतु शिक्षकों द्वारा तैयार परीक्षणों का उपयोग किया जाता है।

सामान्यतः शिक्षकों द्वारा तैयार परीक्षणों के उपयोग से बौद्धिक अक्षम विद्यार्थियों का आकलन करते हैं क्योंकि इन परीक्षणों के परिणामों से उचित कार्यक्रम निर्धारण में मदद मिलती है। जबकि मानक परीक्षणों में ऐसा नहीं होता है। मानदण्ड आधारित परीक्षण (Criterian Referenced Test) शिक्षक द्वारा तैयार किए जिनके निम्न लाभ है :

- प्रत्येक विद्यार्थी की कार्य क्षमता की तुलना, स्वयं उसकी कार्य क्षमता के स्तर से की जाती है ना कि दूसरे व्यक्ति से। इसकी सहायता से पाठ्यक्रम की एक दक्षता के बारे में जानकारी एकत्र कर सकते है। इससे शिक्षक को रूपरेखा तैयार करने में मदद मिलती है। इस रूपरेखा से छात्र को मापे जाने वाले मानदण्ड में सफलता मिल सकती है।
- इस तरह कार्यात्मक स्तर (Performance level) की जानकारी होती है। इसमें सम्मिलित होने से सफलता/निपुणता मिलना आसान हो जाता है। इस कारण विद्यार्थी के सतत् या लगातार निगरानी हेतु शिक्षक को भी मदद मिलती है।
- शिक्षक सीधे ही आकलन से जुड़े रहते है जिससे किसी विशेष क्षेत्र में विद्यार्थी की दक्षता और कमी का तुरंत पता चल जाता है। परीक्षण को आसानी से विद्यार्थियों पर प्रशासित किया जा सकता है। मापन और पुनःमूल्यांकन आसानी से किया जा सकता है।
- परीक्षण काफी लचीले होते है। शिक्षक विद्यार्थियों की आवश्यकता अनुसार परीक्षण की क्रियाओं को घटाया या बढ़ाया जा सकता है।

पश्चिमी देशों के अधिकांश विद्यालयों में पाठ्यक्रम बच्चों की आवश्यकतानुसार बनाये जाते है जो कि कार्यात्मक आकलन सूची (Functional Assessment Checklist) से किया जाता है। इस तरह के प्रयास भारत के कुछ संस्थानों में भी हो रहे है जैसे :-

- राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान - एन.आई.एम.एच. (National Institute for the Mentally Handicapped - NIMH), मनोविकास नगर, सिकंदराबाद, आंध्र प्रदेश।
- राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद - एन.सी.ई.आर.टी. (National Council of Education, Research and Training NCERT), अरविन्दो मार्ग, नई दिल्ली . 110016।
- विजय मानव सेवाएँ (Vijay Human Services), 6ए लक्ष्मीपुरम, रायपीठ, चेन्नई - 600014।

इनमें भी पाठ्यक्रम आकलन सूची (Assessment Checklist) को आधार मानकर तैयार किया जाता है।

अवलोकन :

क्रमबद्ध अवलोकन सूचना एकत्र करने का एक और अधिक कारगर तकनीक है। इससे योजना एवं पुनः मूल्यांकन में मदद मिलती है तथा विशेष विद्यार्थियों के विकास और अधिगम के लिए उपयोगी आँकड़े मिलते हैं।

मेहरेन्स और लेहगॉन, 1984, ने निम्न सुझाव दिए है :

विद्यार्थी के कार्य के बार-बार अवलोकन से उसकी प्रगति और गलतियों की जाँच की जा सकती है और जैसे ही वह मालूम पड़ती है तुरन्त सही निर्णय लिया जा सकता है। अवलोकन की तकनीक से अधिक समय नहीं लगता है और उपलब्ध परीक्षण के दौरान होने वाले थकावट से भी बच जाते हैं। अवलोकन ऑकड़ों से शिक्षकों को मूल्यांकन पूरक जानकारी मिलती है। इनमें अधिकतर जानकारियाँ अन्य किसी तरीके से प्राप्त नहीं हो सकती हैं।

अवलोकन के पूर्व छात्र की आवश्यकता व उद्देश्य की पहचान होना आवश्यक है। किसी विद्यार्थी के अवलोकन करने के पहले निम्न प्रश्नों के उत्तर हमें मालूम होना चाहिए:

- अवलोकन कौन करेगा ?
- किसका अवलोकन होगा ?
- क्या अवलोकन किया जाएगा ?
- अवलोकन किस स्थान पर होगा ?
- अवलोकन कब किया जाएगा ?
- अवलोकन कैसे अभिलेखित (Record) किया जाएगा?

साक्षात्कार : साक्षात्कार के जरिए छात्र के सामाजिक कौशल और छात्र का विभिन्न वातावरणों में प्रबंधन की जानकारी एकत्र की जाती है। साथ ही अभिभावक/परिवार और स्वयं छात्र का साक्षात्कार लेकर विभिन्न परिस्थितियों की जानकारी ली जाती है।

आकलन के उपकरण (Tools for Assessment):

A. विद्यालय-पूर्व बच्चों के लिए आकलन उपकरणः

I. पोर्टाज- भारत में विद्यालय पूर्व बच्चों के लिए शीघ्र उद्दीपन

- इसका निर्माण एस. एम. ब्लूमा, एम. सीएरर, एच. फ्राहमेन तथा जीन एम. हिलीयर्ड द्वारा किया गया जिसका भारतीय परिवेश में हिन्दी अनुवाद किया गया है।
- यह मुख्यतः विकासात्मक समस्या वाले बच्चों के लिए एक गृह आधारित प्रशिक्षण तंत्र है जिसमें अभिभावक अपने बच्चे की शिक्षा में परोक्ष रूप से सम्मिलित रहते हैं।
- यह 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए उपयुक्त है। इसमें प्रशिक्षण एक प्रशिक्षित पुनर्वास कर्मी द्वारा प्रदान किया जाता है।

विषय सूची

- इसमें दिए गए क्षेत्र हैं- शिशु उद्दीपन, स्व-सहायता, गामक, बौद्धिक, भाषा तथा समाजीकरण।
- प्रत्येक क्षेत्र में आयु के अनुसार क्रियाएँ क्रम से दी गई है।
- प्रत्येक कौशल के लिए क्रिया कार्ड दिए गए है जिसमें बच्चे को प्रशिक्षित करने के लिए प्रयुक्त सामग्री तथा विधि का वर्णन हैं।
- जाँच तालिका के किनारे प्रत्येक कौशल के लिए उपयुक्त आयु दी गई है।

प्रारूप

- इसमें सबसे पहले सभी कौशलों में बच्चे का आकलन किया जाता है तथा उसके कार्यात्मक स्तर को कौशल के सामने अभिलेखित किया जाता हैं।
- इसमें उपलब्धि दर्शाने तथा टिप्पणी लिखने की भी व्यवस्था है।

II. उपनयन - बौद्धिक अक्षम व्यक्तियों के लिए विकासात्मक प्रशिक्षण कार्यक्रम

- यह 0 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए एक प्रशिक्षण उपकरण है।
- इसमें एक जाँच तालिका, एक मैनुअल, एक क्रिया कार्डों का समूह तथा प्रशिक्षण के लिए सामग्री होती है।

विषय सूची

- इसमें 05 विकास क्षेत्र शामिल हैं - गामक, स्व सहायता/व्यक्तिगत, भाषा, बौद्धिक तथा समाजीकरण।
- प्रत्येक क्षेत्र में 50 क्रियाए है तथा इस प्रकार कुल 250 क्रियाएँ दी गई है।
- क्रियाओं को सामान्य विकास के आधार पर व्यवस्थित किया गया है।

प्रारूप

- एक क्षेत्र को दूसरे क्षेत्र से भेद करने के लिए रंगीन संकेतों वाले क्रिया कार्ड दिए गए हैं।
- इसमें परीक्षण के दौरान प्रयुक्त सामग्री की तालिका दी गई है।
- सामान्य सूचनाएँ तथा परीक्षण आँकड़ों को अंतरकालिक रूप से दर्ज करने के लिए अभिलेख प्रपत्र दिया गया है।
- अगर बच्चा क्रिया को करता है तो उसे "A" से दर्शाते हैं तथा नहीं करता है तो उसे "B" से दर्शाते हैं।

यह कार्यक्रम कंप्यूटरीकृत है। इसका उद्देश्य गृह आधारित तथा केन्द्र आधारित प्रशिक्षण प्रदान करना है।

B. विद्यालय जाने वाले बच्चों के लिए आकलन उपकरण

III. मद्रास विकासात्मक कार्यक्रम प्रणाली - एम.डी.पी.एस. (Madras Developmental Programming System - MDPS)

- मद्रास विकासात्मक कार्यक्रम प्रणाली - एम.डी.पी.एस. का निर्माण प्रो. जयचन्द्रन, विमला और कुमार ने किया है।
- इसके द्वारा बौद्धिक अक्षम व्यक्तियों के अनुकूल व्यवहारों का आकलन किया जाता है तथा उनके कार्यात्मक कौशलों (functional skills) के बारे में सूचना मिलती है।
- यह उपकरण बौद्धिक अक्षम व्यक्तियों के अनुकूल व्यावहार स्तर के संबंध में उसकी योग्यता तथा आवश्यकताओं का परिमाणात्मक (Quantitative) दृश्य प्रस्तुत करता है।
- एम.डी.पी.एस. एक मानदण्ड आधारित परीक्षण (Criterian Referenced Test) है जिसका प्रयोग मानसिक मंद व्यक्तियों के आकलन तथा कार्यक्रम योजना बनाने में किया जाता है।

मद्रास विकासात्मक कार्यक्रम प्रणाली - एम.डी.पी.एस. की विशेषताएँ :-

- इस उपकरण में 360 अवलोकन योग्य क्रियाएँ हैं जिन्हें 18 कौशल क्षेत्रों के अन्दर रखा गया है। प्रत्येक कौशल क्षेत्र में 20 क्रियाएँ हैं। कौशल क्षेत्रों का निर्माण विकासात्मक चरणों के आधार पर किया गया है।
- सभी 18 कौशल क्षेत्र स्वयं विकासात्मक क्रम में व्यवस्थित हैं जिसमें प्रारम्भिक कौशल क्षेत्रों सबसे प्राथमिक कौशल रखे गए हैं।
- प्रत्येक कौशल क्षेत्र में क्रियाओं को विकासात्मक क्रम में व्यवस्थित किया गया है।

- सभी 360 कौशल वांछनीय क्रियाएँ हैं जो अवलोकन तथा मापन योग्य है।
- सभी क्रियाएँ कार्यात्मक व्यावहारों पर केंद्रित है (क्रियाएँ जो व्यक्ति के दैनिक जीवन में सामान्य रूप से घटित होती है)।
- यह सभी क्रियाएँ निर्भरता (B) - आत्मनिर्भरता (A) में मापी जाती हैं।
- उपकरण का निर्माण इस प्रकार से किया गया है के प्राथमिक क्रियाएँ सबसे आसान तथा बाद की क्रियाएँ अपेक्षाकृत अधिक जटिल (complex) होती जाती है।
- इसे प्रशासित करके बच्चे के द्वारा वर्तमान में कौन सा कौशल व्यवहार किया जाता है या नहीं किया जाता है, इसके बारे में सूचना एकत्र करते है। यह सूचनाएँ छात्र, अभिभावक/संरक्षक के साथ अथवा मूल्यांकन के दौरान, सीधे अवलोकन से प्राप्त की जाती है।

एम.डी.पी.एस के कौशल क्षेत्र

1. **गामकः**
- स्थूल गामक,
- सूक्ष्म गामक ।

2. **स्वयंसेवी कौशलः**
- भोजन करना,
- कपड़े पहनना,
- श्रृंगार करना,
- शौच क्रिया।

3. **संप्रेषण कौशलः**
- संग्रहणात्मक भाषा (receptive language),
- अभिव्यक्तात्मक भाषा (expressive language)।

4. **सामाजिक अंतःक्रिया।**

5. **कार्यात्मक पठन-पाठनः**
- पठन,
- लेखन,
- संख्या,
- समय,
- मुद्रा।

6. **घरेलु क्रियाकलाप।**

7. **सामुदायिक अंतःक्रिया।**

8. **मनोरंजनात्मक कौशल तथा फुर्सत के क्षणों के कार्य।**

9. **व्यवसायिक कौशल।**

समस्यात्मक व्यवहारों का आकलन

एम.डी.पी.एस में एक प्रपत्र है जिसके द्वारा समस्यात्मक व्यवहारों का आकलन किया जाता है। समस्या व्यवहार आकलन प्रपत्र नीचे दिया गया है।

नाम : .....

दिनांक : ..... भरने वाले का नाम : .....

समस्या व्यवहार

1. .....
2. .....
3. .....
4. .....

क. समस्या व्यवहार कितनी बार घटित होता है? उदाहरण के लिए एक घण्टे में तीन बार, सप्ताह में दो बार आदि।

1. .....
2. .....
3. .....
4. .....

ख. समस्या व्यवहार घटित होने के पूर्व के वातावरण की स्थितियाँ क्या है?

1. .....
2. .....
3. .....
4. .....

ग. समस्या व्यवहार घटित होने के तुरंत बाद क्या परिणाम देखा गया? (क्या बच्चे को दण्ड दिया गया, पुरस्कार दिया गया, अनदेखा किया गया आदि)

1. .....
2. .....
3. .....
4. .....

घ. समस्या व्यवहार कहाँ घटित होता है? (विद्यालय में, कार्य करते समय आदि)

1. .....

2. .....

3. .....

4. .....

च. समस्या व्यवहार को दूर करने वाले वांछनीय व्यवहार का विवरण दें।

1. .....

2. .....

3. .....

4. .....

उपरोक्त के अनुसार समस्यात्मक व्यवहारों का आकलन किया जाता है। सभी सूचनाओं का प्रयोग करते हुए बौद्धिक अक्षम व्यक्ति के समस्या व्यवहारों को वांछनीय व्यवहारों द्वारा दूर करने के लिए लक्ष्य निर्धारित करें। इन लक्ष्यों को प्राथमिकता के आधार पर प्रपत्र में भरें तथा उसे वैयक्तिक कार्यक्रम योजना में शामिल करते हुए बच्चे के निष्पादन स्तर का आकलन करें।

नोटः- कार्यक्रम क्रियांवयन के बाद निम्न बिन्दुओं का अवलोकन करें:

- पूर्व निर्धारित किया गया धनात्मक व्यवहार प्राप्त किया जा सका है अथवा नहीं।
- समस्यात्मक व्यवहार के आवृत्ति, अवधि तथा तीव्रता कम हुई है अथवा नहीं।

आधारभूत आवृत्ति तथा हस्तक्षेप के उपरान्त प्रदर्शित की गई आवृत्ति का साप्ताहिक अभिलेखन करें।

सप्ताह	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
आवृत्ति												

बौद्धिक अक्षम व्यक्तियों में सामान्यतौर पर देखे जाने वाले समस्या व्यवहार आवश्यकता होने पर संदर्भ के लिए नीचे दिए गए है।

1. दूसरों को शारीरिक क्षति पहुँचाना।
2. चोरी करना।
3. संपत्ति को नुकसान पहुँचाना।
4. अवांछनीय यौन व्यवहार।
5. सार्वजनिक स्थान पर गुप्तांगों को दर्शाना।
6. स्वयं घातक क्रियाएँ।
7. अतिक्रियाशीलता।
8. पुनरावृत्ति क्रियाएँ।
9. रोना, चिड़चिड़ापन।
10. अपशब्दों का प्रयोग।
11. भटकना, घूमना, दूर भागना।
12. शारीरिक अपशिष्ट पदार्थो जैसे- मल-मूत्र को हाथ में लेना/खेलना।
13. अखाद्य पदार्थो को खाना।
14. निरीक्षण तथा परामर्श का विरोध करना।
15. सबके सामने कपड़े उतारना।
16. अन्य।

प्रारूप

एम.डी.पी.एस मे बच्चे के निष्पादन स्तर का अंकन प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय तिमाही में किया जाता है। परीक्षण में अगर विद्यार्थी क्रिया का निष्पादन करता तो इसे 'A' अंकित करते है और अगर नहीं करता है तो इसे 'B' अंकित करते है। परीक्षण में रंगीन कोड भरने की व्यवस्था भी है जिसमें 'A' को नीला और 'B' को लाल रंग से भरते है। प्रत्येक तिमाही में प्रगति के आधार पर लाल रंग को रेखाओं से ढका जा सकता है। उदाहरण के लिए ग्राफ नीचे दिया गया है।

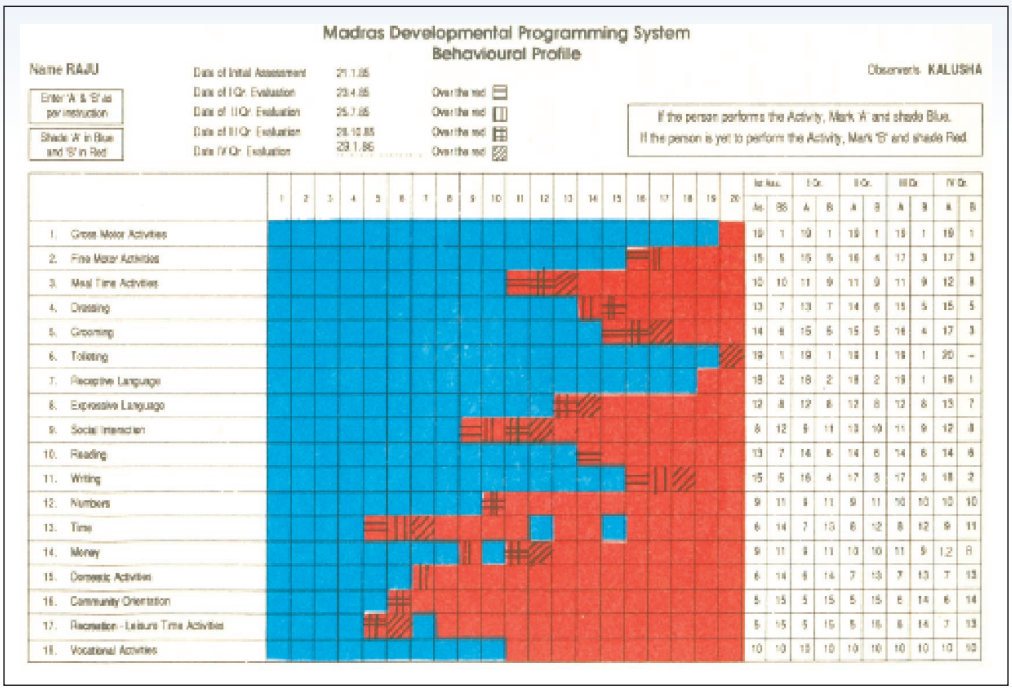

बच्चे की आयु के अनुसार विभिन्न कौशल क्षेत्रों में क्रियाएँ निर्धारित की गई हैं जिन्हे नीचे दिए गए ग्राफ द्वारा दर्शाया जा सकता हैं।

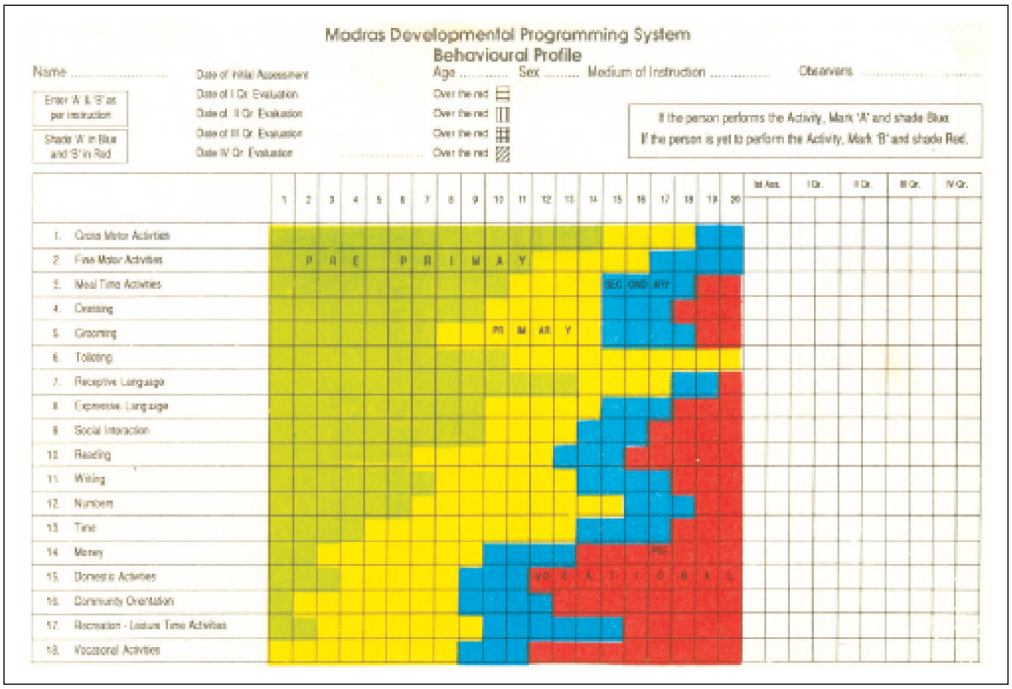

एम.डी.पी.एस. के घटक

1. व्यवहारात्मक पैमाना
2. व्यवहारात्मक प्रौफाइल
3. वैयक्तिक शैक्षणिक कार्यक्रम
   - प्राथमिक लक्ष्य
   - त्रैमासिक प्रगति प्रपत्र
   - समस्या व्यवहार आकलन प्रपत्र
4. अनुकूल व्यवहार आकलन किट

प्रगति अभिलेखन

अंक	प्रगति
01	आधार रेखा से नीचे
02	आधार रेखा पर
03	25% प्रगति
04	50% प्रगति
05	75% प्रगति
06	100% प्रगति
07	100% प्रगति निर्धारित अवधि से पूर्व।

IV. भारतीय मंदबुद्धि बच्चों के लिए व्यवहार मूल्यांकन मापदण्ड - बेसिक एम.आर. (Behavioral Assessment Scale for Indian Children with Mental Retardation - BASIC MR)

- बेसिक एम. आर. का विकास एन.आई.एम.एच. सिकंदराबाद की मैडम रीता पेशावरिया और एस. वेंकटेश ने बौद्धिक अक्षम बच्चों के प्रशिक्षण हेतु शिक्षकों के लिए व्यवहारिक तकनीकि के उपयोग पर सामग्री तैयार करने के लिए बनी परियोजना के भाग के रूप में किया था।
- बेसिक एम.आर. का निर्माण 3-16 वर्ष (या 18 वर्ष) की आयु के विद्यालय जाने वाले बौद्धिक अक्षम बच्चों के व्यवहार के वर्तमान स्तर को दर्शाने तथा उनके लिए कार्यक्रम योजना बनाने के लिए किया गया था।
- शिक्षक इस उपकरण को पुराने गंभीर विकलांग व्यक्तियों के लिए भी उपयोगी पा सकते है।
- व्यवहारिक आकलन के लिए यह उपकरण तर्कसंगत है और कार्य्रकम योजना के लिए इसे एक पाठ्यक्रम निर्देशिका के रूप में भी उपयोग किया जा सकता है।
- इसे प्रत्येक बौद्धिक अक्षम बच्चे की व्यक्तिगत आवश्यकताओं पर आधारित प्रशिक्षण के लिए भी उपयोग में लाया जा सकता है।
- इस उपकरण का परीक्षण एक चुने गए प्रतिदर्श समूह (sample population) पर किया जा चुका है।
- इस उपकरण द्वारा समस्यात्मक व्यवहारों का आकलन भी किया जा सकता है।

विषय वस्तु

इस उपकरण को दो भागों में विभाजित किया गया है जो इस प्रकार हैं -

- बेसिक एम. आर. भाग 'अ'
- बेसिक एम. आर. भाग 'ब'

बेसिक एम. आर. भाग 'अ' :- इसमें कुल 07 कौशल क्षेत्र हैं। प्रत्येक कौशल क्षेत्र में 40 क्रियाएँ हैं जो अवलोकन तथा मापन योग्य हैं तथा जिन्हें सरल से जटिल के क्रम में रखा गया है। इसमें दिए गए कौशल क्षेत्र हैं :-

- गामक कौशल
- दैनिक जीवन के क्रियाकलाप
- भाषा
- पठन-लेखन
- संख्या-समय
- घरेलू-सामाजिक
- पूर्व व्यवसायिक-पैसा

बेसिक एम. आर. भाग 'ब' :- इसके अन्तर्गत समस्यात्मक व्यवहारों को 10 समूहों में बाँटा गया है जो इस प्रकार हैं :-

- उग्र व विनाशक व्यवहार
- चिढ़चिढ़ापन
- अन्य के साथ दुर्व्यवहार
- स्वयं घातक व्यवहार
- पुनरावृत्ति व्यवहार
- अनोखा व्यवहार
- अतिचंचलता
- विद्रोही व्यवहार
- असामाजिक व्यवहार
- भय

ऊपर दिए गए समूहों में कुल 75 समस्यात्मक व्यवहार आते हैं। प्रत्येक समूह में समस्यात्मक व्यवहारों की संख्या भिन्न है।

बेसिक एम. आर. प्रपत्र

बेसिक एम. आर. भाग 'अ' :- प्रत्येक कौशल क्षेत्र में छात्रों के कार्य निष्पादन के 06 स्तरों के आाधार पर अंक दिए जाते हैं जो इस प्रकार हैं -

- स्तर एक : स्वावलंबी/आत्मनिर्भर - अंक 5- यदि बच्चा बिना किसी शाब्दिक अथवा शारीरिक सहायता के कार्य कर लेता है।
- स्तर दो : संकेत देने पर - अंक 4 - यदि बच्चा किसी शाब्दिक अथवा शारीरिक संकेत की सहायता से कार्य कर लेता है।

- स्तर तीन : शाब्दिक सहायता देने पर - अंक 3- यदि बच्चा किसी मौखिक निर्देश की सहायता से कार्य कर लेता है।
- स्तर चार : शारीरिक सहायता देने पर - अंक 2- यदि बच्चा किसी शारीरिक सहायता से कार्य कर लेता है।
- स्तर पाँच : पूर्णतया निर्भर - अंक 1 - यदि बच्चा चयनित व्यवहार को नहीं कर सकता किन्तु उसे उस कार्य में प्रशिक्षित किया जा सकता है।
- स्तर छः : लागू नहीं - अंक 0 - यदि बच्चा चयनित व्यवहार को संवेदी अथवा शारीरिक क्षति के कारण नहीं कर सकता।

बेसिक एम. आर. भाग 'अ' में छात्रों द्वारा अधिकतम् 1400 अंक अर्जित किए जा सकते हैं।

बेसिक एम. आर. भाग 'ब' :- बेसिक एम. आर. भाग 'ब' में समस्यात्मक व्यावहार को गंभीरता/ आवृत्ति के आधार पर 3 स्तरों में बाँटा गया है जो इस प्रकार हैं :-

- अगर बच्चे द्वारा समस्या व्यवहार कभी प्रदर्शित नहीं किया जाता तो 'N' (Never) दर्ज करें तथा 0 अंक दें।
- अगर बच्चे द्वारा समस्या व्यवहार कभी-कभी प्रदर्शित किया जाता तो 'O' (Occasionally) दर्ज करें तथा 01 अंक दें।
- अगर बच्चे द्वारा समस्या व्यवहार अक्सर या जल्दी-जल्दी प्रदर्शित किया जाता तो 'F' (Frequentally) दर्ज करें तथा 02 अंक दें।

अतः बेसिक एम. आर. भाग 'ब' में आवृत्ति के आधार पर अधिकतम् 150 अंक दिए जा सकते हैं।

परिशिष्ट I

बेसिक - एम आर, भाग 'अ', के लिये व्यवहार समायोजन का नमूना

विद्यार्थी का नाम वी.एस. रवि स्तर/कक्षा द्वितीय
आयु 12 वर्ष आधारभूत मूल्याकन तिथि मूल्याकन कर्ता
लिंग पुल्लिंग प्रथम त्रैमासिक मूल्याकन द्वितीय त्रैमासिक मूल्याकन तिथि 2.3.93. मूल्याकन कर्ता कु. स्मिता
तृतीय त्रैमासिक मूल्याकन

कथन संख्या	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
गामक	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	3	3	3	2	5	1	1	1
दै.जी.क्रि.क	5	3	5	1	5	5	5	3	5	5	5	5	5	5	3	5	5	5	5	5
भाषा कौशल	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	3	3	5	3	5	1	1	1
पाठन	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	1	1	3	2	3	1	1	1	1
अक	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5	1	1	1	1	1	-	-	-
घरेलू	3	3	3	5	1	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
पूर्व-व्यवसाय	5	5	3	2	2	1	1	1	3	2	2	2	2	1	1	1	1	1	-	-

कथन संख्या	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
गामक	3	3	3	3	3	3	5	4	3	4	5	2	3	3	3	3	5	5	1	1
दै.जी.क्रि.क	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5	1	3	1	1	2	1	0
भाषा कौशल	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	3	3	5
लेखन	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	1	3	1	1	1	1	1
समय	5	5	5	5	5	3	3	5	1	1	1	3	3	1	1	1	1	1	-	-
सामाजिक	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	1	5	5	5	1	1	1	1
रूपये-पैसे	5	5	5	5	5	5	3	3	1	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-

अंक देने की कुंजी स्वावलम्बी 5, संकेत देने पर 4, शाब्दिक प्रॉम्प्ट 3, भौतिक प्रॉम्प्ट 2, पूर्णत आश्रित 1, लागू नहीं 0

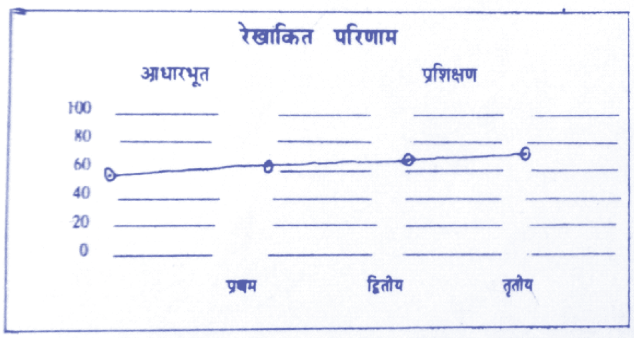

संयुक्त आँकड़े

क्षेत्र भाग	आधारभूत अंक	%	प्रथम त्रैमासिक अंक	%	द्वितीय त्रैमासिक अंक	%	तृतीय त्रैमासिक अंक	%
गामक	139	69.5	140	70	140	70	144	72
दै.जी.क्रि.क	159	79.5	160	80	162	81	163	81.5
भाषा कौशल	170	85	172	86	175	87.5	178	89
पाठन-लेखन	130	65	132	66	137	68.5	143	71.5
अक-समय	98	49	105	52.5	109	54.5	114	57
घरेलू-सामाजिक	79	39.5	90	45	92	46	99	49.5
पूर्व-व्यवसाय	54	27	62	31	65	32.5	77	38.5
योग	829	59.2	861	61.5	880	62.8	918	65.6

बिहेवियरल असेसमेन्ट स्केल फॉर चिलड्रन विथ मेन्टल रिटार्डेशन

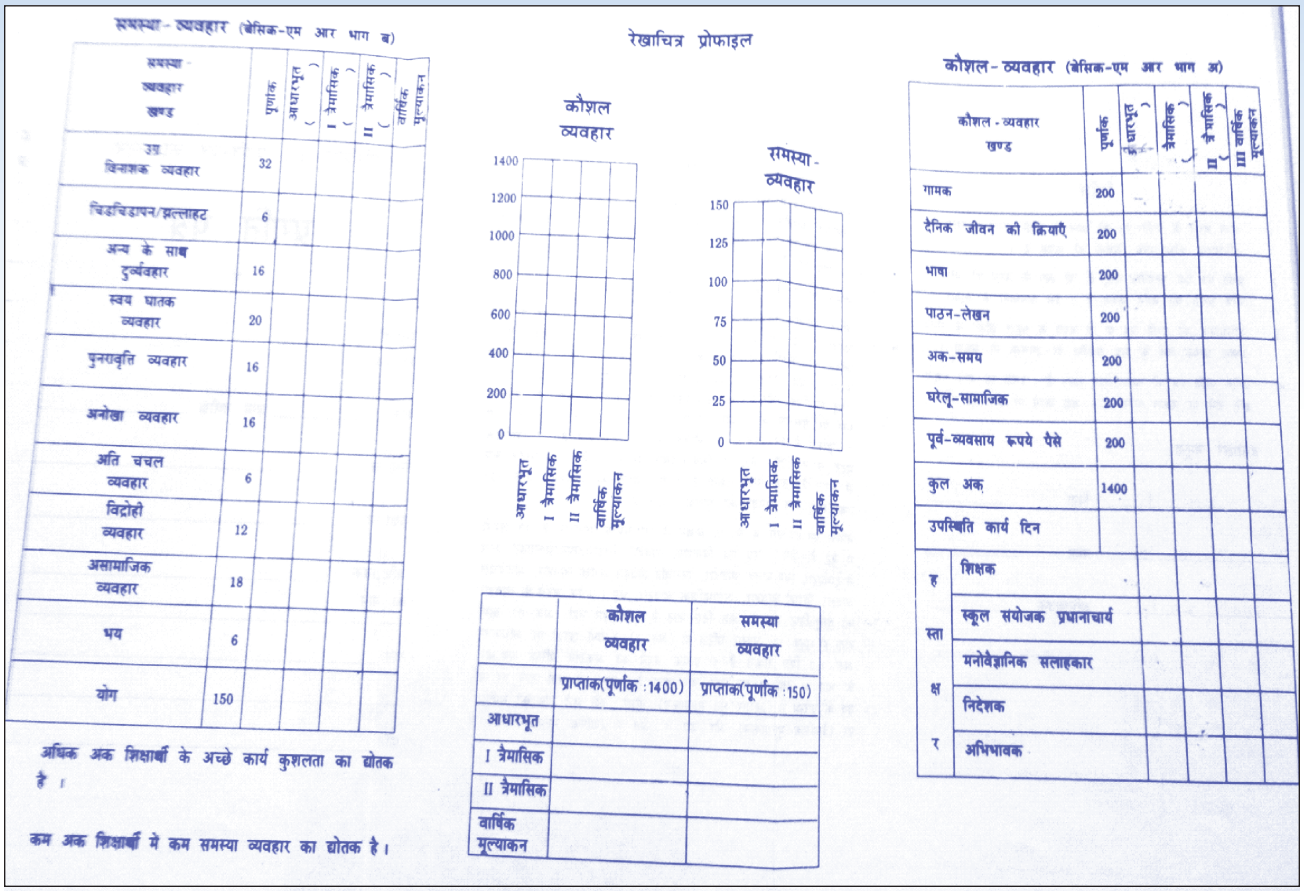

समस्या - व्यवहार (बेसिक-एम आर भाग ब)

समस्या व्यवहार खण्ड	पूर्णांक	आधारभूत ( )	I त्रैमासिक ( )	II त्रैमासिक ( )	वार्षिक मूल्यांकन
उग्र विनाशक व्यवहार	32				
चिड़चिड़ापन/झल्लाहट	6				
अन्य के साथ दुर्व्यवहार	16				
स्वयं घातक व्यवहार	20				
पुनरावृत्ति व्यवहार	16				
अनोखा व्यवहार	16				
अति चंचल व्यवहार	6				
विद्रोही व्यवहार	12				
असामाजिक व्यवहार	18				
भय	6				
योग	150				

अधिक अंक शिक्षार्थी के अच्छे कार्य कुशलता का द्योतक है।

कम अंक शिक्षार्थी में कम समस्या व्यवहार का द्योतक है।

रेखाचित्र प्रोफाइल

	कौशल व्यवहार	समस्या व्यवहार
	प्राप्तांक(पूर्णांक :1400)	प्राप्तांक(पूर्णांक :150)
आधारभूत		
I त्रैमासिक		
II त्रैमासिक		
वार्षिक मूल्यांकन		

कौशल - व्यवहार (बेसिक-एम आर भाग अ)

कौशल - व्यवहार खण्ड	पूर्णांक	आधारभूत ( )	त्रैमासिक ( )	II त्रैमासिक ( )	III वार्षिक मूल्यांकन
गामक	200				
दैनिक जीवन की क्रियाएँ	200				
भाषा	200				
पाठन-लेखन	200				
अंक-समय	200				
घरेलू-सामाजिक	200				
पूर्व-व्यवसाय रूपये पैसे	200				
कुल अंक	1400				
उपस्थिति कार्य दिन					
हस्ताक्षर: शिक्षक					
स्कूल संयोजक प्रधानाचार्य					
मनोवैज्ञानिक सलाहकार					
निदेशक					
अभिभावक					

V. कार्यक्रम के लिए कार्यात्मक आकलन जाँच सूची- एफ.ए.सी.पी (Functional Assessment Checklist for Programming - F.A.C.P)

- राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान, सिकंदराबाद के विशेष शिक्षा विभाग ने एक शैक्षणिक आकलन जाँच सूची की श्रृंखला विकसित की है।
- इसमें पूर्व-प्राथमिक से पूर्व-व्यवसायिक स्तरों के 03 से 18 वर्ष के बौद्धिक अक्षम बच्चों की कार्य योजना बनाने में मदद मिलती है।
- एफ.ए.सी.पी. एक कार्य आधारित जाँच सूची है जिसे बौद्धिक अक्षम बच्चों के आकलन तथा कार्यक्रम बनाने में सहायता मिलती है।
- इसमें दी गई क्रियाएँ आसानी से समझी जा सकती है तथा दैनिक जीवन के लिए आवश्यक है।
- ये क्रियाएँ अवलोकन योग्य तथा आयु के अनुरूप हैं एवं समुदाय में आत्मनिर्भर जीवन यापन करने में सहायक हैं।
- एफ.ए.सी.पी. के अन्तर्गत आकलनकर्ता को छात्र के वातावरण एवं स्तर के अनुरूप क्रियाओं को सम्मिलित करने का भी प्रावधान है।
- एफ.ए.सी.पी. में कौशल क्षेत्रों में क्रियाओं की संख्या भिन्न होती है।
- एफ.ए.सी.पी. में आयु तथा योग्यता के आधार पर विद्यार्थियों को समूहों में बाँटा गया है।

विद्यार्थियों का समूहीकरण

- **पूर्व-प्राथमिक स्तर** : इसमें 03 से 06 वर्ष आयु समूह के बच्चे आते हैं।
- **प्राथमिक 1** : पूर्व-प्राथमिक स्तर पर निर्धारित कौशलों में 80 प्रतिशत या अधिक सफलता प्राप्त करने वाले छात्रों को प्राथमिक 1 के लिए प्रोन्नत किया जाता है। इस कक्षा में प्रवेश पाने की आयु लगभग 7 वर्ष होती है।
- **प्राथमिक 2** : 8 वर्ष के बाद भी यदि छात्र पूर्व-प्राथमिक स्तर पर निर्धारित कौशलों में 80 प्रतिशत सफलता प्राप्त नहीं करता है तो उसे प्राथमिक 2 में प्रवेश दिया जाता है।
- **माध्यमिक** : प्राथमिक स्तर पर 80 प्रतिशत या अधिक सफलता प्राप्त करने वाले 11 से 14 आयु वर्ग के बच्चों को माध्यमिक कक्षा में प्रवेश दिया जाता हैं।
- **पूर्व-व्यवसायिक 1 तथा 2** : इन दोनो ही समूहों में 15 से 18 वर्ष आयु के बच्चे आते हैं। सामाजिक तथा शैक्षणिक क्षेत्रों में प्रशिक्षण दिया जाता हैं एवं मूलभूत कार्य/कौशलों तथा घरेलू कार्यो पर ध्यान केंन्द्रित किया जाता हैं।

  18 वर्ष से अधिक की आयु के बौद्धिक अक्षम व्यक्तियों को मूल्यांकन रिपोर्ट के साथ व्यवसायिक प्रशिक्षण इकाईयों में प्रशिक्षण हेतु भेजा जाता है। एफ.ए.सी.पी. जाँच तालिका में व्यवसायिक क्षेत्र सम्मिलित नहीं है।
- **संरक्षित समूह** : इस समूह में अति-अल्प योग्यता वाले बच्चे आते हैं। इन बच्चों को गंभीर विकलांगता के कारण आजीवन परिचर्या-सेवा (nursing care) की आवश्यकता होती है। इन्हें मूलभूत कौशलों जैसे- पानी-पीना, खाना-खाना, शौच करना तथा गामक क्रियाएँ एवं संप्रेषण कौशल में प्रशिक्षण दिया जाता है।

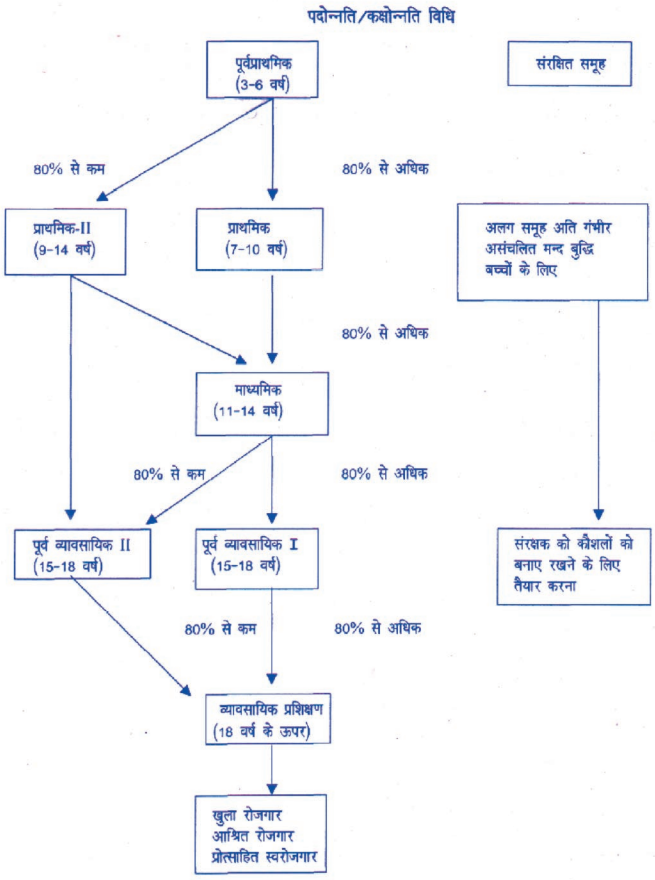

विषयवस्तु

संरक्षित समूह के अतिरिक्त अन्य सभी स्तरों पर कौशलों को निम्नलिखित 05 क्षेत्रों में बाँटा गया है:-

- व्यक्तिगत
- सामाजिक
- शैक्षणिक
- व्यवसायिक
- मनोरंजनात्मक - घर के अंदर की क्रियाएँ
  - घर के बाहर की क्रियाएँ

प्रारूप

- जाँच सूची में छात्र के प्रगति के स्तर को अभिलेखित करने का प्रावधान है।
- यदि छात्र किसी क्रिया का निष्पादन स्वतंत्र रूप से करता है तो उसे '+' से और यदि नहीं कर पाता तो उसे '-' से दर्शाते हैं।
- छात्र के वर्तमान स्तर का आकलन करने के लिए शाब्दिक सहायता (Verbal Prompt), शारीरिक सहायता (Physical Prompt), सांकेतिक सहायता (Gestural Prompt), माडलिंग के रूप में सहयोग प्रदान कि जाता है तथा उन्हें GP, PP, VP से दर्शाया जाता है।
- 'हाँ' अथवा '+' द्वारा दर्शायी गई क्रियाओं की गणना की जाती है तथा GP, PP, VP से दर्शायी गई क्रियाओं की गणना नहीं की जाती है।
- जिन क्रियाओं को 'लागू नही' (Not Applicable) में गणना की जाती है उन्हें सफलता प्रतिशत निकालते समय कुल क्रियाओं में से घटा दिया जाता है। इसी प्रकार यदि किसी क्रिया को शामिल किया गया है तो मूल्यांकन करते समय उसे कुल क्रियाओं में में जोड़ दिया जाता है।
- प्रत्येक स्तर में संरक्षित समूह (Care Group) को छोड़कर जाँच सूची कौशल के विस्तृत क्षेत्र को समेटता है जैसे- व्यक्तिगत, सामाजिक, शैक्षणिक, व्यवसायिक और मनोरंजन। जब कोई बच्चा दिए गए स्तर में 80 प्रतिशत सफलता हासिल कर लेता/लेती है तब उसे अगले उच्च स्तर में प्रोन्नत करना उचित होता है।
- जाँचसूची की प्रत्येक क्रिया को विवरणात्मक पैमाने पर निम्न तरह से अंक दिए जाते है।

हाँ	=	'+' ''बिना मदद के बच्चा क्रिया को करता है''
कभी-कभी संकेत देने पर	=	Clueing - C
मौखिक सहायता से	=	Verbal Prompt - VP
भौतिक/शारीरिक सहायता से	=	Physical Prompt - PP
नहीं	=	'-' ''बच्चा क्रिया को नहीं करता है''
लागू नहीं है	=	Not Applicable - NA
मौका नहीं मिला	=	No Exposure - NE

''मनोरंजन'' के अंतर्गत सूचीबद्ध क्रियाओं को प्रोन्नति के लिए गिना नहीं जाता है, क्योंकि यह क्रियाएँ पसंद पर आधारित होती हैं। इसमें निम्न के आधार पर श्रेणी प्रदान की जाती है :-

A - स्वयं शुरुआत करता है तथा प्रभावी रूप से प्रतिभाग करता है।

B - दूसरों के शुरुआत करने पर प्रतिभाग करता है।

C - प्रतिभाग करता है पर नियमों को नहीं जानता।

D - रुचि के साथ दूसरों को खेलते हुए देखता है।

E - इच्छुक नहीं।

NE (No Exposure) - अवसर प्राप्त नहीं।

प्रथम वर्ष				द्वितीय वर्ष				तृतीय वर्ष			
प्रवेश स्तर	I सत्र	II सत्र	III सत्र	प्रवेश स्तर	I सत्र	II सत्र	III सत्र	प्रवेश स्तर	I सत्र	II सत्र	III सत्र

कार्यात्मक स्तर

क्र सं	क्षेत्र	क्रियाओं की संख्या	प्रथम वर्ष				द्वितीय वर्ष				तृतीय वर्ष			
			प्रवेश स्तर (%)	I सत्र (%)	II सत्र (%)	III सत्र (%)	प्रवेश स्तर (%)	I सत्र (%)	II सत्र (%)	III सत्र (%)	प्रवेश स्तर (%)	I सत्र (%)	II सत्र (%)	III सत्र (%)
1.	व्यक्तिगत	19/21	90	95 (20/21)										
2.	समाजिक	18/21	85	85 (18/21)										
3.	शैक्षणिक	32/55	58	65 (36/55)										
4.	व्यवसायिक	03/10	30	50 (05/10)										
	योग	72/107	67.2	74 (79/107)										
मनोरंजन श्रेणी		A	A											

सामान्यतः शैक्षणिक लक्ष्य व विशिष्ट लक्ष्य में हुई प्रगति का मुल्यांकन प्रत्येक तिमाही के अंत में किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि दिए गए स्तर में बच्चा अधिकतम तीन वर्ष तक रहता है। अतः जाँच सूची में आकलन को अभिलेखित करने और 3 वर्षों तक पुनः मूल्यांकन के आकड़ों को अभिलेखित करने हेतु स्थान उपलब्ध रहता है।

VI. पाठ्यक्रम क्रिया योजना (Curriculum Action Plan - CAP)

यह उपकरण शिक्षक द्वारा बौद्धिक अक्षम (मानसिक मंद) बच्चों का आकलन करने, शैक्षिक कार्यक्रम योजना बनाने तथा प्रगति अभिलेखित (Progress Record) करने में सहायक है। पाठ्यक्रम क्रिया योजना को तीन स्तरों पर बनाया गया है :-

- प्राथमिक 2 से 10 वर्ष
- माध्यमिक 11 से 16 वर्ष
- व्यवसायिक 17 वर्ष और अधिक

प्रत्येक स्तर पर कौशल क्षेत्रों तथा प्रत्येक कौशल क्षेत्र में क्रियाओं की संख्या भिन्न होती है। प्रत्येक स्तर में निम्न घटक होते है:

1. सी.ए.पी.
2. वैयक्तिक अभिलेख प्रपत्र
3. वार्षिक रिपोर्ट फॉर्म
4. व्यवहारिक अवलोकन फॉर्म

इसका प्रयोग कैसे करें?

बच्चे द्वारा किए जाने वाले कौशल के सामने सही (✓) का निशान लगाए। इनको वैयक्तिक रिकॉर्ड शीट पर हरे रंग भरकर प्रदर्शित करें।

1. आत्मनिर्भर/स्वावलंबन
2. मौखिक सहायता
3. मौखिक तथा सांकेतिक सहायता
4. मौखिक, सांकेतिक तथा शारीरिक सहायता

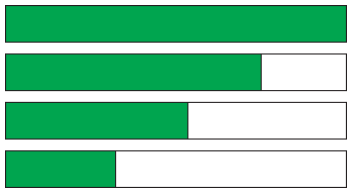

चयनित लक्ष्य को पीले रंग से दर्शाया जाता है। कार्यक्रम का आरंभ करने की तिथि को चयनित क्रिया के सामने रिक्त स्थान में भरकर प्रदर्शित करते है। उदाहरण के लिए 06.07.09, ...

बच्चे द्वारा सफल होने की तिथि को दूसरे रिक्त स्थान में भरें, 06.07.09, 15.10.09

VII. अति गंभीर मानसिक विकलांगता वाले विद्यार्थियों के कार्यक्रम के लिए कार्यात्मक आकलन जाँच सूची - एफ़.ए.सी.पी. पी.एम.आर. (Functional Assessment Checklist for Programming of students with Profound Mental Retardation - FACP PMR)

- ✓ राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान, सिकंदराबाद के विशेष शिक्षा विभाग द्वारा अति गंभीर बौद्धिक अक्षम बच्चों के लिए आकलन जाँच सूची विकसित की गई है।
- ✓ यह एक कार्य आधारित जाँच सूची है जिससे अति गंभीर बौद्धिक अक्षम बच्चों के आकलन तथा कार्यक्रम निर्माण में सहायता मिलती है।
- ✓ एफ.ए.सी.पी. पी.एम.आर. में चार खण्ड है।

खण्ड अ

- यह कौशलों की जाँच सूची है।
- इसमें स्वयंसेवी कौशल (भोजन करना, पेय पदार्थ पीना, शौच क्रिया, स्नान करना), गामक, संप्रेषण, तथा दृष्टि कौशल आते है।
- यह सभी क्रियाएँ अवलोकन तथा मापन करने योग्य है।
- प्रत्येक क्षेत्र में बच्चे की आवश्यकतानुसार अतिरिक्त क्रियाएँ जोड़ने के लिए स्थान दिया गया है।

खण्ड ब

- यह समस्यात्मक व्यवहारों की जाँच सूची है।
- इसमे कुल 47 समस्यात्मक व्यवहार दिए गए है।
- किसी अन्य समस्यात्म्क व्यवहार को बच्चे द्वारा प्रदर्शित करने पर उसे जाँच सूची के अंत में अभिलेखित करने की व्यवस्था प्रदान की गई है।

खण्ड ग

- यह सामान्य समस्याओं की जाँच सूची है।
- इसमें बच्चे की स्वास्थ्य संबंधी तथा शारिरिक समस्याएँ दी गई हैं।
- इसमें कुल 24 समस्याओं के बारे में दिया गया हैं।
- इसके द्वारा बच्चे की स्वास्थ्य संबंधी तथा शारीरिक समस्याओं का आकलन करके उसे उपचार के लिए उपयुक्त विशेषज्ञ के पास भेजा जा सकता है।
- इसमें प्रत्येक समस्या के लिए शब्दावली (glossary) भी दी गई है।
- किसी अन्य समस्या को अभिलेखित करने के लिए स्थान दिया गया है।

खण्ड घ

- इसमे बच्चों की त्रैमासिक प्रगति अंकित करने के लिए प्रपत्र दिए गए हैं।
- इसमे बच्चे के प्रारंभिक आकलन के साथ नियमित मूल्यांकन करने का प्रावधान है।
- इसमे बच्चे की प्रगति का गुणात्मक तथा परिमाणात्मक आकलन करने की व्यवस्था है।

C. वयस्क बौद्धिक अक्षम व्यक्तियों के लिए आकलन उपकरण

VIII. वयस्क जीवन के लिए व्यवहारिक आकलन जाँच सूची- मानसिक मंदता (Behavioural Assessment Scale for Adult Living - Mental Retardation: BASAL MR)

- इस जाँच सूची का विकास राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान द्वारा वयस्क बौद्धिक अक्षम व्यक्तियों की क्षमताओं/ व्यवहारों के बारे में व्यवस्थित सूचना प्राप्त करने के लिए किया गया है।
- यह जाँच सूची 18 वर्ष से अधिक आयु के बौद्धिक अक्षम व्यक्तियों के लिए उपयुक्त है।
- बेसल एम. आर. के दो भाग है।

  - भाग अ : इसका प्रयोग बौद्धिक अक्षम व्यक्तियों के लिए व्यक्तिगत स्तर पर प्रशिक्षण योजना तैयार करने के लिए किया जाता है।

- भाग ब : इसका प्रयोग बौद्धिक अक्षम व्यक्तियों के समस्यात्मक व्यवहारों का चिन्हांकन तथा उनका प्रबंधन करने के लिए किया जाता है।

- इसमे एक अलग अध्याय शब्दावली का है जिसमें जाँच सूची के प्रयोग के लिए विशिष्ट क्रियाओं को स्पष्ट किया गया है।
- इसमे एक अंक तालिका दी गई है जिसमें परिणामों को अभिलेखित करने की व्यवस्था है।
- इसमे अधारभूत तथा निश्चित समय अंतराल में तीन अवसरों पर आकलन को अभिलेखित करने की व्यवस्था दी गई है।

भाग अ

- यह वयस्क बौद्धिक अक्षम व्यक्ति की वर्तमान क्षमता/कौशलो/व्यवहारों का आकलन में सहायता प्रदान करता है।
- इसमें 8 कौशल क्षेत्र है तथा प्रत्येक कौशल क्षेत्र में 15 क्रियाएँ दी गई है। अतः इसमें कुल 120 क्रियाएँ दी गईं हैं। इसमें दिए गए कौशल क्षेत्र निम्नलिखित हैं :
  1. स्वयं की देख-रेख तथा उपस्थिति (Pesonal care and Appearance - PA)
  2. भोजन प्रबन्धन (Food Management)
  3. घरेलू कार्य तथा जिम्मेदारियाँ (House hold tasks & Responsibilities- HR)
  4. समुदाय एवं मनोरंजन (Community and Leisure- CL)
  5. लैंगिकता (Sexuality- S)
  6. कार्य (Work- W)
  7. कार्यात्मक शिक्षा (Functional Literacy- FL)
  8. सामाजिक-सम्प्रेषण (Social Communication- SC)

प्रत्येक कौशल क्षेत्र में छात्रों के कार्य निष्पादन के 06 स्तरों के आधार पर अंक दिए जाते हैं जो इस प्रकार हैं -

- स्तर एक : स्वावलंबी/आत्मनिर्भर - अंक 5- यदि बच्चा बिना किसी शाब्दिक अथवा शारीरिक सहायता के कार्य कर लेता है।
- स्तर दो : संकेत देने पर - अंक 4 - यदि बच्चा किसी शाब्दिक अथवा शारीरिक संकेत की सहायता से कार्य कर लेता है।
- स्तर तीन : शाब्दिक सहायता देने पर - अंक 3- यदि बच्चा किसी मौखिक निर्देश की सहायता से कार्य कर लेता है।
- स्तर चार : शारीरिक सहायता देने पर - अंक 2- यदि बच्चा किसी शारीरिक सहायता से कार्य कर लेता है।
- स्तर पाँच : पूर्णतया निर्भर - अंक 1 - यदि बच्चा चयनित व्यवहार को नहीं कर सकता किन्तु उसे उस कार्य में प्रशिक्षित किया जा सकता है।
- स्तर छः : लागू नहीं - अंक 0 - यदि बच्चा चयनित व्यवहार को संवेदी अथवा शारीरिक क्षति के कारण नहीं कर सकता।

भाग ब

- यह वयस्क बौद्धिक अक्षम व्यक्ति में समस्यात्मक व्यवहार के वर्तमान स्तर का आकलन करने में सहायक होता है।
- इसमें 12 क्षेत्रों में कुल 96 समस्यात्मक व्यवहार दिए गए हैं।
- प्रत्येक क्षेत्र में 02 अन्य समस्यात्मक व्यवहारों का अवलोकन करने तथा उनको अभिलेखित करने की व्यवस्था दी गई है। इस प्रकार इसमें कुल 120 समस्यात्मक व्यवहार अभिलेखित किए जा सकते हैं।
- प्रत्येक क्षेत्र में समस्यात्मक व्यवहारों की संख्या भिन्न है जो इस प्रकार है :

क्र.सं.	क्षेत्र	समस्यात्मक व्यवहारों की संख्या
1.	अन्य को शारीरिक क्षति पहुँचाना	12
2.	सम्पत्ति को नुकसान पहुँचाना	06
3.	अन्य के साथ दुर्व्यवहार	09
4.	चिड़चिड़ापन	09
5.	स्वयं घातक व्यवहार	13
6.	पुनरावृत्ति व्यवहार	12
7.	अनोखे व्यवहार	14
8.	अनुपयुक्त सामाजिक व्यवहार	06
9.	अनुपयुक्त लैंगिक व्यवहार	19
10.	विद्रोही व्यवहार	07
11.	अति चंचल व्यवहार	05
12.	भय	08
	योग	120

इसमें समस्यात्मक व्यावहार को गंभीरता/ आवृति के आधार पर 3 स्तरों में बाँटा गया है जो इस प्रकार हैं :-

- अगर बच्चे द्वारा समस्या व्यवहार कभी प्रदर्शित नहीं किया जाता तो 'N' (Never) दर्ज करें तथा 0 अंक दें।
- अगर बच्चे द्वारा समस्या व्यवहार कभी-कभी प्रदर्शित किया जाता तो 'O' (Occasionally) दर्ज करें तथा 01 अंक दें।
- अगर बच्चे द्वारा समस्या व्यवहार अक्सर या जल्दी-जल्दी प्रदर्शित किया जाता तो 'F' (Frequentally) दर्ज करें तथा 02 अंक दें।

अतः बेसल एम. आर. भाग 'ब' में आवृत्ति के आधार पर अधिकतम 240 अंक प्रदान किए जा सकते हैं।

IX. कार्यक्रम के लिए व्यवसायिक आकलन तंत्र (Vocational Assessment Programming System- VAPS)

- इस जाँच सूची का विकास वयस्क बौद्धिक अक्षम व्यक्तियों के लिए कार्यक्रम योजना बनाने के उद्देश्य से राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान, सिकंदराबाद के व्यवसाय प्रशिक्षण विभाग द्वारा किया गया।
- इस जाँच सूची के चार भाग हैं :

भाग 1 :

इसमें बौद्धिक अक्षम व्यक्ति का व्यवसायिक विवरण लिखने की व्यवस्था है जिसमे उस व्यक्ति का नाम, लिंग, आयु, बौद्धिक अक्षमता का स्तर, वैवाहिक स्थिति, पिता/अभिभावक का नाम, व्यवसाय, पता, पारिवारिक इतिहास, सामाजिक-आर्थिक स्थिति, सामान्य कौशल (तैयारी कौशल), संबद्ध स्थितियाँ, प्राप्त प्रशिक्षण, दिनचर्या, रोज़गार अनुभव, रोज़गार की संभावना, आवश्यक निर्देशन के क्षेत्र, उपयुक्त व्यवसाय का चयन तथा अन्य टिप्पणी दी गई हैं।

भाग 2 :

- यह साधारण कौशल आकलन जाँच सूची है।
- इसमें कुल 08 कौशल क्षेत्र तथा 80 क्रियाएँ हैं। प्रत्येक क्षेत्र में क्रियाओं की संख्या भिन्न है जो निम्नलिखित है :

क्र.सं.	कौशल क्षेत्र	क्रियाओं की संख्या
1.	व्यक्तिगत	04
2.	सम्प्रेषण	05
3.	समाजिक व्यवहार	10
4.	कार्यात्मक पठन-पाठन	30
5.	सुरक्षा कौशल	07
6.	घरेलू व्यवहार	13
7.	गत्यात्मक एवं हाथ की क्रियाएँ	05
8.	व्यवसायिक	06
	योग	80

प्रत्येक कौशल क्षेत्र के अन्तर्गत जिन क्रियाओं में बच्चा प्रशिक्षु आत्मनिर्भर है उसे (✓) तथा जिनमें अन्य पर निर्भर है उन्हें (✕) से दर्शाने की व्यवस्था है।

भाग 3 : व्यवसाय विश्लेषण प्रपत्र (Job Analysis Format)

इसमें कुल 09 खण्ड हैं :

5. चयनित व्यवसाय : इसके अन्तर्गत व्यवसाय का नाम, स्थान का नाम, प्रशिक्षु का नाम तथा प्रशिक्षक का नाम लिखा जाता है।
6. मुख्य कार्य क्षेत्र : इसमें व्यवसाय के लिए चिन्हित विशिष्ट कार्यो का उल्लेख किया जाता है।
7. अतिरिक्त जिम्मेदारी कार्य।
8. कार्य सम्बन्धी कौशल।
   - व्यक्तिगत
   - कार्यात्मक शिक्षण
   - यौन शिक्षा
   - मनोरंजन
   - आत्मनिर्भर जीवन

9. कार्य व्यवहार।
10. व्यवसाय की आवश्यकताएँ।
11. व्यवसाय प्रशिक्षण प्रक्रिया।
12. प्रशिक्षक का दायित्व।
13. अभिभावक सहयोग।
14. अन्य सूचना।

मुख्य कार्य क्षेत्र, अतिरिक्त जिम्मेदारी कार्य तथा कार्य सम्बन्धी कौशलों के अन्तर्गत आने वाली क्रियाओं का अभिलेखन निम्न प्रकार से किया जाता है :

I - आत्मनिर्भर
M - माडलिंग
V - शाब्दिक सहायता
P - शारीरिक सहायता
D - पूर्णतया आश्रित

भाग 4 :

बौद्धिक अक्षम व्यक्तियों की कार्य व्यवहार आकलन जाँच सूची :

- इसके अन्तर्गत कुल 05 कौशल क्षेत्र हैं जिनमें कुल 50 क्रियाएँ हैं।
- प्रत्येक कौशल क्षेत्र में दी गई क्रियाओं की संख्या भिन्न है जो निम्नलिखित है :

क्र.सं.	कौशल क्षेत्र	क्रियाओं की संख्या
1.	शारीरिक उपस्थिति	10
2.	व्यक्तिगत अंतःक्रिया	08
3.	नियमितता तथा समयबद्धता	10
4.	सम्प्रेषण तथा सामाजिक व्यवहार	12
5.	गुणात्मक तथा परिमाणात्मक पहलू	10
	योग	50

इसमें निम्न प्रकार से अंक प्रदान करने की व्यवस्था है :

अंक	स्तर
हमेशा (Always)	3
अक्सर (Often)	2
कभी-कभी (Rare)	1
कभी नहीं (Never)	0

इस प्रकार प्रशिक्षु द्वारा अधिकतम 150 अंक प्राप्त किए जा सकते हैं।

सामान्य कौशल आकलन, व्यवसाय विश्लेषण, विशिष्ट कौशल स्तर तथा कार्य व्यवहार मूल्यांकन से प्राप्त आँकड़ों को ग्राफ द्वारा प्रदर्शित करने की व्यवस्था दी गई।

IX. विद्यालयों में अधिगम समस्या वाले बच्चों के लिए स्तर आधारित आकलन उपकरण (Grade Level Assessment Device - GLAD for children having learning problems in primary schools)

- इस उपकरण का विकास डा. जयंती नारायण, राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान, सिकंदराबाद द्वारा किया गया है।
- इस उपकरण के द्वारा कक्षा 1 से 4 तक के अधिगम समस्याग्रस्त बच्चों का आकलन किया जा सकता है।
- इसके दो भाग है - भाग अ और भाग ब।

भाग अ

- इसमें कक्षा 1 से 4 तक के विद्यार्थियों के आकलन के लिए शैक्षणिक क्रियाएँ दी गई है।
- अंग्रेजी, हिन्दी तथा गणित विषय को इसमें शामिल किया गया है।
- सभी क्रियाएँ सरल से जटिल के क्रम में व्यवस्थित है।
- प्राप्त निष्कर्षो को अंक प्रदान करने की व्यवस्था की गई है।

भाग ब

- यह स्तर आधारित आकलन सूची (Grade Level Assessment Schedule) है।
- इसमे तीन खण्ड हैं :

  खण्ड 1- इसमें सामाजिक पृष्ठभूमि विवरण लिखना है जिसमें बच्चे का नाम, आयु, लिंग, पता, कक्षा, विद्यालय, परिवार, सामाजिक-आर्थिक स्थिति, अभिभावक की शिक्षा, परिवार में किसी अन्य व्यक्ति की समान समस्या का विवरण, कक्षा पुनरावृत्ति तथा विद्यालय की पिछली तीन परीक्षाओं के परिणामों को अभिलेखित करने की व्यवस्था है।

  खण्ड 2- इसमें बच्चे की शारीरिक विकलांगता, दृष्टि अक्षमता, श्रवण क्षमता, लेटरलिटी, वाणी, संतुलन तथा समंवय संबंधी सूचनाएँ लिखने का प्रावधान है।

  खण्ड 3- अमौखिक पठन, मौखिक पठन, लेखन, गणितीय कौशल, तथा अवांछनीय व्यवहार को दर्शाया जाता है। अंत में एक सारांश अभिलेख लिखने के लिए प्रपत्र दिया गया है।

सही आकलन/मूल्यांकन के लक्षण :

एक सही मनौशैक्षिक आकलन के लिए बच्चे से संबंधित निम्न विवरण होना चाहिए :-

- बच्चे के सीखने के लक्षण की पहचान होना चाहिए जैसे- सीखने का तरीका, सामर्थ्य और कमजोरियाँ।
- व्यक्तित्व के विकास की उचित दिशा की समझ होना चाहिए। इसमें शैक्षिक कार्यक्रम तय किया जा सकता है।
- बच्चे का उचित वर्गीकरण होना चाहिए जैसे- बौद्धिक अक्षम, अधिगम अक्षम, भावनात्मक असंतुलन और अन्य।
- बच्चे की प्रगति की जाँच की जानी चाहिए।
- शिक्षा के लिए सहयोगात्मक, वांछनीय एवं उचित स्तर होना चाहिए।
- शिक्षक द्वारा दी जाने वाली रिपोर्ट एवं अंक अधिक जटिल नहीं होनी चाहिए।

सही आकलन/मूल्यांकन के लिए मार्गदर्शनः

प्रत्येक आकलन तकनीक जब विभिन्न स्थितियों में विभिन्न बच्चों के लिए प्रयुक्त की जाती है तो उनकी अपनी-अपनी अच्छाईयाँ और कमियाँ होती है। अतः शिक्षक को तरह-तरह की आकलन तकनीकों का प्रयोग करना चाहिए।

आकलन प्रक्रिया में शिक्षक की प्रमुख भूमिका होती है अतः अध्यापक में निम्न गुण होना चाहिए जैसे -

- भावनात्मक स्वास्थ्य अच्छा हो और स्थिरता हो,
- मनोविनोद की अच्छी प्रवृत्तियाँ,
- लचीलापन,
- लोगों से अच्छा संबंध,
- समस्याओं को हल करने में परीक्षणों के परिणामों का उपयोग,
- अच्छी सैद्धांतिक प्रवृत्ति।

आकलन/ मूल्यांकन समय-समय पर किया जाना चाहिए क्योंकि इस प्रकार के सतत् मूल्यांकन से शिक्षक को शिक्षण की सफलता अथवा असफलता का पता चलता रहता है।

शैक्षिक आकलन का मुख्य उद्देश्य पढ़ाने के कार्यक्रम में उन परिणामों का सीधे ही प्रयोग करना है। अतः अनुपयुक्त परीक्षण नहीं किए जाने चाहिए। परिणामों को एकदम सरसरी निगाह से देखकर उनका सामान्यीकरण नहीं करना चाहिए और परीक्षणों के परिणामों की व्याख्या करने में सावधानी बरतनी चाहिए।

बच्चे की सीखने की समस्याओं से संबधित सभी पहलूओं जैसे-शारिरिक, मनौवेज्ञानिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक तथा वातावरणीय पहलुओं को ध्यान में रखना चाहिए और इन्हें ध्यान में रखकर आकलन करना चाहिए या संबधित सेवा की सहायता ली जानी चाहिए। इससे अध्यापक को घर तथा पड़ोस के समस्या पैदा करने वाले पहलुओं को जानने में मदद मिलती है और अध्यापक उसी के अनुसार योजना बनाता है।

* * *

''अक्षमता दृष्टिकोण से संबंधित है । यदि आप केवल एक चीज़ अच्छे से करके दिखा सकते हैं तो आपकी आवश्यकता लोगों को होने लगेगी ।''

- मार्टिना नवरतिलोवा

अध्याय 6

शीघ्र हस्तक्षेप
Early Intervention

बौद्धिक अक्षम व्यक्तियों के लिए काम करने वाले विशेषज्ञ आमतौर पर यह मानते है कि बौद्धिक अक्षम बच्चे को शीघ्र हस्तक्षेप मिलना चाहिए। अतः जल्दी से जल्दी हस्तक्षेप करने की आवश्यकता की व्याख्या आमतौर पर निम्नलिखित रूप से की जा सकती है:-

1. बच्चे के शीघ्र उपचार के कार्यक्रम से बौद्धिक अक्षम बच्चे तथा उसके माता-पिता को सहायता मिलती है।
2. छोटे बच्चों में सीखने की योग्यता का विकास करने में यह कार्यक्रम उपयोगी होता है
3. इन बच्चों को उपयुक्त सेवाएँ शीघ्रता से उपलब्ध करा सकते हैं।

शीघ्र का अर्थ बच्चे की आरंभिक अवस्था है अर्थात् जन्म से लेकर 5 या 6 वर्ष तक अथवा बच्चे की समस्या के आरंभिक चरण में। दूसरे शब्दों में, अगर यह पता चल जाए कि किसी बच्चे का विकास देरी से हो रहा है तब बच्चे का प्रवेश विद्यालय में कराने से पहले की अवधि में बच्चे के विकास की गति को बढ़ाने के लिए विशेष सहायता अवश्य पहुँचाई जानी चाहिए। यह अवधि जन्म से लेकर 6 वर्ष तक है। दूसरी बात यह भी है कि सभी विकलांग या अक्षम बच्चे जन्म से ही दोष या कमी वाले नहीं होते या उनके शैशव के दौरान विकास में देरी नहीं होती। बहुत से बच्चों में अनेक कारणों से जैसे- चोट या सदमे से, संक्रमण या निर्जलीकरण (dehydration) या विषाणु (viral) ज्वर आदि से बाद में दोष पैदा हो जाता है। उस हालत में जैसे ही दोष का पता लगे वैसे ही उपचार शुरू किया जाना चाहिए।

बच्चों को सहायता पहुचाने के काम में विशेष प्रयत्न करने चाहिए क्योंकि अधिकांश संस्थाएँ जैसे- विशेष विद्यालय या अन्य प्रशिक्षण कार्यक्रम में बच्चों को 3 से 6 वर्ष तक प्रवेश देते है। कुछ धारणाएँ सामान्य रूप से सभी मानते है जिनसे इस बात को समर्थन मिलता है कि बच्चे का शीघ्र उपचार कराया जाए।

धारणाएँ :

1. बच्चा आरंभिक सालों में बहुत जल्दी बढ़ता है। अतएव प्रेरक अनुभव बच्चे का उपयुक्त विकास कराने में उपयोगी सिद्ध हो सकता है। कोई भी बच्चा इतना अक्षम नहीं होता कि अगर उसके मामले में सोच विचार कर कोई प्रेरक तत्व इस्तेमाल किया जाए जो वह उसके प्रति किसी न किसी रूप में अनुक्रिया (response) न दिखाए।

2. बच्चे का शीघ्र उपचार शुरू करने से लाभदायक प्रभाव पड़ता है, बशर्ते कि ऐसे कारगर प्रभावशाली तरीके इस्तेमाल किए जाए। इससे बच्चे की उत्सुकता शांत होने में मदद मिले तथा उनमें खोजबीन करने की प्रवृति बनेगी जो कि सीखने के लिए महत्वपूर्ण है। इससे वे अपने आस-पास के वातावरण को समझ सकेंगे।
3. परिणाम एवं गुण की दृष्टि से वातावरण परिवर्तन के द्वारा अक्षम बच्चों के विकास में सुविधा हो सकती है।
4. पालन-पोषण का सिद्धांत अक्षम बच्चों पर जीवनपर्यन्त लागू होता है अर्थात् अलग-अलग लोगों का इन पर परस्पर प्रभाव पड़ता है। यह प्रक्रिया मुख्य रूप से परिवार में होती है। इसी वातावरण में रहते हुए विश्वास का विकास, लोगों से लगाव, अपनी योग्यता का अहसास, हुनर सीखना, सक्षमता की भावना का उदय और तनाव से मुकाबला करने की योग्यता विकसित होती है।

शीघ्र हस्तक्षेप की आवश्यकता किसको है?

नीचे लिखे वर्गो के लोगों को शीघ्र हस्तक्षेप की आवश्यकता होती है :

1. जिन शिशुओं और बच्चों को अत्याधिक वातावरणीय खतरा रहता है।
2. जिन शिशुओं और बच्चों को जैविक खतरा रहता है।
3. जिन शिशुओं और बच्चों के विकास में देरी पाई गई है।
4. जिन शिशुओं और बच्चों में कुछ अयोग्यताएँ या विषमताएँ हैं।

शीघ्र हस्तक्षेप का महत्व :

निम्नलिखित तथ्य शीघ्र हस्तक्षेप की आवश्यकता को दर्शाते हैं :-

1. आरंभिक वर्षो में सीखने व व्यवहार का जो ढंग होता है, वह बच्चे के बाद के वर्षो में होने वाले विकास की प्रकृति और गति पर प्रभाव डालता है।
2. बच्चे के विकास के दौरान कुछ ऐसी महत्वपूर्ण अवधि होती है जिसमें बच्चा किसी भी चीज को जल्दी सीख लेता है यानी वह ग्रहणशील होता है और सिखाने के अनुभवों का लाभ उठा सकता है।
3. बुद्धि तथा मनुष्य की दूसरी क्षमताएँ केवल जन्म के समय ही निश्चित नहीं होती बल्कि कुछ हद तक उनका निर्माण लिखने-पढ़ने के माध्यम द्वारा वातावरणीय प्रभाव से होता है।
4. बच्चों में बाधा डालने वाली दशाएँ विकास और अधिगम में समस्या उत्पन्न कर सकती है। इससे अक्षमता और भी गंभीर हो सकती है और कुछ गौण अक्षमता भी पैदा हो सकती है।
5. छोटा विकलांग बच्चा या जिस बच्चे को विकलांगता का खतरा है उसके लिए माता-पिता को विशेष सहायता की आवश्यकता होती है ताकि बच्चे को कारगर और सार्थक देखभाल मिल सके। इस प्रकार की देखभाल से बच्चे को उसके विकास के महत्वपूर्ण वर्षो में पर्याप्त देख-रेख, प्रेरणा तथा प्रशिक्षण पाने में मदद मिलती है।

6. शीघ्र उपचार का कुछ सामाजिक तथा आर्थिक लाभ होता है। इसके द्वारा जल्दी ही गंभीर विकासीय परिणामों व बच्चों की गंभीर समस्याओं को रोका जा सकता है। अन्यथा यह परिवार तथा समाज के लिए व्यय की दृष्टि से और उनसे निपटने की दृष्टि से बोझ साबित हो सकते हैं।

बच्चों के विकास में जो सशक्त कारण उत्तरदायी है उनका वर्णन बेट्री ब्रेज्लटन टी0, 1982 ने इस प्रकार किया है:

1. **केन्द्रीय तथा स्वायत्त (automatic) तांत्रिक प्रणाली की परिपक्वता** : यह प्रणाली बच्चे को पेश होने वाले उत्प्रेरकों (stimuli) के प्रति प्रतिक्रियाओं को नियंत्रण में रखने की बच्चे की क्षमता का नियमन (regulate) करने वाली शक्तियों में एक है। बच्चा जब किसी बाहरी पदार्थ से उत्तेजित होता है तो उसमें स्वाभाविक रूप से प्रतिक्रिया होती है, इस प्रतिक्रिया को बस में रखने वाली प्रणालियों में यह एक है।

2. **बच्चे में क्षमता का एहसास** : किसी भी काम को पूरा करने के लिए बच्चे में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। बच्चा इस ऊर्जा का प्रयोग करता है । इसी ऊर्जा से बच्चे में काम पूरा करने की अनुभूति की पुष्टि होती है और यह अनुभूति बच्चों को उकसाती है कि वह विकास की दिशा में अगला कदम उठाए।

3. **वातावरण से संबल** : इस संबल से बच्चे की कारगर और ज्ञानात्मक आवश्यकता को बल मिलता है। इस प्रकार इस संबल का चक्र चलता है यानि इस संबल से वह प्रेरणा पाता है, प्रेरणा से वह काम करता है। काम करके उसे सफलता मिलती है। सफलता से फिर बल मिलता हैं। यह चक्र सामान्य कारगर विकास के लिए अनिवार्य है। इसका उल्लेख स्पिट्ज़ (Spitz, 1945) ने और बाद में विस्तार बाउलनी (Baulni, 1969) ने किया है।

सिद्धांत

गामक (motor) कौशल उनको कहा जाता है जिनसे शरीर के अवयव हिलते-डुलते है और ये छोटे बच्चों के लिए बहुत उपयोगी है। गति करना, किसी जगह पहुँचना, समझना और शरीर की स्थिति को संभाले रखना और वातावरण में स्थित पदार्थो के संदर्भ में उनकी ओर देखना, यह ऐसे व्यवहार हैं जिनसे बच्चे में नियंत्रण रखने तथा वातावरण से प्रभावित होने से सहायता मिलती है। विकास के दूसरे पहलुओं द्वारा दिखाए जाने वाले व्यवहारों में भी गामक (motor) कौशलों का महत्व है। गामक (motor) विकास बच्चे के कम से कम 5 से 6 साल तक आयु होने तक पूरा नहीं होता। बच्चा शरीर के हिलाने-डुलाने से होने वाली सनसनी या उत्तेजना से सीखता है और यह उत्तेजना काम या किसी गतिविधि से ही होती है, केवल बैठे बिठाए नहीं होती। इस क्रियाशील प्रक्रिया में उच्च केंद्रों की क्षमता की परिपक्वता आंशिक रूप से इंद्रियों द्वारा मिलने वाली सूचना पर निर्भर होती है। मनुष्य की इंद्रियाँ और गामक प्रणाली इतनी गहरी तरह एक दूसरे से जुड़ी हुई है कि इसे इन्द्रिय-गामक (sensory motor) विकास कहा जाता है। इन्द्रिय-गामक कौशल तथा संज्ञानात्मक (cognitive) कौशल अलग-अलग विकसित नहीं होते। उनका प्रयोग सामाजिक, गामक तथा भाषा के विकास के क्षेत्रों के परस्पर प्रभावों पर आधारित है। जब छोटे अक्षमताग्रस्त बच्चों का मूल्यांकन किया जाता है या उन्हें पढ़ाया जाता है तो इन प्रभावों के बारे में जानकारी होनी चाहिए।

1. विकास क्रमिक होता है। विकास एक अवधि के दौरान निश्चित क्रम में होता है, हर नया विकास पिछले विकास पर आधारित होता है। उदाहरण के लिए 6 से 7 महीने के अधिकांश बच्चे सामान्य तरीके से बिना सहारे के बैठना सीख लेते है, बस उन्हें निश्चित स्थिति में रखा जाना होता है। लेकिन बैठने की यह क्रिया तब तक संभव नही होगी अगर बच्चा उस समय तक अपने सिर को संभाल न सकता हो। अपितु विकास की दर अलग-अलग होती है पर क्रम वही रहता है।

2. विकास का क्रम सिर से नीचे की ओर होता है। पहले शरीर के ऊपरी भाग में बच्चे की गतिविधियों में तालमेल विकसित होता हैं तब बाद में नीचे का विकास होता है। अर्थात् बच्चा पहले सिर पर नियंत्रण करता है और बाद में पैरों पर।

3. विकास शरीर की मध्य-रेखा के समीपवर्ती क्षेत्रों के पास का पहले होता है और अन्य भागों का बाद में।

   उदाहरण के लिए - कंधों का हिलना-डुलना पहले शुरू हो जाता है और बाद में उंगलियों का हिलना-डुलना।

4. इन्द्रिय-चालक परिपक्वता का बढ़ना पृथकता द्वारा लक्षित होता है। यानी पूरे शरीर के अलग-अलग अवयव स्वतंत्र रूप से हिलते-डुलते है। यानी एक अवयव हिलता है तो दूसरे से उसका संबंध नहीं होता। उदाहरण के लिए, जब सिर हिलता है तो साथ-साथ कंधे नही हिलते, बच्चा जब अपना सिर सब तरफ घुमाता है तो उसका प्रभाव पूरे शरीर पर नहीं पड़ता।

विशेष बच्चों में विकास :

यदि पैदा होते समय या बच्चे की आरंभिक उम्र में मस्तिष्क को चोट लगती है तो उससे इंद्रियों द्वारा दी गई सूचनाएँ केन्द्रीय तंत्रिका प्रणाली के उच्च स्तर तक पहुँचने में रूकावट पैदा होती है या पूरी तरह वह प्रणाली उसे नहीं पाती। इसकी बजाय होता यह है कि यह सूचनाएँ तंत्रिका प्रणाली के निचले स्तर तक ही पहुँच पाती है और इस प्रकार उन सूचनाओं की जो प्रतिक्रिया होती है वह निचले स्तर से होने वाली अनुक्रिया जैसी होती है। चूँकि मस्तिष्क में चोट अपरिपक्व मस्तिष्क में हुई है यानी मस्तिष्क का विकास तब तक पूरा नहीं हो पाया था। अतः मस्तिष्क का उच्च स्तर कभी भी पूरी तरह विकसित नहीं हो पाता और वह निचले केन्द्रों पर पूरी तरह नियंत्रण नहीं कर पाता। जिन बच्चों के मस्तिष्क में उच्चस्तरीय नियंत्रण का अभाव होता है, उनके अंगों के विशेष ढंग से हिलने-डुलने से यह पता चलता है और प्रायः मांसपेशियों की असामान्य गुण से संबधित होता है।

छोटे बच्चों से यह जाहिर होता है कि उनमें रिफलेक्सिव चालक (motor) व्यवहार पाया जाता है। जिस बच्चे के मस्तिष्क में चोट लगी हो उसके रिफलेक्सिव चालक कार्यो में बहुत देरी होती है। इसका एक उदाहरण, गर्दन की असंतुलितता अर्थात् एसिमेट्रिकल टोनिक नेक रिफलेक्स (Assymetrical Tonic Neck Reflex- ATNR) में बच्चा काम करने की खास स्थिति से बड़ी आसानी से पोज बदल लेता हैं लेकिन असामान्य बच्चा उस स्थिति में हर बार जकड़-सा जाता है, उसका सिर एक तरफ या दूसरी तरफ घूमता है और इस तरह उसके काम में रूकावट पड़ती है।

सामान्य बच्चे की तुलना में विकलांग बच्चे का रिफलेक्सिव व्यवहार बहुत लम्बे समय तक बना रहता है। सामान्य बच्चे के सिर की स्थिति या शरीर दूसरे अवयवों की तुलना में विकलांग बच्चे के पूरे शरीर पर ही किसी भी रिफलेक्ससेज़ का प्रभाव पड़ता है क्योंकि उसका रिफलैक्स पूरे शरीर को प्रभावित करता है इसलिए वह अलग-अलग अंगों का पृथक प्रयोग नहीं कर पाता। ऐसे बच्चों को एन्टी ग्रेविटी ऐक्टीविटिज (गुरुत्व विरोधी गतिविधियों) कराई जाती है।

विकलांग बच्चा अपने आरंभिक प्रयत्नों में असामान्य रूप से हिलता-डुलता रहता है और उसका प्रयत्न जरूरत से ज्यादा होता है। इसके परिणामस्वरूप उसकी गामक क्रियाएँ सीमित हो सकती है। इस प्रकार एक ऐसी स्थिति आ जाती है जबकि बच्चा अधिक असामान्य हो जाता है और उसे कुछ अवांछित रूप से हिलने-डुलने या गति की आदत पड़ जाती है जो कि एक गौण (Tertiary) विकलांगता होती है।

जब किसी बच्चे के सुधार का कार्यक्रम तैयार किया जाए तो यह महत्वपूर्ण है कि बच्चे का सभी विकास क्षेत्रों में यानी सामाजिक, भाषा, संज्ञानात्मक, गामक, स्वयं सेवी कौशलों में मूल्यांकन किया जाए और उस तरीके पर विचार किया जाए जिसमें उसकी विकलांगता की स्थिति उसकी सर्वांगीण शिक्षा में बाधा डाल रही हो। उस बच्चे की गतिविधियों तथा तरीकों का चुनाव इस तरह किया जाना चाहिए ताकि उसकी अक्षमताएँ कम हो जाएँ और वह इस योग्य हो सके एवं सामान्य संज्ञानात्मक इन्द्रिय गामक अनुभवों (Cognitive Sensory Motor Experiences) का अनुभव करने लगे।

शीघ्र उपचार या सुधार कार्यक्रम के उद्देश्य

1. बच्चे के विकास तथा वृद्धि पर विकलांगता के प्रभाव को कम करना और उसे ऐसे अधिक से अधिक अवसर देना ताकि वह आंरभिक शैशव (early infancy) की सामान्य गतिविधियों में लगा रहे।
2. खतरनाक समझे जाने वाले हालातों या शुरू में होने वाली विकास की अनियमितताओं को गंभीर रूप धारण करने से पहले ही रोकना।
3. आरंभिक अक्षमता या विकलांगता के दौरान कभी कोई गौण या दूसरी विकलांगता विकसित होने लगती है। उसे रोकना जिसके कारण बच्चे की अनुभव से सीखने की योग्यता या प्रगति करने के क्षेत्र में बच्चे की प्रेरणा या उत्तेजना प्राप्त करने की क्षमता बदल जाती है।

शीघ्र उपचार कार्यक्रम के लिए कुछ विचार

चिकित्सक की भूमिकाः

बच्चे के लिए उपयुक्त सुधार कार्यक्रम तैयार करते समय चिकित्सक को बच्चे के विकास तथा विकास के मूल्यांकन की तकनीकों की बुनियादी जानकारी होनी चाहिए और वह उनका तालमेल पाठ्यक्रम के लक्ष्यों से बिठा सकें। इसके अतिरिक्त नीति निर्धारण करने में माता-पिता से सलाह लेनी चाहिए और परिवार की गतिशीलता आदि का भी ध्यान रखना चाहिए।

पाठ्यक्रम के लक्ष्यों में निम्नलिखित बाते होनी चाहिए :-

1. बच्चे को विशेष कौशल सिखाना।
2. बच्चे को उन क्षेत्रों में सहायता देना जिनमें बच्चा आशा के अनुसार प्रगति न कर रहा हो।
3. बच्चा अपनी आयु के दूसरे बच्चों से अधिक पिछड़ न जाए जिसके कारण कोई विशेष समस्या या बाधा उत्पन्न हो।
4. बच्चे को ऐसे व्यवहार को अपनाने में मदद करना जिसे वह अब तक न अपना पाया हो।
5. विशेष विकासीय क्षेत्रों में बच्चे के लिए विशेष चिकित्सा सुविधाएँ जुटाना।

माता-पिता का सहयोग

बच्चे का सामाजिक सम्पर्क सबसे पहले अपने माता-पिता से ही होता है। यही बड़े होकर उस बच्चे के भावी सामाजिक संबंधों का आधार बनता है। यदि आप चाहते है कि बच्चे के आरंभिक उपचार कार्यक्रम सफल हो तो उसके माता-पिता का कार्यक्रम में शामिल किया जाना अनिवार्य है। वह न केवल सुधार दल के सदस्य हों बल्कि सक्रिय भागीदार भी हों।

चूँकि माता-पिता का बच्चे से घर पर बराबर सम्पर्क रहता है इसलिए माता-पिता की बच्चे के साथ स्वतंत्र बातचीत हो और वह कार्यकर्ताओं को बच्चे के प्रशिक्षण तथा विकास से संबंधित समस्याओं को बताएँ।

बच्चे के विकास से संबंधित क्या समस्याएँ है, इसके बारे में सूचनाएँ प्राप्त करना अनिवार्य है और माता-पिता इन सूचनाओं इकट्ठा करने में सहायक हो सकते है और वह बच्चे के मूल्यांकन के दौरान इस काम में हिस्सा ले सकते है। माता-पिता को बच्चे की क्षमताओं के बारे में जानकारी देने में शिक्षक सहायक हो सकते हैं जिससे वे बच्चे के प्रयत्नों पर अपना ध्यान केन्द्रित कर सकें और बच्चा अपनी बात उन तक पहुँचा सके। इस प्रकार माता-पिता बच्चे को और बच्चे माता-पिता को अपनी बात सार्थक और रोचक ढंग से बता सकते हैं।

* * *

अब ना होगा भेद-भाव,
हर कोई होगा शिक्षित आज।

अध्याय 7

वैयक्तिक शैक्षणिक कार्यक्रम - आई.ई.पी.

Individulized Educational Programme - IEP

सामान्य बच्चों की तुलना में बौद्धिक अक्षम बच्चों में बौद्धिक क्षति के परिणामस्वरूप समझने की क्षमता में कमी पाई जाती है। इसके साथ ही बौद्धिक अक्षम बच्चों में वैयक्तिक भिन्नताएँ इतनी ज्यादा पाईं जाती हैं कि प्रत्येक बच्चे के लिए वैयक्तिक शैक्षणिक कार्यक्रम का निर्माण करना आवश्यक हो जाता है। विशेष शिक्षा के आरम्भ से ही 'वैयक्तिक शैक्षणिक कार्यक्रम' को महत्व प्रदान किया जाता रहा है। यद्यापि प्रक्रियात्मक तथा योजनाबद्ध परिवर्तन विकसित देशों में कानून निर्माण के बाद शुरू हुआ। 'सभी विकलांग बच्चों के लिए शिक्षा अधिनियम' (The Education for All Handicapped Children Act PL 94-142) नवम्बर 1975 में संयुक्त राज्य अमेरिका में पारित किया गया। एक अन्य अधिनियम PL 99 - 457 जन्म से 02 वर्ष तक के बच्चों के उचित सेवाएँ उपलब्ध कराता है। जबकि छोटे बच्चों के लिए शीघ्र हस्तक्षेप सेवाओं का प्रावधान PL 99 - 457 में PL 94-142 के समान ही है। दोनों अधिनियम के अनुसार बौद्धिक अक्षम बच्चों को उचित एवं निःशुल्क सेवाएँ अवश्य प्राप्त होनी चाहिए। यह कार्यक्रम व्यक्तिगत स्तर पर लिखित रूप में एक समिति द्वारा तैयार किया जाएगा जिसमें अभिभावक शमिल होंगे तथा एक सुचारू प्रक्रिया तंत्र द्वारा संरक्षित किया जाएगा। यद्यपि विद्यालय जाने वाले बच्चों के लिए सेवाओं का प्रवधान अक्षमताग्रस्त शिशुओं तथा किशोरों को दी जाने वाली सेवाओं से भिन्न होगा।

अधिनियम के मुख्य उद्देश्य हैं :-

- उचित निःशुल्क शिक्षा को सुनिश्चित करना जिसमें व्यक्तिगत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विशेष शिक्षा तथा सम्बन्धित सेवाएँ प्रदान की जाती हैं।
- यह देखना कि विकलांग बच्चों एवं उनके अभिभावकों के अधिकार सुरक्षित हैं।
- विकलांग बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए राज्यों तथा स्थानीय निकायों को सहायता प्रदान करना।
- विकलांग बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के प्रयासों के प्रभाव का आकलन करना तथा सुनिश्चित करना।

बच्चों की आवश्यकताओं को प्रभावित करने वाले कारक हैं :-

- सामाजिक - आर्थिक स्तर।
- बच्चे की भाषा तथा संस्कृति।

- अभिभावक की अपेक्षाएँ तथा सहयोग।
- बच्चे की रूचि तथा क्षमताएँ।
- समस्यात्मक व्यवहार यदि हो।

वैयक्तिक शैक्षणिक कार्यक्रम (आई.ई.पी.) के विकास के चरण

आई.ई.पी. के विकास के निम्न चरण हैं :-

1. सामान्य सूचनाएँ :

किसी बच्चे के विशेष अथवा समेकित विद्यालय में प्रवेश के समय सूचनाएँ एकत्र की जाती हैं। पारिवारिक पृष्ठभूमि के अन्तर्गत गर्भकालीन, प्रसवकालीन तथा प्रसवोत्तर सूचनाएँ तथा बच्चे के वातावरण सम्बन्धी सूचनाएँ एकत्र की जाती हैं।

बच्चे का इतिहास यह बताता है कि उसका विकास सामान्य है अथवा नहीं तथा किस अवधि में उसे बौद्धिक अक्षमता हुई। पारिवारिक पृष्ठभूमि के आधार पर हम योजना बनाते हैं तथा लक्ष्य निर्धारित करते हैं।

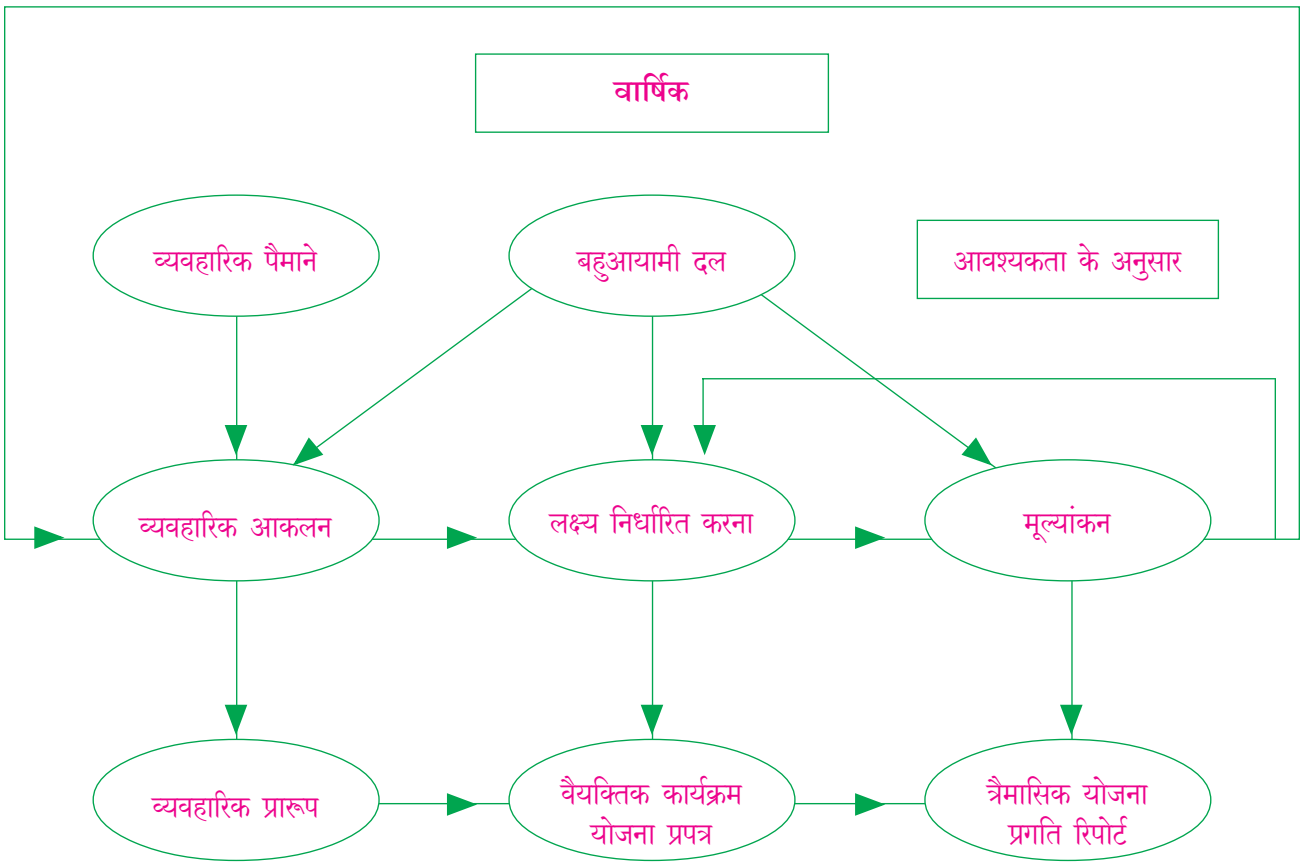

2. विभिन्न कौशलों का आकलन :

आई.ई.पी. सभी कौशलों में बच्चे के पूर्ण तथा उचित आकलन पर आधारित होती है। आकलन के आधार पर प्राप्त सूचनाओं के अनुसार हम लक्ष्य निर्धारित करते हैं।

आकलन के समय निम्न बिन्दुओं पर ध्यान देना चाहिए :-

- बच्चा क्या करने में सक्षम है ?
- यदि हम समान आयु के अन्य बच्चों से तुलना करें तो बच्चा क्या करने में सक्षम नहीं है ?
- बच्चा किसी कार्य को किस विधि से सीखता है ?
- बच्चे के समस्यात्मक व्यवहार क्या हैं ?
- बच्चे की रूचि तथा अरूचि क्या है ? इससे पुरस्कार तथा दण्ड के चयन में सहायता मिलती है।

बच्चे के व्यवहारात्मक आकलन के लिए हम एम.डी.पी.एस., बेसिक एम.आर., एफ.ए.सी.पी., उपनयन आदि उपकरणों का प्रयोग करते हैं। बच्चों का आकलन इन उपकरणों के मानक तथा मानदण्डों के आधार पर किया जाता है।

3.वार्षिक लक्ष्य :

वार्षिक लक्ष्य से तात्पर्य ऐसे लक्ष्य से है जिसे बच्चे द्वारा शैक्षणिक वर्ष की समाप्ति तक सीखने की अपेक्षा की जाती है। वार्षिक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कौशलों का प्रशिक्षण सुव्यवस्थित ढंग से पूरे वर्ष दिया जाता है।

वार्षिक लक्ष्य के निर्धारण के समय निम्न बिन्दुओं पर ध्यान देना चाहिए :-

- बच्चे की पूर्व उपलब्धियाँ।
- बच्चे का वर्तमान बौद्धिक एवं कार्यात्मक स्तर।
- चयनित लक्ष्य की उपयोगिता/कार्यात्मकता।
- बच्चे की आयु।
- बच्चे की आवश्यकता।
- बच्चे का वातावरण।
- उपलब्ध संसाधन।
- अभिभावकों की प्रतिभागिता तथा सहयोग।
- विशेष शिक्षक की योग्यता।

4. लघु-कालीन लक्ष्य :

वार्षिक लक्ष्य को व्यवस्थित रूप में विभाजित करते हुए लघु कालीन लक्ष्यों का निर्धारण किया जाता है। साधारण शब्दों में लघु कालीन लक्ष्य का अर्थ वार्षिक लक्ष्य को छोटे-छोटे भाग में विभाजित करना है।

इसमे निम्न बिन्दुओं पर ध्यान दिया जाता है:

- लघु-कालीन लक्ष्य व्यवस्थित क्रम में होना चाहिए।
- ये वार्षिक लक्ष्य से सीधे सम्बन्धित होना चाहिए।
- यह शिक्षक की क्षमताओं के अनुसार होना चाहिए।

5. विशिष्ट उद्देश्य :

लघु-कालीन लक्ष्य को विशिष्ट उद्देश्य के रूप में लिखा जाता है। विशिष्ट उद्देश्य के निम्नलिखित 05 घटक होने आवश्यक हैं :-

- **प्रभावित व्यक्ति कौन है ?**
  इसके अन्तर्गत प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले व्यक्ति का नाम दिया जाना चाहिए जैसे - राम, गोपू, कमल आदि।

- **किस व्यवहार का चयन किया गया है ?**
  इसके अन्तर्गत जिस व्यवहार का विकास करना है, मज़बूत करना है उसे अवलोकन तथा मापन करने के रूप में लिखें

अवलोकन योग्य	अवलोकन योग्य नहीं
चित्र बनाना	जानना
पीठ थपथपाना	समझना
धूल साफ करना	ध्यान केंद्रित करना
वस्तुओं का चयन करना	आविष्कार करना
लिखना	पहचानना
दर्शाना	सोचना
गिनती गिनना	सीखना
चलना	महसूस/अनुभूति करना
धुलना	जागरूक होना
मोड़ना	प्रशंसा करना

- **किस स्थिति में यह व्यवहार घटित होता है ?**
  इसके अन्तर्गत व्यवहार घटित होने की स्थिति को स्पष्ट करें जैसे -
  - जब 10 पशुओं के चित्र दिए जाएँगे तब राम पहचानेगा .....
  - फर्श पर सीधी रेखा बनाकर दिए जाने पर .....
  - कहे जाने अथवा आवश्यकता पड़ने पर .....

- **किस सम्पादन स्तर की अपेक्षा की जा रही हैं ?** (सफलता के तय मानक)
  - आप रोहन द्वारा कितने समय तक कार्य कराना चाहते हैं ?
  - आप उससे कितनी बार कार्य कराना चाहते हैं ?
  - आप उससे कब कार्य कराना चाहते हैं ?
  - आप उससे कितने अच्छे प्रकार से कार्य कराना चाहते हैं ?

उदाहरण के लिए

- गीता 01 मिनट तक गेंद को उछालेगी।
- बिना याद दिलाए गीता 06 दिनों में 05 दिन फर्श पर झाड़ू लगाएगी।

- **समय सीमा**

  उस अवधि को बताएँ जिसमें लक्ष्य व्यवहार को प्राप्त किया जा सके। समय अवधि विशेष शिक्षक को व्यवहारात्मक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए योजना बनाने में सहायता करती है तथा मूल्यांकन का समय भी निर्धारित करती है।

  नीचे व्यवहारात्मक लक्ष्यों की एक सूची दी गई है। इन्हें ध्यानपूर्वक पढ़ें तथा बताएँ कि क्या इनमें समस्त घटक उपस्थित हैं?

  क. मनोज 05 फीट या अधिक दूरी तक चलेगा।

  ख. जब कहा जाएगा तब रहीम अपनी शर्ट 10 में से 08 बार निकालेगा 15 अक्टूबर से पहले।

  ग. सोनू जूते के फीते 03 मिनट में बाँधना सीख जाएगा।

  घ. चेतन 01 से 10 तक गिनती गिनेगा बिना किसी तृटि के 50 प्रयासों के बाद।

अपनी प्रगति जाँचें :

स्थिति	व्यक्ति	व्यवहार	मानक	अवधि
x	मनोज	चलेगा	05 फीट या अधिक दूरी तक	x
जब कहा जाएगा तब	रहीम	अपनी शर्ट निकालेगा	10 में से 08 बार	15 अक्टूबर से पहले
x	सोनू	जूते के फीते बॉधेगा	03 मिनट में	x
x	चेतन	01 से 10 तक गिनती गिनेगा	बिना किसी तृटि के	50 प्रयासों के बाद

6. शिक्षण तकनीक का चयन :-

लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए शिक्षक द्वारा उपयुक्त शिक्षण तकनीक का चयन आवश्यक होता है। बच्चे के स्तर तथा रूचि के अनुसार उपयुक्त शिक्षण तकनीक का चयन किया जाता है। इसमें विभिन्न शिक्षण तकनीक जैसे - कार्य विश्लेषण, श्रृंखलाकरण (चेनिंग), शेपिंग, विलोपन (फेडिंग), माडलिंग, आदि आते हैं।

7. शिक्षण अधिगम सामग्री का चयन (टी.एल.एम.):-

उपयुक्त शिक्षण अधिगम सामग्री की सहायता से शिक्षक बच्चों को प्रभावी शिक्षण प्रदान कर सकता है। शिक्षण अधिगम सामग्री का चयन करते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान दिया जाना आवश्यक है :-

- शिक्षण अधिगम सामग्री आयु अनुरूप हो।
- शिक्षण अधिगम सामग्री लक्ष्य व्यवहार के अनुसार हो।
- शिक्षण अधिगम सामग्री रूचि बढ़ाने वाला हो।
- शिक्षण अधिगम सामग्री आकर्षक हो।
- शिक्षण अधिगम सामग्री सस्ती हो।
- शिक्षण अधिगम सामग्री टिकाऊ हो।
- शिक्षण अधिगम सामग्री जहाँ तक संभव हो अनुपयोगी वस्तुओं से बना हो।
- शिक्षण अधिगम सामग्री बहुपयोगी हो।
- शिक्षण अधिगम सामग्री आसानी से उपलब्ध हो।

- शिक्षण अधिगम सामग्री आसानी से रखने एवं ले जाने योग्य हो।
- शिक्षण अधिगम सामग्री हानिकारक न हो।

उपयुक्त शिक्षण अधिगम सामग्री का सही तरीके से उपयोग करना भी अत्यन्त आवश्यक है।

8. मूल्यांकन :-

चयनित लक्ष्य व्यवहार में छात्र की उपलब्धि को पूर्व निर्धारित स्तर के आधार पर मापने के लिए मूल्यांकन किया जाना अत्यन्त आवश्यक है। इससे हमे छात्र की प्रगति के बारे में पता चलता है। अपेक्षित सुधार न हो पाने की दशा में हम बाधाओं का पता लगा सकते हैं तथा उन्हें दूर कर सकते हैं।

मूल्यांकन करते समय निम्न बिन्दुओं पर ध्यान दिया जाना आवश्यक है :-

- शिक्षक को पक्षपात तथा पूर्वाग्रह से मुक्त होना चाहिए।
- मूल्यांकन परिमाणात्मक तथा गुणात्मक होना चाहिए।
- परिणाम को लिखित तथा मौखिक रूप में देने का प्रावधान हो।
- मूल्यांकन निरंतर होना चाहिए तथा बच्चे के आगे के कार्यक्रम योजना में योगदान प्रदान करने वाला होना चाहिए।

विशेष शिक्षा मूल्यांकन को 01 से 07 तक के अंकों में निम्न प्रकार से व्यक्त किया जाता है :-

अंक	सफलता
01	आधार रेखा के नीचे
02	आधार रेखा पर
03	25% सफलता के साथ
04	50% सफलता के साथ
05	75% सफलता के साथ
06	100% सफलता के साथ
07	100% सफलता के साथ निर्धारित अवधि से पूर्व

वैयक्तिक शैक्षणिक कार्यक्रम की योजना बनाने एवं क्रियान्वित करने में अभिभावकों की सक्रिय सहभागिता अनिवार्य है। अभिभावकों का सहयोग वैयक्तिक शैक्षणिक कार्यक्रम की सफलता का मुख्य आधार है।

"मैं अपनी अक्षमता को इतनी छूट नहीं दे सकता की वह यह तय करे कि मुझे अपनी जीवन कैसे जीना है।"

- क्रिस्टोवर रीव

वैयक्तिक शैक्षणिक कार्यक्रम - आई.ई.पी. (Individulized Educational Plan - IEP)

भाग - 'अ'

1. **नाम** :- सूरज
2. **जन्मतिथि** :- 10.12.1981
3. **लिंग** :- पुरूष
4. **पता** :- लाजपत नगर, नई दिल्ली
5. **पंजीयन संख्या** :- 34301
6. **कक्षा तथा अनुक्रमांक** :- पहजे पूर्व-व्यवसायिक समूह में अब कारपेंटर कार्यशाला में स्थानांतरित।
7. **आई.ई.पी. भरने की तिथि** :- 25.5.09
8. **आई.ई.पी. संख्या** :- 03
9. **मातृभाषा/भाषा जिसका प्रयोग बौद्धिक अक्षम व्यक्ति के साथ किया जाता है** :- हिन्दी
10. **बौद्धिक अक्षम व्यक्ति के बारे में विशिष्ट सूचना** :- सूरज का विकास जन्म से ही धीमा था तथा 02 वर्ष की आयु तक कोई शब्द नहीं बोल पाया। वह 03 भाइयों में सबसे बड़ा है। वह बहुत शर्मीला है तथा जल्दी किसी के साथ अंतःक्रिया नहीं करता।
11. **लक्ष्य** :-
    - 02 प्राथमिक रंगों की पहचान - लाल तथा हरा - कार्यात्मक पठन।
    - वस्तुओं के समूह में से 05 वस्तुएँ गिनकर देना - कार्यात्मक गणित।
    - सड़क पार करना - सामुदायिक क्रिया।
    - प्लास्टर ऑफ पेरिस से पेपर वेट बनाना - व्यवसायिक कौशल।
12. **विशेष शिक्षक का नाम** :-

मैं यह पूर्ण रूप से मानता हूँ कि मुझे लोगों को अक्षमता के विषय में शिक्षित करना है।

भाग - 'ब'

कौशल व्यवहार	वर्तमान आधारभूत स्तर	विशिष्ट उद्देश्य	प्रक्रिया	सामग्री	मूल्यांकन
सूरज को लाल रंग की पहचान करने का प्रशिक्षण देना।	सूरज रंगों का मिलान कर लेता है तथा नाम बता सकता है। वह साधारण निर्देशों का पालन करता है।	जब विभिन्न रंगों की सामग्री दी जाएगी और कहा जाएगा तब सूरज लाल रंग की वस्तुएँ देगा 10 में से 08 बार सही 03 महीने के भीतर।	शिक्षक सूरज को विभिन्न रंग दिखाते हुए कहेंगे कि आप चित्र में रंग भरना चाहते हो। शिक्षक उसे बताएँगे कि अगर आप रंगों की पहचान नहीं कर पाओगे तो आपको कैसे पता लगेगा कि कौन-सा रंग पसन्द करना है। चलो हम रंगों की पहचान करना सीखते हैं।		1 2 3 4 5 ● 7
			सूरज को एररलेस डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग (त्रुटिहीन विभेदीकृत शिक्षण) ई.डी.एल. तकनीकि के माध्यम से सिखाया जाएगा।		03 माह के प्रशिक्षण के उपरान्त सूरज विभिन्न रंगों की सामग्री दिए जाने और कहे जाने पर लाल रंग की वस्तुएँ देता है 10 में से 08 बार सही।
			शिक्षक सूरज को एक लाल कार्ड देंगे तथा कहेंगे- 'मुझे लाल कार्ड दो।'		
			शिक्षक सूरज को लाल एवं पीला कार्ड देंगे तथा कहेंगे- 'मुझे लाल कार्ड दो।'		
			शिक्षक सूरज को लाल, पीला एवं हरा कार्ड देंगे तथा कहेंगे- 'मुझे लाल कार्ड दो।'		
			शिक्षक सूरज को आवश्यकतानुसार शाब्दिक, शारीरिक अथवा संकेतिक सहायता प्रदान करेंगे।		
			शिक्षक सूरज को प्रत्येक सफल प्रयास पर शाबासी देंगे।		
			शिक्षक सूरज को सेब का चित्र बनाकर देंगे तथा उसमें लाल रंग भरने के लिए कहेंगे।		
			शिक्षक सूरज को लाल, गुलाबी, नारंगी रंग की वस्तुएँ देंगे तथा लाल वस्तु को माँगेंगे। लाल रंग की वस्तु देने पर शिक्षक सूरज को लाल स्केच पुरस्कार के रूप में देंगे।		
			और अधिक अभ्यास कराने के लिए अन्य वस्तुएँ जैसे- गेंद, मोती, क्यूब, ईंट, क्रेयान आादि देंगे तथा समान प्रक्रिया को दोहराएँगे।	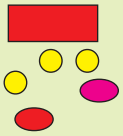	
			जब सूरज बाहर जाएगा तब उससे पूछेंगे कि 'क्या उसने कोई लाल रंग की वस्तु देखी है ?' सही उत्तर देने पर शाबाशी देंगे।		
			खेल विधि - विभिन्न रंगो की कुछ कैप मेज़ पर रखेंगे। लाल कैप के नीचे एक टॉफी रखेंगे। सूरज को लाल कैप उठाने के लिए कहेंगे। सही कैप उठाने पर सूरज को शाबासी देंगे।	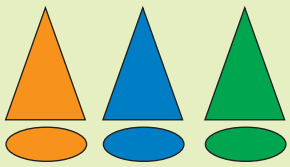	

* * *

अध्याय

8

पाठ योजना

Lesson Plan

प्रभावी पाठ योजना तथा शिक्षण कौशल द्वारा हम समूह शिक्षण में भी वही परिणाम प्राप्त कर सकते है जो कि वैयक्तिक शिक्षण में प्राप्त होता है।

एक अच्छी पाठ योजना शिक्षक को निम्न बिन्दुओं को समझने में सहायक सिद्ध होती है।

- शिक्षक द्वारा क्या पढ़ाया जाना चाहिए?
- कक्षा व्यवस्था कैसी होनी चाहिए?
- पाठ को कैसे प्रारंभ करें?
- कौन सी शिक्षण अधिगम सामग्रियों की आवश्यकता होगी?
- किस पुनर्बलक का प्रयोग किया जाएगा?
- शिक्षक पाठ का मूल्यांकन किस प्रकार करेगें?
- पाठ का समापन किस प्रकार किया जाएगा?

पाठ योजना के लाभ :

1. पाठ योजना के माध्यम से शिक्षक को यह पता होता है कि उसे क्या पढ़ाना है ?
2. शिक्षक को पता होता है कि कहाँ से आरम्भ करना है, किस प्रकार पाठ जारी रखना है तथा कैसे उसका समापन करना है ?
3. शिक्षक पाठ को सुव्यवस्थित तरीके से पढ़ा सकता है।
4. यह कक्षा व्यवस्था को बनाने तथा शिक्षण अधिगम सामग्रियों के निर्माण एवं उसके उपयोग में सहायक होता है।
5. छात्रों के निष्पादन स्तर का मूल्यांकन करके शिक्षक अपने शिक्षण कौशल के बारे में पता लगा सकता है।
6. नियमित शिक्षक की अनुपस्थिति में अन्य शिक्षक भी पाठ योजना की सहायता से अध्यापन कार्य कर सकता है।

पाठ योजना के घटक :

- कार्य विषय
- वर्तमान विषय
- विशिष्ट उद्देश्य
- प्रेरणा
- कक्षा व्यवस्था
- सामग्री
- प्रक्रिया
- मूल्यांकन

समूह शिक्षण के लिए पाठ योजना :

पाठ संख्या - 01

विद्यालय - .....

सामान्य उद्देश्य - मौद्रिक (रुपया-पैसा) कौशलों का विकास करना।

समूह का प्रकार - प्राथमिक

वर्तमान स्तर - पाँच विद्यार्थी सिक्कों को पहचानते है तथा एक विद्यार्थी सिक्कों को अन्य वस्तुओं से अलग कर सकते हैं।

आयु - 08 से 10 वर्ष

बच्चों की संख्या - 06

दिनांक : **समय** :

शिक्षक/प्रशिक्षु का नाम -

विशिष्ट उद्देश्य :

स्थिति	प्रभावित व्यक्ति	व्यवहार	निस्पादन/सफलता स्तर	समय अवधि
जब कहा जाएगा	शिव शंकर सरोज बाला ज्ञानचन्द	सिक्कों के मूल्य को जोड़ेंगे रु. 1 + रु. 1	80% सफलता के साथ	30 मिनट
	आरती गणेश	विभिन्न सिक्कों में से रु. 1 का सिक्का निकालकर देंगे		
	नीलम	सिक्कों को अन्य वस्तुओं से अलग करेंगे		

प्रेरणा :- कठपुतली (Puppets) के माध्यम से शिक्षक एक भाई व बहन की कहानी सुनाएगा। भाई अपनी बहन को बुद्धु कहता है क्योंकि वह सिक्कों की पहचान नहीं कर पाती है। शिक्षक बच्चों को बताते हैं कि आज वे सभी बच्चों को सिक्कों की पहचान करना सिखाएँगे।

शिक्षक के कार्य	शिक्षणर्थी के कार्य	सामग्री	कक्षा व्यवस्था	टिप्पणी
शिक्षक नीलम के पास जाकर उससे विभिन्न धातुओं से बनी वस्तुओं में से सिक्के निकालने के लिए कहेंगे। सबसे पहले सिक्के के साथ 01 वस्तु देंगे, फिर 02 वस्तु तथा इसी प्रकार मात्रा बढ़ाते जाएँगे। आवश्यकतानुसार शाब्दिक व शारीरिक सहायता दी जाएगी।	नीलम समान वस्तुओं में से सिक्कों को अलग करेगी। अन्य बच्चें उसकी सहायता करेंगे।	सिक्के तथा धातु से बनी अन्य वस्तुएँ जैसे-चाभी, सेटी पिन आदि।	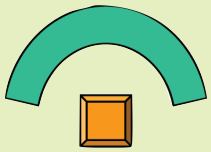	
शिक्षक आरती और गणेश के पास जाकर उन्हें रू.1 के सिक्के को निकाल कर देने के लिए कहेंगे। सबसे पहले एक सिक्का (रू.1) देकर फिर दो (रू.1 व रू.2) तथा बाद में तीन सिक्के (रू.1, रू.2, तथा रू.5) देकर रू.1 का सिक्का निकालने के लिए कहा जाएगा।	आरती और गणेश रू.1 का सिक्का निकाल कर देंगें।			
शिक्षक शिव शंकर, सरोज बाला, और ज्ञान चंद को सिक्के देकर कहेंगे कि रू.1 और रू.1 के सिक्के मिलकर कितने होंगे फिर इसी प्रकार अन्य जोड़ दिए जाएगें जैसे रू.1 + रू.1, रू.1 + रू.2 आदि। आवश्यकतानुसार शाब्दिक सहायता दी जाएगी।	बच्चे रूपयों को जोड़कर उनका मूल्य बताएंगे।			

शिक्षक के कार्य	शिक्षणर्थी के कार्य	सामग्री	कक्षा व्यवस्था	टिप्पणी
एक किडी शॉप की व्यवस्था की जाएगी जिसमें शिवशंकर बैठेगा। सरोज बाला को बुलाकर पूछा जाएगा कि वह कौन सी वस्तु खरीदना चाहती है?	सरोजबाला बताएगी कि उसे क्या चाहिए।	पेंसिल, इरेज़र, पेन, शॉर्पनर, टॉफी, बिस्कुट आदि।		
शिक्षक बच्चों को सिक्के मिलाकर देंगे तथा उसमें से रू.1, रू.2, तथा रू.5 के सिक्के माँगेगा।	बच्चे सही सिक्के देंगें।			
सभी बच्चे पैसे देकर वस्तुएँ खरीदेंगें।				
अंत में शिवशंकर बताएगा कि उसने कितने पैसे इकट्ठे कर लिए है।				

* * *

"मैं अपनी अक्षमताओं के लिए ईश्वर को धन्यवाद देती हूँ क्योंकि इसी के द्वारा मैंने स्वयं को, अपने कार्य को तथा अपने ईश्वर को पाया है।"

- हेलेन केलर

अध्याय 9

विशेष शिक्षण नीतियाँ

Special Education Strategies

बौद्धिक अक्षम बच्चों को प्रशिक्षित करने हेतु विशेष शिक्षण तकनीक की आवश्यकता होती है। इस हेतु निम्न बिंदुओं पर ध्यान देना आवश्यक होता है :

1. बौद्धिक अक्षम बच्चों को विभिन्न प्रकार की सार्थक गतिविधियों में व्यस्त रखना आवश्यक होता है।
2. बौद्धिक अक्षम बच्चों का शिक्षण-प्रशिक्षण सुनियोजित तरीके से क्रियांवित करना आवश्यक है।
3. सभी बौद्धिक अक्षम बच्चों को समान क्रिया को सिखाने के लिए अलग-अलग तकनीक की आवश्यकता पड़ सकती है।
4. प्रत्येक बौद्धिक अक्षम बच्चे की आवश्यकता एवं क्षमता भिन्न होती है। प्रशिक्षण कार्यक्रम योजना बनाते एवं क्रियांवित करते समय इन तथ्यों का ध्यान विशेष रूप से दिया जाना चाहिए।

विशेष शिक्षण तकनीक का वर्णन निम्नलिखित है :

I. कार्य विश्लेषण (Task Analysis)

कार्य विश्लेषण सामान्य तौर पर वह विधि है जिसमें व्यवहार लक्ष्य को छोटे तथा सामान्य चरण में विभाजित कर सिखाया जाता है। कार्य विश्लेषण विधि द्वारा विशेष रूप से दैनिक जीवन के क्रियाकलाप तथा गामक कौशलों को आसान बनाकर सिखाया जाता है। कार्य विश्लेषण के निम्न चरण है :

क. कार्य को उपकार्यो में विभाजित करना।

ख. उन्हें क्रम में व्यवस्थित करना।

ग. प्रत्येक उप-क्रिया की निर्देशात्मक लक्ष्य के रूप में व्याख्या करना।

कार्य विश्लेषण करने की निम्नलिखित विधियाँ हैं :

1. किसी योग्य व्यक्ति का अवलोकन करें तथा उसके द्वारा किए जा रहे कार्यों को लिखें।
2. क्रिया के बारे में विचार करें तथा लिखें।

3. स्वयं करके देखें।

4. धीमी गति के वीडियो की सहायता द्वारा क्रिया को देखें।

कार्य विश्लेषण में उपकार्यो की संख्या छात्र के स्तर के अनुरूप घट अथवा बढ़ सकती है। उदाहरण के लिए 'दाल और चावल को मिलाकर बिना गिराए चम्मच की सहायता से खाना', का कार्य विश्लेषण दो भिन्न योग्यता स्तर के बच्चों के लिए निम्नलिखित है :

क्र.स.	छात्र - अ (निम्न योग्यता स्तर)	छात्र - ब (उच्च योग्यता स्तर)
1	भोजन करने हेतु सही स्थिति में बैठना।	भोजन करने हेतु सही स्थिति में बैठना।
2	चम्मच को सही स्थिति में पकड़ना।	चम्मच को सही स्थिति में पकड़ना।
3	कटोरी से एक चम्मच दाल निकालना।	चम्मच द्वारा कटोरी से थोडी दाल लेकर चावल पर डालना और मिलाना।
4	दाल को चावल पर गिराना।	आवश्यकतानुसार और दाल लेना।
5	चम्मच से दाल व चावल को मिलाना।	मिले हुए दाल व चावल को चम्मच में लेना।
6	चरण 3, 4 और 5 को दोहराते हुए चावल में आवश्यकतानुसार और दाल मिलाना।	चम्मच को उठाना।
7	मिले हुए भोजन को चम्मच में लेना।	चम्मच को मुँह में डालना
8	चम्मच को भोजन के साथ उठाना।	चम्मच को मुँह से बाहर निकालना।
9	चम्मच को मुँह तक ले जाना।	भोजन को चबाना तथा निगलना।
10	मुँह खोलना।	
11	चम्मच को मुँह में डालना।	
12	मुँह बंद करना।	
13	चम्मच को मुँह से बाहर निकालना।	
14	भोजन को चबाना।	
15	भोजन को निगलना।	

उपरोक्त कार्य विश्लेषणों में हम पाते है कि निम्न योग्यता वाले बच्चों के लिए उपकार्यो की संख्या 15 है जबकि उच्च स्तर की योग्यता वाले बच्चों के लिए यह मात्र 09 है। अतः इससे स्पष्ट हो जाता है कि कार्य विश्लेषण विधि में उपकार्यो की संख्या आवश्यकतानुसार घट अथवा बढ़ सकती है। सामान्यतौर पर उपकार्यो की संख्या 06 से 10 रखना अधिक सुविधाजनक होता है।

II. श्रृंखलाकरण -चेनिंग (Chaining) -

श्रृंखलाकरण के द्वारा लक्ष्य व्यवहार को विभिन्न चरणों में विभाजित कर यह निर्धारित किया जाता है कि किस क्रिया को कब संपादित करना है तथा उनको एक साथ कड़ी के रूप में व्यवस्थित किया जाता है।

श्रृंखलाकरण के प्रकार :-

क. फॉरवर्ड चेनिंग - इसमें प्रथम चरण पहले तथा अंतिम चरण बाद में क्रमबद्ध रूप में व्यवस्थित होते है। उदाहरण - मोजे निकालना।

1. मोजे को एड़ी तक लाना।
2. 1+मोजे को पंजे के नीचे लाना।
3. 1+2+ मोजे को अँगूठे तक लाना।
4. 1+2+3+ मोजे को अँगूठ से बाहर निकालना।

ख. बैकवर्ड चेनिंग - इसमें अंतिम चरण पहले तथा प्रथम चरण बाद में क्रमबद्ध रूप में व्यवस्थित होते है।

उदाहरण - मोजे निकालना।

1. मोजे को अँगूठे से बाहर निकालना।
2. मोजे को पंजे के नीचे लाना +1 ।
3. मोजे को एड़ी से निकालना +2+1 ।
4. मोजे को एड़ी तक लाना +3+2+1 ।

III. शेपिंग (Shaping)

इसके अंतर्गत लक्ष्य को विभिन्न चरणों में बाँटा जाता है। प्रत्येक चरण लगभग-लगभग लक्ष्य की ओर अग्रसर होता है। सभी चरणों प्रयोग किये जाने वाले उपकरण सरल से जटिल होते जाते हैं। प्रत्येक चरण में बच्चे को पुनर्बलन प्रदान किया जाता है। उदाहरण के लिए सुई में धागा डालना

1. 1/2" व्यास (diameter) छिद्र वाली सुई में पतला धागा डालना।
2. 1/4" व्यास छिद्र वाली सुई में पतला धागा डालना।
3. 1/4" व्यास छिद्र वाली सुई में मोटा धागा डालना।
4. मध्यम आकार की सुई में पतला धागा डालना।
5. मध्यम आकार की सुई में मोटा धागा डालना।
6. सामान्य आकार की सुई में सिलाई वाला धागा डालना।

शेपिंग प्रक्रिया के चरण :-

1. लक्ष्य व्यवहार का चयन करें।
2. बच्चे द्वारा वर्तमान में प्रदर्शित किए जाने वाले आरम्भिक व्यवहार का चयन करें तथा उसे किसी न किसी रूप में लक्ष्य व्यवहार से सम्बन्धित करें।
3. सशक्त/ प्रभावी पुरस्कार का चयन करें।
4. आरम्भिक व्यवहार को पुनर्बलन प्रदान करें जब तक कि वह बारम्बार घटित न हो।
5. प्रत्येक बार व्यवहार में वृद्धि होने पर पुनर्बलन प्रदान करें।
6. लक्ष्य व्यवहार के घटित होने पर प्रत्येक बार पुनर्बलन प्रदान करें।
7. लक्ष्य व्यवहार के घटित होने पर कभी-कभी पुनर्बलन प्रदान करें।

शेपिंग प्रक्रिया के अंतर्गत लक्ष्य व्यवहार से सम्बन्धित छोटे किन्तु सही प्रयास किए जाने पर क्रमबद्ध रूप से पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं।

IV. त्रृटिहीन विभेदीकृत अधिगम - एररलेस डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग (Errorless Discrimination Learning-EDL) -

1. इसके अन्तर्गत व्यवधान उत्पन्न करने वाले उद्दीपकों को क्रमबद्ध रूप से बढ़ाते हैं।
2. व्यवधान उत्पन्न करने वाले उद्दीपकों की संख्या को बढ़ाते हैं।
   इसमें बच्चे की प्रारम्भिक स्तर पर गलती करने की संभावना को समाप्त कर दिया जाता है। इसके फलस्वरूप बच्चा आरम्भिक स्तर पर ही सफलता प्राप्त करता है जिससे उसका आत्मविश्वास एवं मनोबल बढ़ता है तथा वह आगे कार्य करने को प्रेरित होता है।

उदाहरण :- लाल रंग की पहचान

1. लाल रंग के कार्ड में से लाल रंग के कार्ड को निकालना।
2. लाल व हरे रंग के कार्ड में से लाल रंग के कार्ड को निकालना।
3. लाल, हरे व नीले रंग के कार्ड में से लाल रंग के कार्ड को निकालना।

ई.डी.एल. प्रक्रिया में प्रत्येक चरण में सिखाई जाने वाली अवधारणा में ही भिन्नता होगी, शेष सभी कारक एक जैसे होंगे। उदाहरण के लिए - शरीर के अंगों की पहचान कराते समय अलग-अलग अंगों के कार्ड उपयोग किए जाएँगे जिनमें केवल अंग भिन्न होंगे लेकिन कार्ड का आकार एवं आकृति एक जैसे होंगे।

V. अनुरूपण-मॉडलिंग (Modelling) -

यह एक ऐसी विधि है जिसमें शिक्षक बच्चे को बताता है कि विशिष्ट कार्य को किस प्रकार किया जाता है? इसमे कार्य को कर के प्रदर्शित किया जाता है। इसमें निम्न विधियाँ अपनाई जाती हैं:-

1. ऐसी स्थिति बनाएँ जिसमे बच्चा अन्य बच्चों को प्राकृतिक वातावरण में लक्ष्य व्यवहार को करते हुए देखे।

2. लक्ष्य व्यवहार प्रदर्शित करने पर पुरस्कार दें।
3. दो या अधिक बच्चों के कार्य निष्पादन स्तर की तुलना न करें।

VI. सहायता देना-प्राम्पटिंग (Prompting) :-

बच्चे को विशिष्ट लक्ष्य व्यवहार सीखने के लिए दी जाने वाली सक्रिय सहायता प्राम्पटिंग कहलाती है।

सहायता (प्राम्पट) के प्रकार :

1. शारीरिक सहायता -शारीरिक सहायता द्वारा शिक्षण प्रदान करना। जैसे-हाथ पकड़ कर लिखना अथवा बटन खोलना सिखाना।
2. शाब्दिक सहायता - मौखिक निर्देशों द्वारा प्रत्येक चरण को बताते हुए कार्य संपादित कराना शाब्दिक सहायता कहलाता है, जैसे- हाथ से बटन को पकड़ो, दूसरे हाथ से बटन पट्टी को पकड़ो, छेद में से बटन निकालो।
3. सांकेतिक सहायता - संकेत द्वारा शिक्षण प्रदान करना जैसे-'बंद', 'धक्का दो' आदि।

प्राम्पटिंग अक्सर अन्य तकनीकों के साथ प्रयोग में लाई जाती है। शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए प्राम्पट्स का प्रयोग किया जाता है। प्राम्पट्स को धीरे-धीरे समाप्त किया जाता है।

VII. अनुमंदन - फेडिंग (Fading)

लक्ष्य व्यवहार में आत्मनिर्भर बनाने हेतु शिक्षक द्वारा धीरे-धीरे सक्रिय सहायता को समाप्त करना अनुमंदन कहलाता है। जैसे- बिन्दुओं के मध्य सीधी रेखा खींचना, बिन्दुओं को जोड़ते हुए सीधी रेखा बनाओ, आदि।

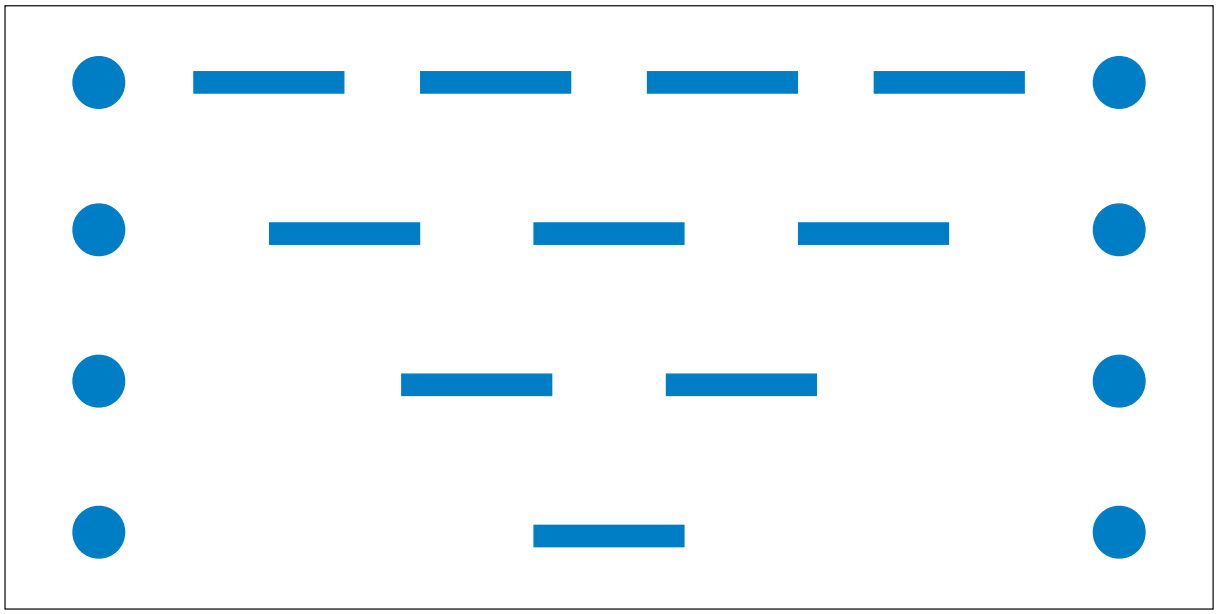

VIII. सामान्यीकरण (Generalization) :-

वह प्रक्रिया जिसमें एक स्थिति में सीखे गए व्यवहार को दूसरी समान स्थिति में क्रियांवित किया जाता है, सामान्यीकरण कहलाती है। जैसे-बच्चा यदि अपना नाम पढ़ना सीख जाए तो कहीं भी उसका नाम लिखा हो उसे पढ़ सके।

सामान्यीकरण की योजना निर्माण एवं प्रभावी क्रियांवयन हेतु तकनीक :

1. लक्ष्य व्यवहार का प्रशिक्षण वास्तविक वातावरण में दें।
2. अपने शिक्षण को कक्षा अथवा विद्यालय तक सीमित न करें। जहाँ तक संभव हो बच्चों को दुकान, रेलवे स्टेशन, पोस्ट ऑफिस, बैंक, आदि स्थानों पर ले जाएँ।
3. यदि वास्तविक वातावरण में शिक्षण प्रदान करना संभव न हो तो कृत्रिम व्यवस्था (simulated setting) बनाएँ।

IX. पुरस्कार/पुनर्बलक (Rewards/Reinforcers) :-

किसी व्यवहार के बाद होने वाली घटना जिससे उस व्यवहार के भविष्य में दोबारा होने की संभावना बढ़ जाती है उसे पुरस्कार अथवा पुनर्बलक कहते हैं।

पुरस्कार के प्रकार :

प्राथमिक	खाद्य पदार्थ जैसे- चाय, टॉफी, दूध, केला, चिप्स, आदि।
सामग्री	वस्तुएँ जैसे- कंचे, बिन्दी, गेंद आदि।
सामाजिक	मौखिक प्रशंसा या अभिव्यक्ति जैसे-अच्छा! बहुत बढ़िया के बाद मुस्कराना, पीठ थपथपाना, आदि।
क्रिया	क्रियाएँ अथवा व्यवहार जो बच्चे द्वारा पसंद किया जाता है जैसे-संगीत सुनना, चित्र में रंग भरना, टी. वी. देखना, आदि।
टोकन पुरस्कार	इन वस्तुओं का स्वयं में कोई मूल्य नहीं है तथा अन्य वस्तुओं के साथ संबंधित होने पर मूल्य प्राप्त करते है। उदारहण के लिए 10 टोकन के बदले 1 पेंसिल आदि।
विशेष उपाधि (Privilege)	विशेष स्तर जिसे प्रत्येक बच्चा प्राप्त करना चाहता है जैसे- किसी खेल में कप्तान के रूप में नियुक्त होना, कक्षा का मानीटर बनना, आदि।

पुरस्कारों का चयन कैसे करें?

पुरस्कारों का चयन कठिन कार्य है, किन्तु बच्चे के साथ कार्य करने के लिए उपयुक्त पुरस्कार की खोज करना बहुत आवश्यक है।

पुरस्कारों के चयन हेतु दिशा-निर्देश :

- बच्चे के व्यवहार का अवलोकन कीजिए।
- बच्चे से पूछिए।
- अभिभावकों से पूछिए।
- पुरस्कार प्राथमिकता सूची (Reward preference checklist) का प्रयोग कीजिए।
- बच्चे को पूर्व में दिए गए पुरस्कारों तथा उनके प्रभावों का पता लगाएँ।
- ऐसे पुरस्कार का चयन करें जो सरलता से उपलब्ध हो तथा क्रियांवित किए जा सकें।
- उपयुक्त पुरस्कार का चयन करें।
- पुरस्कारों में विविधता लाइए जिससे बच्चा उनसे प्रभावित हो सके।

पुरस्कार कैसे प्रदान करें?

- केवल वांछनीय व्यवहारों को पुनर्बलन प्रदान करें।
- पुरस्कार स्पष्ट रूप से दें। बच्चे को यह पता होना चाहिए कि उन्हें उनके किस कार्य के लिए पुरस्कार मिल रहा है।
- वांछनीय व्यवहार घटित होने पर तुरंत पुरस्कार प्रदान करें। देर से दिया गया पुरस्कार प्रभावी नहीं होता है।
- वांछनीय व्यवहार घटित होने पर प्रत्येक बार पुरस्कार प्रदान करें।
- पुरस्कार उपयुक्त मात्रा में प्रदान करें।
- सामाजिक पुरस्कारो को अन्य पुरस्कारों के साथ प्रयोग करें।
- पुरस्कारों को अनुमंदित (fade) करें अर्थात उन्हें धीरे-धीरे समाप्त करें जिससे बच्चे की निर्भरता समाप्त हो सके।

समूह में टोकन पुरस्कार :

इसके अंतर्गत बच्चे द्वारा वांछनीय व्यावहार प्रदर्शित करने पर टोकन पुरस्कार दिया जाता है। बाद में टोकन को अन्य पुरस्कारों से बदला जा सकता है।

लाभ :

- यह प्रयोग करने में आसान है।
- इससे पुरस्कार तुरंत दिया जा सकता है।
- यह शिक्षण/ अधिगम को बहुत अधिक बाधित नहीं करता।

टोकन पुरस्कार के चरण :

- उस लक्ष्य व्यवहार का चयन करें जिसके लिए टोकन पुरस्कार दिया जाना है।
- टोकन पुरस्कार के अंतर्गत कोई ऐसी वस्तु जिसे बच्चे पसंद करते हों, उसे टोकन मूल्य के रूप में चयनित करें।
- एक टोकन बोर्ड बनाएँ जिसमें बच्चे के नाम को उसके फोटो के साथ दर्शाएँ कि उन्होंने कितने टोकन प्राप्त किए।
- टोकन प्रदान करने के नियम को बच्चे को स्पष्ट रूप से समझाएँ।
- बच्चे को टोकन मूल्य बताएँ जैसे-10 टोकन के बदले एक पेंसिल आदि।
- टोकन के स्थान पर अन्य पुरस्कारों का प्रयोग करें।
- टोकन पुरस्कार को धीरे-धीरे अनुमंदित (कम) करें।

बौद्धिक अक्षम बच्चों को प्रशिक्षण के लिए निर्देश (Guidelines for Teaching Children with Intellectual Disability)

1. यह सुनिश्चित करें कि बच्चा कार्य को सीखने के लिए तैयार है अर्थात् बच्चे में कार्य को सीखने के लिए आवश्यक कुशलताएँ विद्यमान हैं।
2. शिक्षक को निम्न धारणा प्रदर्शित करनी चाहिए :-
   - बच्चे को उसके स्तर के अनुसार स्वीकार करें।
   - बच्चे की क्षमताओं का चिन्हांकन करें।
   - बच्चे को सफल बनाने हेतु प्रयास करें।
3. बच्चे की क्षमताओं को देखें तथा उसके अनुसार रणनीति बनाएँ।
4. शिक्षण सिद्धांतों का प्रयोग करें।
   - सरल से जटिल की ओर जाएँ।
   - मूर्त से अमूर्त की ओर शिक्षण दें।
   - ज्ञात से अज्ञात की ओर शिक्षण दें।
   - पूर्ण से अंश की ओर शिक्षण दें।
5. कार्य विश्लेषण करें तथा चरणबद्ध रूप से सिखाएँ।
6. बच्चे को असफल ना होने दें।
7. व्यवहार को सीखने के लिए उपयुक्त पुरस्कार का चयन करें।
8. सही शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग करें।
9. सिखाए गए व्यवहार का भिन्न स्थितियों में सामान्यीकरण करें।
10. पुनर्बलन प्रदान करते समय ध्यान रखें के आप कौन-सा पुरस्कार दे रहे हैं ?
11. पुनर्बलन के सिद्धांतों का पालन करें।

12. अपने द्वारा की जाने वाली क्रिया को मौखिक रूप से बताते रहें।
13. शिक्षण के समय धैर्य रखें किन्तु प्रगति के प्रति भी सजग रहें।
14. बच्चों को खेल, संगीत, कला के माध्यम से सिखाएँ।
15. स्वयं को कुशल बनाएँ।
16. सकारात्मक दृष्टिकोण रखें।
17. बहु-संवेदी शिक्षण तकनीक का उपयोग करें।
18. जहाँ तक संभव हो वास्तविक वातावरण में प्रशिक्षण प्रदान करें।
19. अपने शिक्षण को रूचिकर बनाएँ।
20. बच्चे को उसकी गलतियों को तुरंत बताएँ तथा उसमें सुधार की विधि बताएँ।
21. वैयक्तिक शिक्षण का प्रयोग करें (बच्चे के वर्तमान स्तर का पता लगाएँ)।
22. शिक्षण क्रियाओं में विविधता लाएँ।
23. लक्ष्य व्यवहारों की प्राथमिकता सूची बनाएँ।

'सही समय पर सही व्यक्ति (प्रशिक्षक) द्वारा सही हस्तक्षेप बच्चे में सुधार ला सकता है तथा उसे आत्मनिर्भर बना सकता है।'

विशेष शिक्षक के गुण (Qualities of Special Educator)

विशेष शिक्षक में केवल तकनीकि ज्ञान होना ही आवश्यक नहीं है, अपितु उसमें कुछ विशेष गुण भी होने चाहिए। हमारे अनुभवों के आधार पर विशेष शिक्षक में निम्न गुण होने चाहिए जिसे हमने 'SPECIAL' शब्द का विस्तार करके बनाया है।

S - Sincere - समझदार :

एक विशेष शिक्षक को समझदार होना चाहिए। वह बच्चे की योग्यताओं तथा आवश्यकताओं को समझे इसके साथ ही यह भी आवश्यक है कि विशेष शिक्षक अभिभावक की भावनाओं का आकलन कर सके तथा अपनी जिम्मेदारियों के प्रति सजग रहे।

P - Pleasing Personality - आकर्षक व्यक्तित्व :

विशेष शिक्षक का व्यक्तित्व आकर्षक होना चाहिए। उसमें धैर्य का होना अत्यंत आवश्यक है। उसे अभिभावकों की समस्याओं को धैयपूर्वक समझने का प्रयत्न करना चाहिए। बौद्धिक अक्षम बच्चे क्रियाओं को विलम्ब से सीखते है, इससे शिक्षक को हतोत्साहित नहीं होना चाहिए तथा क्रियाओं को योजनाबद्ध तरीके से करते रहना चाहिए।

E - Empathetic - समानुभूति :

बौद्धिक अक्षम बच्चों को सहानुभूति की आवश्यकता नहीं होती हैं। अन्य बच्चों की भाँति ही शिक्षा प्राप्त करना एवं समाज में आत्मनिर्भर जीवन-यापन करने का अधिकार उनका भी हैं। अतः विशेष समस्याओं का सही आकलन करना चाहिए तथा उनके लिए विशेष शिक्षण पद्धति का प्रयोग करते हुए उन्हें विकसित करना चाहिए।

C - Creative - सृजनात्मक :

विशेष शिक्षक को सृजनात्मक होना चाहिए। उन्हें नवीन शिक्षण तकनीकों, सामग्रियों, आदि से परिचित रहना चाहिए तथा उनको प्रयोग में लाना चाहिए। पाठ या क्रिया को रोचक बनाने हेतु नये-नये प्रयोग तथा शिक्षण अधिगम सामग्रियों को विकसित किया जाना चाहिए।

I - Intelligent - बुद्धिमान :

विशेष शिक्षक को बौद्धिक अक्षम बच्चे के साथ मधुर संबंध बनाने, उपलब्ध संसाधनों एवं स्थितियों का अधिकाधिक सार्थक प्रयोग करने के लिए बुद्धिमानी का परिचय देना होता है।

A - Attitude +ve - धनात्मक अभिवृत्ति :

विशेष शिक्षक को बौद्धिक अक्षम बच्चे के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रखते हुए कार्य करना चाहिए। उसे बच्चों की क्षमताओं पर ध्यान केन्द्रित कर उन्हे योजानाबद्ध तरीके से विकसित करना चाहिए। उसे मानसिक एवं शारीरिक रूप से अधिक सक्रिय होना चाहिए जिसकी सहायता से वह प्रभावी शिक्षण प्रदान कर सकता है।

L- Laborious - परिश्रमी :

विशेष शिक्षक को परिश्रमी होना चाहिए। बौद्धिक अक्षम बच्चों को शिक्षण प्रदान करना अत्यंत चुनौतिपूर्ण कार्य है जिसके लिए अधिक मेहनत की आवश्यकता होती है।

* * *

"यह सच हैं कि अपनी अक्षमता के कारण मुझे सहायता लेनी पड़ती है। लेकिन मैने हमेशा अपनी कमियों को दूर करने तथा जहाँ तक संभव है पूर्ण जीवन जीने का प्रयास किया है। मैं अंटार्कटिक से शून्य गुरुत्व तक पूरी दुनिया में घूमा हूँ।"

- स्टीफेन हाकिंग

अध्याय 10

खेल क्रिया के माध्यम से शिक्षण तथा अधिगम

Teaching & Learning through Games

विद्यालयों को यह जानने की आवश्यकता है कि बच्चे और अधिक अच्छा कर सकते है, सीख सकते है तथा विकास कर सकते है अगर समय को पारंपरिक विधि द्वारा मूल सिद्धांतो को सिखाने में व्यर्थ करने के स्थान पर उन्ही सिद्धांतों को संगीत, नाटक, कला तथा खेल के माध्यम से सिखाने के लिए समय दिया जाए।

क्रिया तथा खेल के माध्यम से शिक्षण प्रदान करने से विषय वस्तु अधिक स्पष्ट हो जाती है। यद्यपि वर्तमान समय में विद्यालयों में इसका प्रचलन बहुत अधिक नहीं है।

वर्तमान पारिदृश्य (Current scenario) :

- ज्यादातर यही सोचा जाता है कि कक्षाओं में खेल, संगीत तथा नाटक को शामिल करना बेकार है क्यों कि ये फुर्सत के समय की क्रियाएँ हैं।
- कुछ ही विद्यालय ऐसे है जो शिक्षण प्रक्रिया में नियमित रूप से पाठ्य सहगामी क्रियाओं (Co-curricular activities) को शामिल करते है।
- अक्सर इन गतिविधियों मे ज्यादा शामिल होने वाली कक्षा को गैर-अनुशासित कहा जाता है क्योंकि इसमें शोर ज़्यादा होता है।
- इन गतिविधियों को मुख्य पाठ्यक्रम का हिस्सा नहीं माना जाता जिससे इनका महत्व कम हो जाता है।
- सामान्य अवधारणा यह है कि बच्चे विद्यालय में पढ़ने के लिए जाते है न कि खेलने के लिए। अगर उन्हें खेलना ही है तो फिर वे कही भी खेल सकते है। इसके लिए विद्यालय आने की क्या आवश्यकता है ?
- शिक्षक स्वयं इस बात से पूर्ण रूप से सहमत नहीं हैं कि इस प्रकार की क्रियाएँ बच्चों को लाभांवित कर सकती है। इसके साथ ही (इन क्रियाओं की योजना बनाने के लिए) उनका कार्यभार भी काफी बढ़ जाता है।

विद्यालय अभी भी पुरानी परिपाटी अपनाए हुए है। वे इन क्रियाओं द्वारा बच्चों को शैक्षणिक कौशल सिखाने में मदद नहीं कर पा रहे हैं। हम सभी जानते हैं कि बच्चे तभी सबसे अच्छे तरीके से किसी चीज़ को सीख सकते है जब कि वे सीखने की क्रिया

द्वारा आनंद प्राप्त करते हो तथा हम यह भी जानते है कि बच्चे इन क्रियाओं में आनन्द प्राप्त करते हैं। यदि इनका उपयोग सही प्रकार से किया जाए तो अधिगम प्रक्रिया को बढ़ाने में अत्यंत लाभदायक है।

यदि ऐसा है तो हमें खेल क्रियाओं को शिक्षण प्रक्रिया में क्यों नहीं शामिल करना चाहिए ?

बौद्धिक अक्षम बच्चों को खेल क्रियाओं द्वारा शिक्षण प्रदान करना

- बौद्धिक अक्षम बच्चों में अवधान की कमी, सीमित स्मरण शक्ति, खराब आँख व हाथ समन्वय तथा ध्यान केन्द्रण में कमी पाई जाती हैं। अतः बच्चे को कुर्सी - मेज पर बैठाकर पढ़ाई जाने वाली पारंपरिक विधियाँ बहुत असरदार नहीं होती है। यद्यपि खेल जिसमे बच्चे शारीरिक रूप से शामिल होते है तथा अपने विभिन्न संवेदी अंगों का उपयोग करते है उसमें अधिगम अधिक प्रभावी तथा दीर्घकालिक होता है।
- विकलांगता की प्रकृति के कारण बौद्धिक अक्षम बच्चे अधिक सुस्त होते है। खेल के माध्यम से शिक्षण प्रदान करने पर उनकी सक्रियता में वृद्धि हो जाती है।
- बौद्धिक अक्षम बच्चे अक्सर कार्यो में अरुचि दिखाते है। इसलिए शिक्षक बच्चे के जिस कौशल को सिखाना चाहते है उसे रोचक बनाना चाहिए। आरंभिक रुचि पैदा करने के अनेक उपाय है किन्तु इसके लिए हमें कल्पनाशील होना चाहिए तथा बच्चे को उद्दीप्त करने के विभिन्न उपायों के बारे में सोचना चाहिए।
- आनन्ददायक तथा पुनर्बलित करने वाली क्रियाओ के द्वारा हम इन बच्चों को ध्यान केन्द्रित करने तथा सीखे जाने वाले कार्यो में पूरी तरह से शामिल होने में सहायता कर सकते हैं।
- खेलते समय बच्चे में अन्य के साथ तुलना किए जाने का भय नहीं होता। वे गलतियाँ करने के लिए स्वतंत्र होते है और गलतियों से सीखते है। इसमे किसी प्रकार की रूकावट नहीं होती। अतः वे प्रतिभाग करते हैं।
- सही और गलत करने का भय नहीं होता, इसलिए वे कुछ नया ढूँढने तथा प्रयोग करने के लिए प्रेरित होते है।
- बौद्धिक अक्षम बच्चों में अपनी भावनाओं को मौखिक रूप से व्यक्त करने की क्षमता में कमी होती है। खेलों के माध्यम से ये बच्चे अपनी भावनाओं को व्यक्त कर पाते है।
- बौद्धिक अक्षम बच्चों में सृजन करने की क्षमता होती है। खेल, संगीत तथा कला उनकी इन क्षमताओं को उभारने तथा विकसित करने में सहायक होता है।
- यह केवल बच्चे के बौद्धिक विकास में ही मदद नहीं करता अपितु उनके गामक कौशलों को भी बढ़ाता है।
- यह एक प्रभावी शिक्षण उपकरण के रूप में कार्य करता है। बच्चे प्राकृतिक रूप से खेल में आनंद प्राप्त करते है तथा बहुत उत्सुक हो जाते है। यह अधिकांश के लिए उपयुक्त मनोस्थिति के निर्माण में सहायक होता है।
- खेल सम्प्रेषण के लिए प्राकृतिक वातावरण तैयार करते हैं। अतः वे भाषा कौशलों को सीखने एवं अभ्यास करने के लिए अवसर प्रदान करते हैं।
- वे बच्चों को समूह कार्य, सहयोग की भावना तथा सही खेल भावना को सिखाने में मदद करते हैं तथा बच्चों को सोचने तथा तर्कशक्ति को विकसित तथा उपयोग करने के लिए प्रेरित करते हैं।
- ये बच्चों को अपनी क्षमताओं पर आत्मविश्वास प्राप्त करने तथा एक अच्छी छवि बनाने में सहायता करते हैं।

- बौद्धिक अक्षम बच्चे सामान्य तौर पर विद्यालय की नियमित क्रियाओं में उपलब्धि नहीं प्राप्त कर पाते, किन्तु यह एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें वे सामान रूप से अपनी क्षमताओं को प्रदर्शित कर सकते हैं।
- शिक्षक के रूप में हम बच्चे के दोषपूर्ण गुणसूत्र अथवा मस्तिष्क की क्षति को दूर करने के लिए कुछ नहीं कर सकते किन्तु बच्चे के लिए उपयुक्त वातावरण का निर्माण कर सकते हैं तथा बच्चों के सफलता के अवसर उत्पन्न कर सकते हैं जिससे बच्चा अधिगम में रुचि ले। शिक्षक द्वारा खेल को कक्षा क्रियाओं में शामिल करना चाहिए। वे खेल को पढ़ाई गई विषय वस्तु के पूरक तथा पुनर्बलक के रूप में ले सकते हैं।

रंग सिखाना (Teaching Colours) :

रंगों की पहचान करना बौद्धिक अक्षम बच्चों के लिए कार्यात्मक कौशल है क्योंकि इसके द्वारा वे सड़क पार कर सकते हैं तथा यह उन्हें समाज में आत्मनिर्भर जीवन यापन करने में काफी सहायक होगा। पारम्परिक रूप से रंग सिखाने के स्थान पर निम्न खेल आयोजित किये जा सकते हैं, जैसेः-

- **संगीत प्रतिमा (Musical Statue):**

  फर्श पर विभिन्न रंगों की आकृतियों को फैला दें। संगीत शुरू करने पर बच्चे गोला बनाकर हाथ में कार्ड लेकर नाचेंगें। संगीत बंद करने पर निर्देश दें जैसे- लाल गोले पर खड़े हो जाओ, पीले गोले पर खड़े हो जाओ, आदि।

- **रंगीन लोट्टो (Colour lotto):**

  बोर्ड पर विभिन्न रंग के गोले या अन्य आकृतियाँ रखें (लेकिन सभी आकृतियाँ एक जैसी हो)। बच्चों को समान आकार के रंगीन कार्ड देते हुए सही रंग से मिलान करने के लिए कहें।

- **पहेली (Riddle):**

  बच्चों से साधारण पहेलिया पूछें जैसे-'मैं टमाटर का रंग हूँ, तो बताओ कि मैं कौन सा रंग हूँ?', 'मै बालों का रंग हूँ, तो बताओ कि मैं कौन सा रंग हूँ?', आदि।

- **अपने साथी को ढूँढो (Find your partner):**

  बच्चों के हाथ में रंगीन खिलौने या रिबन (फीते) लगाओ और कहो कि समान रंग के रिबन वाला अपना साथी ढूँढो।

- **रिले दौड़ (Relay Race):**

  बच्चों को विपरीत दिशाओं मे पंक्तिबद्ध खड़ा करें। निर्देश देने पर जैसे-'पीला रंग अपना स्थान बदलो', पीले रंग के कार्ड लिए हुए बच्चे अपने स्थान को बदलेंगें।

- **रंग-बिरंगे जानवर (Coloured Animals):**

  बच्चे की कलाई पर रंगीन बैंड बाँधकर उन्हें गोला बनाने के लिए कहा जाएगा। इसके बाद उन्हें निर्देश दिए जाएँगे जैसे-'सभी लाल रंग हाथी बना', 'सभी हरे रंग भालू बना', 'सभी पीले रंग बिल्ली बनो', आदि।

- **बिन्गों गेम (Bingo Game):**

  बच्चों में कार्ड बाँटकर निर्देश दिए जाएँगे जैसे-'पीले रंग पर निशान लगाएँ', 'लाल रंग पर निशान लगाए' आदि। जो सबसे पहले सबसे ज्यादा सही निशान लगाएगा वह खेल जीतेगा।

- **रुमाल का खेल (Hanky Game):**

  बच्चों को रुमाल का खेल खिलाएँ। बच्चों को कुछ दूरी पर दो समानांतर पंक्तियों में खड़ा करे तथा उन्हें रंगीन टैग बाँटे। उन्हें निर्देश दें जैसे-पीले रंग के टैग वाले बच्चे गोले के अंदर रखे रुमाल को उठाकर वापस जाएँगे लेकिन इस बात का ध्यान रखेंगे कि उनके साथी उन्हें छू ना पाए। जो बिना साथी के छुए रुमाल वापस ले जाएगा वह खेल में जीतेगा।

- **रंग का खेल (Colour Game):**

  बच्चों में रंग की पहचान को कला के माध्यम से बढ़ा सकते है। जैसे-लाल रंग की अँगुली को हिलाओ, पीले रंग वाली अँगुली को मोड़ो आदि।

भाषा सिखाना (Teaching Language) :

- **बीन बैग खेल (Been bag game):**

  बच्चों को गोले में बैठाकर उनके आयु तथा स्तर के अनुसार प्रश्न पूछे जाएँगे। इसका उत्तर बताने के लिए किसी एक बच्चे के पास गेम/बीन बैग फेंका जाएगा। इसी प्रकार अन्य प्रश्न पूछे जाएँगे।

- **सोमू बोलेगा (Simon says):**

  बच्चों को निर्देश दिए जाएँगे जैसे-'अपनी किताब लाओ', 'आँखे बंद करो', 'अपना नाम लिखो', आदि। उन्हें निर्देश का पालन तभी करना है जबकि उस निर्देश के ठीक पहले 'सोमू बोलेगा' (simon says) बोला जाए।

- **संगीत खेल (Musical game):**

  चित्रों को कार्ड कर फर्श पर रखें, जैसे-घड़ी, घण्टी, टेलिफोन, आदि। इनकी ध्वनि को बजाए तथा धुन बजने के बाद बच्चों को सही चित्र पर खड़ा होने के लिए कहें।

- **कहानी गढ़ना (Creating a story):**

  शिक्षक किसी कहानी की शुरूआत पहले वाक्य से करेंगें, जैसे-एक चिड़िया थी, इसके बाद शिक्षक बच्चों से कहेंगे कि हाँ के लिए सिर हिलाना है/ हाँ करना है। इस प्रकार कहानी आगे बढ़ेगी।

- **काल्पनिक कहानियाँ (Imaginative stories):**

  बच्चे को परिचित वस्तुओं के बारे में कम से कम तीन वाक्यों में कहानियाँ कहने के लिए कहें, जैसे-जूते, मोजे, साईकिल, आदि। अपने को जूता समझकर कहानी कहें। बच्चे बताएँगे के आप क्या है, जैसे-'मेरे पास सुंदर बक्कल है', 'आज जब में रैक में सो रहा था तब राजू ने रैक खोला, बल्ब जलाया और इसके बाद अपने पैर मुझमें डाले, बच्चों बताओ कि मैं कौन हूँ?' बच्चे - जूता।

  इस तरह से अन्य वस्तुएँ जैसे-शर्ट, मोजा, ब्रश आदि के बारे में भी कहानी कहेंगे।

- **देखो और बताओ (Peek pictures):**

  जूते के डिब्बे के एक कोने पर छेद बनाइए। उसमें चित्र रखकर बच्चे से उस चित्र के बारे में बताने के लिए कहिए।

- **खजाना ढूँढो (Treasure hunt):**

  कमरे में कोई वस्तु छिपा दें तथा बच्चे को वस्तु ढूँढने के लिए मौखिक निर्देश दें जैसे-पाँच कदम आगे जाओ उसके बाद तुम्हारे दाईं ओर लाल डिब्बा है।

- **मेरे कहने के अनुसार करो (Do what I say):**

  बच्चों को गोला बनाकर खड़ा करें। चाहे आप या कोई बच्चा बीच में खड़ा हो जाए तथा कोई क्रिया करें जैसे-सिर को छूना, नीचे झुकना, लेकिन कुछ और कहिए जैसे-पढ़ो, नहाओ, आदि। बच्चों को कहें कि वे उस क्रिया को करें जिसे आप बोल रहें हैं न कि उस क्रिया को जिसे आप कर रहें हैं। जो बच्चा ऐसा नहीं कर पाएगा वह खेल से बाहर हो जाएगा।

- **चलो चिड़िया उड़ाएँ (Let us fly the bird) :**

  बच्चों को गोले में खड़ा करो। जब कप्तान कहेगा तब सभी बच्चे हवा में अपना हाथ हिलाते हुए चिड़िया उड़ाएँगे। इस बीच कोई और नाम लिया जाएगा जैसे-मछली तब अगर कोई बच्चा चिड़िया उड़ाएगा तो वह खेल से बाहर कर दिया जाएगा।

शिक्षण अधिगम सामग्री (Teaching Learning Materials- TLMs):

सामान्य बच्चों की भाँति ही विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे के शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शिक्षण अधिगम सामग्री तथा अधिगम उपकरण बहुत सहायक है। वास्तविक रूप में इन उपकरणों का प्रयोग तथा उपयोगिता विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों के लिए और अधिक व्यापक है। भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा कमीशन (1964-66) द्वारा रेखंकित किया गया है कि- ''शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए प्रत्येक विद्यालय में शिक्षण उपकरण उपलब्ध कराना अनिवार्य है। यह देश में एक शैक्षिक क्रांति लाएगा''।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एन.पी.ई. 1986) में विद्यालयों के लिए 'आपरेशन ब्लैकबोर्ड' योजना शुरू करने का प्रावधान किया गया जिसमे प्रत्येक विद्यालय को राज्य सरकार की ओर से एक अच्छा ब्लैकबोर्ड, नवीनतम् शिक्षण सामग्री तथा उपकरण जिसमें एक रेडियो तथा एक टेपरिकार्डर शामिल हैं, उपलब्ध कराया जाएगा।

बौद्धिक अक्षम व्यक्तियों को प्रशिक्षित करने के लिए विशेष शिक्षक को शिक्षण अधिगम सामग्रियों तथा शिक्षण उपकरणों का अधिकाधिक प्रयोग करना चाहिए।

''मुझे मेरी क्षमताओं के लिए जानिए,
अक्षमता के लिए नहीं।''

- राबर्ट एम. हेंसल

शिक्षण अधिगम सामग्रियों तथा शिक्षण उपकरणों में अंतर (Difference between Teaching Learning Materials and Teaching Aids)

क्र.सं.	शिक्षण अधिगम सामग्री	शिक्षण उपकरण
1.	शिक्षण अधिगम सामग्रियों को पाठ्यपुस्तक, हस्त पुस्तिका, पाठ नोट, लेक्चर नोट, संदर्भ अथवा संसाधन सामग्री के रूप में तैयार किया जा सकता है।	शिक्षण उपकरण को चार्ट, चित्र, मॉडल, ग्राफ, फिल्म स्ट्रिप्स, आदि के रूप में तैयार किया जाता है।
2.	यह कक्षा में शिक्षकों तथा विद्यार्थियों के उपयोग के लिए व्यवसाय विशेषज्ञों द्वारा तैयार किया जाता है।	इसे शिक्षक द्वारा कक्षा में प्रयोग करने के लिए विशेषज्ञों, शिक्षकों तथा बाहरी व्यवसायिक एजेन्सियों द्वारा तैयार किया जाता है।
3.	यह विद्यार्थी और शिक्षक द्वारा पढ़े जा रहे पाठ्यक्रम के वास्तविक विषयों से संबंधित होते है।	यह शिक्षक तथा छात्रों को शैक्षणिक तथा गैर-शैक्षणिक क्षेत्रों में शिक्षण तथा अधिगम में सहायता प्रदान करता है।
4.	यह शिक्षकों को कार्यक्रम योजना बनाने, उसके क्रियांवयन एवं मूल्यांकन में सहायता प्रदान करता है।	यह शिक्षक को व्यक्तिगत तथा सामूहिक स्तर पर शिक्षण नीति बनाने में सहायता प्रदान करता है।
5.	यह विद्यार्थियों को उनके स्व-अध्ययन में सहायता प्रदान करता है।	यहा कक्षा अधिगम को आसान तथा रोचक बनाता है एवं कक्षा में शिक्षण समय को बचाता है।

शिक्षण अधिगम सामग्री तथा उपकरणों का महत्व (Importance of Teaching Learning Materials and Teaching Aids)

शिक्षण तथा अधिगम के विषय में एक प्रचलित कहावत है जिसे एक विशेष शिक्षक को ध्यान में रखना चाहिए।

अगर मैं सुनता हूँ, तो मै भूल जाता हूँ
अगर मैं देखता हूँ तो मैं याद रखता हूँ
अगर मैं करता हूँ तो मैं समझता हूँ।

वास्तविक रूप में शिक्षण सामग्रियों तथा उपकरणों की आवश्यकता तथा महत्व को निम्न लाभों के द्वारा समझा जा सकता है :

- शिक्षण अधिगम सामग्रियों तथा उपकरणों के माध्यम से बच्चे आसानी से प्रेरित होते हैं।
- शिक्षण अधिगम सामग्रियों तथा उपकरणों के साथ वह कक्षा में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं।
- इन सामग्रियों तथा उपकरणों की सहायता से शिक्षक कार्य को प्रभावी रूप से संपादित कर सकता है।
- अर्थपूर्ण अधिगम के कारण बच्चे उत्साहित होते है।
- इन उपकरणों से प्राप्त उत्प्रेरकों के प्रति बच्चे अच्छी प्रतिक्रिया करते है तथा पाठ को अपेक्षाकृत लंबे समय तक याद रखते है।
- अमूर्त विचारों तथा अवधारणाओं को इन सामग्रियों के माध्यम से मूर्त रूप प्रदान किया जाता है तथा बच्चे इन अवधारणाओं के अधिगम से आनन्द प्राप्त करते है।

- इन सामग्रियों की सहायता से शिक्षक विद्यार्थियों के बड़े समूहों को शिक्षण प्रदान कर सकता है।
- शिक्षण सामग्री तथा उपकरण तथ्यों की व्याख्या प्रभावी रूप से करते है जिससे शिक्षक का समय तथा ऊर्जा बचती है।
- मनोवैज्ञानिक शोध दर्शाते है के शिक्षण सामग्री तथा उपकरण बहुसंवेदी अधिगम को बढ़ाते है जिसकी आवश्यकता बौद्धिक अक्षम बच्चों को होती है। यह पाया गया है कि

हम सीखते हैं :		**तथा हम याद रखते हैं :**	
01.0%	स्वाद द्वारा	20%	जो हम सुनते है।
01.5%	स्पर्श द्वारा	30%	जो हम देखते है।
03.5%	गंध द्वारा	50%	जो हम सुनते और देखते है।
11.0%	श्रवण द्वारा	80%	जो हम सुनते, देखते और करते है।
83.0%	दृष्टि द्वारा		

शिक्षण अधिगम सामग्री तथा उपकरण निर्माण के लिए दिशा-निर्देश :

1. कौशल विकास अथवा ज्ञानार्जन केवल शिक्षण अधिगम सामग्री/उपकरण के प्रयोग से ही नहीं प्राप्त किया जा सकता। बौद्धिक अक्षम व्यक्तियों की अन्य समस्याओं को भी शिक्षण अधिगम सामग्री के निर्माण के समय ध्यान देना चाहिए। अतः कौशलों के अधिगम में चिकित्सीय हस्तक्षेप का उपयोग भी करना चाहिए।
2. क्रियाओं का निष्पादन शिक्षण अधिगम सामग्री की सहायता से करने के पश्चात् इस पर छात्र की निर्भरता को चरणबद्ध रूप में कम किया जाना चाहिए।
3. सामग्री छात्र की आयु तथा कार्यात्मक स्तर के अनुसार होनी चाहिए। आयु के अनुसार अनुपयुक्त सामग्री छात्र की सामाजिक छवि को क्षति पहुँचाती है।
4. उपयोग की जाने वाली सामग्री छात्र की सृजनात्मकता को बढ़ाने वाली होनी चाहिए जो उसे क्रिया में आनन्द प्रदान कर सके।
5. शिक्षण अधिगम सामग्री सुंदर, मजबूत तथा टिकाऊ होनी चाहिए।
6. शिक्षण अधिगम सामग्री सस्ती होनी चाहिए जिससे निर्धन वर्ग के लोग भी इसे आसानी से प्राप्त कर सकें। इसके लिए हम घर में उपलब्ध अनुपयोगी सामग्रियों का इस्तेमाल शिक्षण अधिगम सामग्री बनाने में कर सकते हैं।
7. शिक्षण सामग्री इस प्रकार की होनी चाहिए जिससे उसे आसानी से रखा जा सके तथा एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जा सके।
8. शिक्षण अधिगम सामग्री हानिकारक नहीं होनी चाहिए। नुकीली वस्तुएँ, तेज धार वाली वस्तुएँ, जैसे-चाकू, आदि से बौद्धिक अक्षम बच्चे स्वयं अथवा अन्य को हानि पहुँचा सकते हैं।
9. शिक्षण अधिगम सामग्री विषाक्त पदार्थ से निर्मित नहीं होनी चाहिए जैसे-बाज़ार में मिलने वाले सस्ते खिलौने, आदि पर विषैले पेंट लगे होते हैं जो बच्चे के लिए नुकसानदेय साबित हो सकते हैं।
10. शिक्षण अधिगम सामग्री व्यक्ति के वातावरण में आसानी से उपलब्ध होनी चाहिए।
11. शिक्षण अधिगम सामग्री बहुपयोगी होनी चाहिए जिससे उसका प्रयोग कई कौशलों के शिक्षण में किया जा सके।

विशेष शिक्षक द्वारा कक्षा में उपयोग करने के लिए कई शिक्षण उपकरण होते है जो नीचे दिए गए हैं :-

दृश्य उपकरण (Visual Aids):

- ब्लैक बोर्ड
- चार्ट, चित्र
- मॉडल
- चलचित्र, फिल्म स्ट्रिप्स
- स्लाइड
- लेनेल ग्राफ
- बुलेटिन बोर्ड
- रेखा चित्र

दृश्य एवं श्रव्य उपकरण (Visual Auditory Aids):

- स्लाइड प्रोजेक्टर
- मैजिक लालटेन
- ओवर हैड प्रोजेक्टर
- इपिडायस्कोप
- फिल्म प्रोजेक्टर
- ग्रामोफोन
- रेडियो
- टेपरिकार्डर
- टेलिविजन
- विडियो कैसेट रिकार्डर /प्लेयर

क्रिया उपकरण (Action Aids):

- एक्वेरियम
- म्यूजियम
- बगीचा
- रसोई घर
- कार्यशाला
- प्रयोगशाला
- मेले
- प्रदर्शनी

विशेष शिक्षक द्वारा प्रयोग की जाने वाली शिक्षण अधिगम सामग्रियों के उदाहरण है- फ्लैशकार्ड, मोती, कंचे, पेगबोर्ड, क्रेयान, कलर, ड्राइंगशीट, खिलौने, आदि।

* * *

अध्याय

11

पठन कौशल

Reading Skills

'मुद्रित शब्द के परिणामस्वरूप छात्र द्वारा व्यक्त की गई क्रिया को पठन कौशल कहते हैं'। बौद्धिक अक्षम बच्चों को कार्यात्मक पठन कौशल सिखाए जाते हैं जिससे वे अपने दैनिक जीवन के क्रियाकलापों में आत्मनिर्भर हो सकें।

बौद्धिक अक्षम व्यक्तियों के लिए पठन कौशल के निम्न उद्देश्य हैं :

- **सुरक्षा के लिए पठन क्षमता का विकास** : इसके अंतर्गत खतरे के निशान, लेबल, निर्देश, आदि को पढ़ना आता है, जिससे बौद्धिक अक्षम व्यक्ति स्वयं को सुरक्षित रख सके।
- **सूचना तथा निर्देश का पालन करने के लिए पढ़ना** : इसके अंतर्गत समाचार पत्र, दूरभाष पुस्तिका, रोज़गार फार्म, आदि आते हैं।
- **मनोरंजन के लिए पढ़ना जैसे-** पत्रिकाएँ, कामिक्स, कहानी की किताबें, आदि।

सभी बौद्धिक अक्षम व्यक्ति इन सभी लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर सकते। इन लक्ष्यों की प्राप्ति उनके बौद्धिक स्तर, प्रभावी कार्यक्रम योजना निर्माण तथा नियमित अभ्यास पर निर्भर करती है।

कार्यात्मक पठन कौशल विकसित करने की विधियाँ निम्नलिखित हैं :

I. दृश्य विभेदन (Visual Discrimination)

1. चार अथवा पाँच अक्षर बच्चे के सामने रखें तथा प्रत्येक पंक्ति के समान अक्षरों पर निशान लगाने के लिए कहें।

(क)	म	त	(क)	ल

2. बच्चे को बड़े और छोटे अक्षरों का मिलान करने के लिए कहें।

क	थ
ग	घ
त	ख

ब	झ
ट	भ
ज	ठ

3. अक्षर बिंगो खेलें।

क	म	ल
क	ल	प
प	ह	श

4. स्टेंसिल्स, आदि के द्वारा बच्चों को अलग-अलग अक्षरों को ट्रेस करने के लिए कहें।
5. दिए गए समय में बच्चों को विशेष अक्षरों को ढूँढने के लिए कहें।
6. बच्चों के समक्ष अपूर्ण अक्षर प्रस्तुत करें तथा उसे पहचानने एवं पूरा करने के लिए कहें।
7. बच्चे को खोए हुए अक्षर को रिक्त स्थान में भरने के लिए कहें।
8. संगीतमय अक्षर प्रतिमा या प्रतिरूप बनाने का अभ्यास कराएँ।

II. श्रव्य (ध्वनि) विभेदन (Auditory Discrimination)

1. किसी शब्द को पढ़िए जैसे-'कल' इसके बाद बच्चों से कहिए की इससे मिलते हुए शब्दो के सुनने पर वह ताली बजाए जैसे- पल, चल, नल।
2. दो भिन्न ध्वनि यंत्रों को लें जैसे-घंटी, ड्रम। बच्चों के पीछे खड़े हो तथा यंत्रों से ध्वनि निकालें इसके बाद बच्चों को सही यंत्र को पहचानने के लिए कहें।
3. टेप रिकार्डर या कंप्यूटर की सहायता से बच्चों को सामान्य ध्वनियों की पहचान करने के लिए कहें जैसे-कार, प्रैशर कुकर, स्कूटर, आदि।
4. अधिक भिन्न ध्वनियों वाले अक्षरों को प्रारंभ में उच्चारित कराएँ।
5. ध्वनि को चित्र के साथ संबंधित कराएँ।
6. विभिन्न ध्वनियों को कागज़ के बड़े टुकड़ों पर लिखकर फर्श पर रखें तथा बच्चों को उस विशिष्ट ध्वनि से शुरू होने वाले शब्द को ढूँढने को कहें जैसे- 'य' ध्वनि से शुरू होने वाली सभी वस्तुओं को निकालने के लिए कहें। म्यूजिकल स्टैच्यू खेल खेलें।
7. खिलौनो तथा वस्तुओं वाला डिब्बा दें। बच्चों को 'य' ध्वनि से शुरू होने वाली सभी वस्तुओं को निकालने के लिए कहें।
8. बच्चों को समान ध्वनियों वाले शब्दों की सूची दें तथा शब्दों के समान दिखने वाले भाग पर गोल घेरा बनाने के लिए कहें जैसे-

   च(ल) प(ल) ज(ल)

9. छात्रों को 1 तथा 2 संख्या लिखा हुआ दो कार्ड दें। उन्हें बोले जाने वाले शब्द की विशिष्ट ध्वनि को सुनने के लिए कहें। इसके बाद वह 1 तथा 2 कार्ड दर्शाकर बताएँ कि वह ध्वनि शब्द के प्रारंभ में थी अथवा अंत में।
10. बच्चों को प्रारंभ अथवा अंत की ध्वनि को सुनकर संबंधित चित्रों को दिखाने के लिए कहें।

III. ध्वनि मिश्रण

1. छात्रों को कुछ विशिष्ट ध्वनियों को मिश्रित करने के लिए कहें जैसे-मल, मर आदि में क को जोड़े।
2. तीन अक्षरों का मिश्रण।
3. मात्रा।

IV. ज्ञानात्मक पठन

1. बच्चों को बिना शीर्षक की कहानियाँ पढ़ने के लिए दें तथा कहानी पढ़ने के बाद कहानी को उपयुक्त शीर्षक प्रदान करने के लिए कहें।
2. यह सुनिश्चित करें कि दी गई सामग्री में छात्रों के प्रयासों को आकलन द्वारा पता लगाया जा सके। इसके साथ ही यह बहुत कठिन नहीं होना चाहिए।
3. छात्रों को सही/गलत उत्तर देने हेतु लिखित वाक्यों की सूची दें जैसे-कौआ काले रंग का होता है। बिल्ली के तीन पैर होते है।
4. छात्रों को गलतीयुक्त लघु कहानियाँ दें तथा उसमें गलतियाँ पता करने के लिए कहें।
5. बच्चों को बिना शीर्षक की समाचार पत्र के लेख पढ़ने को कहें तथा दिए गए शीर्षकों के समूह से उपयुक्त शीर्षक का चयन करने के लिए कहें।
6. विद्यार्थियों से पढ़ी गई कहानी के बारे में चर्चा करें तथा उसके मूल विचार को पूछें।
7. कहानी पढ़ने के बाद बच्चों से संबंधित प्रश्न करें जिससे कहानी को याद किया जा सके।
8. कहानी से संबंधित तीन-चार वाक्य लिखें तथा उसे कहानी के क्रम में लिखने के लिए कहें।
9. कागज़ पर निर्देश लिखकर वितरित करें तथा छात्रों को निर्देशों का पालन करने के लिए कहें।
10. रेडियो अथवा टी.वी. पर आने वाले संदेशों को चुने तथा बच्चों से उसके गुणों के बारे में चर्चा करें।

* * *

अध्याय 12

लेखन कौशल
Writing Skills

लेखन पूर्व कौशल (Pre-writing Skills):

लेखन भाषा संप्रेषण का एक जटिल रूप है। चिन्हों के दृश्य तंत्र को विचारों तथा सूचनाओं के आदान-प्रदान के लिए तथा अभिलेखीकरण के लिए प्रयोग किया जाता है।

लेखन कौशल को सीखना पेंसिल पकड़ने तथा अक्षरों अथवा संख्याओं के चिन्ह बनाने जैसा आसान नहीं होता है। यह एक जटिल क्रिया है जिसमें विभिन्न संवेदी, गामक, बौद्धिक तथा प्रत्यक्षीकरण क्रियाओं का समावेश होता है।

लेखन के समय निम्न क्रियाएँ घटित होती है:

- स्थूल गामक - पेन पकड़ना,
- सूक्ष्म गामक,
- स्थिति,
- संवेदना,
- दिशा ज्ञान,
- शारीरिक ज्ञान,
- आँख व हाथ का समन्वय,
- आकृति तथा आकार का मिलान,
- दृश्य गामक प्रत्यक्षीकरण,
- अक्षरों की दृश्य स्मृति।

3 से 4 वर्ष की आयु में बच्चे में लेखन पूर्व कौशलों का विकास होता है। इसके लिए अधिक तैयारी की आवश्यकता होती है। पूर्व-लेखन कौशलों के अंतर्गत बच्चे को निम्न क्रियाएँ सिखाया जाना आवश्यक है :-

- सही प्रकार से बैठना।
- पेंसिल/क्रेयान को सही स्थिति में पकड़ना।
- पन्ने पर निशान बनाना।

- स्क्रिबलिंग।
- सीमा रेखा के भीतर रंग भरना।
- रेखाओं तथा गोल आकृतियों पर पेंसिल चलाना।
- रेखा पर अँगुली/ छोटी कार चलाना।
- अँगुली में रंग लगाकर सीधी तथा तिरछी रेखाएँ बनाना।
- दो बिन्दुओं को जोड़कर रेखा बनाना।
- रेखाओं के मध्य रंग भरना।
- पतली रेखाओं के बीच रेखा बनाना।
- स्टेंसिल का प्रयोग करना।
- रेखाओं पर पेंसिल चलाना।
- बिन्दुओं को जोड़कर रेखा बनाना।
- चित्र बनाना।
- साधारण आकृतियों की नकल करना।
- संख्याओं तथा अक्षरों पर कलम चलाना।
- साधारण आकृति को पूरा करना।
- जटिल आकृति को पूरा करना।
- अक्षरों की नकल करना।
- अक्षरों को लिखना।

लेखन कौशलों का विकास

बौद्धिक अक्षम बच्चों को कार्यात्मक लेखन कौशलों के द्वारा प्रशिक्षण दिया जाता है। इसके अंतर्गत बच्चे का नाम, अभिभावकों का नाम, पता, पत्र तथा कार्यात्मक शब्दों को लिखने के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है। लेखन कौशल के प्रशिक्षण की विधियाँ निम्नलिखित हैं:

1. **ट्रेसिंग -** बच्चे को शब्द के ऊपर कलम चलाने का प्रशिक्षण दिया जाता है। इसके लिए पहले रेत, आदि पर शब्द लिखकर उसे अँगुली फेरने के लिए कह सकते हैं।
2. **बिन्दुओं को मिलाना -** बच्चे को बिन्दुओं को मिलाकर शब्द लिखने के लिए कहा जाएगा। आरंभ में सफल होने पर बिन्दुओं की संख्या कम की जाती है तथा उनकी दूरी को बढ़ाया जाता है।
3. **नकल करके लिखना -** लिखे हुए शब्द को देखकर लिखना।
4. **याद करके लिखना -** शब्द को याद करके लिखना।

यदि बच्चा शब्द को याद करके नहीं लिख पाता है तो उसे अभ्यास कराने के लिए रिक्त स्थानों को पूरा करने के लिए दे सकते हैं।

* * *

अध्याय 13

गणितीय कौशल
Arithmetic Skills

आधारभूत गणितीय कौशलों में पर्याप्त कुशलता प्राप्त करने से पूर्व बच्चे को गणितीय प्रक्रियाओं से संबंधित कौशलों में निपुणता हासिल करना आवश्यक है।

इसके लिए बच्चा :

- विभिन्न आकार, मात्रा, आदि में भेद कर सके ।
- एक से एक अनुरूपता (one to one correspondence) को समझ सके।
- गिनती को याद कर गिन सके।
- अर्थपूर्ण गिनती गिन सके।
- 1 से 10 तक के चिन्हों को क्रम से बता सके।

क्या बच्चे ने पूर्वाकांक्षित गणितीय उपलब्धियों में निपुणता हासिल कर ली है ? क्या बच्चा विभिन्न आकृति, आकार तथा मात्राओं में भेद कर सकता है ?

गतिविधियाँ (Activities):

1. गत्ते में से गोल, चौकोन, त्रिकोण आकृतियों काटें तथा बच्चे को रिक्त स्थान से सही आकृति को मिलान करने को कहें।
2. बच्चों की विभिन्न आकार के बटन, पेंसिल, कील तथा कागज़ के टुकड़े दें। यह सुनिश्चित करें कि दी गई सामग्री आकार के अतिरिक्त अन्य मामलों में एक-सी होनी चाहिए। बच्चों को आकार के आधार पर क्रम से वस्तुओं को व्यवस्थित करने के लिए कहें।
3. बच्चे को कमरे के अंदर से सभी गोल वस्तुओं को ढूँढने के लिए कहें। सबसे अधिक वस्तुएँ ढूँढने की प्रतियोगिता कराई जा सकती है।
4. बच्चे को विभिन्न प्रकार के बर्तन तथा ढक्कन दें एवं सही ढक्कन को बर्तन में लगाने के लिए कहें।
5. बच्चों को साधारण आकार वाली पहेलियाँ दें।
6. विभिन्न आकार के कार्ड तथा लिफाफे दें तथा कार्ड का उपयुक्त स्थान दर्शाएँ।
7. कागज़ पर भिन्न आकार की आकृतियाँ बनाए तथा बच्चे से सबसे बड़ी व सबसे छोटी आकृति पहचानने के लिए कहें।

क्या बच्चा एक से एक अनुरूपता (one to one correspondence) को समझ सकता है ? अर्थात् देखी गई प्रत्येक वस्तु का मिलान देखी अथवा अनदेखी अन्य वस्तु से करना।

गतिविधियाँ :

1. बच्चे को ऐसे कार्य करने के लिए कहें जिसमें एक से एक संबंध की आवश्यकता हो जैसे-कक्षा के प्रत्येक छात्र को कागज़, पेंसिल, पुस्तकें आदि वितरित करना।
2. अपूर्ण चित्रों को पूरा करने हेतु कार्यतालिका दें। उदाहरण के लिए कुत्ते की पूँछ बनाएँ, मकान की छत बनाएँ।
3. बच्चे को घंटी बजाने पर संख्या को गिनने के लिए कहें।
4. समान वस्तु और समूहों का मिलान करने हेतु कार्यपुस्तिका दें। बच्चा समान मात्रा की संख्याओं वाले समूहों को रेखा बनाकर मिलान करेगा।
5. एक से एक अनुरूपता में वृद्धि हेतु प्रायोगिक क्रियाएँ कराएँ जैसे-समूह के सदस्यों हेतु पर्याप्त फल उपलब्ध है अथवा नहीं।
6. बटन पट्टी को बटन छिद्र के साथ मिलान करें।
7. बच्चों से संख्यात्मक प्रश्न पूछें तथा उसका उत्तर देने के लिए कहें जैसे-तुम्हारे हाथों मे कितनी अँगुलियाँ है? तुम्हारे कमरे में कितनी खिड़कियाँ है?
8. बच्चों को धागे से पतंग, तने से फूल, आदि मिलान करने के लिए कहें।

क्या बच्चे को गणना करने में समस्या आ रही है? (अर्थपूर्ण याद करने में)

1. बच्चों को कविताओं के माध्यम से 1 से 10 तक की गिनती सिखाएँ।
2. बच्चों को गणना के साथ गामक प्रतिक्रिया करने के लिए कहें। लकड़ी के गुटकों को मिनार बनाते समय गिनना, मनके पिरोते समय उनकी गणना करना।
3. बच्चे को अबेकस का उपयोग करना सिखाएँ।
4. बच्चों को गामक क्रियाओं के माध्यम से गिनती करना सिखाएँ, जैसे- चार बार ताली बजाओ, दो बार उछलो, आदि।
5. अभ्यास पुस्तिका में रिक्त स्थानों में उपयुक्त संख्या भरें।
6. बिन्दु पहेली दें जिसमें संख्यात्मक बिन्दुओं को मिलाकर चित्र बनाया जा सके।
7. बच्चे को गेंद उछालते हुए अथवा शांतिपूर्वक गणना करने को कहें तथा सही संख्या बताने के लिए कहें।

क्या बच्चा संख्या के अनुसार चिन्हों को बता सकता है ?

1. वस्तुओं जैसे-सेब आदि को एक रेखा में बनाए तथा विद्यार्थी से लिखी हुई संख्या के अनुसार गणना कर चित्रों पर (X) चिन्ह लगाने के लिए कहें ।
2. पाकेट चार्ट अथवा फेल्ट बोर्ड में दी गई संख्या को वस्तुओं के समूह से मिलान करने के लिए कहें।
3. मौसम आधारित पहेलियाँ बनाइए जिसमें संख्या संकेत दिए जा सकें, जैसे-क्रिसमस अथवा दिवाली उत्सवों की। बच्चे वस्तुओं को गिनकर पहेली में उनके संख्यात्मक टुकड़ों को गिने तथा संबंधित संख्या के साथ मिलान करें।

4. 1 से 10 तक की वस्तुओं का समूह बनाएँ तथा उसके सम्मुख कई संख्याएँ लिखें तथा बच्चे को सही संख्या पर गोल घेरा बनाने के लिए कहें।
5. संख्या पहचान हेतु कई खानों वाली आकृति बनाएँ। प्रत्येक खाने में संख्या तथा उसके अनुसार विशेष रंग भरें। बच्चे को शेष खानों में समान संख्या के अनुसार रंग भरने के लिए कहें।

संख्याओं के नाम एवं समूहों को क्रमबद्ध करनाः

1. बच्चों को समूहों के अंतर्गत संख्या के आधार पर समानता को चिन्हित करने के लिए प्रेरित करें, जैसे- पशु, फल, सब्जियाँ, आदि।
2. विशिष्ट मानदण्डों के आधार पर समूह निर्धारित करना, जैसे- रंग, आकार, आकृति, मात्रा, आदि।
3. पुराने कैलेण्डर में से संख्याएँ काट कर कार्ड बोर्ड पर रखें तथा बच्चों को उन्हें निश्चित क्रम में व्यवस्थित करने के लिए कहें।

स्थानीय मान (Place value)

1. कार्यपुस्तिका में तीन कॉलम बनाइए। दाएँ कालम पर इकाई, मध्य पर दहाई तथा बाएँ कॉलम पर सैकड़ा अंकित करें। बच्चे को विभिन्न संख्याएँ, जैसे- 130, 28, 497, 517, 105 को लिखने दें। उनसे सही कॉलम में संख्याओं को लिखने के लिए कहें।
2. गत्ते के 30 टुकड़ों को काटें तथा लिखें। प्रत्येक संख्या के 3 कार्ड बनाएँ पहले समूह की प्रत्येक संख्या के नीचे इकाई दूसरे समूह के नीचे दहाई तथा तीसरे के नीचे सैकड़ा लिखें। प्रत्येक बच्चे को एक कार्ड दें। अब संख्या बोलें जैसे- 238 तथा उपयुक्त कार्ड वाले बच्चों को आगे आने के लिए कहें तथा उन्हें सही क्रम में खड़े होने के लिए कहें। सही संख्या जानने के लिए बच्चों के कपड़े पर थर्माकोल अथवा स्टार्स के स्टीकर लगाएँ।
3. कार्ड के समूह बनाएँ। बच्चे को कार्ड पर बनी हुई रेखाओं को गिनकर संख्या बताने के लिए 1 कार्ड के पीछे उस संख्या को भी लिखें।
4. 0 से 9 तक की संख्या के कार्ड का समूह बनाएँ। एक बोर्ड में 03 हुक लगाएँ तथा उनके सामने सैकड़ा, दहाई तथा इकाई लिखें। कोई संख्या बोलें तथा बच्चे को हुक्स मे सही संख्या लगाने के लिए कहें।
5. वाक्य बनाएँ जैसे - मैं एक ऐसी संख्या जानता हूँ जिसमें दो दहाई और चार इकाई होती है।
6. बच्चों से प्रश्न करें जैसे-352 में 5 का स्थानीय मान क्या हे?
7. संख्याओं का मान तीलियों का समूह बनाकर बताएँ, जैसे- दस तीलियों के तीन समूह तथा सात तीलियाँ मिलकर 37 संख्या बनाएँगी।

छोटे छात्रों हेतु गणितीय क्रियाएँ :

1. अपनी अँगुलियों की सहायता से जोड़ तथा घटा के प्रश्नों को हल कराएँ।
2. मूर्त अनुभव प्रदान करें। छड़ी, कंचे, ढक्कन, बटन, आदि का प्रयोग करें।
3. कार्य अभ्यास पुस्तिका बनाएँ। बिन्दु, गोल, रेखा का प्रयोग संख्या समूहों के लिए करें। बच्चे को रिक्त स्थान में सही संख्या भरने के लिए कहें।

4. जोड़ क्रियाओं के पुनर्बलन हेतु चक्र का प्रयोग किया जाता है। क्रिया को आसानीपूर्वक घटाना, गुणा तथा भाग के लिए भी प्रयोग में लाया जा सकता है।
5. प्रत्येक बच्चे को एक कार्ड दें जिसमें 1 से 20 तक की संख्याएँ लिखी हों। विभिन्न प्रश्न दें जैसे- 7+5। बच्चा अपना सही उत्तर वाला कार्ड दिखाएगा।
6. कार्ड अभ्यास बनाइए।
7. विभिन्न संख्याओं की कार्य पुस्तिका बनाएँ। छात्रों से कहें कि किन्ही दो क्रम वाली संख्याओं पर गोला बनाएँ जिसका योग 12 हो।
8. बच्चों के छोटे समूह हेतु बिन्गो खेल के माध्यम से सिखाएँ। उन्हें कार्ड दें। उन्हें विभिन्न प्रश्न दें, जैसे- 5+6, 7-3 आदि। उपयुक्त संख्या कार्ड निकालने के लिए कहें।
9. विभिन्न खानों की कार्य अभ्यास बनाएँ। निचले खाने में कोई संख्या लिखें। बच्चों को विभिन्न संख्याओं के योग को खानों में लिखने के लिए कहें।
10. जोड़ तथा घटाना सिखाने हेतु सर्वप्रथम मूर्त वस्तुओं का उपयोग करें। फिर चित्र तथा अंत में अमूर्त वस्तुओं का उपयोग करें।

* * *

"मेरी अक्षमता ने मेरी वास्तविक क्षमताओं के देखने के लिए मेरी आँखे खोल दी।"

- राबर्ट एम. हेंसल

अध्याय

14

पाठ्यक्रम
Curriculum

1. पाठ्यक्रम- स्त्रोत और परिभाषा (Curriculum - Source and Definition) :

पाठ्यक्रम (curriculum) की उत्पति लैटिन भाषा के 'करस' (currus) शब्द से हुई है जिसका मतलब 'रथ मार्ग या रास्ता' है। अंग्रेजी में इसे कोर्स (course) कहते है। हिन्दी या संस्कृत में इसे 'कार्य्रकम' कहा गया है जिसका तात्पर्य एक व्यक्ति अथवा समूह द्वारा हाथ में लिया गया कार्य एक निश्चित समयावधी में पूरा करना है। अतः पाठ्यक्रम वह विषय-वस्तु है जो एक निश्चित समयावधि में एक लक्ष्य को सामने रखकर तैयार की जाती है।

सामान्य तौर पर पाठ्यक्रम का अर्थ विभिन्न क्रियाकलाप और अधिगम अनुभवों (Learning Experiences) को क्रियांवित करना है जिससे विद्यार्थी को वर्तमान और भविष्य में लाभ मिल सके।

प्रो. जे.एफ. केर के अनुसार, 'वह सभी अधिगम कार्य्रकम जो पूर्व निर्धारित एवं शिक्षक द्वारा निर्देशित हो तथा जिन्हें समूह में या व्यक्तिगत रूप से विद्यालय मे अथवा विद्दालय के बाहर क्रियांवित किया जाए पाठ्यक्रम कहलाता है।'

प्रो. विलियम ई. डेविस के अनुसार, 'सुसंगठित निर्देशात्मक विषयवस्तु और विद्यार्थी को दी जाने वाली संबंधित क्रियाकलाप अर्थपूर्ण अधिगम अनुभव के साथ हो तो उसे पाठ्य्रकम कहते है।'

एक अन्य परिभाषा में प्रो कनिंघम कहते है कि, 'पाठ्यक्रम काश्तकार (शिक्षक) के हाथ का वह औजार है जिससे वह अपनी सामग्री (विद्यार्थी) को अपनी प्रयोगशाला (विद्यालय) में अपने आदर्शो के अनुसार ढालता है।

2. पाठ्यक्रम का उद्देश्य (Objectives of Curriculum) :

पाठ्यक्रम शिक्षक के हाथ का औजार है जिससे वह विद्यार्थी के अंदर विद्यमान गुणों को बाहर निकालता है। पाठ्यक्रम समाज में रहने के लिए आवश्यक गुणों अथवा कौशलों को अधिगम वातावरण, अधिगम सामग्री एवं शैक्षणिक विधियों के द्वारा विकसित करता है। विशेष बच्चों के लिए विशेष पाठ्यक्रम बनाया जाता है जो उसकी विशेष आवश्यकता को व्यक्तिगत रूप से पूरा करता है। इसे ही 'कार्यात्मक पाठ्यक्रम' कहते है। इस प्रकार के पाठ्यक्रम का उद्देश्य बौद्धिक अक्षम बच्चों के योगीकरण (हेबिलिटेशन) और पुनर्वास (रिहेबिलिटेशन) में मदद करना है। ऐसा पाठ्यक्रम उन्हें रोजमर्रा के कौशलों में और अधिक आत्मनिर्भर बनने में धीरे-धीरे सहायता करता है।

अतः नियामित बच्चों का पाठ्यक्रम और विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों का पाठ्यक्रम एक नहीं हो सकता। नियमित विद्यालयों के पाठ्यक्रम का उद्देश्य बच्चों का सर्वांगीण विकास करना एवं उन्हें एक अच्छा नागरिक बनाना होता है जबकि विशेष विद्यालयों के पाठ्यक्रम का उद्देश्य बच्चों में व्यवसायिक कौशलों को बढ़ाना है जिससे जीवन में वह कार्यात्मक रूप से आत्मनिर्भर हो सके।

3. पाठ्यक्रम विकास के सिद्धांत (Principles of Curriculum Development) :

ज्ञान और सूचना के क्षेत्र में धीरे-धीरे क्रांति आ रही है। हर पल नई खोज हो रही है। अतः पाठ्यक्रम भी बदलता रहता है, वह स्थिर नहीं रह सकता। पाठ्यक्रम आधुनिक विज्ञान और तकनीक को पढ़ाने और सीखने की प्रक्रिया है। तकनीक की गुणवता और निर्देश के साधनों में निरंतर सुधार हो रहा है। पाठ्यक्रम के सभी पहलू जैसे- लक्ष्य, विशिष्ट लक्ष्य, विषय-वस्तु, विधि, सामग्री, परीक्षण, मूल्यांकन आदि में परिवर्तन होता रहता है। अतः आवश्यक है कि यह योजनाबद्ध हो, क्रियांन्वित हो, तथा समय-समय पर इसमें संशोधन होता रहे।

1. **पाठ्यक्रम लक्ष्य निर्धारित होने चाहिए** - जब तक लक्ष्य निर्धारित न हो तब तक पाठ्यक्रम का विकास और क्रियांवयन नहीं हो सकता। उदाहरण के लिए : सामान्य पाठ्यक्रम में विद्यार्थी को विभिन्न क्षेत्रों से सूचना देनी होती है। अतः पाठ्यक्रम विषय-वस्तु पर आधारित होगा। अगर कार्य्रकम बौद्धिक अक्षम बच्चे के लिए बनाना हो तो यह लक्ष्य विशिष्ट व्यवहार या कौशल पर केन्द्रित होगा। अतः पाठ्यक्रम कौशल आधारित या क्रियाकलाप आधारित होना चाहिए। लक्ष्य निर्धारित करता है कि पाठ्यक्रम कैसा आकार लेगा।

2. **पाठ्यक्रम का आयु के उपयुक्त होना चाहिए** - सीखने वाले की आयु के अनुसार पाठ्यक्रम का ढाँचा भी बदलता जाता है। जो विषय वस्तु किंडर गार्टन (K.G.) के लिए होगी वह प्राथमिक अथवा माध्यमिक स्तर के विषयवस्तु से काफी आसान होगी क्योंकि उच्च कक्षाओं के लिए जो विषय पढ़ाते है उससे K.G. के विषय आयु की तुलना में अधिक उपयुक्त होते है। अगर ऐसा नहीं हो तो सीखना यह एक कटु अनुभव बन जाता है और असफलता की मात्रा भी बढ़ जाती है। अतः यह सीखने वाले की नहीं वरन् पाठ्यक्रम की कमी है। बौद्धिक अक्षम बच्चों के लिए पाठ्यक्रम बनाते समय उम्र का ध्यान रखना अत्यंत आवश्यक हो जाता है। जो बौद्धिक अक्षम बच्चे 12 वर्ष से छोटे हैं उन्हें आवश्यक गामक कौशल, स्व-सहायता और सामाजिक कौशलों के पाठ्यक्रम से लाभ मिलेगा और जो 13 से 16 वर्ष के बीच है उन्हें संप्रेषण कौशल, संज्ञानात्मक कौशल तथा पूर्व-व्यवसायिक कौशलों से लाभ मिलेगा।

3. **पाठ्यक्रम को आवश्यकतानुसार होना चाहिए** - हर विद्यार्थी की आवश्यकताएँ तथा क्षमताएँ अलग-अलग होती है जिन्हें पूर्ण करने तथा बढ़ाने का प्रयत्न पाठ्यक्रम द्वारा अलग-अलग अनुभव देकर किया जाता है। हर विद्यार्थी की व्यक्तिगत, सामाजिक, व्यवसायिक जरूरतें होती है। यह सिद्धांत बौद्धिक अक्षम बच्चों पर ज्यादा लागू होता है। हर विद्यार्थी को व्यक्तिगत प्रशिक्षण कार्य्रकम के द्वारा प्रशिक्षण दिया जाता है जिसे उसकी जरूरतों को और कमियों को ध्यान में रखकर बनाया जाता है।

4. **पाठ्यक्रम स्तर के अनुरूप होना चाहिए** - पाठ्य्रकम विद्यार्थियों के स्तर के अनुरूप होना चाहिए। सामान्य पाठशाला में किसी भी विषय की विषय वस्तु बच्चों के स्तर के अनुरूप होगी उदाहरण के लिए, प्राथमिक स्तर का गणित माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तर के गणित से आसान होगी। इस सिद्धांत को बौद्धिक अक्षम बच्चों के लिए व्यक्तिगत प्रशिक्षण कार्यक्रम बनाते हुए प्रयोग करना चाहिए। अतः बच्चे का स्तर का पता लगाना आवश्यक है।

5. **पाठ्यक्रम को अद्यावत होना चाहिए** - आज के युग में विशेष शिक्षा में कई नए सिद्धांत सामने आ रहे है। इन नई तकनीकों को, नए विषय वस्तुओं को, नई सामग्रियों को तथा प्रशिक्षण और मूल्यांकन की नई तकनीकों को पाठ्यक्रम में शामिल करते रहना चाहिए। शिक्षकों को कक्षा में अद्यावत अधिगम वातावरण तथा कार्यक्रम प्रदान करने का प्रयत्न करना चाहिए।

6. **पाठ्यक्रम सृजनात्मकता बढ़ाने वाला होना चाहिए** - पाठ्यक्रम को ऐसा होना चाहिए जो बच्चों की कल्पनाशीलता और सृजनात्मकता को बढ़ावा दे। बौद्धिक अक्षम बच्चों की सृजनात्मकता, कल्पनाशीलता को भी सही तरह से मार्गदर्शन दे कर बढ़ाया जा सकता है।

7. **पाठ्यक्रम का समाकलिन होना चाहिए** - पाठ्यक्रम का स्तर ऊपर व नीचे वाले, दोनों स्तरों के समरूप होना चाहिए ताकि अधिगम के अनुभव एक क्रम में हो सके। यह पाठ्यक्रम दैनिक क्रियाकलापों से संबंधित होना चाहिए अर्थात् क्रियात्मक (Functional) होना चाहिए ताकि वो बौद्धिक अक्षम बच्चों के पुर्नवास में मदद दे सके।

4. पाठ्यक्रम के प्रकार (Types of Curriculum) :

बौद्धिक अक्षम बच्चों का पाठ्यक्रम एक समान नहीं होता क्योंकि बच्चों के अलग-अलग स्तर होते है। जैसे-जैसे बच्चों की आवश्यकता बदलती जाती है वैसे-वैसे पाठ्यक्रम की विषयवस्तु भी बदलती जाती है।

पाठ्यक्रम के 3 प्रकार होते है -

1. विकास पर केंद्रित पाठ्यक्रम (Developmental Curriculum)
2. वातावरण पर केंद्रित पाठ्यक्रम (Ecological Curriculum)
3. कार्य पर केंद्रित पाठ्यक्रम (Activity Centre Curriculum)

1. **विकास पर केंद्रित पाठ्यक्रम** :- यह पाठ्यक्रम बच्चे के शारीरिक व मानसिक विकास, रूचियों एवं अभिवृत्ति को ध्यान में रखता है। जिस व्यक्ति के लिए यह बनाया जा रहा है उसकी क्षमताओं व सीमाओं को ध्यान में रखा जाता है। शिक्षक की जिम्मेदारी है कि वह बच्चे की विशेष आवश्यकताओं, कौशल में कमियों को व विशेष कौशल व गुणों को ढूँढ निकाले व कार्यक्रम में उनका समावेश करें।

विकास पर केंद्रित पाठ्यक्रम के मुख्य बिन्दु :-

- **आधार** - यह बच्चे के शारीरिक व मानसिक विकास से संबंधित होता है तथा बच्चे के विकासात्मक धीमापन से जुड़ा होता है।
- **उद्देश्य** - इस कार्यक्रम का उद्देश्य है कि ऐसे कौशलों को और व्यवहारों को सिखाएँ जो बच्चों में नहीं है या उनमें कमी है।
- **विषय वस्तु** - अधिगम के अनुभव वे क्रियाकलाप होंगे जिनसे बच्चे का विकास होगा।
- **विधि** - शिक्षक को सिखाने, प्रशिक्षण व प्रबंधन की ऐसी विधियों को ढूँढना व अपनाना चाहिए जो कि बच्चे के विकास तथा पुर्नवास की जरूरतों को पूरा करें।
- **सामग्री** - शिक्षक को बच्चे की आवश्यकतानुसार सामग्री में फेरबदल करना चाहिए।

2. **वातावरण पर केंद्रित पाठ्यक्रम** :- कार्यक्रम बनाते समय वातावरण के तरीकों को ध्यान में लिया जाना है जिसका प्रभाव बच्चे की जिंदगी, व्यवहार, तथा पुर्नवास पर होता हो। प्राकृतिक, भौगोलिक, शहरी, ग्रामीण, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा व्यवसायिक कारक बच्चे पर प्रभाव डालते है।

   पाठ्यक्रम का एक उद्देश्य यह भी है कि बच्चे को समाज के प्रति उत्तरदायी बनाना। पाठ्यक्रम वर्तमान से जितना संबंधित है उतना अच्छा है। वर्तमान में वातावरण के जो कारक बच्चे पर प्रभाव डाल रहे हैं उन्ही को ध्यान में रखकर पाठ्यक्रम बनाना चाहिए। ऐसे सभी कारक जो व्यक्तिगत, सामाजिक और कक्षा की स्थिति तथा व्यवसायिक संभावना में पाए जाते हैं, उन्हें ध्यान में रखकर पाठ्यक्रम बनाना चाहिए।

वातावरण पर केन्द्रित पाठ्यक्रम के मुख्य बिन्दु :-

- **आधार** - इसका आधार वर्तमान अवस्थाएँ व वातावरण होता है जो कि घर, कक्षा व समाज में बच्चों पर प्रभाव डालती है।
- **उद्देश्य** - बच्चे को इस प्रकार प्रशिक्षण देना जिससे कि उसे वातावरण में सफलता मिलती रहे तथा उस वातावरण में वह अकेले रह सके।
- **विषय वस्तु** - अधिगम के अनुभव व क्रियाकलाप का समावेश होना चाहिए जो घर/विद्यालय समाज के संदर्भ में हों।
- **विधि** - सीखने हेतु ऐसी विधियों का चयन करें जिससे बच्चे का आत्मविश्वास बढ़े और वह वातावरण के बदलावों का सामना कर सके।
- **सामग्री** - वास्तविक जीवन की परिस्थितियों व वास्तिविक उपकरणों का प्रयोग होना चाहिए। उदाहरण : रसोई में, बर्तन आदि वस्तएँ, खेतों के उपकरण खेतों में, आदि।

3. **कार्य पर आधारित पाठ्यक्रम** : बच्चे के दैनिक जीवन के क्रियाकलापों (Activities of Daily Living) में कार्यात्मक स्तर (functional competence) को बढ़ाने के लिए कार्य पर केंद्रित पाठ्यक्रम होना चाहिए। दैनिक जीवन के क्रियाकलापों में स्वतंत्र रूप से कार्य करने से बच्चा आत्मनिर्भर बनता है।

कार्य पर आधारित पाठ्यक्रम के मुख्य बिन्दु :

- **आधार** - यह ऐसी सभी क्रियाओं पर आधारित है जो कि बच्चे को दिन से रात तक विद्यालय व घर में करनी होती है।
- **उद्देश्य** - इसका उद्देश्य यह है कि बच्चे को दैनिक जीवन में स्वतंत्र रूप से कार्य करना।
- **विषय वस्तु** - वह सभी दैनिक जीवन के क्रियाकलाप जो बच्चा दिन-भर करता है, कार्यक्रम के मुख्य विषयवस्तु होते है। बौद्धिक अक्षम बच्चों को जितना जल्दी प्रशिक्षण दे सकें उतना अच्छा है।
- **विधि** - शिक्षक को व्यवहारिक प्रशिक्षण की तकनीक का चयन करें जो कि बच्चे के दैनिक जीवन की कार्यात्मक कुशलताओं को बढ़ावा दें।
- **सामग्री** - वास्तविक चीजों का प्रयोग सिखाते समय करना चाहिए। जैसे - ब्रशिंग सिखाते समय वास्तविक ब्रश का प्रयोग करें। चार्ट, चित्र या मॉडल का प्रयोग ज़्यादा न करें।

यह ध्यान में रखना चाहिए कि कोई एक प्रकार का पाठ्यक्रम पर्याप्त नहीं हैं। बौद्धिक अक्षम बच्चों के लिए तीनों प्रकार अलग-अलग नहीं है बल्कि एक दूसरे से संबंधित है, इसलिए शिक्षक को तीनों पाठ्यक्रमों का समाकलित रूप प्रयोग करना चाहिए और ऐसा करते समय इन तीन कारकों को भी ध्यान में रखना चाहिए - विकास की वर्तमान स्थिति, वातावरण का वर्तमान दबाव तथा वर्तमान कार्य स्तर।

पाठ्यक्रम विकास के विभिन्न उपागम (Various approaches of Curriculum Development)

पाठ्यक्रम विकास एक विज्ञान एवं कला है। ऐसे 5 कारक जो कि पाठ्यक्रम विकास में सहायता देते है उन्हें किसी भी विशेष शिक्षक को ध्यान में रखना चाहिए:-

1. मुख्य लक्ष्यः इसमें बच्चा कार्य व पूरा जीवन लक्ष्य हो सकते है।
2. लक्ष्य के अनुसार उद्देश्य।
3. लक्ष्य के अनुसार निर्देश देने की विधियाँ।
4. ऐसे कौन से अधिगम अनुभव व विषयवस्तु जिन्हें सिखाकर हम लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं ?
5. ऐसी कौन-सी सामग्री है जो लक्ष्य प्राप्ति में आवश्यक है ?

पाठ्यक्रम निर्माण के लिए मुख्य केंद्र बिंदु निम्नलिखित है :-

1. बच्चे पर केन्द्रित पाठ्यक्रम (Child Centre Curriculum)
2. क्रियाकलाप पर केन्द्रित पाठ्यक्रम (Activity Centre Curriculum)
3. सर्वांगीण पाठ्यक्रम (Holistic Curriculum)

1. **बच्चे पर केन्द्रित पाठ्यक्रम -** इसमें सीखने व सिखाने का केन्द्र बिंदु बच्चा होता है। बच्चे की योग्यता एवं रूचियाँ कार्यक्रम बनाने व क्रियांवित करने के पूर्व पता होनी चाहिए। बच्चे का एक महत्वपूर्ण स्थान है और यही व्यक्तिगत शैक्षिक/निर्देशात्मक कार्यक्रम का आधार है। यह बौद्धिक अक्षम बच्चों के लिए उचित है।

मुख्य विशेषताएँ :

- **आधारः** प्रत्येक बच्चा विशिष्ट एवं अलग है। प्रत्येक बच्चे को उसकी रूचि, अभिवृत्ति, योग्यता के अनुसार ही सिखाना चाहिए। इस तरह के पाठ्यक्रम में किसी भी क्रिया से ज्यादा सीखने वाला महत्व रखता है।
- **उददेश्य** : इसका उद्देश्य बच्चे की कौशल कमियों को पूरा करना है।
- **विषयवस्तुः** उन सभी अधिगम अनुभवों को जो कि उसकी क्षमता व जरूरतों के अनुसार है, लिया जाता है।
- **विधि** : सीखने व सिखाने की ऐसी तकनीकों को शिक्षक जाने जो कि बच्चे की योग्यता, अभिवृत्ति व रूचि के अनुसार हो, उदाहरण के लिए - यदि बच्चे को खेल में रूचि है तो उसे खेल क्रियाओं के द्वारा सिखाया जाए।
- **सामग्री** : अधिगम सामग्री बच्चे की योग्यता, रूचि व आयु के अनुसार होनी चाहिए। उदाहरण - पिक्चर, चार्ट, मॉडल्स, आदि।

2. **क्रियाकलाप पर केन्द्रित पाठ्यक्रम** : इस योजना में किसी भी क्रिया का सीखने वाले व्यक्ति से ज्यादा महत्व होता है। यह सब क्रियाएँ बच्चे के अनुरूप होती है तथा इन्हें बोलकर, दिखाकर तथा वास्तविक अनुभवों के द्वारा कक्षा में तथा कक्षा के बाहर सिखाया जाता है। बार-बार अभ्यास के द्वारा कौशल को बनाए रखना चाहिए तथा उनका सामान्यीकरण किया जाना चाहिए।

मुख्य विशेषताएँ :

- **आधार** : यहाँ क्रिया तथा कौशल ज्यादा महत्वपूर्ण है तथा लगातार अभ्यास एवं पुर्नबलन देकर इन कौशलों का विकास किया जा सकता है।

- **उद्देश्य** : ऐसी कुशलताओं को सीखना जिससे कार्य स्तर में उन्नति हो सके।
- **विषयवस्तु** : कार्य व कौशलों के अनुसार ही अधिगम के अनुभव दिए जाते है। इन्हें एक क्रम में रख कर इनका कार्य विश्लेषण किया जाता है।
- **तकनीक** : सीखने की सभी तकनीक जैसे-कार्य विश्लेषण (task analysis) चेनिंग, मॉडलिंग, शेपिंग, तथा पुनर्बलन (reinforcement) का उपयोग करना चाहिए।
- **सामग्री** : सीखने की सामग्री पर्याप्त मात्रा में होनी चाहिए, जैसे-ब्लैक बोर्ड, चार्ट, पिक्चर्स, मॉडल्स, फलैश कार्ड, फील्ड ट्रिप्स, आदि।

3. **सर्वांगीण पाठ्यक्रम** : बच्चे की अभिवृत्ति, कुशलता, सामाजिक, आर्थिक व व्यवसायिक जरूरतों को ध्यान में रखकर यह पाठ्यक्रम बनाया जाता है ताकि बच्चा समाज के प्रति उत्तरदायी हो। बच्चा अपने वातावरण की उत्पत्ति है और उसे अपने वातावरण की माँगों को पूरा करना होता है। इस कारण उसके कौशल विकसित होने चाहिए। वह समाज का हिस्सा है और उसे समाज में समाकलित करना जरूरी है। इसलिए इस पाठ्यक्रम को जीवन केन्द्रित पाठ्यक्रम, समाकलित पाठ्यक्रम या विस्तृत पाठ्यक्रम भी कहा जाता है।

मुख्य विशेषताएँ :

- **आधार** : बच्चे का जीवन अपने पूरे वातावरण में समाकलित हो सके। ऐसा प्रशिक्षण देना चाहिए जिससे वह आत्मनिर्भर हो सके। वातावरण से पृथक करके प्रशिक्षण नहीं देना चाहिए।
- **उद्देश्य** : बच्चे में आत्मविश्वास तथा कुशलताओं का विकास करना इसका उद्देश्य है।
- **विषयवस्तु** : अधिगम के ऐसे अनुभव देने चाहिए जिससे उसका पूर्ण रूप से विकास हो सके तथा उसका सामाजिक, आर्थिक व व्यवसायिक वातावरण से समन्वय व पुर्नवसन हो सके।
- **विधि** : विभिन्न प्रकार की सीखने की विधियाँ प्रयोग में लानी चाहिए, जैसे-फील्ड ट्रिप्स, प्रोजेक्टस्, प्रदर्शनी आदि जिससे बच्चों को बाहरी दुनिया के बारे में जानने का मौका मिलें और उनका आत्मविश्वास बढ़े।
- **सामग्री** : विभिन्न प्रकार की सीखने की सामग्री का प्रयोग करना चाहिए जैसे - चित्र, चार्ट, मॉडल, फिल्म, फील्ड ट्रिप्स, आदि।

सारांश : किसी भी समूह या बच्चे के कार्यक्रम को बनाने में विशेष शिक्षक की मुख्य भूमिका होती है। कार्यक्रम बनाते समय पाठ्यक्रम विकास के विभिन्न सिद्धांत, उपागम (approaches), बच्चे की योग्यता, आदि को ध्यान में रखना चाहिए ताकि बच्चा कुशलताओं में वृद्धि कर सके।

पाठ्यक्रम को एक जैसे स्वरूप का उपयोग बौद्धिक अक्षम बच्चों के लिए नहीं करना चाहिए क्योंकि उनकी अपनी अलग-अलग विशेषताएँ व जरूरतें होती हैं। किसी भी विशेष विद्यालय में पाठ्यक्रम की योजना व क्रियांवयन विशेष शिक्षक व विशेषज्ञों की साझेदारी पर निर्भर करता है।

* * *

अध्याय 15

विभिन्न स्तरों के लिए पाठ्यक्रम का प्रारूप

Curriculum Outline at Various Levels

पाठ्यक्रम का अर्थ विगत वर्षो में उन सभी योजनाबद्ध क्रियाओं एवं अनुभवों से लगाया जाता है जो कि छात्रों को विद्यालय के दिशा-निर्देशों के तहत उपलब्ध है। यह एक क्रियात्मक एवं शैक्षणिक कार्यक्रम है जिसके द्वारा जीवन के आदर्शो, आकांक्षाओं एवं लक्ष्यों की प्राप्ति की जाती है।

चूँकि समाज में अधिकाधिक जटिलताएँ आती रहती है, अतः बौद्धिक अक्षम छात्रों की कुशलताओं में विस्तार आवश्यक है। पाठ्यक्रम में सभी क्रियात्मक तत्व आने चाहिए, जैसे :- स्वयं की देखरेख (self care), स्थूल गामक तथा सूक्ष्म गामक कौशल (gross motor & fine motor), भाषा तथा संप्रेषण (language & communication), शैक्षणिक एवं व्यवसायिक कौशल, घरेलू प्रबन्ध एवं जीवन कौशल (living skills) सामाजिक तथा फुर्सत के क्षणों के कौशल (social & leisure time skill) ।

बौद्धिक अक्षम बालकों हेतु शैक्षणिक कार्यक्रम को संगठित करने के कई तरीके है। अधिकतर विशेष विद्यालयों में निम्नलिखित प्रणालियाँ है:-

- पूर्व-विद्यालय कक्षाएँ,
- प्राथमिक कक्षाएँ,
- माध्यमिक/जूनियर हाई स्कूल कक्षाएँ,
- पूर्व-व्यवसायिक कक्षाएँ।

कई विद्यालयों में शिशु उद्दीपन (infant stimulation) कार्यक्रम की सुविधा भी प्रदान की गई है। शिशु उद्दीपन कार्यक्रम के अन्तर्गत बालक के ज्ञान एवं बौद्धिक विकास की आयु जन्म से तीन वर्ष के समय को केन्द्रित (focus) किया गया है जिसमें उन्हें उस दौरान बढ़ाया (encourage) जाता है।

1. पूर्व-विद्यालय कक्षाएँ (Pre-School Classes):

आरंभिक बाल्यकाल के वर्षो में कई प्रकार की जटिलताएँ बच्चों के बौद्धिक एवं सामाजिक विकास में बाधक होती है। पूर्व-विद्यालयी कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य बालक की पृष्ठभूमि के उन दोषों को दूर करता है जिनके कारण बालक में बौद्धिक अक्षम होती है।

कई पूर्व-विद्यालयी कक्षाएँ अल्प बौद्धिक अक्षम बच्चों के लिए उन एक जैसी समस्याओं का निवारण करती है जो कि उनमें तैयारी कौशल (readiness skills) तथा बाद के अधिगम में बाधा डालती है।

पूर्व-विद्यालय कक्षाएँ बौद्धिक अक्षम बच्चों के लिए बहुत नीचे के स्तर पर प्रशिक्षण आरंभ करती है जो कि 2 से 3 वर्षो तक चलता है। तैयारी कौशल (readiness skills) के अंतर्गत निम्न योग्यताएँ आती है -

- अध्यापक के समक्ष बैठना एवं ध्यान देना।
- श्रवण एवं दृष्टि उद्दीपक में अंतर करना।
- निर्देशों को ग्रहण करना।
- स्थूल गामक तथा सूक्ष्म गामक क्रियाओं (Gross & Fine Motor) के तालमेल में वृद्धि करना।
- भाषा का विकास करना।
- स्वयं की देख-रेख कौशलों (Self help skills) का विकास।
- समूह स्थिति में अपनी उम्र के साथियों के साथ अंतःक्रियाएँ करना।

पूर्व-विद्यालय स्तर बालकों के माता-पिता को उनकी शिक्षा के लिए तैयार कार्यक्रम में शामिल करने का भी अच्छा समय होता है। माता-पिता अपने बालकों के ज्ञानात्मक एवं मौखिक विकास में प्रभावपूर्ण अध्यापक साबित होकर अपने बालकों को उत्साहित/प्रेरित कर सकते हैं।

पूर्व-विद्यालयी ज्ञानात्मक कौशल (Pre-school Cognitive Skills): -

ज्ञानात्मक (Cognitive) विकास को बालक की आंतरिक मानसिक प्रक्रियाओं के रूप में व्याख्या की जाती है और बालक के निरीक्षण योग्य व्यवहार के रूप में परिभाषित किया गया है। व्यवहार संसार के विषय में जानकारी से संबंधित है। इसके अंतर्गत द्वारा बालक अपने वातावरण की जानकारी अपनी पाँच ज्ञानेन्द्रियों द्वारा करना, समस्या के समाधान के विषय में सोचने की योग्यता, आदि शामिल है। यह बालक एकीकरण एवं सामान्यीकरण की योग्यता तथा गत (Past) अनुभव से भविष्य के अनुभव की ओर उन्मुख होना है।

पियाजे (Piaget) ने संज्ञानात्मक विकास की चार अवस्थाएँ बताई है:-

- संवेदी गामक अवस्था (Sensory motor stage) - मानसिक आयु जन्म से 2 वर्ष।
- पूर्व क्रियात्मक अवस्था (Pre-operational stage) - मानसिक आयु 2 से 7 वर्ष।
- मूर्त क्रियात्मक अवस्था (Concreate operational stage) - मानसिक आयु 7 से 11 वर्ष।
- औपचारिक क्रियात्मक अवस्था (Formal operational stage) - मानसिक आयु 11 वर्ष से अधिक।

इनहेल्डर (Inhelder 1968) ने भी बौद्धिक अक्षमता की चार अवस्थाएँ बताई हैं :

- गहन बौद्धिक अक्षम (Severely Intellectual Disability) - संवेदी गामक बौद्धिकता । (sensory motor intelligence)
- मध्यम बौद्धिक अक्षम (Moderately Intellectual Disability) - पूर्व क्रियात्मक विचार । (pre-operational thought)

- अल्प बौद्धिक अक्षमता (Mild Intellectual Disability) - मूर्त क्रियात्मक । (concrete operation)
- सीमारेखित बौद्धिक अक्षमता (Borderline Intelligence) - औपचारिक विचार । (formal thought)

जब बौद्धिक अक्षम बालकों के पूर्व-विद्यालय स्तर के लिए प्रशिक्षण पाठ्यक्रम तैयार किया जाए तो निम्नलिखित मूलभूत तथ्यों को सम्मिलित किया जा सकता है :-

- बच्चे अपने से संबधित व्यक्तियों एवं वस्तुओं जो उनके आसपास है, से सीखते है। यह उनका प्रथम चरण है जहाँ से सूचनाएँ एकत्रित की जाती है। अतः बच्चों एवं उनके वातावरण में उत्साहित करने वाली प्रतिक्रियाएँ की जाए।
- बालकों को अनुभवों सहित सभी संवेदनाओं (senses) के प्रति प्रेरित/उत्साहित किया जाए। बालकों को नई स्थिति में सीखने हेतु एवं नई वस्तुओं के साथ तालमेल के लिए प्रेरित किया जाए।
- चूँकि बालकों को उनके वातावरण मे संसार का एकीकरण करने में कठिनाई होती है। अतः अध्यापक इस संबंध में उन्हें उद्दीपन (stimulation) प्रदान करें। बालकों को यह जानकारी दी जानी चाहिए कि वह अपने शरीर एवं अपनी प्रतिक्रियाओं को किस प्रकार नियंत्रण में रखें।
- कार्यक्रम के विकास का केन्द्र बालक की वास्तविक कार्यात्मक स्तर (functional level) के ऊपर ही केन्द्रित होना चाहिए। सामान्य स्थितियों का ज्ञान अध्यापक के द्वारा उचित हस्तक्षेप कार्यक्रम के द्वारा दिया जाना चाहिए।
- अध्यापन विधि/नीति निरंतर होनी चाहिए जो कि रचनात्मक एवं नियंत्रित हो। उद्देश्य निर्धारित करते समय ऐसी क्रियाओं में समय नष्ट नहीं किया जाना चाहिए जिनका बालक के वर्तमान वातावरण एवं आगे के जीवन में क्रियात्मक महत्व न हो। अधिगम में वृद्धि के लिए निम्नलिखित चरण प्रयोग में लाए जा सकते हैं :
- अध्यापक के द्वारा सिखाई गई वस्तु का क्या स्तर (level) है ?
- दो स्थितियों में वस्तु की स्पष्ट पहचान अथवा अन्तर करना।
- असमान छोटी बड़ी वस्तु में अन्तर को स्पष्ट करना।
- वस्तु के चित्र पर लेबल लगाना।
- दो वांछित स्थितियों में वस्तु को स्पष्ट करना।
- वस्तुओं के समूह में बड़ी वस्तुओ का अंतर करना।
- मुख्य कार्य की पहचान करना।
- मुख्य भागों की पहचान करना।
- अध्ययन संबंधी गुण।
- मौखिक नाम एवं संबंधित सूची।

पूर्व विद्यालयी ज्ञानात्मक पाठ्यक्रम विषय वस्तु (Pre-school cognitive curriculum content):

- स्वयं सेवी कौशल (Self Help Skills) : शरीर के अंग, नाम, लिंग, परिवार के सदस्य, आदि।
- सामान्य वस्तुएँ (Common object) : कपड़े, भोजन, फर्नीचर, खिलौने, डिश, बर्तन, पौधे, जानवर, आदि के नाम।
- क्रियात्मक शब्द (Action words) : बैठना, खड़े होना, चलना, दौड़ना, उछलना, कूदना, ताली बजाना, रुकना, जाना, पीना, आदि।
- अवधारणा (Concepts) : चित्र, आकार, रंग, आवाज़, गंध, बनावट, स्थिति, भार, सुंदरता, सम और विषम, आसपास, सुरक्षा, आदि।
- कार्यात्मक पठन-पाठन (Functional Academics) : अंक, लिखना, पढ़ने हेतु तैयारी के कौशल, आदि।

2. प्राथमिक स्तर के लिये पाठ्यक्रम (Curriculum for Primary Level):

करीब 6 से 9 वर्ष की आयु वर्ग के बालकों को जिनकी मानसिक आयु 3 से 5 वर्ष है, उनमें अधिकांश बालकों को किंडरगार्डन आयु के बालकों हेतु निर्धारित अनुभवों के विषय में बताने की आवश्यकता है। एक विशेष बात यह है कि प्राथमिक समूह के बालकों के पाठ्यक्रम में अपनी देखभाल करने की योग्यता, भाषा एवं सम्प्रेषण विकास की निरंतर व्याख्या करना आवश्यक है। बौद्धिक अक्षम बच्चों की शिक्षा की सुविधा ऐसी होनी चाहिए जो उन्हें प्राथमिक स्तर पर सामाजिक अनुकूलन व्यवहार में प्रशिक्षित कर सके। पाठ्यक्रम के लिए मुख्यतः 6 कौशल क्षेत्र देखे जा सकते है जो बालकों को स्वतंत्र अथवा साथ-साथ पढ़ाये जा सकते है तथा जो उनके शैक्षिक एवं सामाजिक उद्देश्य को पूरा करते हैं :

- **स्वयं सहायता कौशल (Self-care skills) :** इसमें भोजन करना, पेय पदार्थ पीना, शौच करना, श्रृंगार करना, मौसम के अनुसार कपड़े पहनना, स्वास्थ्य एवं सुरक्षा, व्यक्तिगत सफाई, आदि आते हैं।
- **सम्प्रेषण कौशल (Communication skills) :** इसमें भाषा को समझना अथवा ग्रहण करना तथा अपनी बात को प्रभावपूर्ण ढंग से कहना, आदि आते हैं।
- **सामाजिक कौशल (Social skills) :** इसमें अच्छी आदतें, जिम्मेदारी को स्वीकार करना, सार्वजनिक स्थानों पर उचित रूप से व्यवहार करने की कुशलता आदि शामिल है।
- **शैक्षणिक कौशल (Academic skills) :** क्रियात्मक अध्ययन के अंतर्गत अपना नाम, पता, चिन्ह, बोर्ड आदि की पहचान करना। इसके अतिरिक्त मित्रों के नाम, परिवार के सदस्यों के नाम, अंक गणितीय योग्यता जैसे - गिनती, आसान जोड़ना-घटाना, समय - प्रातःकाल, सायंकाल, सिक्कों, मुद्राओं की पहचान करना। इसके अतिरिक्त प्रतिदिन के जीवन में शामिल कौशलों को सीखने की योग्यता भी शैक्षणिक कौशलों का विकास करती है।
- **गामक कौशल (Motor skills) :** इसके अंतर्गत शारीरिक क्षमता, जिसमें शरीर के विभिन्न हिस्सों का संतुलन एवं नियंत्रण शामिल है, आते हैं।
- **पूर्व-व्यवसायिक कौशल (Pre-vocational skills) :** प्राथमिक स्तर पर व्यवसायिक कौशल का संबंध उनके सामान्य उद्देश्य, शैक्षणिक, सामाजिक, एवं गामक विकास से संबंधित होना चाहिए। अच्छे कार्य की आदतें, दूसरों से मिलजुल कर रहना, विद्यालय के तौर-तरीके सीखना भविष्य के विकास हेतु प्रशिक्षण के अभिन्न अंग हो सकते हैं।

3. माध्यमिक स्तर के लिये पाठ्यक्रम (Curriculum for Secondary Level) : -

10 से 13 वर्ष की आयु वर्ग के बालक जिनकी मानसिक आयु 5 से 8 वर्ष है वे माध्यमिक समूह (secondary group) में लिए जाते हैं। यही इसका आधार है। जो बालक प्राथमिक समूह में 80% योग्यताओं/कौशलों को जाँच सूची (Check list) के अनुसार करने में सामर्थ्य या योग्यता प्राप्त कर लेते हैं, उन्हें माध्यमिक समूह में प्रौन्नत कर दिया जाता है। माध्यमिक समूह में बालक सुचारु रूप से क्रमशः अखबार पढ़ना, टेलिफोन पुस्तिका पढ़ने, स्टोर में वस्तुओं पर लगे चिन्हों (Signs) को पढ़ना आदि क्रियात्मक शैक्षणिक कुशलताएँ सीखते हैं।

- **स्वयं सहायता कौशल (Self-care skills) :** निरंतर वृद्धि एवं विकास, अच्छे बुरे का उचित ज्ञान, अपने स्वास्थ्य को कायम रखना, अभ्यास, पोषण, सामान्य स्वच्छता और घरेलु आर्थिक योग्यताओं की शुरूआत, आदि।
- **सम्प्रेषण कौशल (Communication skills) :** सुनने व बोलने की योग्यता, शब्द भण्डार में बढ़ोतरी, अपनी कक्षा के साथियों के सामने अपने विचार प्रकट करना, दूरभाष (Telephone) मोबाइल पर बातचीत करने की योग्यता।
- **सामाजिक कौशल (Social skills) :** सार्वजनिक स्थानों पर लोगों के साथ उचित व्यवहार का अभ्यास और ज्ञान होना, बस द्वारा यात्रा करना, ट्रैफिक के नियमों का ज्ञान एवं उनका पालन करना। सेवाएँ जैसे - टेलीफोन, टेलीग्राम, विद्युत, समाचार पत्र, दूध, गैस, तेल आदि की डिलवरी, परिवहन सेवाओं में बस, टैक्सी, आटो, रेलगाड़ी, आदि की जानकारी रखना। स्वास्थ्य अस्पताल सेवाएँ, आपातकालीन सेवाएँ, आग, एंबुलेंस, पुलिस, मनोरंजन के विभिन्न क्षेत्रों का ज्ञान, भौगोलिक एवं शहरों/प्रांतों का ज्ञान आदि।
- **शैक्षणिक कौशल (Academic skills) :** पढ़ने की योग्यता में निरंतर सुधार, छोटी कहानी, पुस्तकों का अध्ययन, आदि। नाम व पता लिखना, साधारण जोड़-घटाना, मुद्रा, समय आदि का ज्ञान।
- **पूर्व-व्यवसायिक कौशल (Pre-vocational skills) :** हाथ से काम करने की कुशलता का विकास, घर के कामों में पूरा हाथ बटाना, अपने शिक्षक द्वारा बताए गए कामों को करना, आदेशों का पालन, समय की पाबन्दी, दूसरों के साथ मिल कर काम करना, आदि।

4. पूर्व-व्यवसायिक स्तर (Pre-vocational level):

14 - 16 से लेकर 18 वर्ष की आयु वाले बौद्धिक अक्षम बच्चे या किशोर जिनकी मानसिक आयु लगभग 7 से 11 वर्ष की हो, किसी व्यवसायिक प्रशिक्षण पाने के योग्य माने जाते है और वे भविष्य में कोई सामाजिक और व्यवसायिक कौशल सीख जाते हैं क्योंकि अंत में उन्हें अपने पैरों पर खड़ा होना रहता है। विभिन्न क्षेत्रों में इन लोगों को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए निम्न बातों का ध्यान देना होता है:-

- **स्वयं की देख-रेख की कुशलता** - इस क्षेत्र में पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त करने हेतु उन सभी क्रियाओं को कराते रहने से इन लोगों में आत्मनिर्भरता आ जाएगी । सफाई के साथ-साथ अपने स्वास्थ्य पर ध्यान रखते हुए उचित आहार लेना, इसी संदर्भ में स्वास्थ्य के हानिकारक चीजें जैसे- मदिरा आदि का सेवन न करना, सामान्य रोगों के बारे में जानना और उन्हें दूर करने के उपाय की जानकारी, आदि का प्रशिक्षण पूर्व-व्यवसायिक स्तर पर दिया जा सकता है।

- **सामाजिक कुशलता -** अपेक्षित व्यवहार का ज्ञान, सार्वजनिक यातायात का उपयोग कर पाना, सार्वजनिक सुविधाओं का उपयोग जानकारी के साथ, स्वास्थ्य विभाग, नागरिकों के कर्तव्य और इस तरह के और ज्ञान।
- **संप्रेषण कौशल -** ध्यान और आत्म-विश्वास के साथ वार्तालाप कर पाना, व्याख्याता को सुन पाना, सामाजिक वार्तालाप में भाग ले पाना, आदि।
- **शैक्षणिक कौशल -** अधिक से अधिक पढ़ पाने की दक्षता, जैसे- समाचार पत्र, मनोरंजन की पुस्तकें पढ़ना। अच्छी तरह से साफ अक्षरों में लिख पाना, विभिन्न प्रकार के फार्म को भर पाना, अपने पत्रों को लिख पाना, गणित का प्रारंभिक ज्ञान, बैंकिंग कर पाना, माप-तौल का ज्ञान, आदि।
- **गामक कुशलताएँ-** खेल आदि में भाग लेना, सार्वजनिक खेल सुविधाओं का लाभ ले पाना, दो पहिए की सवारी का प्रयोग कर पाना, आदि।
- **व्यवहारिक कशुलताएँ -** एक कार्यकर्ता की भाँति काम कर पाना, जिम्मेदारी वहन कर लेना, औजार आदि का उचित ढंग से प्रयोग कर पाना तथा कार्य करने की गति बनाए रखना।

* * *

"मुझे जीतने दो, यदि में जीत न सका तो मुझे इसके लिए साहसिक प्रयास करने दो।"

- विशेष ओलंपिक

अध्याय 16

व्यवसाय प्रशिक्षण तथा रोज़गार

Vocational Training and Employment

बौद्धिक अक्षम व्यक्तियों के लिए सभी दूसरे शिक्षा के क्षेत्रों का क्रियात्मक संबंध व्यवसायिक कुशलता से है। यह संबंध दोनों ही तरह है। अर्थात् एक तो संबंधित पूर्वापेक्षित विषय और दूसरे व्यवसायिक कौशलों से संबंधित सिखाए जाने वाले विषय।

कौशलों के इस परस्पर संबंध को तब देखा जा सकता है जबकि विद्यालय जाने से पहले की अवस्था का बच्चा तीन आदतों को जोड़कर अपनी उत्तम गामक (motor) दक्षता का परिचय देता है - जब बच्चा स्कूल जाने वाले दिन तैयारी के लिए अपने कपडे. पहनता है, जब गंभीर विकलांग वयस्क रैक में पड़े अपने कपड़े तथा नाम को ढूँढ लेता है और इसी तरह के और भी काम है। इस प्रकार व्यवसाय-पूर्व दक्षता के प्रभाव क्षेत्र में सभी दूसरे पाठ्यक्रम आ जाते है।

वे कौशल को जो कि बाद के व्यवसायिक कौशलों से संबंधित है, आरंभिक आयु से ही बच्चे को सिखाना शुरू कर देना चाहिए। बौद्धिक अक्षम बच्चों के खेलकूद का आयोजन इस तरह से किया जाना चाहिए कि वह शुरू से ही बाद वाले व्यवसायिक प्रशिक्षण में अपेक्षित कौशल सीखना शुरू कर दें। जिन कामों को सिखाया जा सकता है उनमें हैं :- अँगुलियों से पकड़ने के काम, नट और बोल्ट को लगाना, पहेलियों और औजारों का आरंभिक प्रयोग जैसे-प्लास्टिक के हथौड़ो और स्क्रू-ड्राइवर का प्रयोग करना।

यद्यपि विशिष्ट व्यवसायिक प्रशिक्षण तब तक शुरू नहीं किया जाता जब तक कि बौद्धिक अक्षम व्यक्ति वयस्क नहीं हो जाता। अतः भावी व्यवसायिक योग्यता के लिए विद्यालय जाने से पहले और प्राथमिक कक्षाओं में सिखाई जाने वाली गतिविधियों में पूर्व-व्यवसायिक कौशल भी शामिल किए जाने चाहिए। भावी व्यवसाय के लिए जिन कौशलों को महत्वपूर्ण समझा जाता है, उनका पता लगाने तथा उनमें प्रशिक्षण देने के प्रयत्न करने चाहिए। यह काम छोटी आयु में ही यथासंभव जल्दी शुरू करना चाहिए।

सामान्यतः 17 साल का व्यक्ति विद्यालय से निकलकर सीधे ही किसी काम में सफलतापूर्वक लगकर तालमेल बैठा सकता है। उसे प्रायः कोई समस्या नहीं होती। पूर्व-व्यवसायिक स्तर में उत्तीर्ण विद्यार्थी नए वातावरण में आसानी से ढल जाता है और वह माता-पिता पर निर्भरता छोड़कर आत्मनिर्भर बनकर अपनी जीविका कमाने लगता है। लेकिन यह बात तो हुई सामान्य व्यक्ति की। बौद्धिक अक्षम व्यक्ति की स्थिति कुछ और ही है। नए माहौल में उसका ढलना मुश्किल होता है। ऐसे बौद्धिक अक्षम युवकों जो ऐसे विद्यालय से आते है जहाँ पूर्व-व्यवसायिक कौशल नहीं सिखाए जाते या जिन्हें निरर्थक व कृत्रिम कामों में प्रशिक्षण दिया है, उनके लिए नए माहौल में काम करना कड़वा अनुभव होता है। उनके सामने स्वयं को नए वातावरण में ढालने में समस्या आती

है क्योंकि उनसे सामान्य व्यवहार या बुद्धि की आशा की जाती है। अतएव यह बहुत जरूरी है कि विद्यालयों में उन्हें ऐसे पूर्व-व्यवसायिक कौशल सिखाए जाएँ ताकि वह भावी जीवन में सफलतापूर्वक तालमेल बैठा सकें। यह काम सफलतापूर्वक उपयुक्त कार्यशाला में पूर्व-व्यवसायिक प्रारूप (मॉडल) के रूप में या फिर वास्तविक प्रतियोगी रोजगार के स्थानों पर प्रशिक्षण देकर किया जा सकता है। पूर्व-व्यवसायिक कौशलों में से कुछ हैं : हाथ के मामूली औजारों का प्रयोग, छटाई, पैकेजिंग, मामूली तौर पर औजारों को जोड़ना, पुराने सर्किट बोर्डो में फिर तार लगाना, तार खींचना, आदि। पूर्व-व्यवसायिक पाठ्यक्रम में जिन संभावित औजारों का प्रयोग किया जा सकता है वह है : स्क्रू-ड्राइवर, स्पेनर, प्लेयर्स, ववायर डिपर, सोल्डिंग आयरन, आदि। इनका प्रयोग अलग-अलग अवसरों पर अलग-अलग सामग्री के साथ किया जा सकता है।

पूर्व-व्यवसायिक पाठ्यक्रम को तैयार करते समय उन कामों को लिया जा सकता है जो परम्परागत रूप से बौद्धिक अक्षम व्यक्तियों के लिए उपयुक्त समझे जाते है, जैसे- तस्तरियाँ (plates) धोना, झाडू लगाना, पोछा लगाना, धुलाई आदि। इन बातों को ध्यान में रखते हुए पूर्व-व्यवसायिक प्रशिक्षण में इन कामों या इस तरह के दूसरे कामों को शामिल किया जा सकता है ताकि वह भावी जीवन के व्यवसायिक वातावरण के लिए तैयार हो सकें।

पूर्व-व्यवसायिक कार्यो को पूर्व-विद्यालयी अवस्था से लेकर माध्यमिक कक्षा तक सिखाया जा सकता है। इनमें के कुछ कौशल नीचे दिए गए है, अर्थात् कोई इतनी योग्यता प्राप्त कर सके जैसे :-

- पूछने पर अपना नाम बताता है।
- एक समय पर दी गई चेतावनी को समझ लेता है।
- जोड़ने की बुनियादी जानकारी हासिल करता है।
- पूछे जाने पर अपने घर का पता और टेलीफोन नम्बर बताता है।
- बुनियादी अवश्यकता जैसे - बीमारी/दर्द बताता है।
- अपना श्रृंगार ठीक तरह करता है।
- उपयुक्त रूप से जवाब देता है और हिदायत दिए जाने के फौरन बाद अमल करता है।
- ठीक तरह देखभाल कर चलता-फिरता है और अपने काम के स्थान में ध्यानपूर्वक चलता है।
- अभद्र व्यवहार (व्यर्थ की बहस) नहीं दिखाता और ठीक काम करता है।
- स्वयं से ही ढंग से (चलकर, बस से) अपने काम की जगह पर पहुँचता है।
- जब कभी अपने साथियों की सहायता की आवयकता होती है तो उनके साथ ठीक व्यवहार करता है।
- तीन से पाँच शब्दों के वाक्यों में मौखिक उत्तर देता है।
- व्यक्तिगत रूप से स्वच्छता रखता है (दाँतों की सफाई, बाल बनाना आदि)
- अपरिचित के साथ अनावश्यक संबंध न बढ़ाकर काम करता है।
- जब अन्य लोग देख रहें हों तो बिना बाधा के काम करता है।
- जब काम नहीं हो पाता तो शिक्षक या निरीक्षक से संपर्क करता है।
- सुरक्षा चेतावनी (safety signals) मिलने पर उपयुक्त कार्यवाही करता है।
- रुपये का मतलब समझता है।
- अपने बाएँ/दाएँ आदि शब्दों द्वारा दिए गए आदेशों को समझता है।
- किसी दिए गए काम को ठीक समय पर समाप्त कर समय का सदुपयोग करता है।

संसार में जहाँ प्रकुति में भी विभिन्न प्रकार की विषमताएँ पाई जाती हैं, वहाँ मानव की क्षमताएँ भी भिन्न-भिन्न है। कोई भी व्यक्ति पूर्ण सक्षम नहीं होता। प्रत्येक व्यक्ति में किसी भी क्षेत्र में कुछ ना कुछ अक्षमताएँ होती है। जैसे संस्कृत में कहावत है कि 'पिन्डे पिन्डे मतिभिन्नः। यानि हर एक व्यक्ति में अलग-अलग तरह की बुद्धि होती है।

संसार में विभिन्न प्रकार के व्यक्ति है कुछ तीव्र बुद्धि, कुछ औसत बुद्धि तथा कुछ बौद्धिक अक्षम । बौद्धिक अक्षम होना न तो कोई रोग है और न ही इसका कोई निदान या उपचार है। यह तो एक अवस्था है जो कहीं भी किसी भी परिवार में हो जाती है। जिनके दिमागी विकास की गति धीमी होती है उन व्यक्तियों के सामने कदम-कदम पर अवरोध खड़े हो जाते है। किसी भी परिवार में जब एक बौद्धिक अक्षम बालक या बालिका जन्म लेती है तो उस परिवार की जीवनचर्या में व्यवधान या रूकावटें आने लगती है।

अपनी आंतरिक क्षमता कम होने के कारण ये बच्चे वह काम नहीं सीख पाते जो सामान्य बच्चे अपने वातावरण या आसपास से सीख लेते है। इन्हें हर काम के लिए प्रेरित करना पड़ता है व प्रशिक्षण देना पड़ता है। प्रत्येक बच्चे की बुद्धि लब्धि या क्षमता अलग-अलग होती है। अंतः इनके लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था (management) भी अलग-अलग होती है।

जिस प्रकार एक सामान्य व्यक्ति का लक्ष्य धीरे-धीरे आत्मनिर्भरता की ओर शिक्षा प्राप्त करके जीविकोपार्जन करना व स्वतंत्र जीवनयापन करना होता है, उसी प्रकार इन बालकों की व्यवस्था भी इसी लक्ष्य को ध्यान में रखकर करनी पड़ती है और यह व्यवस्था माता-पिता व शिक्षकों को मिलकर करनी होती है। किसी भी व्यवसाय में लगने के पहले उसे बहुत से कौशल आने चाहिए। व्यवसाय तो हमारे आखिरी पड़ाव या लक्ष्य हैं। व्यवसायिक प्रशिक्षण के पूर्व बहुत से काशैल जो व्यवसायिक प्रशिक्षण के लिए अनिवार्य है, इन्हें सिखाने चाहिए। इन्हें हम पूर्व-व्यवसायिक प्रशिक्षण (pre-vocational training) कहते है।

पूर्व-व्यवसायिक प्रशिक्षण एक ऐसा क्रमबद्ध प्रशिक्षण है जिसमें उन्हें वह सब सिखाया जाता है जो उस व्यवसाय के लिए अनिवार्य हो, जैसे :-

- **दैनिक या व्यक्तिगत काशैलः-** जैसे- नहाना, कपड़े पहनना, शौच क्रिया का ज्ञान, आदि।
- **सामाजिक कौशल -** जैसे- सामान्य अभिवादन, एक जगह स्थिर बैठना, सहकर्मी के साथ तालमेल व नियंत्रित व्यवहार व अपने सहभागियों के साथ वार्तालाप करने का कौशल, आदि।
- **भावनात्मक कौशलः-** भावनात्मक नियंत्रण, निर्देश सुनने व समझने की क्षमता, अपनी आलोचना या प्रतिक्रिया समझने की क्षमता, काम सीखने के प्रति रुचि, आदि।
- **बौद्धिक कौशलः-** अंक ज्ञान, रूपये-पैसे का ज्ञान, रंग व आकार समझने का कौशल आदि।
- **शारीरिक व ज्ञानेन्द्रिय जन्य कौशलः-** नियमित घण्टों में काम करने के लिए शारीरिक क्षमता का प्रयोग करना, समझने, देखने व सुनने का कार्य करने की क्षमता, आदि।
- **सुरक्षा व दुर्घटनाओं से बचाव का कौशलः-** यातायात के नियम व वाहन जो वह प्रयोग में लाता है के प्रति जागरुकता, आदि।
- नियमितता व कार्य के नियमों के प्रति सजगता या जानकारी।

किसी भी व्यवसायिक प्रशिक्षण तक पहुँचने के पहले पूर्व-व्यवसायिक प्रशिक्षण आवश्यक है। ऊपर बताए गए ये कौशल बहुत ही छोटी उम्र से सिखाए जाने चाहिए। हम क्यों पढ़ते है या कोई काम सीखते है ? क्योंकि हमें आगे जाकर कुछ ना कुछ करना है व अपना जीविकोपार्जन करना है। अतः हम उसके लिए अपने आपको तैयार करते है। इसी तरह इन बच्चों को भी हम उसी क्रम में तैयार करते है।

कोई भी व्यक्ति को व्यवसायिक प्रशिक्षण देने के पूर्व उसकी रुचि, उसकी क्षमताएँ जानना बहुत जरूरी है। इस आधार पर पहले उसका मूल्यांकन किया जाता है कि वह क्या जानता है ? वह किस स्तर पर है ? उसके बाद उसका प्रबन्धन होता है कि कौन-सा व्यवसाय उपलब्ध है ? व कौन-सा व्यवसाय चुना जाए ?

क्या सिखाएँ ?

- जिस बच्चे को प्रशिक्षण देना है उसे कोई भी व्यवसाय, जो उसकी क्षमता के अनुरूप हो व बहुत कठिन प्रक्रिया वाला न हो व जिसका पूर्ण बाज़ार हो व आर्थिक लाभ देने वाला हो, सिखाया जा सकता है।
- ऐसा व्यवसाय जिसमें एक ही तरह की प्रक्रिया बार-बार होती हो या सरल क्रियाओं द्वारा सम्पन्न होती हो जैसे- मोमबत्ती बनाना, लिफाफे, फाइल, नोटबुक, अगरबत्ती, गत्ते के डिब्बे, प्लास्टिक के मोल्ड बनाना फोटो स्टेट, आदि।
- ऐसा व्यवसाय जो उसका अपना घरेलू है जैसे - किराने कि दुकान, कपडे.की दुकान, सब्जी की दुकान, टेलरिंग, माला या गुलदस्ता बनाना, इत्यादि।
- ऐसा व्यवसाय जो उसके समुदाय में उपलब्ध हो या कोई भी लघु उद्योग जैसे-डेरी का काम, फार्म में खेती-बाड़ी, लाण्ड्री, या बेकरी का काम, इत्यादि।
- किसी भी संस्था में नौकरी का काम, जैसे- मोहर लगाने का काम, पैकिंग करने का काम, हैल्पर का काम, विभिन्न प्रकार के पुर्जों को जोड़ने का काम, आदि।

  प्रायः यह देखा गया है कि मध्यम श्रेणी व अल्प श्रेणी के मानसिक मन्द बच्चे को कोई भी काम अगर विधिपूर्वक सिखाया जाए तो वह आसानी से कर लेते हैं।

कैसे सिखाएँ ?

कोई भी कार्य सिखाने से पहले प्रशिक्षक को यह जानना जरूरी है कि जो काम वह बच्चों को सिखा रहा है उस कार्य के लिए वह व्यक्ति मानसिक एवं शारीरिक रूप से सक्षम है अथवा नहीं।

- उस कार्य को करने में हेने वाली प्रक्रियाओं को प्रशिक्षक स्वयं करके उन्हें छोटे-छोटे चरणों में बाँट ले व चरणबद्ध तरीके से सिखाएँ।
- सरल प्रक्रिया से कठिन की ओर धीरे-धीरे अग्रसर हों।
- बच्चे को प्रत्येक क्रिया में प्रोत्साहन बढ़ाते रहें व प्रेरित करते रहें।
- सिखाते समय वातावरण सहज व खशु रखें। डाँट-फटकार या गुस्सा करने से बच्चे का मनोबल गिर सकता है।
- ऐसा कार्य करवाएँ जिसमें वह सफल हो सके।
- एक क्रिया सीखने पर पुरस्कार दें व आगे की क्रिया सिखाएँ।
- सीखते समय पूरी तरह मदद करते रहें व धीरे-धीरे मदद कम करें व मौखिक निर्देश दें।

बौद्धिक अक्षम व्यक्तियों का रोजगार :

किसी भी शिक्षण पद्धति का अंतिम उद्देश्य विद्यार्थियों को आर्थिक रूप से कुशल बनाना है। यह प्रत्येक बौद्धिक अक्षम व्यक्तियों के लिए भी उतना ही जरूरी है जितना कि एक सामान्य व्यक्ति के लिए। अतः विशेष शिक्षा के अंतर्गत प्रत्येक बौद्धिक अक्षम व्यक्ति को व्यवसायिक प्रशिक्षण प्रदान कर उपयुक्त रोजगार में व्यवस्थित करने का प्रयास किया जाता है। यह एक

सामान्य धारणा है कि बौद्धिक अक्षम व्यक्तियों को अन्य विकलांगताग्रस्त व्यक्तियों की भाँति रोजगार प्रदान नहीं किया जा सकता। जबकि यह सत्य नहीं है। उपयुक्त प्रशिक्षण तथा रोजगार के अवसर प्रदान करने पर बौद्धिक अक्षम व्यक्तियों को भी रोजगार प्रदान किया जा सकता है।

बौद्धिक अक्षम व्यक्तियों के रोजगार के अवसर

विद्यालय से कार्य तक सम्पूर्ण परागमन (Comprehensive Transition Plan) योजना निर्माण तथा उसके क्रियान्वयन के लिए सभी सम्बन्धित विद्यालय तथा उसके वयस्क सेवादाताओं के साथ-साथ अभिभावक तथा बौद्धिक अक्षम व्यक्ति की सहभागिता की आवश्यकता होती है।

सम्पूर्ण परागमन (Comprehensive Transition Plan) योजना बनाते समय व्यवसायिकों की भूमिका के बारे में पुनः सोचने तथा उसे पुनः व्यवस्थापित करने की आवश्यकता होती है।

परागमन प्रारूप (Transition Models)

विद्यालय से कार्य में बौद्धिक अक्षम व्यक्तियों को स्थानान्तरित करने के लिए कई परागमन प्रारूप (Transition Models) प्रचलित हैं। यहाँ हम भारतीय परिप्रेक्ष्य में विकसित किए गए राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान के परागमन प्रारूप (NIMH Transition Model) का विशेष उल्लेख कर रहे हैं।

एन.आई.एम.एच. परागमन प्रारूप (NIMH Transition Model)

एन.आई.एम.एच. परागमन प्रारूप के प्रवाह चित्र (Flow Chart) में बौद्धिक अक्षम व्यक्ति के व्यवसाय प्रशिक्षण तथा रोज़गार के चार चरण दर्शाए गए हैं जो कि निम्नलिखित हैं :

"मै न तो आशावादी हूँ और न ही निराशावादी ।
मैं संभवनावादी हूँ।"

- मैक्स लर्नर

बौद्धिक अक्षम व्यक्तियों के लिए एन.आई.एम.एच. परागमन प्रारूप
(NIMH Transition Model for Persons with Intellectual Disability)

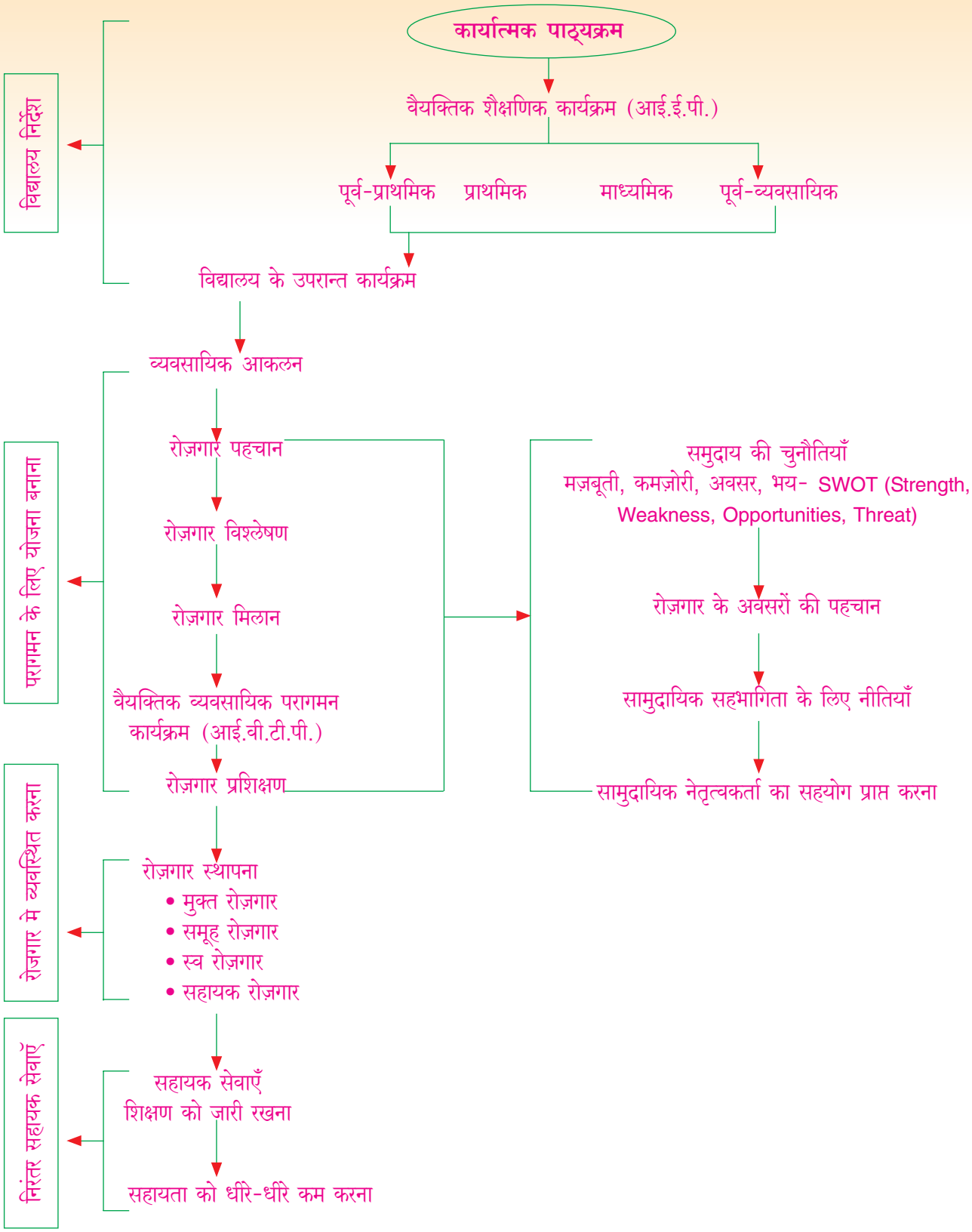

चरण 1 : विद्यालय स्तर पर सुव्यवस्थित तथा योजना निर्देश व्यवसाय प्रशिक्षण तथा रोजगार का आधार होता है। विशेष विद्यालय के पाठ्यक्रम में पूर्व-व्यवसायिक तथा घरेलू कौशल शामिल होते हैं। पूर्व-प्राथमिक से पूर्व-व्यवसायिक स्तर तक कार्यात्मक पाठ्यक्रम के माध्यम से विशेष बच्चों को दैनिक जीवन के कौशल सिखाए जा सकते हैं। कार्यात्मक पाठ्यक्रम विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों को आवश्यक कार्य तैयारी कौशल (Work Readiness Skills) में समर्थ बनाता है।

चरण 2 : इस चरण के अन्तर्गत निम्नलिखित बिन्दु आते हैं :

क. सामुदायिक आकलनः

बौद्धिक अक्षम व्यक्ति को व्यवसाय प्रशिक्षण देने के लिए उसके समुदाय में उपस्थित स्थितियों एवं उपलब्ध संसाधनों की पहचान किया जाना अत्यन्त आवश्यक है। रोजगार की पहचान करने के मानदण्ड :

- ऐसे व्यवसाय जिनमें न्यूनतम निरीक्षण तथा सहायता की आवश्यकता हो एवं किसी प्रकार का जोखिम न हो, उनका चयन किया जाना चाहिए।
- यदि व्यवसाय समूह में किया जाता हो तो यह अधिक उपयुक्त हो सकता है क्योंकि समूह द्वारा ही आवश्यक निरीक्षण एवं सहायता प्रदान की जा सकती है।
- कार्य का वातावरण विशेष रूप से सुरक्षित हो एवं बाधा मुक्त वातावरण पर ध्यान दिया जाना चाहिए।
- कार्यस्थल पर कर्मचारियों एवं नियोक्ता (Employer) के दृष्टिकोण एवं व्यवहार का भी आकलन किया जाना चाहिए।

रोजगार के लिए समुदाय का सर्वेक्षण :

समुदाय में उपयुक्त व्यवसाय की पहचान करने के लिए रोजगार सर्वेक्षण किया जाना जरूरी है। रोजगार सर्वेक्षण का उद्देश्य समुदाय में रोजगार के अवसरों की पहचान तथा उस विशिष्ट समुदाय की विशेषताओं का पता लगाना है जिसमें बौद्धिक अक्षम व्यक्ति द्वारा कार्य किया जाएगा। सामुदायिक आकलन से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर उसकी मज़बूती, कमजोरी, अवसर तथा चुनौतियों (SWOT- Strength, Weakness, Opportunity, Threat) का विश्लेषण किया जाना चाहिए। सामुदायिक आकलन से प्राप्त सूचनाओं का उपयोग प्रशिक्षक द्वारा लक्ष्य निर्धारण के लिए किया जा सकता है।

समुदाय में उपलब्ध रोजगार के प्रभावी आकलन के लिए एक सुव्यवस्थित योजना तथा प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए। समुदाय के सुव्यवस्थित सर्वेक्षण के प्रथम चरण में स्थानीय व्यवसायों की एक सूची तैयार की जाती है। इसे आप व्यवसाय को भौगोलिक क्षेत्रों में बाँटकर अथवा व्यवसाय के प्रकार में विभाजित कर तैयार कर सकते हैं।

नियोक्ता से सम्पर्क करनाः-

रोजगार की पहचान करने के लिए नियोक्ता से उसकी अपेक्षा, कार्य का स्तर, वेतन आदि विषयों के बारे में जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

व्यवसायिक आकलनः-

व्यवसायिक आकलन के दो मुख्य पहलू होते हैं।

- सामुदायिक आकलनः- इसके अन्तर्गत समुदाय में उपलब्ध रोजगार एवं प्रशिक्षण के अवसरों का पता लगाया जा सकता है जिसके विषय में उपरोक्त पंक्तियों में चर्चा की गई है।

- प्रशिक्षु (बौद्धिक अक्षम व्यक्ति) के कौशलों का आकलन - प्रशिक्षु के कौशल विशिष्ट रोजगार के लिए आवश्यक कौशलों से कितना मेल खाते है?

बौद्धिक अक्षम व्यक्ति के व्यवसाय प्रशिक्षण के समुदाय आधारित उपागम के अंतर्गत कार्यात्मक रोजगार आकलन विकसित किया गया है।

कार्यात्मक आकलनः-

- यह कार्य तैयारी कौशल (Work Readiness Skills) के विषय में सूचना उपलब्ध कराता है।
- समुदाय में उपयुक्त रोजगार की पहचान में सहायता करता है।
- चिन्हित व्यवसाय के बारे में सूचना प्रदान करता है।
- उन क्षेत्रों का चयन करता है जिनमें प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है।
- रोजगार प्रशिक्षण पर बल देता है।
- कार्य आधारित कौशल तथा कार्य व्यवहार का मूल्यांकन करता है।
- आकलन किए गए सभी प्रशिक्षुओं को रोजगार में व्यवस्थित करने का लक्ष्य निर्धारित करता है।
- व्यवसाय में बने रहने के लिए आवश्यक सहायता को चिन्हित करता है।

प्रशिक्षु के कौशलों का आकलनः-

कार्यात्मक व्यवसाय आकलन के प्रवाह चित्र के अनुसार प्रशिक्षु के कौशलों के आकलन दो पहलू होते हैंः-

- समान्य कौशलों का आकलन।
- विशिष्ट कौशलों का आकलन।

सामान्य कौशल (Generic Skills) किसी विशिष्ट व्यवसाय के चयन तथा प्रशिक्षण के लिए पूर्व वांछित/कार्य तैयारी कौशल हैं।

सामान्य कौशलों के अन्तर्गत व्यक्तिगत, सामाजिक, शैक्षणिक, घरेलू, सुरक्षा, हाथ की कार्यात्मकता तथा गत्यात्मक (Mobility) कौशल शामिल हैं। राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान द्वारा व्यवसाय आकलन के लिए 'व्यवसायिक आकलन कार्यक्रम योजना' (Vocational Assessment Programming System- VAPS) के अन्तर्गत 80 सामान्य कौशलों की सूची तैयार की है। (VAPS के अध्ययन के लिए अध्याय-05 आकलन का संदर्भ ग्रहण करें)।

चयनित व्यवसाय के आधार पर विशिष्ट व्यवसाय प्रशिक्षण के पूर्व-अपेक्षित कौशलों के आकलन के लिए एक जाँच सूची विकसित की जा सकती है।

विशिष्ट सूचनाओं के अन्तर्गत सामुदायिक आकलन, साक्षात्कार तथा व्यवसाय विश्लेषण से प्राप्त सूचनाएँ आती हैं।

सामुदायिक व्यवसाय में सफल होने के लिए चिन्हित कौशल वही होने चाहिए जिनका आकलन किया गया है। कार्य कौशल तथा कार्य सम्बन्धी कौशल समुदाय में उपलब्ध वास्तविक रोज़गार के सम्बन्ध में देखे जाने चाहिए। जब प्रशिक्षु 18 वर्ष की आयु का हो जाए तो प्रशिक्षक को उसे उपयुक्त रोज़गार में व्यवस्थित करना चाहिए।

कार्यात्मक व्यवसायिक आकलन
(Functional Vocational Assessment)

प्रशिक्षु का आकलन

परिवार का आकलन

कार्य तैयारी कौशलों का आकलन
(सामान्य कौशल)

व्यक्तिगत
सम्प्रेषण
कार्यात्मक पठन-पाठन
सुरक्षा कौशल
घरेलू व्यवहार
गत्यात्मक एवं हाथ की क्रियाएँ
व्यवसायिक कौशल
सामाजिक व्यवहार

सामुदायिक आकलन

रोज़गार की पहचान

रोज़गार कौशल
(विशिष्ट कौशल)

समुदाय की विशेषताएँ
स्थानीय रोज़गार की सूची तैयार करना
नियोक्ता से संपर्क करना
कार्यक्रम विकास
प्रशिक्षण के लिए विषय वस्तु का विकास

रोज़गार मिलान

रोज़गार प्रशिक्षण

रोज़गार में स्थापित करना

वैयक्तिक व्यवसायिक परागमन योजना (Individualized Vocational Transition Plan- IVTP)

वैयक्तिक व्यवसायिक परागमन योजना का विकास विशेष शिक्षक को अभिभावक, सहयोगियों, छात्र तथा यदि सम्भव हो तो नियोक्ता के साथ मिलकर माध्यमिक तथा पूर्व-व्यवसायिक स्तर पर किया जाना चाहिए।

इसके अन्तर्गत निम्नलिखित चरण आते हैं :-

1. रोज़गार विश्लेषण :- यह एक योजना है जिसके अन्तर्गत प्रशिक्षक यह सुनिश्चित करता है कि प्रशिक्षु उस व्यवसाय को करने के लिए निर्धारित मानकों की पूर्ती कर सकता है अथवा नहीं। रोज़गार विश्लेषण के तीन मुख्य उद्देश्य हैं:

- यह प्रशिक्षु को रोज़गार में सफल होने के लिए प्रशिक्षण योजना बनाने में सहायता करता है।
- यह इस बात को सुनिश्चित करता है कि प्रशिक्षु अपनी क्षमता के अनुसार रोज़गार में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर सके।
- यह नियोक्ता को रोज़गार प्रदान करने के लिए संसाधन/आधार उपलब्ध करा सकता है।

रोज़गार विश्लेषण की प्रक्रिया :

- रोज़गार के स्थान का भ्रमण करना।
- वर्तमान कर्मचारियों के कार्यो का विश्लेषण करना।
- कार्य प्रक्रिया में भाग लेना।
- सह-कर्मी तथा निरीक्षक से मिलना व उनके बारे में जानना।
- किसी एसे व्यक्ति को ढूँढना जो कि कार्य प्रक्रिया को सिखा सके।
- कार्य को करना।
- रोज़गार की क्रियाओं का विश्लेषण करने के निर्णय लेना।
- कार्य-विश्लेषण लिखना।
- नियोक्ता से सहमति प्राप्त करना।
- उपयुक्त प्रशिक्षण नीतियों, अनुकूलन, रोज़गार में पुनःव्यवस्था के अवसरों का चयन करना।
- एक पूर्ण प्रशिक्षण कार्यक्रम लिखना।
- प्रशिक्षण आरम्भ करने की तिथि निर्धारित करना तथा परिवार के सदस्यों से बातचीत करना।

2. रोज़गार मिलान (Job Matching)

इसके अन्तर्गत रोज़गार विश्लेषण के आधार पर वांछित कुशलताओं की पहचान तथा प्रशिक्षुओं की क्षमताओं के आधार पर उपयुक्त रोज़गार का निर्धारण किया जाता है। ऐसा न करने से प्रशिक्षण कार्यक्रम को सफल नहीं बनाया जा सकता है।

3. रोज़गार प्रशिक्षण (On the Job Training)

प्रशिक्षण के लिए निर्धारित नीतियों के अनुसार प्राकृतिक वातावरण में रोज़गार प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रशिक्षु द्वारा सफलता प्राप्त करने पर उसे पुनर्बलन प्रदान किया जाना चाहिए।

चरण 3 : वास्तविक रोज़गार में व्यवस्थित करना : छात्रों को शुरुआत से ही रोज़गार के लिए तैयार किया जाता है। जब वे अंतिम स्तर पर पहुँचते हैं तो वास्तविक रोज़गार की खोज शुरु हो जाती है। प्रशिक्षण कार्यक्रम को कृत्रिम स्थितियों (Simulated settings) तथा रोज़गार के स्थान पर क्रियान्वित किया जाता है। प्रशिक्षण के अंत में जब वे विद्यालय छोड़ते हैं तो उन्हे वास्तविक स्थितियों में व्यवस्थित किया जाता है।

चरण 4 :

सहायक सेवाएँ :

इस प्रारूप में प्रशिक्षु को व्यवसाय के दौरान सहायक सेवाओं के महत्व को बताया जाता है :

कुछ निरन्तर सहायक सेवाएँ हैं :

- विस्तारित रोज़गार प्रशिक्षण की व्यवस्था करना।
- उनका कार्यशाला में अवलोकन करना।
- कार्यात्मक पठन-पाठन में अतिरिक्त सहायता प्रदान करना।
- सफल होने के लिए आवश्यक कौशलों को सिखाना।
- कार्य निष्पादन स्तर बढ़ाने कि लिए नियोक्ता से समन्वय स्थापित करना।
- आत्मनिर्भर जीवनयापन तथा जीवन स्तर में सुधार के लिए मार्गदर्शन करना।
- सामाजिक मेल-जोल बढ़ाने के लिए अभ्यास के अवसर उपलब्ध कराना।

यह परागमन प्रारूप (Transition Model) रोज़गार की भविष्यवाणी में विश्वास नहीं रखता। यह छात्रों को कार्य की स्थितियों में शामिल होने का मार्ग प्रशस्त करता है जहाँ उन्हे आर्थिक आत्मनिर्भरता के साथ अर्थपूर्ण वयस्क जीवन जीने का अवसर प्राप्त होता है। इस परागमन प्रारूप में अभिभावकों को पर्याप्त महत्व प्रदान किया जाना चाहिए।

मुख्य क्षेत्र जिनमें हम बौद्धिक अक्षम व्यक्तियों को रोज़गार प्रदान कर सकते हैं निम्नलिखित है :-

1. संरक्षित रोज़गार (Sheltered employment)

- संरक्षित रोजगार के अंतर्गत बौद्धिक अक्षम व्यक्ति को रोजगार प्रशिक्षण तथा रोज़गार, कार्यशाला के भीतर ही प्रदान किया जाता है।
- प्रशिक्षण तथा कार्य योग्य व्यवसाय प्रशिक्षक के निरीक्षण में होता है।
- इसमें गहन, मध्यम तथा अल्प बौद्धिक अक्षम व्यक्ति लाभ प्राप्त कर सकते हैं क्योंकि उन्हें उनकी क्षमता के अनुसार विशेष कार्य में प्रशिक्षित किया जाता है तथा उनके कार्य को निर्देशित किया जाता है।
- संरक्षित कार्यशाला में कार्य करने से उन्हें सीमित सामाजिक कुशलताओं को विकसित करने की आवश्यकता होती है जो कि उनके लिए आसान होता है।
- संरक्षित रोजगार में कराए जाने वाले कार्यो में पुनरावृत्ति होती है जिससे इन्हें सिखाना आसान होता है।
- कच्चे माल की व्यवस्था करना तथा तैयार सामग्री को बाजार में बेचने का कार्य प्रबंधक/व्यवसायिक प्रशिक्षक का होता है। इससे बौद्धिक अक्षम व्यक्तियों का अधिक भार नहीं पड़ता।
- कार्यशाला के उपकरणों में आवश्यकतानुसार अनुकूलन किया जाता है जिससे वहाँ कार्य करना आसान तथा सुरक्षित होता है।

- बौद्धिक अक्षम व्यक्ति को उनके कार्य के अनुसार वेतन दिया जाता है जो कि उनके लिए उत्साहवर्धक होता है।
- लिफाफे बनाना, मोमबत्ती बनाना, पैकिंग, लकड़ी के काम, स्प्रे पेंटिंग, आदि संरक्षित रोज़गार इसके अंतर्गत आ सकते है।

2. मुक्त रोज़गार (Open employment)

- बाजार में कई ऐसे दैनिक रोज़गार है जिन्हें बौद्धिक अक्षम व्यक्तियों द्वारा सफलतापूर्वक किया जा सकता है।
- प्रशिक्षक के प्रारंभिक सहयोग के द्वारा बौद्धिक अक्षम व्यक्ति को मुक्त रोज़गार में लाभदायक कार्य करने में प्रशिक्षित किया जा सकता है।
- इसमें अपेक्षाकृत अधिक सामाजिक कुशलता की आवश्यकता होती है क्योंकि बौद्धिक अक्षम व्यक्ति को प्रतिदिन कई लोगों से मिलना पड़ता है।
- अल्प (माइल्ड) बौद्धिक अक्षम बच्चे इससे लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
- मुक्त रोजगार के लिए कार्यो का चयन बहुत सावधानीपूर्वक करना चाहिए। हमें ऐसे कार्यो का चयन नहीं करना चाहिए जिसमें बहुत अधिक परिवर्तन हो क्योंकि इससे बौद्धिक अक्षम व्यक्ति को कार्य को सीखने में समस्या होगी तथा वह असफल हो जाएगा।
- मुक्त रोज़गार के अंतर्गत आने वाले व्यवसाय है - ऑफिस बॉय, कैंटिन में सहायक, स्टेशनरी कपड़े आदि की दुकानों में सहायक, वाहन मरम्मत की वर्कशॉप, फोटोकॉपी, प्रिंटिंग प्रेस में सहायक आदि।

3. स्व-रोज़गार (Self employment)

- कई ऐसे परिवार है जिनमें बौद्धिक अक्षम व्यक्तियों के लिए स्व-रोज़गार के संसाधन उपलब्ध हैं।
- बौद्धिक अक्षम व्यक्ति को परिवार द्वारा उपलब्ध कराए गए व्यवसाय में प्रशिक्षण प्रदान किया जाए तथा परिवार के द्वारा उन्हें मार्गदर्शन व सहयोग प्राप्त हो तो उन्हें स्व-रोज़गार में व्यवस्थित करना बहुत आसान हो जाता है।
- इससे बौद्धिक अक्षम व्यक्ति को रोज़गार के लिए भटकना नहीं पड़ता तथा उनके शोषण की संभावना नहीं रहती।
- बौद्धिक अक्षम व्यक्ति को उनके कार्य के अनुसार मूल्य/वेतन प्रदान किया जाना चाहिए।
- ग्रामीण क्षेत्रों में खेती, पशुपालन, मुर्गी पालन, टोकरी बनाना, आदि कई ऐसे व्यवसाय है जिनमें बच्चों को उनकी क्षमता के अनुसार व्यवस्थित किया जा सकता है।
- शहरी क्षेत्रों में परिवार अपने संसाधनों से बौद्धिक अक्षम व्यक्ति को रोजगार प्रदान कर सकता है, जैसे- मोमबत्ती बनाना, चॉक, लिफाफा, अगरबत्ती बनाना आदि।

4. सहायक रोजगार

- सहायक रोजगार बौद्धिक अक्षम व्यक्तियों को प्रतिस्पर्धात्मक रोजगार में शामिल करने, प्रशिक्षित करने तथा सहायता उपलब्ध कराने की प्रक्रिया है जो कि कुशल व्यवसायिकों द्वारा समेकित वातावरण में प्रदान की जाएगी।
- बौद्धिक अक्षम व्यक्तियों को वास्तविक रोजगार में आने वाले जटिल कार्यो में निपुणता प्राप्त करने के लिए अभ्यास कराया जाएगा।
- यहाँ वैयक्तिक रोजगार सहायता के साथ रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने पर जोर दिया जाता है।

बौद्धिक अक्षम व्यक्ति की क्षमता रूचि, आवश्यकता तथा उपलब्ध संसाधनों को ध्यान में रखते हुए हम उपरोक्त विकल्पों का चयन कर सकते है।

* * *

अध्याय 17

कक्षा प्रबन्धन
Classroom Management

परिचय :

आमतौर पर शिक्षकों में यह धारणा रही है कि कक्षा में अनुशासन ही प्रबंधन हैं। कक्षा अनुशासन के अतिरिक्त, उन व्यवहारों को भी महत्व दिया जाता है जो बच्चों के लिए और शिक्षक के लिए समस्यात्मक होती है। अर्थात् प्रभावशाली कक्षा प्रबंधन में सावधानीपूर्वक योजना, भौतिक वातावरण की संरचना और बच्चे के समस्यात्मक व्यवहार का प्रबंधन करना शामिल है। शिक्षकों के पास पढ़ाने का कौशल होने के बावजूद भी प्रभावशाली कक्षा प्रबंधन के अभाव में बच्चे सीख नहीं पाते है। इसलिए यह आवश्यक है कि शिक्षक में प्रेरणा देने की क्षमता होनी चाहिए। कार्यक्रम शुरू होने के पूर्व ही कार्यक्रम तय कर लेना चाहिए, जिनमें निम्न बिंदु शामिल हैं :

- कक्षा का भौतिक वातावरण तय करना।
- बैठने की व्यवस्था तय करना।
- कक्षा के अनुशासन के लिए नियम तय करना।
- प्रतिदिन की समय-सारिणी तय करना।
- उन बच्चों का चुनाव करना जो कक्षा का प्रतिनिधि बन सके।
- बाथरूम और पानी पीने के लिये नियम बनाना।
- खेल के समय और भोजनावकाश के समय के लिए नियम तय करना।
- अन्य विशेषज्ञ की भूमिका कक्षा में तय करना।
- एक शिक्षक की अवकाश के समय किसी अन्य शिक्षक की नियुक्ति के लिए नियम तय करना।

1. क्रियाकलाप के लिए समय बनाना :

अन्य क्रियाकलापों के लिए सावधानीपूर्वक समय तय करना चाहिए ताकि अन्य विशेषज्ञों को अपनी सेवाएँ देने में समस्या न हो। शिक्षा पद्धति में शारीरिक शिक्षा (physical education), संगीत (music), कला (art) एवं वाक् चिकित्सा (speech therapy)

के लिए अलग-अलग विशेषज्ञ होते है। बच्चों को शिक्षा देने के लिए या तो विशेषज्ञ विद्यार्थी के पास उनकी कक्षा में जाते हैं या बच्चे विशेषज्ञ के पास आते हैं। इन सभी विशेषज्ञों को प्रतिदिन की समय-सारिणी में सम्मिलित करना आवश्यक है। इसके अलावा विद्यार्थियों को दूसरी कक्षाओं तक पहुँचाना और वहाँ से वापस उनकी अपनी कक्षा में ले आना भी शिक्षक के प्रतिदिन के क्रियाकलापों में शामिल होना चाहिए।

2. भोजनावकाश (Lunch and recess)

भोजनावकाश कब हो और कितने समय तक हो, यह अक्सर विद्यालय के प्रशासन के अधिकारी तय करते है। प्रत्येक दिन के क्रियाकलापों के लिए समय निर्धारित करते समय भोजनावकाश के समय को भी शामिल करना चाहिए।

3. प्रतिदिन के क्रियाकलाप (Schedule of Daily Activities)

प्रतिदिन के क्रियाकलापों के लिए समय निर्धारित करते समय कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसेः-

- प्रत्येक सत्र की अवधि करीब 30 से 40 मिनट तक होनी चाहिए। छोटे उम्र के (पूर्व-प्राथमिक, गहन तथा अति गंभीर) बच्चों के लिए यह अवधि 15 से 20 मिनट तक भी हो सकती है।
- दिन की शुरूआत में कुछ समय (5 से 10 मिनट) बच्चों के लिए ऐसे क्रियाकलाप निर्धारित किए जा सकते है जैसे - उनसे तिथि पूछना, जन्मदिन मनाना, टी.वी. के कार्य्रकमों के बारे में पूछना इत्यादि। छोटे बच्चों के लिए (पूर्व-प्राथमिक तथा प्राथमिक) कुछ समय उनके जूते/चप्पल खोलकर रखने के लिए भी दे सकते है जिनसे वे ये कौशल भी सीख सकें।
- सप्ताह में एक बार बच्चों को बाहर ले जाना चाहिए जैसे-पार्क में, बाज़ार में, इत्यादि।
- संगीत, खेलकूद एवं कला (art & craft) के सत्र के पहले और बाद में कुछ समय उन से संबंधित क्रियाकलापों को शुरू करने एवं समेटने के लिए निर्धारित करना चाहिए।
- पूरे दिन के आखिरी में 10-15 मिनट उस दिन के क्रियाकलापों को समझने में एवं घर जाने की तैयारी के लिए निर्धारित कर सकते है।
- बच्चों को दो बार मध्यावकाश देना चाहिए :- एक सुबह के समय (नाश्ते के समय) और एक दोपहर के समय (खाने के लिए)। छोटे बच्चों के लिए इसकी अवधि थोड़ी अधिक होनी चाहिए।

4. भौतिक वातावरण का प्रबन्धन (Managing the Physical Environment)

लफ्टिंग (Lufting 1987) के अनुसार कक्षा की भौतिक वातावरण की संरचना का सीखने-सिखाने की प्रक्रिया पर गहरा प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा इसका असर विद्यार्थियों को उनके संप्रेषण भाव पर एवं कक्षा में उनके व्यवहार पर भी पड़ता है।

- कक्षा की भौतिक संरचना करने से पहले कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे-कक्षा के फर्नीचर और उपकरण, कक्षा में इस्तेमाल किए जाने वाले कुर्सी, मेज (टेबल) इत्यादि बच्चों के आकार के हिसाब से बनवाने चाहिए। शिक्षकों एवं विद्यार्थियों के लिए अलग-अलग लॉकर और मेज हो सकते है। कक्षा की संरचना इस तरह से करनी चाहिए जिससे की विद्यार्थियों के अलग-अलग छोटे-छोटे समूह बनाकर बैठाए जा सकें। इससे अन्य क्रियाकलापों के लिए बैठने की व्यवस्था करने में मदद मिल सकती है । फर्नीचर इस तरह के हो जिसे कि कई क्रियाकलापों में इस्तेमाल किया जा

सके तथा एक जगह से दूसरी जगह आसानी से ले जाया जा सके । फर्नीचर टिकाऊ होने चाहिए, जिसके रख-रखाव में आसानी हो। अगर फर्नीचर को कोई नुकसान पहुँचे तो आसानी से उसे बदला जा सके।

- कक्षा में बैठने की व्यवस्था :- अकसर कक्षाओं में बच्चों को एक के पीछे एक के क्रम में बैठाते है जिससे कि उनके आपस में बातचीत नहीं हो पाती। बच्चों के छोटे-छोटे समूह बनाकर उनको बैठाना एक बेहतर तरीका है जिससे परस्पर बातचीत आसानी से होती है।

इसके अलावा चार्ल्स (Charles), 1980 के अनुसार फर्श, दीवार, आलमारी आदि के स्थान को भी ध्यान में रखना चाहिए।

- **फर्श पर उपलब्ध जगह (floor space) :** फर्श पर कितनी जगह उपलब्ध है जिससे हमें बैठने की व्यवस्था करने एवं कक्षा में एक जगह से दूसरी जगह आने-जाने में आसानी हो। इस तरीके से फर्श की जगह का इस्तेमाल कर सकते है।
- **क्रियाकलापों के लिए उपलब्ध जगह** : कक्षा में कराए जाने वाले क्रियाकलापों पर निर्भर करता है कि उसके लिए कितनी जगह की आवश्यकता है। जैसे- लिखने के लिए कम जगह की जरूरत होती है लेकिन कला (art & craft) के लिए अधिक जगह चाहिए। कला/प्रोजेक्ट के समय कुर्सी और टेबल को कोने मे रख सकते है, जिससे की बच्चों को अधिक जगह मिले। इसके अलावा कक्षा मे उपलब्ध जगहों का सही इस्तेमाल करके विद्यार्थियों के क्रियाकलापों के लिए अलग-अलग स्थान निर्धारित कर सकते है। कक्षा में बैठने की व्यवस्था इस तरीके की हो जिससे कि बच्चे एक स्थान से दूसरे स्थान आसानी से आ जा सके।
- **दीवार पर उपलब्ध जगह** : दीवार पर उपलब्ध जगह को श्यामपट्ट लगाने, समाचार बोर्ड लगाने एवं कक्षा के नियमों को दर्शाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। कक्षा से संबंधित क्रियाकलापों के विषय में सामग्री तैयार करके समाचार बोर्ड पर दर्शा सकते हैं।
- **छात्रों के कार्यो का प्रदर्शन (Displaying students work) :** बच्चों द्वारा बनाई गई वस्तुओं को प्रदर्शित करने से उनको काफी प्रोत्साहन मिलता है। इससे माता-पिता को भी अपने बच्चों द्वारा बनाई गई सामग्री को देखने का मौका मिलता है। इससे विद्यार्थियों को और बेहतर प्रदर्शन करने के लिए प्रेरणा मिलती है।
- **आलमारी में उपलब्ध स्थान** : आलमारी में कक्षा में इस्तेमाल किए जाने वाले उपकरणों को रख सकते हैं। जरूरत पड़ने पर विद्यार्थी इन उपकरणों को आसानी से निकाल सकते हैं।
- **टाइम आउट के लिए स्थान** : टाइम आउट तकनीक के प्रयोग के लिए कक्षा में एक अलग जगह निर्धारित की जानी चाहिए। सभी विद्यार्थियों को टाइम आउट देने की जरूरत नहीं पड़ती। इसलिए शिक्षक को सावधानीपूर्वक यह निर्णय लेना चाहिए।

प्रभावशाली कक्षा प्रबंधन के लिए कुछ जरूरी बातें :

1. कक्षा शुरू करने के पहले कुछ जरूरी बातें-

- शिक्षक को पहले से तय कर लेना चाहिए कि वह कक्षा में किस विषय पर पाठ पढ़ाएँगे।
- पाठ से संबंधित पाठ्य सामग्री को पहले से ही तैयार रखना चाहिए।

- पाठ को समय पर शुरू करना चाहिए।
- बैठने की व्यवस्था को पहले से ही तय कर लेना चाहिए।
- पाठ पढ़ाने से पहले उस पाठ से संबंधित कुछ क्रियाकलापों को करवाने से बच्चों की रुचि बढ़ती है।

2. किसी भी पाठ को बेहतर तरीके से पढ़ने के लिए कुछ जरूरी बातें ध्यान में रखनी चाहिए जैसे :-

- किसी भी लम्बे पाठ को दो छोटे-छोटे भागों में पढ़ाना बहुत प्रभावशाली होता है। एक ही विषय को समझाने के लिए अलग-अलग क्रियाकलाप हो सकते हैं। उदाहरण के तौर पर गिनती सिखाने के लिए:
  - बच्चे आपस में कुछ चीजें गिन कर उसका आदान-प्रदान कर सकते है।
  - बच्चों को छोटे-छोटे चित्र चिपकाने के लिए दे सकते है।
- विद्यार्थियों को जब एक नया क्रियाकलाप करने को दिया जाए, तो उसके बाद उन्हें कुछ ऐसा करने को देना चाहिए जो उन्हें पहले से ही आता हो। एक-एक बच्चे को क्रियाकलाप करवाने के बाद समूह में क्रिया करवानी चाहिए।
- शुरूआत में ही विद्यार्थियों को साफ तौर पर बता देना चाहिए कि उन्हें क्या करना है ? उनको दिए जाने वाले निर्देश स्पष्ट होने चाहिए।
- शिक्षक को क्रियाकलापों में कम से कम हस्तक्षेप करना चाहिए, जब जरूरत पड़े तभी विद्यार्थियों का मार्गदर्शन करना चाहिए।
- अच्छे व्यवहार के लिए प्रशंसा जरूर करनी चाहिए।
- शिक्षक को अपने चेहरे के हाव-भाव, विद्यार्थियों के साथ सम्पर्क और अपने शारीरिक स्थिति का भी ध्यान रखना चाहिए।
- किसी भी पाठ को पढ़ाने के बाद उससे संबंधित प्रश्न पूछने चाहिए।

3. बच्चों के साथ सही तालमेल बिठाने के लिए कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखना चाहिए जैसे :

- प्रत्येक बच्चे को एक अलग व्यक्तित्व मानना चाहिए।
- सभी बच्चों का नाम याद कर उन्हें उनके नामों से ही पुकारना चाहिए।
- सही रूप से कोई भी कार्य करने के बाद बच्चे की प्रशंसा जरूर करनी चाहिए।
- प्रत्येक दिन कुछ समय ऐसे विषयों पर बात करें जो कि पढ़ाई से संबंधित न हो।
- किसी एक विद्यार्थी के अपेक्षा पूरी कक्षा पर ध्यान देना चाहिए।

4. पाठ खत्म करने और कक्षा समाप्त करने के विषय में कुछ जरूरी बातें :

- पाठ पढ़ाना कक्षा समाप्त करने के कुछ क्षणों पहले ही बन्द कर देना चाहिए।
- पाठ की मुख्य बातों को अवश्य दोहराना चाहिए।

- अगर कुछ समय बच जाए, तो पाठ से संबधित कोई क्रियाकलाप करवा सकते हैं, जिससे विद्यार्थी उस पाठ को और भी बेहतर तरीके से समझ सकें।
- अगली कक्षा में कौन-से विषय में पढ़ाई होने वाली है, इसके बारे में विद्यार्थियों को थोड़ा सा बता सकते है। इससे विद्यार्थियों को मानसिक रूप से तैयार होने में मदद मिलती है।
- पाठ पढ़ाने के बाद उससे संबंधित प्रश्न जरूर पूछने चाहिए। इससे शिक्षक को विद्यार्थियों की समस्याओं को समझने और हल करने का मौका मिलता है।

इन चार बिन्दुओं के संबंध में जरूरी बातो को ध्यान में रखने से शिक्षक व्यवस्थित तरीके से कक्षा में पढ़ा सकते है।

कक्षा में विद्यार्थियों के व्यवहार संबंधी समस्याओं का प्रबंधन (Management of Problem Behaviour in the classroom)

अनुशासन किसी भी कक्षा एवं विद्यालय के कार्यों को प्रभावशाली एवं सुचारु रूप से चलाने के लिए बहुत जरूरी है। कक्षा में विद्यार्थियों के साथ जुड़ी हुई बहुत सारी व्यवहार की समस्याएँ हो सकती है। कुछ छात्र ऐसे होते है जो कक्षा के नियमों का पालन नहीं करते। ऐसी समस्याओं से निपटने के लिए हम व्यवहार परिमार्जन (behaviour modification) के तकनीकों का इस्तेमाल करते है।

व्यवहार परिमार्जन (behaviour modification) की पद्धति के अनुसार व्यवहार का उसके वातावरण के साथ संबंध होता है। यानी की कोई भी विद्यार्थी किसी भी व्यवहार को इसलिए करता है क्योंकि वह व्यवहार वातावरण द्वारा पुरस्कृत किया जाता है। इसलिए अगर किसी भी विद्यार्थी के व्यवहार में बदलाव लाना हो तो शिक्षक को उसके वांछनीय व्यवहार को पुरस्कृत करना चाहिए एवं उसके अवांछनीय व्यवहार को अनदेखा करना चाहिए।

वाकर तथा शियर (Walker & Shear, 1984) के अनुसार प्रभावशाली व्यवहार प्रबंधन के मूलतः पाँच नियम होते हैः

1. वांछनीय व्यवहार के पश्चात् ही प्रोत्साहन या पुनर्बलन (reinforcement) देना चाहिए।
2. वांछनीय व्यवहार के तुरंत बाद बिना समय गवाए पुनर्बलन (reinforcement) देना चाहिए।
3. शुरूआत में जितनी भी बार वांछनीय व्यवहार हो, उतनी बार पुनर्बलन (reinforcement) देना चाहिए।
4. एक बार उस वांछनीय व्यवहार सीखने के बाद हर बार पुनर्बलन (reinforcement) देनी की आवयकता नहीं होती। तब अन्तरकालिक पुनर्बलन (Intermittent reinforcement) का प्रयोग करना चाहिए।
5. मूर्त पुनर्बलन (Tangible reinforcement) (अर्थात् विद्यार्थी को कोई भी वस्तु देकर प्रोत्साहित करना) के साथ हमेशा सामाजिक पुनर्बलक (social reinforcer) (अर्थात् बच्चे की मौखिक प्रशंसा करना) का प्रयोग करना चाहिए ताकि आगे चलकर मूर्त पुनर्बलक (Tangible reinforcement) की आवश्यकता न पड़े।

व्यवहार को परिमार्जित करने के पाँच चरण होते है :-

1. लक्ष्य व्यवहार (Target behaviour) :- जिस व्यवहार को सिखाना/बदलना चाहते है उसका चयन करना।
2. आधारभुत आँकड़े (Baseline data) एकत्र करना :- अर्थात् वह व्यवहार उस वातावरण में कितनी बार होता है।
3. पुनर्बलक (Reinforcer) कि पहचान करना।
4. व्यवहार परिमार्जन कार्यक्रम को क्रियांवित करना।
5. व्यवहार परिमार्जन कार्यक्रम का मूल्यांकन करना।

वांछनीय व्यवहार को बढ़ाने/सिखाने के तरीके

1. **शेपिंग (Shaping) :** शेपिंग में हम धीरे-धीरे पुनर्बलन (reinforcement) का प्रयोग करके वांछनीय व्यवहार सिखाने का प्रयास करते है। यह क्रमबद्ध तथा सुव्यवस्थित पुनर्बलन है जो कि लक्ष्य व्यवहार के संभावित चरणबद्ध सफलता को प्राप्त करने में सहायक होता है।

शेपिंग के निम्न चरण होते है:-

- जिस व्यवहार को सिखाना चाहते है, उस व्यवहार को व्यवहारिक रूप (behavioural terms) में व्यक्त करना।
- आधारभूत आँकड़े (Baseline data) एकत्र करना, अर्थात् वह व्यवहार उस वातावरण में वह व्यवहार कितनी बार होता है।
- पुनर्बलक (Reinforcer) कि पहचान तथा चुनाव करना।
- वांछनीय व्यवहार जब धीरे-धीरे बढ़ता है, उसको पुनर्बलन (reinforcement) मिलना चाहिए।
- अन्तरकालिक पुनर्बलन का (intermittent reinforcement) सही समय पर इस्तेमाल करना अर्थात् जब विद्यार्थी उस वांछनीय व्यवहार को करना सीख जाए, उसके पश्चात् ही अन्तरकालिक पुनर्बलन (intermittent reinforcement) का प्रयोग करना।

2. **माडलिंग/सामाजिक अधिगम (Modeling/social learning)** :- माडलिंग/सामाजिक अधिगम (Modeling/social learning) वाइकेरियस पुनर्बलन (vicarious reinforcement) की पद्धति पर आधारित है। वाइकेरियस पुनर्बलन में जिस विद्यार्थी के व्यवहार में हम परिवर्तन लाना चाहते है, उसे पुनर्बलन नहीं देते, बल्कि किसी दूसरे विद्यार्थी को उसके वांछनीय व्यवहार के लिए पुरस्कृत करते है, जिससे कि इस विद्यार्थी (जिसका हम व्यवहार परिवर्तन करना चाहते है) को वह वांछनीय व्यवहार करने के लिए प्रोत्साहन मिले। वायकेरियस पुनर्बलन कि पद्धति कक्षा में निम्न प्रकार से काम कर सकती है -

- **छात्रों के व्यवहार प्रबंधन में** : दूसरे विद्यार्थियों को वांछनीय व्यवहार के लिए प्रोत्साहन मिलता हुआ देखकर अन्य विद्यार्थियों को भी उस वांछनीय व्यवहार को दर्शाने का प्रोत्साहन मिलता है।
- **पीयर मॉडलिंग तथा पीयर ट्यूटरिंग (Peer modeling and peer tutoring) :** विद्यार्थी अपनी ही कक्षा के दूसरे विद्यार्थी को मॉडल के रूप में देखकर उनके वांछनीय व्यवहार को स्वयं सीख सकते है। कक्षा में शिक्षक सही विद्यार्थी मॉडल के रूप में नियुक्त कर सकती है।

- **बडी सिस्टम (Buddy system) :** जो विद्यार्थी अवांछनीय व्यवहार करते हैं, उनको उन विद्यार्थियों के साथ दोस्ती करा सकते हैं जो कि वांछनीय व्यवहार करते है, जिससे कि एक टीम बनकर वह अवांछनीय व्यवहार को कम कर सके। वांछनीय व्यवहार दर्शाने पर उनको पुनर्बलन (reinforcement) मिलता है।

कंटिंजेंसी कांट्रैक्टिंग (Contingency contracting) : शिक्षक और विद्यार्थी के बीच का एक समझौता होता है जिसके अंतर्गत यह तय करते है कि अगर विद्यार्थी किसी वांछनीय व्यवहार को दर्शाता है, तो उसके लिए किसी पुनर्बलन (reinforcement) का चुनाव किया जाएगा। शिक्षक और विद्यार्थी के बीच का यह समझौता लिखित या मौखिक रूप से हो सकता है।

समझौते (Contract) के कुछ नियम इस प्रकार से है :

- समझौते निर्धारण के बाद उस पर तुरन्त अमल शुरू हो जाना चाहिए।
- शुरूआत में वांछनीय व्यवहार को धीरे-धीरे बढ़ाने पर जोर देना चाहिए।
- समझौते के अन्तर्गत पुनर्बलन नियमित अन्तराल पर कम मात्रा में दिया जाते रहना चाहिए, न कि लंबे समय बाद अधिक मात्रा में।
- इस पद्धति को कक्षा में सीखने-सिखाने के कार्य्रकम का अभिन्न अंग बनाना चाहिए।
- विद्यार्थी से किस प्रकार की व्यवहार की उम्मीद की जाती है, यह उसे स्पष्ट रूप से बताया जाना चाहिए। इस समझौते के अनुसार पुनर्बलन विद्यार्थी को वांछनीय व्यवहार दर्शाने पर मिलना चाहिए।
- किस तिथि पर समझौता दोबारा लागू किया जाएगा, यह भी शिक्षक और विद्यार्थी को आपस में तय कर लेना चाहिए।

क्लास कंटिंजेंसी (Class contingencies) अर्थात् कि एक विद्यार्थी के बजाय पूरी कक्षा को अर्थात सभी छात्रों को मिलाकर उनके वांछनीय व्यवहार के लिए पुरस्कृत किया जाता है और पूरी कक्षा को उस वांछनीय व्यवहार दर्शाने के लिए प्रोत्साहित करते है।

टोकन प्रणाली (Token economy) :

टोकन प्रणाली (Token economy) की पद्धति में विद्यार्थियों को उनके वांछनीय व्यवहार के लिए टोकन दिया जाता है, और इस टोकन के बदले में उनको मूर्त पुनर्बलन (tangible reinforcement) अर्थात पुरस्कार के रूप में कोई वस्तु या कोई अन्य क्रियाकलाप करने को मिलता है। टोकन प्रणाली के कुछ नियम इस प्रकार से है :-

हर एक विद्यार्थी के लिए वांछनीय व्यवहार का चुनाव करना। वांछनीय व्यवहार अलग-अलग विद्यार्थियों के लिए अलग-अलग हो सकते है।

- विद्यार्थियों को बताना कि उनसे किस प्रकार की वांछनीय व्यवहार की उम्मीद की जाती है।
- टोकन मिलने के नियम विद्यार्थियों को बताना।
- सही टोकन का चुनाव करना।
- टोकन के बदले में पुनर्बलक (reinforcer) पाने के नियम बताना।

- पुरस्कार के रूप में बच्चे क्या-क्या पा सकते हैं, इसका एक चार्ट बनाकर कक्षा में लगाना।
- टोकन प्रणाली को क्रियांवित करना।
- शुरूआत में वांछनीय व्यवहार के लिए टोकन देने के तुरन्त बाद उसके बदले में पुरस्कार देना चाहिए। धीरे-धीरे टोकन देने के कुछ समय बाद पुरस्कार दे सकते है।
- सही समय पर टोकन का अन्तरकालिक पुनर्बलन (intermittent reinforcement) के रूप में देना।
- पुरस्कार के रूप में दिए जाने वाली वस्तुओं को बदलते रहना चाहिए ताकि बच्चे उनसे न ऊबे।

* * *

अध्याय 18

समावेशित शिक्षा
Inclusive Education

भारत सरकार द्वारा वर्ष 2009 में संविधान के 86 वें संशोधन के तहत अध्याय 21A में शिक्षा का अधिकार बिल (Right to Education Act) को शामिल किया गया है। इसके अंतर्गत 06 से 14 वर्ष की आयु के प्रत्येक बच्चे को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। सरकारी विद्यालय सभी बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करेंगे। इसके अतिरिक्त निजी विद्यालयों भी कम से कम 25% विद्यार्थियों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करेंगे।

इस प्रकार कोई भी बच्चा चाहे वह किसी भी प्रकार की अक्षमता से प्रभावित हो अथवा किसी भी स्तर की अक्षमता से प्रभावित हो, सभी को उसके समुदाय में स्थित नियमित विद्यालयों में उपयुक्त शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है।

सर्व शिक्षा अभियान इस दिशा में प्रयासरत है। इसके अंतर्गत 6-14 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों को कक्षा 1 से 8 तक की शिक्षा की व्यवस्था की गई है। इसके अंतर्गत कई राज्यों में परिभ्रामी अध्यापकों की व्यवस्था भी की गई है जो नियमित रूप से विद्यालयों में भ्रमण कर अक्षमता से प्रभावित बच्चों को अतिरिक्त शैक्षणिक सहायता उपलब्ध कराते है। जहाँ तक बात शारीरिक रूप से अक्षम, श्रवण अक्षम और दृष्टि अक्षम बच्चों की है, यह देखा गया है कि उन्हें शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ने में उल्लेखनीय सुधार हुआ है किन्तु बौद्धिक अक्षम बच्चों की यदि बात की जाए तो उन्हे शिक्षा की मुख्यधारा में शामिल करना अपेक्षाकृत अधिक चुनौतीपूर्ण कार्य है।

समावेशित शिक्षा (Inclusive Education)

समावेशित शिक्षा एक व्यवस्था है जिसके अंतर्गत विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे अपने निकटतम विद्यालय में आयु उपयुक्त कक्षा व्यवस्था में नियमित विद्यार्थियों के साथ शिक्षा प्राप्त करते है तथा उन्हें उनकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं के अनुसार सहायता एवं निर्देश प्रदान किए जाते हैं।

जहाँ एक और समेकित शिक्षा के अंतर्गत विशेष बच्चे को शैक्षणिक व्यवस्था में शामिल करने का प्रयास किया जाता हैं वहीं समावेशित शिक्षा के अंतर्गत इस प्रकार की व्यवस्था बनाने का प्रयास किया जाता है कि कोई भी छात्र किसी भी प्रकार की समस्या से प्रभावित हो वह बिना किसी बाधा के उस व्यवस्था का हिस्सा बन सके। इस प्रकार समेकित शिक्षा में हम बच्चे पर केंद्रित होकर कार्य करते हैं जबकि समावेशित शिक्षा के अंतर्गत एक ऐसी व्यवस्था के निर्माण का प्रयास करते हैं जिसमें सभी प्रकार के विकल्प उपलब्ध हो सके।

समावेशित शिक्षा की अवधारणा निम्नलिखित मान्यताओं पर आधारित है:-

1. हम सभी सीख सकते है (We all can learn)

सीखने अथवा अधिगम की प्रवृत्ति सभी मनुष्यों में विद्यमान होती है। यद्यपि अधिगम के स्तर तथा गति में विभिन्न कारणों से भिन्नताएँ पाई जा सकती हैं। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि सभी बौद्धिक अक्षम बच्चों में अधिगम की क्षमता किसी न किसी रूप में विद्यमान होती है, चाहे उनका बौद्धिक स्तर कुछ भी हो। अतः सभी बच्चों को उनके अनुकूल शैक्षणिक अनुभव प्रदान करने की व्यवस्था की जानी चाहिए।

2. हम सभी भिन्न है (We all are different)

सभी मनुष्य किसी न किसी रूप में एक दूसरे से भिन्न होते है। एक कक्षा के सभी विद्यार्थी एक जैसे नहीं हो सकते। किसी विद्यार्थी की रूचि शैक्षणिक क्रियाओं में अधिक होती है तो किसी की रूचि खेल-कूद, गीत-संगीत अथवा कला में अधिक हो सकती है। जब एक शिक्षक किसी कक्षा में अध्यापन कार्य कर रहा होता है तो वह स्वतः अलग-अलग रूचि एवं योग्यता वाले विद्यार्थियों को एक साथ पढ़ाने का प्रयास करता है। बौद्धिक अक्षम बच्चों की यदि हम बात करें तो उनमें भिन्नता का स्तर अपेक्षाकृत अधिक होता है।

3. हम सभी समाज के अंग है तथा समाज में हमारी भूमिका है (We all belong and have a role in society)

समाज का प्रत्येक व्यक्ति उसका महत्वपूर्ण अंग होता है तथा समाज की उससे कुछ अपेक्षाएँ होती हैं। अतः इन अपेक्षाओं की पूर्ति करने के लिए बौद्धिक अक्षम व्यक्तियों को योग्य बनाने का प्रयास किया जाना उतना ही आवश्यक है जितना की नियमित विद्यार्थियों को और यह कार्य समाज में रहकर ही पूरा हो सकता है।

4. समाज के द्वारा भिन्नताएँ पैदा की जाती है (Societies are involved in creating difference)

आज-कल विकलांगता को सामाजिक परिप्रेक्ष्य से अधिक देखा जा रहा है। किसी व्यक्ति की अक्षमता उसके विकास के लिए उतनी बाधक नहीं होती जितना कि समाज का नकारात्मक दृष्टिकोण तथा गलत धारणाएँ। इससे व्यक्ति अपना आत्मविश्वास खो देता है तथा समाज से कट जाता है। अतः एक ऐसी व्यवस्था को विकसित किए जाने की आवश्यकता है जिसमें किसी भी बौद्धिक अक्षम बच्चे को किसी भी स्तर पर भेदभाव का सामना न करना पड़े।

समावेशित शिक्षा की आवश्यकता क्यों ? (Why Inclusive Education required?)

1. समावेशित शिक्षा देश के सभी हिस्सों में रहने वाले अक्षमताग्रस्त व्यक्तियों के लिए सुगम्य है। चूँकि शिक्षा की व्यवस्था निकटतम विद्यालयों में की जानी है, अतः दूरी, भौगोलिक स्थिति, आदि बाधाएँ अपने आप दूर हो जाती है।
2. समावेशित शिक्षा के अंतर्गत थोड़े-बहुत सुधार के साथ वर्तमान स्थापत्य अर्थात् विद्यालय भवनों आदि का उपयोग किया जा सकता है। अतः इसके लिए अलग से किसी प्रकार के बड़े निर्माण कार्य की आवश्यकता नहीं होती ।
3. समावेशित शिक्षा के अंतर्गत शिक्षा नियमित विद्यालय व्यवस्था के अंतर्गत ही प्रदान की जाती है। अतः इसमें होने वाला व्यय न्यूनतम होता है।

4. शुरूआती वर्षो में अक्षमताग्रस्त बच्चों के सामाजिक अलगाव की दर को कम करती है। बच्चे नियमित विद्यालयों में जाकर पढ़ सकते है इसलिए उनका नामांकन शीघ्रता से किया जा सकता है। विद्यालय में वे नियमित विद्यार्थियों के साथ अध्ययन करते हैं तथा आसानी से घुल-मिल जाते है। अतः सामाजिक अलगाव जैसी स्थिति उत्पन्न नहीं हो पाती है।
5. अक्षमताग्रस्त व्यक्ति जब नियमित शैक्षणिक व्यवस्था में शिक्षा प्राप्त करते है तो उनमें बराबरी का भाव विकसित होता है एवं वे स्वयं को सम्मानित अनुभव करते है।
6. अक्षमताग्रस्त व्यक्ति को उपयुक्त शिक्षा उपलब्ध कराए जाने पर उनके परिवार तनावमुक्त एवं सहज महसूस करते है।
7. वैधानिक बाध्यताः भारत सरकार द्वारा शिक्षा के अधिकार अधिनियम पारित किए जाने के बाद अब प्रत्येक व्यक्ति के लिए उपयुक्त शैक्षणिक व्यवस्था उपलब्ध कराना हमारी जिम्मेदारी बन गई हैं। इसके पहले भारत सरकार ने अक्षमताग्रस्त व्यक्तियों के अधिकारों के लिए संयुक्त राष्ट्र समझौते पर भी हस्ताक्षर किए थे। अतः प्रत्येक व्यक्ति के लिए उपयुक्त शिक्षा प्रदान करने की जवाबदेही भारत सरकार की है और समावेशित शिक्षा इसका एकमात्र माध्यम है।

बौद्धिक अक्षम बच्चों के लिए समावेशित शिक्षा (Inclusive education for children with Intellectual Disability)

समावेशित कक्षा के अंतर्गत नियमित विद्यार्थियों, अन्य अक्षमताग्रस्त छात्रों के साथ-साथ बौद्धिक अक्षम छात्र भी शामिल होंगें। बौद्धिक अक्षम बच्चों को उपयुक्त शिक्षा प्रदान करने के लिए उनकी विभिन्न आवश्यकताओं एवं विशेषताओं की जानकारी जरूरी है। जैसा कि हम पहले के अध्यायों में पढ़ चुके है, बौद्धिक अक्षम बच्चों में निम्नलिखित विशेषताएँ पाई जाती है।

1. विकास में धीमापन प्रदर्शित करते हैं।
2. उनकी बुद्धिलब्धि में सारभूत सीमितता पाई जाती है।
3. अधिगम की गति धीमी होती है।
4. कार्य को बार-बार दोहराने की आवश्यकता होती है।
5. विचारों को मूर्त स्वरूप प्रदान करने की आवश्यकता होती है।
6. अवधान की कमी होती है।
7. अधिगम के लिए कार्य को छोटी-छोटी इकाइयों में बाँटने की आवश्यकता होती है।
8. सूक्ष्म गामक समन्वय में समस्या हो सकती है।
9. कभी-कभी दौरे आते हैं।
10. बौद्धिक अक्षम बच्चे के साथ अतिरिक्त स्थितियाँ जैसे - श्रवण अक्षमता, दृष्टि अक्षमता, प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात, आदि हो सकती है।
11. बौद्धिक अक्षम बच्चों को शैक्षणिक विषयों में अधिक समस्याएँ होती हैं।

बौद्धिक अक्षम बच्चों को समावेशित शिक्षा प्रदान करनें में निम्नलिखित बिंदुओं पर ध्यान दिया जाना आवश्यक हैः-

1. बौद्धिक अक्षम बच्चों की शीघ्र पहचान (Early identification of children with Intellectual Disability)

बौद्धिक अक्षम बच्चों की पहचान ऐसे क्षेत्रों में करना जहाँ कि शिक्षा का स्तर कम है, एक चुनौतीपुर्ण कार्य है। अल्प (mild) बौद्धिक अक्षम बच्चों को, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में पहचान कर पाना कठिन होता है। ग्रामीण क्षेत्रों में होने वाली क्रियाओं जैसे-कृषि, पशुपालन आदि को वे कर लेते है। प्रायः उन्हें 'बुद्धु' कहा जाता है किन्तु वे बौद्धिक अक्षम है इसकी जानकारी कम लोगों को ही हो पाता है। इसके अतिरिक्त विकलांगता की जाँच के लिए जनपद स्तर पर गठित मेडिकल बोर्डो में मनोवैज्ञानिकों की कमी है जिससे अधिकांश बच्चों की बुद्धिलब्धि की जाँच हो ही नहीं पाती है।

इस प्रकार हम पाते है कि कई क्षेत्रों में बौद्धिक अक्षम बच्चों की पहचान बहुत देर से हो पाती है जो कि उनके विकास में बाधक है। इसलिए उपयुक्त उपकरणों के माध्यम से उनकी शीघ्र पहचान की व्यवस्था की जानी बहुत जरूरी है।

2. शीघ्र हस्तक्षेप (Early intervention)

बौद्धिक अक्षमता के संबंध में अभी भी लोगों में काफी अंधविश्वास देखा जाता है। अतः समस्या दिखाई देने पर बच्चों को विशेषज्ञों के पास ले जाने के स्थान पर वे टोना-टोटका, आदि करना शुरू कर देते है। इससे काफी समय बेकार चला जाता है तथा कई बार स्थिति और बिगड़ जाती है।

अतः बौद्धिक अक्षमता के बारे में जैसे ही पता चले बच्चे को उपयुक्त विशेषज्ञ के पास ले जाना चाहिए तथा उसके द्वारा तैयार किए गए कार्यक्रम को क्रियान्वित किया जाना चाहिए।

3. बौद्धिक अक्षम बच्चों की शिक्षा के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण (Positive attitude towards the education of children with Intellectual Disability)

बौद्धिक अक्षम बच्चो की शिक्षा को कई बार गंभीरतापूर्वक नहीं लिया जाता। कुछ अभिभावक भी बच्चे को शिक्षा प्राप्त करने के लिए विद्यालय भेजने में रूचि नहीं लेते। इसके परिणाम स्वरूप बच्चा घर पर ही रहता है। विद्यालय में भी शिक्षक बच्चे के शैक्षणिक रूप से पिछड़ा होने के कारण उसकी शैक्षणिक आवश्यकताओं को पूरा करने पर गंभीरतापूर्वक ध्यान नहीं देते।

जबकि इसके विपरीत यह देखा गया है कि यदि बौद्धिक अक्षम बच्चे को शुरू से ही उपयुक्त शिक्षा प्रदान की जाए तो वे सही दिशा में प्रगति करते हैं तथा आगे चलकर जीवन में आत्मनिर्भर भी बन सकते हैं। अतः बौद्धिक अक्षम बच्चों की शिक्षा के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रखने की अवश्यकता है।

4. दैनिक क्रियाकलापों में आत्म निर्भरता (Independence in Activities of Daily Living)

कई बौद्धिक अक्षम बच्चे ऐसे होते है जिन्हे शीघ्र हस्तक्षेप प्रदान नहीं किया जाता अथवा जिनकी विकलांगता का स्तर अधिक है। ये बच्चे विद्यालयों में प्रवेश लेने की आयु तक आवश्यक दैनिक क्रियाकलापों जैसे - ब्रश करना, भोजन करना, शौच करना आदि में आत्मनिर्भर नहीं हो पाते। इन कारणों से इन्हें नियमित विद्यालयों में प्रवेश प्रदान करना संभव नहीं हो पाता है।

अतः इन बच्चों को विद्यालय जाने से पूर्व दैनिक जीवन के क्रियाकलापों में आत्म निर्भर बनाने के लिए सुव्यवस्थित प्रयास किए जाने चाहिए।

5. समस्यात्मक व्यवहारों का प्रबन्धन (Management of Problem Behaviors)

अधिकांश बौद्धिक अक्षम बच्चों में नियमित विद्यार्थियों की तुलना में अधिक समस्यात्मक व्यवहार देखे जा सकते हैं, जैसे - अन्य बच्चों को मारना, काटना, सिर पटकना, वस्तुएँ फेंकना आदि। इसके कारण उसका अपने सहपाठियों के साथ अच्छा संबंध बनाने में समस्या होती है तथा शिक्षक भी उसे कक्षा से बाहर ही रखता चाहते है। अतः बौद्धिक अक्षम बच्चों विद्यार्थियों के समस्यात्मक व्यवहारों को कम करने के लिए व्यवहार परिमार्जन तकनीकों का प्रयोग किया जाना चाहिए।

6. संसाधन कक्ष की व्यवस्था (Arrangement of Resource Room)

बौद्धिक अक्षम बच्चे शैक्षणिक क्रियाओं में पिछड़े होते है। सामान्य विधि से शिक्षण प्रदान करने पर उन्हें अवधारणाओं को समझने में समस्या होती है। इसके अतिरिक्त यदि सिखाई गई अवधारणा का नियमित समय अन्तराल पर अभ्यास न कराया जाए तो वे उसे आसानी से भूल जाते है। इस प्रकार उन्हें नियमित कक्षा में शामिल करना बहुत कठिन हो जाता है।

अतः बौद्धिक अक्षम छात्रों के लिए संसाधन कक्ष की व्यवस्था की जानी चाहिए जहाँ उन्हे विशेष शिक्षक द्वारा प्रशिक्षित किया जाएगा तथा उनकी विशेष शैक्षणिक समस्याओं को दूर किया जाएगा। इसके पश्चात् अन्य क्रियाओं के लिए वापस कक्षा में भेज दिया जाएगा। संसाधन कक्ष में विशेष बच्चों से संबंधित सभी आकलन उपकरण, शिक्षण अधिगम सामग्री, सहायक उपकरण, आदि उपलब्ध होने चाहिए। इसके अतिरिक्त पूर्ण-कालिक संसाधन शिक्षकों (Resource Teachers) की उपलब्धता भी अत्यन्त आवश्यक है।

7. सहयोगात्मक शिक्षण (Buddy teaching)

नियमित कक्षा में किसी अध्यापक के लिए किसी बौद्धिक अक्षम बच्चे की विशेष आवश्यकताओं पर नियमित रूप से विशेष ध्यान देना संभव नहीं हो पाता हैं। जबकि बौद्धिक अक्षम बच्चे को कहीं आने-जाने, शैक्षणिक क्रियाओं, खेलकूद आदि में अक्सर सहायता की आवश्यकता होती है।

इसके लिए कक्षा अध्यापक उस बच्चे की सहायता के लिए उसके किसी सहपाठी को उसका सहयोगी (Buddy) बना सकता हैं जो कि उसकी जरूरतों को पूरा करने में उसकी सहायता करेगा। बच्चे द्वारा सफलता प्राप्त करने पर उसके साथ-साथ उसके सहयोगी को भी पुरस्कृत किया जाएगा। किन्तु सहयोगी नियुक्त करते समय शिक्षक को यह ध्यान रखना चाहिए कि उसका दृष्टिकोण उस बौद्धिक अक्षम बच्चे के प्रति सकारात्मक हो तथा वह बिना किसी दबाव के सहर्ष सहायता प्रदान करने के लिए तत्पर हो।

जिन बच्चों के माता-पिता अशिक्षित है उन्हें घर में उपयुक्त शिक्षण देने की जिम्मेदारी के लिए पड़ोस के किसी शिक्षित व्यक्ति अथवा किसी अवकाश प्राप्त व्यक्ति को तैयार किया जा सकता है।

8. बाधारहित वातावरण (Barrier free environment)

कई बौद्धिक अक्षम छात्रों में गामक समस्याएँ भी देखी जा सकती है। अतः उनके लिए बाधारहित वातावरण तैयार किया जाना जरूरी हो जाता है। इसके लिए विद्यालय में रैम्प, हैंडरेल आदि की व्यवस्था की जानी चाहिए।

9. मूल्यांकन की प्रक्रिया लचीली होनी चाहिए (Flexibility in evaluation)

कई बौद्धिक अक्षम बच्चे तिमाही, छमाही अथवा वार्षिक परीक्षाओं में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते। अतः उनका निरंतर मूल्यांकन किया जाना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त कई बच्चे ऐसे भी होते है जो कि किसी उत्तर को मौखिक दे सकते हैं किन्तु लिखित रूप में नही दे पाते। अतः ऐसे बच्चों का मूल्यांकन मौखिक आधार पर किए जाने की व्यवस्था होनी चाहिए।

10. शिक्षकों का नियमित प्रशिक्षण (Regular training of teachers)

विद्यालयों में कार्यरत अध्यापकों को समावेशित शिक्षा के विभिन्न विषयों पर समय-समय पर प्रशिक्षित किया जाना आवश्यक जिससे वे समावेशित शिक्षा में हो रहे परिवर्तनों के अनुसार स्वयं को तैयार कर सकें। शिक्षकों को बौद्धिक अक्षम छात्रों की योग्यताओं का सही आकलन करने, उनके लिए उपयुक्त पाठ्यक्रम अनुकूलन करने तथा उपयुक्त मूल्यांकन एवं शिक्षण तकनीकों का उपयोग करने के लिए तैयार किया जाना आवश्यक है।

11. अनुकूलन तथा छूट (Adaptation and concessions)

कुछ बौद्धिक अक्षम छात्रों को क्रियाओं को करने में समस्या होती हैं जैसे- बटन बंद करना, जिप बंद करना, जूते के फीते बाँधना। अतः इसके लिए हम वेल्क्रो या पुश बटन वाली शर्ट, इलास्टिक पैंट, बिना फीते वाले जूते, आदि का प्रयोग कर सकते है। विद्यालय द्वारा इसके लिए अनुमति प्रदान की जानी चाहिए। इसके अतिरिक्त बौद्धिक अक्षम छात्रों हेतु निःशुल्क पुस्तकों, शिक्षण अधिगम सामग्रियों तथा छात्रवृति की व्यवस्था भी की जा सकती है।

12. व्यवसायिक प्रशिक्षण एवं रोज़गार (Vocational Training and Employment)

बौद्धिक अक्षम बच्चों द्वारा कक्षा के स्तर में प्रगति करने के साथ-साथ शैक्षणिक क्रियाकलापों में अधिक समस्याएँ प्रदर्शित की जाती है। अल्प (mild) बौद्धिक अक्षम बच्चे भी कक्षा 6 तक के शैक्षणिक पाठ्यक्रम को अनेक प्रयासों के बाद किसी तरह पूरा कर पाते हैं। अतः कक्षा 7 व 8 में उनके लिए करने को ज्यादा कुछ नहीं होता है।

ऐसी स्थिति में विद्यालय में व्यवसायिक प्रशिक्षण की व्यवस्था होनी अत्यंत आवश्यक है जिससे उन्हें उपयुक्त प्रशिक्षण देकर रोज़गार के लिए तैयार किया जा सके।

यदि बच्चे द्वारा शैक्षणिक क्रियाओं में रूचि प्रदर्शित की जाती है तो आगे चलकर राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयों में उसे प्रवेश दिलाया जा सकता है जहाँ प्रत्येक 6 माह में परीक्षा देने की व्यवस्था है तथा एक बार में एक या दो विषयों में भी परीक्षा दी जा सकती है।

13. उपयुक्त समन्वय (Coordination)

समावेशित शिक्षा की सफलता के लिए अभिभावक, नियमित शिक्षक, विशेष शिक्षक, विद्यालय प्रशासन तथा सरकारी एवं गैर सरकारी संगठनों में प्रत्येक स्तर पर पारदर्शिता एवं समन्वय होना बहुत जरूरी है। समावेशित शिक्षा को सफल बनाने के लिए संगठित प्रयास किया जाना आवश्यक है।

अतः हम देखते है कि यदि उपरोक्त बिन्दुओं पर सही कार्यवाही की जाए तो समावेशित शिक्षा को निश्चित रूप से सफल बनाया जा सकता है।

* * *

समावेशी शिक्षा है
समय की आवश्यकता ।

अध्याय 19

विकलांग व्यक्तियों के राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय कानूनी प्रावधान

National and International Legal Provisions for Persons with Disabilities

1. भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम 1992 (Rehabilitation Council of India Act 1992):

अनेक विकासशील देशों द्वारा यह अनुभव किया जाता रहा है कि पुनर्वास हेतु प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण एक स्वैच्छिक प्रयास है जिसे विभिन्न अवधारणाओं, मान्यताओं तथा दृष्टिकोणों के माध्यम से किया जाता है। इसके परिणामस्वरूप प्रशिक्षण कार्यक्रम की विषवस्तु, उद्देश्य तथा तरीका भिन्न होता था। विशेष विद्यालयों में बड़ी संख्या में अप्रशिक्षित शिक्षक कार्य कर रहे थे। यदि वे प्रशिक्षित भी थे तो उनके प्रशिक्षण की अवधि 03 दिन से लेकर 03 वर्ष तक की हो सकती थी। कार्यक्रम को सरकार अथवा किसी शिक्षा बोर्ड से मान्यता प्राप्त करना आवश्यक नहीं था।

देश में पुनर्वास के क्षेत्र में मानव संसाधन विकास कार्यक्रमों में निरंतरता तथा एकरूपता लाने के उद्देश्य से भारतीय पुनर्वास परिषद का गठन किया गया जो कि सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त निकाय है। इस अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक पुनर्वास व्यवसायिक जिसमे विशेष शिक्षक भी शामिल है, को भारतीय पुनर्वास परिषद से मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थान से प्रशिक्षण प्राप्त करने के पश्चात् स्वयं को भारतीय पुनर्वास परिषद द्वारा पंजीकृत कराना आवश्यक है।

मानकों को बनाए रखने के लिए प्रशिक्षण संस्थानों का निरीक्षण भारतीय पुनर्वास परिषद द्वारा किया जाएगा। भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम भारत सरकार द्वारा विकलांग व्यक्तियों की शिक्षा, प्रशिक्षण तथा प्रबन्धन में गुणवत्ता लाने के लिए एक बड़ा कदम है।

भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम के 03 अध्याय हैं :

- प्रथम अध्याय में परिभाषाएँ दी गईं हैं।
- अध्याय दो में समितियों के निर्माण तथा अन्य विषयों की व्याख्या की गई है।
- अध्याय तीन में भारतीय पुनर्वास परिषद के कार्यो की विस्तारपूर्वक व्याख्या की गई है।

भारतीय पुनर्वास परिषद के कार्य :

- भारत में पुनर्वास व्यवसायिकों को विश्वविद्यालयों, आदि के द्वारा प्रदान की जा रही योग्यताओं, आदि को मान्यता प्रदान करना।

- भारत के बाहर के संस्थानों के द्वारा प्रदान की जा रही योग्यताओं को मान्यता प्रदान करना।
- सूची में शामिल योग्ताएँ रखने वाले व्यक्तियों को पंजीकरण का अधिकार प्रदान करना।
- अध्ययन के लिए पाठ्क्रमों तथा परीक्षाओं से संबंधित सूचनाएँ प्रदान करना।
- परीक्षाओं के समय निरीक्षण करना।
- मान्यता को रद्द करना।
- शिक्षा के लिए न्यूनतम मानकों को तय करना।
- पंजीकरण।
- पंजीकृत व्यवसायिकों को विशेष सुविधाएँ उपलब्ध कराना।
- अस्थायी रूप से रजिस्टर से नाम हटाना।
- रजिस्टर में नाम हटाने के विरुद्ध अपील की सुनवाई करना।
- रजिस्टर को व्यवस्थित रखना।
- परिषद द्वारा सूचनाएँ उपलब्ध कराना।
- नियमों के उल्लंघन पर नज़र रखना।
- आवश्यक कार्यवाही करना।
- परिषद के कर्मचारी जन सेवक के रूप में कार्य करेंगे।
- नियमों के निर्माण का अधिकार।
- नियंत्रण कार्यक्रम बनाने का अधिकार।
- संसद में नियम तथा नियंत्रण कार्यक्रमों को प्रस्तुत करना।

टिप्पणी :- कृपया विस्तृत विवरण के लिए भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम 1992 की प्रमाणित प्रति का अवलोकन करें।

2. विकलांग व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण एवं पूर्ण भागीदारी) अधिनियम 1995

Persons with Disability (Equal opportunity, Protection of Rights & Full Participation) Act 1995:

अधिनियम के उद्देश्यः-

इस अधिनियम को संसद द्वारा 12 दिसंबर 1995 को पारित किया गया तथा 7 फरवरी 1996 को अधिसूचित किया गया। इस अधिनियम का उद्देश्य विकलांग व्यक्तियों को सुविधाएँ व सेवाएँ प्रदान करने के लिए केंद्रीय और राज्य सरकारों, स्थानीय निकायों का दायित्व निर्धारण करना है जिससे वे देश के उत्पादक व उपयोगी नागरिक के रूप में समान अवसर के लिए भागीदारी कर सकें। इस अधिनियम में विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों व उन सुविधाओं की सूची है जो कानूनी तौर पर लागू हो सकते हैं।

यह एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। इस अधिनियम में पुनर्वास के निवारक तथा प्रवर्धक दोनों प्रकार के पुनर्वास वस्तुओं तथा विकलांग व्यक्तियों के लिए शिक्षा, रोजगार, व्यवसायिक प्रशिक्षण, आरक्षण, अनुसंधान व मानव शक्ति विकास, बाधा रहित वातावरण, सामाजिक सुरक्षा के लिए प्रावधान है।

इस अधिनियम के प्रमुख उददेश्य निम्नलिखित है :

- विकलांग व्यक्तियों को समान अवसर प्रदान करना तथा उन्हें बताना कि वे भी अपने समुदाय तथा राष्ट्र के विकास में योगदान कर सकते है।
- राष्ट्र के निर्माण में विकलांग व्यक्तियों की पूर्ण भागीदारी को सुनिश्चित करना।
- विकलांग व्यक्तियों को उनके अधिकारों की रक्षा तथा सभी प्रकार के भेदभाव को समाप्त कर उनको समानता तथा भागीदारी को बढ़ाने के लिए सार्थक प्रयास करना।
- इस अधिनियम में एक समग्र शिक्षण योजना के निर्माण पर बल दिया गया है जिसके लिए विभिन्न प्रावधान जैसे- यातायात सुविधाएँ, निर्माण अवरोधों को हटाना, किताबें उपलब्ध कराना, विद्यालय की पोशाक तथा अन्य सामग्री प्रदान करना, छात्रवृति देना, परीक्षा प्रणाली में उपयुक्त सुधार करना, पाठ्यक्रम का पुनःनिर्माण करना शामिल है।
- इस अधिनियम में मानव संसाधन के विकास के लिए शिक्षा व्यवसायिक प्रशिक्षण तथा रोजगार, आरक्षण, बाधामुक्त वातावरण, बेरोजगारी भत्ता, विकलांग व्यक्तियों के लिए विशेष बीमा योजना तथा गंभीर रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए आवास निर्माण शामिल है।
- इस अधिनियम में विकलांगता की शीघ्र पहचान, रोकथाम तथा गलत उपचार से बचाव भी शामिल है।
- विकलांग व्यक्तियों के शोषण की स्थिति में कार्यवाई के लिए प्रावधान किए गए हैं।
- विकलांग व्यक्तियों के लिए सेवाओं तथा समान अवसर उपलब्ध कराने के लिए समग्र नीतियों के विकास का ढाँचा तैयार किया गया है।
- विकलांग व्यक्तियों को मुख्य धारा में शामिल करने के लिए विशेष प्रावधान दिए गए हैं।
- उन्हें सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने का प्रावधान किया गया है।

अध्याय 1- प्रस्तावना :

प्रथम अध्याय में अधिनियम में प्रयुक्त शब्दों की परिभाषाएँ दी गई हैं।

- **विकलांगता का अर्थ** : नेत्रहीन, अल्प दृष्टि, कुष्ठ रोग मुक्त, श्रवण दोष, चलन अक्षमता, मानसिक मन्दता तथा मानसिक रोग है।

क. नेत्रहीनता एक दशा है। जिसमें व्यक्ति में :

- दृष्टि पूर्ण रूप से अनुपस्थित होती है।
- सुधारात्मक लेंस के साथ बेहतर नेत्र में चक्षु तीक्ष्णता 6/60 या 20/200 से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- देखने का क्षेत्र सीमित हो जो कि 20 डिग्री के कोण या उससे कम हो।

ख. अल्प दृष्टि अक्षम व्यक्ति से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जिसमें मानक सुधार के बाद भी दृष्टि कार्यात्मकता में क्षति होती है किन्तु उपयुक्त सहायक उपकरण के माध्यम से वह दृष्टि का प्रयोग करते हुए कार्य योजना निर्माण तथा संपादन में अपनी क्षमता का उपयोग करता है।

ग. प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात का अर्थ अप्रगतिशील अवस्थाओं का समूह है जो कि प्रसव पूर्व, प्रसव कालीन अथवा शैशवावस्था के विकास में मस्तिष्क मे चोट के परिणाम स्वरूप उत्पन्न हुए असामान्य गामक नियंत्रण तथा स्थिति द्वारा प्रदर्शित होती है।

घ. श्रवण अक्षमता का अर्थ है बेहतर काम में वार्तालाप की आवृति स्तर में 60 डेसिबल या अधिक की हानि होना है।

च. कुष्ठ रोग मुक्त व्यक्ति का अर्थ किसी ऐसे व्यक्ति से है जो कि कुष्ठ रोग से उपचारित हो चुका है किन्तु निम्नलिखित से पीड़ित है :

- बिना किसी विकृति के हाथ अथवा पैर में संवेदना में क्षति के साथ-साथ नेत्र पलक मे संवेदना में क्षति।
- विकृति के साथ हाथ तथा पैर में पर्याप्त गत्यात्मकता जिससे व्यक्ति सामान्य आर्थिक क्रिया में शामिल हो सकता है।

अत्याधिक शारीरिक विकृति तथा आयु में वृद्धि यदि व्यक्ति को लाभदायक रोजगार प्राप्त करने से रोकती है तो कुष्ठ रोग मुक्त शब्द का निर्धारण उसी के अनुसार किया जाएगा।

छ. मानसिक मंदता : मानसिक मंदता का अर्थ किसी व्यक्ति के मस्तिष्क में अपूर्ण अथवा अवरुद्ध विकास की दशा है जो विशेष रूप से बौद्धिकता में सीमितता से पहचाना जाता है।

ज. चलन अक्षमता : यह हड्डियों, जोड़ों अथवा माँसपेशियों की अक्षमता है जो कि हाथ-पैर की गति में सारभूत सीमितता प्रकट करती है अथवा प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात का कोई प्रकार हो सकती है।

झ. मानसिक बीमारी : मानसिक मंदता से अलग कोई मानसिक विकार।

विकलांग व्यक्ति को किसी चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रमाणित किया जाए कि वह 40% से कम विकलांग नहीं है।

अध्याय 2- केन्द्रीय समन्वय समिति तथा कार्यकारिणी समिति :

केन्द्रीय सरकार ने समाज कल्याण मंत्री की अध्यक्षता में एक केन्द्रीय समन्वय समिति (के.स.स.) का गठन किया है। इस केन्द्रीय समन्वय समिति में 39 सदस्य है, जिसमे 24 सरकारी सदस्य तथा 15 सरकार द्वारा मनोनीत हैं। जिसमें विकलांग व्यक्तियों से सम्बन्धित गैर-सरकारी संगठनों का प्रतिनिधित्व है। पाँच सदस्यों में कम से कम एक महिला तथा एक व्यक्ति अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जन-जाति से अवश्य शामिल होता है। सभी सदस्यों का कार्यकाल तीन वर्ष का होता है। केन्द्रीय समन्वय समिति निम्नलिखित महत्वपूर्ण कार्य करेगी -

क. सरकार, सरकारी तथा गैर-सरकारी संगठनों के कार्यो का पुनरीक्षण व समन्वय।

ख. एक राष्ट्रीय नीति का विकास।

ग. केन्द्रीय सरकार को नीति, कार्यक्रम, विधान तथा परियोजनाएँ तैयार करने के लिए परामर्श देना।

घ. राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय योजनाओं और कार्यक्रमों में विकलांग व्यक्तियों के लिए योजनाओं और परियोजनाओं की व्यवस्था के उद्देश्य से राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों का समर्थन करना।

ङ. दान मुक्त नीतियों का पुनरीक्षण विकलांग व्यक्तियों पर उनके प्रभाव को ध्यान में रखते हुए करना।

च. बाधा मुक्त वातावरण सुनिश्चित करना।

छ. विकलांग व्यक्तियों को समानता पूर्ण भागीदारी प्राप्त करने के लिए बनाई गई नीतियों और कार्यक्रमों के प्रभाव का मूल्यांकन करना। केन्द्रीय समन्वय समिति केन्द्रीय सरकार द्वारा दिए गए ऐसे अनुदेशों जो कि उचित हों द्वारा बाध्य होगी। इस समिति की 06 माह में एक बैठक होगी।

केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति (के.का.स.) - केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति केन्द्रीय समन्वय समिति के निर्णयों का अनुपालन करेगी। कार्यकारी समिति की 03 माह में एक बार बैठक होगी।

केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति में 23 सदस्य होंगे जिसमे विकलांग व्यक्तियों से सम्बद्ध 05 व्यक्ति भी शामिल होंगे।

अध्याय 03- राज्य समन्वय तथा कार्यकारणी समिति :

केन्द्रीय समन्वय समिति के समान प्रत्येक राज्य 23 सरकारी और 5 गैर सरकारी सदस्यों से युक्त एक राज्य समन्वय समिति नियुक्त करेगा।

राज्य कार्यकारणी समिति केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति के समान होगी जिसमें 13 सरकारी और 5 गैर सरकारी सदस्य होंगे। राज्य समितियों को शामिल करने के लिए नियम केन्द्रीय समन्वय समिति के समान होंगे तथा इसके कार्य भी उनके समान होंगे। राज्य समन्वय समिति केन्द्रीय समन्वय समिति अथवा राज्य सरकार द्वारा यथा लिखित अनुदेशों द्वारा बाध्य होगी।

अध्याय 04- विकलांगताओं की शीघ्र पहचान व निवारण :

अपनी आर्थिक क्षमताओं और विकास की सीमा में उपयुक्त तथा स्थानीय प्राधिकरण विकलांगताओं के अविर्भाव निवारण के मद्देनज़र निम्न कार्य करेंगे :

- विकलांगताओं के कारणों से सम्बद्ध सर्वेक्षण जाँच और अनुसंधान करना अथवा करवाना।
- विकलांगताओं के निवारण के विभिन उपायों को प्रोत्साहन देना।
- संभावित विकलांगता से संबन्धित मामलों में पहचान के प्रयोजन से एक वर्ष में एक बार सभी बच्चों की जाँच करना।
- प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर कर्मचारी वर्ग के प्रशिक्षण के लिए सुविधाएँ प्रदान करना।
- जागरुकता अभियानों का प्रयोजन करना या कराना तथा सामान्य स्वच्छता, स्वास्थ्य व सफाई के लिए जानकारी प्रदान करना या करवाना।
- माँ और बच्चे के लिए प्रसव पूर्व, प्रसव के उपरान्त देख-भाल के उपाय करना।
- जनसाधारण को विद्यालय, पूर्व विद्यालय, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों, ग्रमीण स्तर के कार्यकलापों तथा आंगनबाड़ी कार्यकलापों के माध्यम से शिक्षित करना।
- विकलांगता के कारणों तथा अपनाए जाने वाले निवारक उपायों का टेलीविजन, रेडियो तथा अन्य माध्यमों से जनसाधारण में जागरुकता पैदा करना।

अध्याय 5- शिक्षा :

यह सुनिश्चित किया जाए कि विकलांगता ग्रस्त प्रत्येक बच्चे को 18 वर्ष की आयु तक निःशुल्क व पर्याप्त शिक्षा मिल सके। विकलांगता ग्रस्त छात्रों को सामान्य विद्यालयों में शामिल किया जाए जिन्हे विशेष शिक्षा की आवश्यकता है उनके लिए सरकारी तथा निजी क्षेत्र के विशेष विद्यालय स्थापित किए जायें तथा विद्यालय विकलांगता ग्रस्त बच्चों के लिए व्यवसायिक प्रशिक्षण से युक्त हों। स्थानीय प्राधिकरण उन बच्चों के लिए जिन्होने पाँचवी कक्षा के उपरान्त पढ़ाई छोड़ दी है, हेतु अनौपचारिक शिक्षा योजना आरम्भ करेंगे। 16 वर्ष तक अधिक आयु वर्ग के विकलांग बच्चों के लिए अंशकालिक कक्षाएँ लगाएँगे तथा प्रत्येक विकलांग बच्चे के लिए निःशुल्क विशेष पुस्तकें तथा वांछित उपकरण जिसमें मुक्त विद्यालयों की स्थापना तथा विश्वविद्यालय शामिल हैं, की व्यवस्था करेंगे।

सरकार विशेष प्रशिक्षित अध्यापकों द्वारा विकलांग बच्चों विशेष तथा समेकित विद्यालय चलाने के उद्देश्य से समुचित संख्या में अध्यापक तथा प्रशिक्षण संस्थाएँ विकसित करेगी। सरकार विकलांग बच्चों को परिवहन सुविधाएँ उपलब्ध कराएगी। विद्यालयों, कालेजों तथा अन्य संस्थाओं जो कि व्यवसायिक प्रशिक्षण और शिक्षा प्रदान कर रहे हैं से भवन संबन्धित बधाएँ हटाएगी। विद्यालयों में आने वाले बच्चों के लिए पुस्तकें, ड्रेस तथा अन्य सामग्री उपलब्ध कराएगी। विकलांग छात्रों को छात्रवृत्तियाँ प्रदान करेगी, विकलांग छात्रों के लिए पाठ्यक्रम कार्यकलापों की पुनःसंरचना करेगी। सरकार शिक्षा में विकलांग बच्चों को समान अवसर देने के उद्देश्य से सहायक यंत्रों के लिए अनुसंधान को प्रोत्साहन देगी।

सरकार एक व्यापक शिक्षा योजना तैयार करेगी जिसमे अन्य बातों के साथ विकलांग छात्रों के अभिभावकों की शिकायतों के निवारण, परिवहन, बाधा मुक्त वातावरण शामिल होंगे।

अध्याय 6- रोजगार :

सरकार पहचान कर विकलांग व्यक्तियों के लिए पदों का आरक्षण करेगी जो 03% से कम नहीं होगा, जिसमें निम्नलिखित प्रत्येक विकलांगता के लिए 01% आरक्षण रहेगा -

- अल्प दृष्टि या नेत्रहीनता
- श्रवण दोष
- चलन विकलांगता या प्रमस्तिष्क घात।

विशेष रोजगार केन्द्रों की स्थापना की जाएगी, यदि किसी वर्ष में उपरोक्त रिक्तियों में कोई नहीं भरी जाती हो तो इसे आगामी वर्ष में शामिल किया जाएगा। तत्पश्चात् अन्य विकलांग व्यक्ति को रोजगार दिया जा सकता है। अंतिम रूप से यदि कोई विकलांग व्यक्ति इस रिक्त पद को भरने के लिए उपलब्ध नहीं है तो विकलांग व्यक्ति के अलावा किसी अन्य को रोजगार दिया जा सकता है। उपयुक्त सरकारें तथा स्थानीय निकाय विकलांग व्यक्तियों के रोजगार को सुनिश्चित करने के लिए योजनाएँ बनाएँगे तथा इसमें विकलांगों का प्रशिक्षण शामिल होगा।

सभी सरकारी संस्थाएँ तथा वे जो सरकार से सहायता प्राप्त कर रहीं हैं, विकलांग व्यक्तियों के आर्थिक क्षमताओं के अनुसार उनके लिए 03% स्थान आरक्षित रखेंगी। विकलांग व्यक्तियों के लिए 05% तक कार्य सुनिश्चित करने के लिए सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र में नियोक्ताओं को प्रोत्साहन देने हेतु योजना बनाएगी।

अध्याय 7- सकारात्मक कार्यवाई :

सरकार विकलांग व्यक्तियों को सहायक अंग व उपकरण प्रदान करेगी। विकलांग व्यक्तियों के लिए आवास, व्यापार, विशेष मनोरंजन केन्द्र, विशेष विद्यालय, अनुसंधान केन्द्रों, विकलांग व्यक्तियों की फैक्टरियों हेतु रियायती दरों पर आवंटित किये जाने वाले ज़मीन उपलब्ध कराएगी।

अध्याय 8- अभेदभाव :

सरकार परिवहन, सुख-सुविधाओं के साधनों, आदि को अनुकूल बनाने के लिए विशेष उपाय करेगी जिससे कि वह व्हील चेयर प्रयोग करने वाले विकलांग व्यक्तियों के लिए आसान पहुँच वाले बन सकें।

सरकार तथा स्थानीय प्राधिकरण भी अपनी क्षमता के अन्तर्गत चौराहों पर लाल बत्ती संकेत के साथ-साथ श्रवण संकेत, व्हील चेयर प्रयोग करने वाले व्यक्तियों के लिए सड़क निर्माण तथा नेत्रहीन व्यक्तियों के लिए जेब्रा क्रास पर उत्क्रीण व्यवस्था करेगी। विकलांग व्यक्तियों, आदि के लिए उचित स्थानों पर चेतावनी संकेतों की व्यवस्था की जाएगी। भवन व शौचालय में रैम्प तथा अन्य सुविधाएँ होंगी ताकि व्हील चेयर प्रयोग करने वाले उन तक सरलता से पहुँच सकें।

कोई नियोक्ता किसी कर्मचारी को उसके सेवा के दौरान विकलांग होने से उनकी सेवाएँ समाप्त नहीं करेगा। कोई नियोक्ता किसी कर्मचारी को विकलांगता के आधार पर पदोन्नति से मना नहीं करेगा बल्कि कार्य की कोटी के आधार पर इस प्रकार के भेदभाव को रोकेगा।

अध्याय 9- अनुसंधान व मानव शक्ति विकास :

सरकार तथा स्थानीय प्राधिकरण, विकलांगता निवारण, विकलांगों के पुनर्वास, सहायक यंत्रों का निर्माण, विकलांगों के लिए रोजगारों की पहचान, फैक्ट्रीयों और कार्यालयों के विकलांग अनुकूल संरचना सुविधाओं के विकास के लिए प्रोत्साहन व प्रयोजन करेगी।

अध्याय 10- विकलांग व्यक्तियों के लिए संस्थाओं को मान्यता :

इस अधिनियम को पारित होने के 06 महीने के अन्दर विकलांग व्यक्तियों हेतु कार्यरत संस्थाएँ चलाने वाले व्यक्ति इस अधिनियम के अन्तर्गत संस्था के पंजीकरण प्रमाण पत्र हेतु आवेदन करेंगे। यह प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी द्वारा दिया जाएगा तथा उस अवधि तक प्रभावित होगा जितनी अवधि के लिए राज्य सरकार ने इसे प्रदान किया है। सरकारी संस्थाओं को ऐसे प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है।

अध्याय 11- गंभीर विकलांगता ग्रस्त व्यक्तियों के लिए संस्थाएँ :

80% अथावा अधिक विकलांगता वाले व्यक्ति गंभीर विकलांगता ग्रस्त व्यक्ति माने जाते हैं। सरकार उनके लिए संस्थाओं की स्थापना व उनका रख-रखाव करेगी। जहाँ कहीं निजी संस्थाएँ हैं जो कि सरकारी मानदण्ड रखती हैं, ऐसी संस्थाओं को गंभीर विकलांगता ग्रस्त व्यक्तियों के लिए उपयुक्त संस्था के रूप में मान्यता दी जाएगी।

अध्याय 12- विकलांग व्यक्तियों के लिए मुख्य आयुक्त व आयुक्त :

केन्द्रीय सरकार ने इस अधिनियम के कार्यान्वियन के लिए विकलांग व्यक्तियों हेतु एक मुख्य आयुक्त नियुक्त करेगी। मुख्य आयुक्त विकलांग व्यक्तियों को उपलब्ध कराए गए धन के उपयोग को मानीटर करने में समन्वय आयुक्त का कार्य करेंगे तथा इस अधिनियम के कार्यान्वियन के सम्बन्ध राज्य सरकार को एक वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे।

राज्य स्तर पर आयुक्तों के भी यही उत्तरदायित्व होंगे। मुख्य आयुक्त व आयुक्त विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों के वचन तथा सरकार व स्थानीय प्राधिकरणों द्वारा विकलांग व्यक्तियों के कल्याण व संरक्षण के लिए जारी नियमों, आदेशों, अनुदेशों, कानूनों के कार्यान्वित न करने सम्बन्धी शिकायतों पर कार्यवाही करेंगे।

मुख्य आयुक्त व आयुक्त को सिविल प्रक्रिया 1908 की संहिता के अन्तर्गत गवाहों को बुलाने, साक्ष्य प्राप्त करने हेतु हलफनामे लेने व उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए किसी न्यायालय के अधिकारों के समान शक्तियाँ प्राप्त होंगी।

अध्याय 13- सामाजिक सुरक्षा :

सरकार अपनी आर्थिक सीमाओं के अन्दर विकलांग व्यक्तियों का पुनर्वास गैर-सरकारी संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान करना, विकलांग व्यक्तियों के लिए पुनर्वास कार्यक्रम चलाने का कार्य करेगी। जहाँ कहीं भी संभव हो 02 वर्ष से अधिक समय से विशेष रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत विकलांग व्यक्ति जिन्हें लाभकारी रोजगार में नहीं लगाया जा सका, को बेरोजगारी भत्ता देगी। रोजगार में लगे व्यक्तियों के लिए बीमा योजना और यदि आवश्यकता हुई तो बेरोजगार व्यक्तियों के लिए भी बीमा योजना व्यवस्था करने का उल्लेख किया गया है।

अध्याय 14- विविध

जो भी विकलांग व्यक्तियों के लिए निर्धारित लाभों को उठाने के लिए धोखे का प्रयास करेगा, उसे दो वर्ष के लिए कारावास या रू. 20,000/- का जुर्माना या दोनों से दण्डित किया जाएगा। सरकार को इस अधिनियम के उपबंधों के कार्यान्वयन के लिए सभी प्रकार के नियम और विनियम बनाने का अधिकार होगा। अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए नियुक्त मुख्य आयुक्त, आयुक्त अधिकारी व कर्मचारी लोक सेवक माने जाएँगे।

टिप्पणी :- कृपया वैधानिक प्रयोजनों तथा विस्तृत विवरण के लिए इस अधिनियम की प्रमाणित प्रति का अवलोकन करें।

3. राष्ट्रीय स्वपरायणता, प्रमस्तिष्क घात, मानसिक मंदता और बहु-विकलांगताग्रस्त व्यक्ति कल्याण न्यास अधिनियम 1999 (National Trust for the welfare of persons with Autism, Cerebral palsy, Mental Retardation and Multiple disability Act 1999):

भारत सरकार के सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय न्यास, राष्ट्रीय स्वपरायणता, प्रमस्तिष्क घात, मानसिक मंदता और बहु-विकलांगताग्रस्त व्यक्ति कल्याण न्यास अधिनियम 1999 के अधीन एक कानूनी निकाय है।

इस अधिनियम के अंतर्गत एक न्यास की स्थापना की गई है जिसका प्रबंधन न्यासियों के बोर्ड द्वारा किया जाएगा। यह बोर्ड अधिनियम के क्रियान्वयन से संबंधित विषयों पर निर्णय लेता है। इस अधिनियम का क्रियान्वयन स्थानीय समितियों द्वारा किया जाता है जो कि राज्य अथवा जिला स्तर पर कार्य करती है।

यह अधिनियम भारत में विकलांग व्यक्तियों के माता-पिता और परिवार के सबसे अधिक महत्वपूर्ण विषय से संबंधित है अर्थात् इसमें ये प्रावधान किए गए हैं कि विकलांग व्यक्तियों के लिए उनके माता-पिता के जीवन काल में या जब वे देखभाल के लिए न रह जाएँ, किस प्रकार के उपबन्ध बनाए जाएँ। इसके लिए एक प्रबंध न्यासी बोर्ड का गठन किया जाएगा जो अधिनियम को कार्यान्वित करने से संबंधित विषयों को सुनिश्चित करें। इस अधिनियम का कार्यान्वयन अन्य निकाय स्थानीय स्तरीय समितियों द्वारा होगा जो राज्य/जिला स्तरों पर कार्य करेंगी।

अधिनियम के उद्देश्यः

- विकलांग व्यक्तियों को यथा संभव स्वतंत्र और पूर्ण जीवन जीने के लिए और उस समुदाय के भीतर और उसके नज़दीक रहने के लिए, समर्थ और सशक्त बनाना।
- विकलांग व्यक्तियों को उनके अपने परिवार में रहने में सहायता प्रदान करने के लिए सुविधाओं को सुदृढ़ करना।
- उन विकलांग व्यक्तियों की समस्याओं का समाधान करना जिन्हें परिवार का सहारा नहीं है।

- विकलांग व्यक्तियों को माता-पिता या संरक्षको की मृत्यु की दशा में देखभाल और संरक्षण के लिए उपायों का प्रबंध करना।
- विकलांग व्यक्तियों के परिवार में संकट की अवधि के दौरान आवश्यकतानुसार सेवाएँ उपलब्ध कराने के लिए संगठनों को पंजीकृत करने में सहायता देना।
- उन विकलांग व्यक्तियों के लिए जिन्हें संरक्षण की आवश्यकता है संरक्षण और न्यासी नियुक्त करने के लिए प्रक्रिया तय करना।
- विकलांग व्यक्तियों के लिए समान अवसर, अधिकारों के संरक्षण और उन्हें पूर्ण भागीदारी देने को सुलभ बनाना।
- पूर्व उद्देश्यों के आनुषांगिक कोई अन्य कार्य करना।

विषय वस्तु : इस अधिनियम में कुल 09 अध्याय तथा 36 खण्ड हैं।

अध्याय 01 : प्रस्तावना : इसके अंतर्गत उपरोक्त अक्षमताओं की परिभाषा दी गई है जो कि निम्नलिखित है :

1. स्वपरायणता/स्वलीनता : स्वपरायणता का अर्थ असामान्य कौशल विकास की दशा से है जो प्राथमिक रूप से व्यक्ति के संप्रेषण तथा सामाजिक क्षमताओं को प्रभावित करती हैं तथा पुनरावृत्ति व्यवहारों द्वारा प्रदर्शित होती है।

2. प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात् : प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात् का अर्थ अप्रगतिशील अवस्थाओं का समूह है जो कि प्रसवपूर्व, प्रसवकालीन अथवा शैशवावस्था के विकास में मस्तिष्क में चोट के परिणामस्वरूप उत्पन्न हुए असामान्य गामक नियंत्रण तथा स्थिति द्वारा प्रदर्शित होती है।

3. मानसिक मंदता : मानसिक मंदता का अर्थ किसी व्यक्ति के मस्तिष्क में अपूर्ण अथवा अवरुद्ध विकास की दशा है जो विशेष रूप से बौद्धिकता में सीमितता से पहचाना जाता है।

4. बहु-विकलांगता : बहु-विकलांगता का अर्थ विकलांग जन अधिनियम (समान अवसर, अधिकारों की रक्षा, पूर्ण सहभागिता) 1995 में दिए गए दो या अधिक विकलांगताओं का योग है।

गंभीर अक्षमता का अर्थ एक या अधिक बहु-विकलांगता में 80% या अधिक अक्षमता है।

अध्याय 2 :

इसमें बोर्ड के गठन के बारे में दिया गया है जिसमें-

- एक चेयरपर्सन,
- 09 सदस्य- 03 गैर-सरकारी संगठनों तथा अभिभावक संघ से होंगे,
- 08 सदस्य मंत्रालयों तथा विभागों से होंगे,
- 03 व्यक्ति औद्योगिक क्षेत्र से होंगे,
- मुख्य कार्यकारी अधिकारी।

इनकी नियुक्ति 03 वर्षो के लिए की जाती है।

अध्याय 03 :

- अक्षमताग्रस्त व्यक्तियों को समुदाय के भीतर यथासंभव जीवनयापन करने योग्य बनाना।
- अक्षम व्यक्तियों को उनके परिवार के साथ रहने के लिए सुविधओं को बढ़ाना जो कि उसे सहायता प्रदान कर सके।
- अक्षम व्यक्ति के परिवार की संकटकालीन स्थिति में आवश्यकता आधारित सेवाएँ प्रदान करने के लिए पंजीकृत संगठनों को सहायता प्रदान करना।
- जिन अक्षम व्यक्तियों का परिवार नहीं है उनकी समस्याओं का समाधान करना।
- अक्षम व्यक्ति के अभिभावक अथवा संरक्षक की मृत्यु की स्थिति में उसकी देखभाल तथा सुरक्षा के उपाय करना।
- इस प्रकार की सुरक्षा प्रदान करने के लिए संरक्षक नियुक्त करने की प्रक्रिया शुरू करना।
- अक्षम व्यक्तियों को समान अवसर, अधिकारों की रक्षा तथा पूर्ण सहभागिता का अनुभव प्रदान करना।

अध्याय 4 : बोर्ड की शक्तियाँ तथा कर्तव्य :

- केंद्र सरकार से रू. 100 करोड़ का अनुदान प्राप्त करना।
- अक्षम व्यक्तियों को लाभ पहुँचाने के लिए किसी व्यक्ति से सहायता के रूप में चल संपत्ति प्राप्त करना।
- सरकार द्वारा कोई अन्य सहयोग।
- अक्षम महिला, गंभीर रूप से अक्षम व्यक्ति तथा अक्षम वरिष्ठ नागरिक को प्राथमिकता प्रदान करना।

राष्ट्रीय न्यास द्वारा स्वीकृत कार्यक्रम :

1. समुदाय में आत्मनिर्भर जीवनयापन।

- सहायक वातावरण उपलब्ध कराना।
- परिवार को परामर्श तथा प्रशिक्षण प्रदान करना।
- वयस्क प्रशिक्षण केंद्र बनाना।
- वैयक्तिक तथा सामाजिक आश्रय अथवा होम बनाना।
- स्वयं सहायता समूहों का गठन करना।
- संरक्षकत्व के लिए स्थानीय समितियों का गठन करना।

2. विशेष केंद्रों का विकास

- राहत कार्य।
- परिवार की देखभाल को बढ़ाना।
- दिवसीय देखभाल सेवाएँ उपलब्ध कराना।
- आवासीय होम।
- आवासीय छात्रावास।

अध्याय 5 : पंजीकरण प्रक्रिया

विकलांग कल्याण के लिए कार्य करने वाले गैर-सरकारी संगठन बोर्ड से पंजीकरण कराने हेतु आवेदन प्रस्तुत करें।

- आवेदन निर्धारित प्रपत्र पर होना चाहिए।
- दिशा-निर्देशों के आधार पर उसकी जाँच की जाएगी।
- जाँच के आधार पर मान्यता स्वीकार अथवा अस्वीकार की जाएगी।

अध्याय 6 : स्थानीय समिति :

इसके अंतर्गत निम्नलिखित सदस्य आते हैं-

- सरकारी प्रतिनिधि जो कि कम से कम जिला मजिस्ट्रेट स्तर का हो।
- पंजीकृत संगठनों के प्रतिनिधि।
- अक्षमताग्रस्त व्यक्ति।

इस समिति का कार्यकाल 03 वर्षो का होगा। इसे 03 माह में 01 बार बैठक करनी होगी। इसका मुख्य कार्य संरक्षक नियुक्त करना है।

संरक्षक-

- अभिभावक अथवा अक्षम व्यक्ति के संबंधी अथवा पंजीकृत संगठन द्वारा स्थानीय समिति के समक्ष संरक्षकत्व हेतु आवेदन प्रस्तुत किया जाएगा।
- स्थानीय समिति यह तय करेगी क्या व्यक्ति को संरक्षक की आवश्यकता है? तथा किस उद्देश्य के लिए संरक्षकत्व की आवश्यकता है?
- इसके पश्चात् आवेदन को बोर्ड के समक्ष अग्रसारित किया जाएगा।

अक्षम व्यक्ति के शोषण अथवा अनदेखी करने पर तथा उसकी संपत्ति का दुरुपयोग करने पर संरक्षक को हटा दिया जाएगा।

संरक्षकत्व के लिए आवेदन करने की योग्यताः

- राष्ट्रीय न्यास के द्वारा 18 वर्ष से अधिक के अक्षम व्यक्ति जो कि उसमें दी गई अक्षमताओं मानसिक मंदता, स्व परायणता, प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात् तथा बहु-विकलांगता की श्रेणी में आता हो उसके लिए संरक्षक नियुक्त करने का प्रावधान है।
- यदि माता अथवा पिता में से कोई एक हो मृत्यु अथवा तलाक की स्थिति में तो वह अपने वयस्क बच्चें के संरक्षकत्व के लिए प्रयास कर सकते हैं।

राष्ट्रीय न्यास में 02 प्रकार के संरक्षकत्व का प्रावधान है :-

- व्यक्ति के लिए संरक्षकत्व।
- व्यक्ति तथा संपत्ति के लिए संरक्षकत्व।

अध्याय 7 :

इसमें उत्तरदायित्व तथा निरीक्षण के लिए दिशा-निर्देश दिए गए हैं।

अध्याय 8 :

इसमें वित्तीय, लेखा-परीक्षण आदि का उल्लेख है।

अध्याय 9 : सरकारी नियंत्रण

- बोर्ड सरकारी निर्देशों के अंतर्गत कार्य करेगा।
- सरकार का निर्णय अंतिम होगा।

राष्ट्रीय न्यास के कार्य :

राष्ट्रीय न्यास अधिनियम का विस्तार समस्त भारत में है पर अभी जम्मू कश्मीर में नहीं है। यह केन्द्रीय सरकार द्वारा स्थापित निकाय है जिसका मुख्य कार्यालय दिल्ली में है। इसके काम-काज और कारोबार का सामान्य अधीक्षण, निर्देशन और प्रबंधन बोर्ड में निहित है। बोर्ड उन सभी शक्तियों का प्रयोग करता है और ऐसा प्रत्येक कार्य करता है जो न्यास द्वारा प्रयोग किए जाएँ और बोर्ड केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन से इसके कार्यालय भारत में अन्य स्थानों पर स्थापित कर सकता है।

निष्कर्ष :

इस अधिनियम के आने से विकलांग बच्चों के सुरक्षित और आत्मनिर्भर जीवन के संबंध में अभिभावको की चिंताओं को समाप्त करने में सहायता मिली है।

टिप्पणी :- कृपया विस्तृत विवरण के लिए राष्ट्रीय स्वपरायणता, प्रमस्तिष्क घात, मानसिक मंदता और बहु-विकलांगताग्रस्त व्यक्ति कल्याण न्यास अधिनियम 1999 की प्रमाणित प्रति का अवलोकन करें।

4. राष्ट्रीय विकलांग जन नीति 2006 (National Policy for Persons with Disabilities 2006)

इस नीति में यह मान्यता है कि विकलांग व्यक्ति देश व समाज का महत्वपूर्ण संसाधन हैं और इसमें एक ऐसा वातावरण सृजित करने के लिए अनुरोध किया गया है जो उन्हे समान अवसर, उनके अधिकारों का संरक्षण तथा समाज में पूर्ण भागीदारी को सुनिश्चित करे। यह नीति मुख्यतः निम्नलिखित पर केंद्रित होगीः

I. विकलांगता निवारण (Prevention of Disabilities) ऐसी बीमारियाँ जिनसे विकलांगता होती है उनके निवारण के लिए किए जाने वाले उपायों के बारे में जनसाधारण को जागरूक करने पर बल दिया जाएगा।

II. पुनर्वास उपाय (Rehabilitation measures) : पुनर्वास उपायों को तीन पृथक समूहों में वर्गीकृत किया जा सकता हैः

- विकलांगजन पुनर्वास, जिसमें शीघ्र पहचान और उपचार, परामर्श व विभिन्न चिकित्सा उपचार तथा सहायक यंत्र और उपकरण शामिल हैं। इसमे पुनर्वास व्यवसायिकों का विकास भी शामिल है।
- शौक्षिक पुनर्वास जिसमें व्यवसायिक शिक्षा देना शामिल है।
- समाज में गरिमामय जीवनयापन करने के लिए आर्थिक पुनर्वास।

क. भौतिक पुनर्वास कार्यनीति (Physical Rehabilitation Strategies)

I. शीघ्र पहचान और उपचार (Early detection & intervention) इसके लिए जरूरी सुविधाएँ सृजित की जाएँगी तथा ग्रामीण क्षेत्रों को अधिक से अधिक लाभ पहुँचाया जाएगा।

II. परामर्श व चिकित्सा पुनर्वास (Counseling & Medical Rehabilitation) : राज्य सरकारों, स्थानीय संस्थानों, अभिभावक संघों तथा गैर-सरकारी संगठनों की सहायता से पुनर्वास सेवाएँ प्रदान की जाएँगी तथा इन्हें ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुँचाने पर बल दिया जाएगा। इसके लिए आशा (Accredited Social Health Activist- ASHA) कार्यक्रम की सहायता ली जाएगी।

III. सहायक यंत्र (Assistive devices) : विकलांग व्यक्तियों का राष्ट्रीय संस्थानों, राज्य सरकारों, जिला पुनर्वास केंद्रों तथा गैर-सरकारी संगठनों के माध्यम से आधुनिक यंत्र-उपकरण उपलब्ध कराए जाएँगे।

IV. पुनर्वास व्यवसायिकों का विकास (Development of Rehabilitation Professionals) : विकलांग व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए मानव संसाधनों की आवश्यकता का पता लगाकर उसका विकास किया जाएगा।

ख. विकलांग व्यक्तियों के लिए शिक्षा (Education of Persons with Disabilities)

- 18 वर्ष से कम आयु के सभी विकलांग बच्चों निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराना जिसमें 06 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों को सर्व शिक्षा अभियान तथा 15-18 वर्ष के विकलांग बच्चों को विकलांग बच्चों की एकीकृत शिक्षा योजना (आई.ई.डी.सी.) के माध्यम से शिक्षित किया जाएगा।
- विकलांग व्यक्तियों को समावेशी शिक्षा (Inclusive Education) के माध्यम से शिक्षा की मुख्य धारा में लाया जाएगा।
- विकलांग बच्चों को सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत कई शिक्षा विकल्प, शिक्षण साधन और उपकरण, आवागमन सहायता, अन्य सहायक सेवाएँ इत्यादि भी उपलब्ध कराईं जा रहीं है।
- राज्य सरकारों, स्वायत्त निकायों और स्वैच्छिक संगठनों द्वारा कार्यान्वित की जाने वाली आई.ई.डी.सी. के अंतर्गत विशेष शिक्षकों, पुस्तकों और स्टेशनरी, वर्दी, परिवहन, आदि सुविधाओं के लिए शत-प्रतिशत वित्तीय सहायता प्रदान करेगी।
- नियमित सर्वेक्षण द्वारा विकलांग बच्चों की पहचान, उपयुक्त विद्यालयों में इनका प्रवेश तथा इन्हे अपनी शिक्षा सफलतापूर्वक पूरी करने तक शिक्षा जारी रखने के लिए सरकार की ओर से संयुक्त प्रयास किए जाएँगे।
- भारत सरकार विद्यालय स्तर के अध्ययन के बाद इन्हे अध्ययन हेतु छात्रवृत्तियाँ प्रदान करेगी।
- तकनीकि और व्यवसायिक शिक्षा की सुविधाओं को प्रोत्साहित किया जाएगा।
- विकलांग व्यक्तियों को उच्च और व्यवसायिक शिक्षा हेतु विश्वविद्यालयों, तकनीकि संस्थानों और उच्च शिक्षा संस्थानों में पहुँच प्रदान की जाएगी।

ग. विकलांग व्यक्तियों का आर्थिक पुनर्वास (Economic Rehabilitation of Persons with Disabilities)

व्यवसायिक पुनर्वास केंद्रों एवं व्यवसायिक प्रशिक्षण केंद्रों के माध्यम से सेवाओं का समर्थनकारी ढाँचा तैयार किया जाएगा ताकि यह सुनिश्चित हो कि विकलांग व्यक्तियों के लिए और ग्रामीण दोनो क्षेत्रों में उत्पादनकारी और लाभप्रद रोजगार के अवसर बढ़ें। विकलांग व्यक्तियों के आर्थिक पुनर्वास की कार्य नीतियाँ इस प्रकार होंगीः

I. **सरकारी प्रतिष्ठानों में रोज़गार (Employment in Government Establishment) :** विकलांग व्यक्ति अधिनियम 1995 में अभिज्ञात पदों पर भारत सरकार के प्रतिष्ठानों और पब्लिक सेक्टर उपक्रमों में 3% आरक्षण दिए जाने का प्रावधान है। अभिज्ञात पदों की सूची को 2001 में अधिसूचित किया गया था जिसकी समीक्षा करके अद्यतन बनाया जाएगा।

II. **निजी क्षेत्र में मजदूरी रोजगार (Wage employment in Private Sector) :** विकलांग व्यक्तियों को उनका उपयुक्त कौशल विकास करके निजी क्षेत्र में रोजगार के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। विकलांग व्यक्तियों के रोजगार को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन पुरस्कार, कर रियायतें जैसे सकारात्मक उपाय किए जाएँगे।

III. **स्व-रोज़गार (Self-employment) :** इसे व्यवसायिक शिक्षा तथा प्रबंधन प्रशिक्षण द्वारा किया जाएगा। एन.एच.एफ.डी.सी द्वारा वित्तीय सहायता देने में पारदर्शिता बरती जाएगी।

III. विकलांग महिलाएँ (Woman with Disabilities)

विकलांग महिलाओं के लिए विशेष शैक्षिक एवं व्यवसायिक प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाएगी। परित्यक्त विकलांग महिलाओं/लड़कियों को परिवारों द्वारा अपनाने के लिए प्रोत्साहन देकर उनको घर चलाने के लिए सहायता और लाभकारी रोजगार कौशल के लिए प्रशिक्षण प्रदान करके उसके लिए पुनर्वास कार्यक्रम शुरू किए जाएँगे।

IV. विकलांग बच्चे (Children with Disabilities) :

विकलांग बच्चों के देखभाल, संरक्षण और सुरक्षा के अधिकार को सुनिश्चित किया जाएगा उनको विशेष पुनर्वास सेवाओं के साथ शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यवसायिक प्रशिक्षण के प्रति प्रभावी पहुँच को सुनिश्चित किया जाएगा।

V. बाधामुक्त वातावरण (Barrier-free environment):

सार्वजनिक प्रयोग के लिए भवन/स्थान/ परिवहन प्रणाली को अधिकतम् संभव सीमा तक बाधामुक्त बनाया जाएगा।

VI. विकलांगता प्रमाणपत्र जारी करना (Issue of Disability Certificates):

विकलांगता प्रमाणपत्र को आसान और पारदर्शी प्रक्रिया के द्वारा कम से कम समय में उपलब्ध कराया जाएगा।

VII. सामाजिक सुरक्षा (Social security) :

विकलांग व्यक्तियों तथा उनके अभिभावको को करों में छूट दी जा रही है। राज्य सरकारों द्वारा विकलांग व्यक्तियों को बेरोजगारी भत्ता या पेंशन प्रदान की जा रही है।

राष्ट्रीय न्यास द्वारा स्थानीय स्तर की समिति के माध्यम से कानूनी संरक्षकत्व प्रदान किया जा रहा है।

VIII. गैर-सरकारी संगठनों को बढ़ावा देना (Promotion of Non-Government Organizations):

सरकार गैर-सरकारी संगठनों को नीति निर्धारित करने योजना बनाने, कार्यान्वियन तथा निरीक्षण, मानव संसाधन विकास तथा अनुसंधान क्रियाकलापों में सक्रिय रूप से शामिल कर रही है तथा विकलांग व्यक्तियों से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर इनकी सलाह ले रही है।

IX. विकलांग व्यक्तियों के संबंध में नियमित सूचना का संग्रहण (Collection of regular information on Persons with Disabilities):

- जनगणना ने भी जनगणना 2001 से विकलांग व्यक्तियों के संबंध में सूचना एकत्र करना शुरू कर दिया है।
- राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन (एन.एस.एस,ओ.) कम से कम पाँच वर्षो मे एक बार सूचना संग्रहित करेगा।
- सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अधीन विकलांग व्यक्तियों के लिए एक व्यापक वेबसाईट बनाई जाएगी।

X. अनुसंधान (Research) :

विकलांग व्यक्तियों के जीवन स्तर में सुधार लाने के लिए अनुसंधान कार्य में सहायता दी जाएगी।

XI. खेलकूद, मनोरंजन तथा सांस्कृतिक जीवन (Sports, Recreation & Cultural life):

सरकार विभिन्न खेलों मनोरंजन एवं सांस्कृतिक कार्यकलापों में विकलांग व्यक्तियो द्वारा भाग लेने के लिए अवसर प्रदान करने हेतु आवश्यक कदम उठाएगी।

XII. विकलांग व्यक्तियों से संबंधित विद्यमान अधिनियमों में संशोधन (Amendments in existing acts dealing with Persons with Disabilities):

विकलांग व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण एवं पूर्ण भागीदारी) अधिनियम 1995, भारतीय पुनर्वास परिषद् तथा राष्ट्रीय न्यास अधिनियमों की समीक्षा की जाएगी। आवश्यकतानुसार अपेक्षित संशोधन किए जाएँगे।

हस्तक्षेप के प्रमुख क्षेत्र (Principal Areas of Intervention)

1. निवारण, शीघ्र पहचान और उपचार (Prevention, Early Detection & Intervention):

- टीकाकरण (बच्चों तथा गर्भवती महिलाओं का)।
- चिकित्सा कर्मचारियों को समुचित प्रशिक्षण तथा साधन संपन्न बनाना।
- चिकित्सा कार्यकर्ताओं के लिए प्रशिक्षण प्रारूप और सुविधाओं का विकास।
- चिकित्सा शिक्षा के प्रशिक्षण कार्यक्रमों में विकलांगता के निवारण, शीघ्र पहचान तथा उपचार संबंधी मॉडयूल शामिल होंगें।
- मानव संसाधन विकास।
- विकलांग व्यक्ति के परिवार के लिए विशिष्ट मैन्युअल प्रदान किया जाएगा।
- अनुवांशिकी के क्षेत्र में नवीनतम् अनुसंधान का उपयोग किया जाएगा।
- स्वास्थ्य प्रणाली में विकलांगता निवारण के लिए समुचित योजना का निर्माण।
- नवयुवतियों तथा गर्भवती महिलाओं को पोषाहार, स्वास्थ्य देखभाल तथा स्वच्छता के बारे में जागरूक बनाना।
- जोखिम वाले मामलों की पहचान करने के लिए बच्चों की जाँच हेतु कार्यक्रम बनाए जाएँगे।

2. पुनर्वास कार्यक्रम (Programmes of Rehabilitation):

चिकित्सा पुनर्वास व्यवसायिकों की सहायता से विकलांग व्यक्तियों एवं उनके परिवारों, कानूनी संरक्षको की भागीदारी से चिकित्सकीय, शैक्षिक व सामाजिक पुनर्वास कार्यक्रम बनाए जाएँगे।

- सयुक्त पुनर्वास सेवाएँ उपलब्ध कराने के लिए राज्य स्तरीय केंद्रों की स्थापना की जाएगी।
- समुदाय आधारित पुनर्वास कार्यक्रमों को बढ़ावा दिया जाएगा।
- गंभीर रूप से मानसिक बीमार व्यक्तियों के लिए गैर-सरकारी सगठनों की भागीदारी से जिला स्तर की पंचायती राज संस्थाओं तथा मानसिक स्वास्थ्य देखभाल गृहों की स्थापना को प्रोत्साहित किया जाएगा।
- मानसिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए व्यवसायिक और सामाजिक दक्षता प्रशिक्षण देने के लिए आवासीय पुनर्वास केंन्द्रों की स्थापना हेतु प्रयास किए जाएँगे।

3. मानव संसाधन विकास (Human Resource Development):

आंगनबाड़ी कार्यकत्री, सहायिकाओं, ग्राम पंचायत सदस्यों, तथा शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाएँगे। भारतीय पुनर्वास परिषद इस संबंध में सर्वोच्च संस्था के रूप में कार्य करेगी।

4. विकलांग व्यक्तियों की शिक्षा (Education of Persons with Disabilities):

यह सुनिश्चित किया जाएगा कि प्रत्येक विकलांग बच्चे की सन 2020 तक विद्यालय पूर्व, प्राथमिक तथा माध्यमिक स्तर की शिक्षा के लिए उपयुक्त पहुँच हो। इसके लिए बाधामुक्त वातावरण, उपयुक्त शिक्षण माध्यम तथा पद्धति, सहायक यंत्र आदि की व्यवस्था की जाएगी।

5. रोज़गार (Employment)

विकलांग व्यक्तियों का रोज़गार प्रदान करने के लिए निजी क्षेत्र के संगठनों से संवाद, कार्यस्थल पर बाधामुक्त वातावरण का निर्माण, गंभीर विकलांग व्यक्तियों के लिए गृह-आधारित रोज़गार कार्यक्रम, विकलांग व्यक्तियों द्वारा उत्पादित माल का विपणन तथा गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों में विकलांग व्यक्तियों के कवरेज़ में सुधार करने जैसे कार्यक्रम किए जाएँगे।

6. बाधामुक्त वातावरण (Barrier-free Environment):

विकलांग व्यक्तियों के लिए बाधामुक्त वातावरण के निर्माण हेतु सार्वजनिक भवन, सड़कों आदि को सुगम्य बनाया जाएगा। सार्वजनिक समारोहों में संकेत भाषा के प्रयोग को बढ़ावा दिया जाएगा।

7. सामाजिक सुरक्षा (Social Protection):

विकलांग व्यक्तियों को पर्याप्त सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए जाएँगे:

- कर राहत नीतियों की नियमित समीक्षा।
- पेंशन और बेरोजगारी भत्ते को तर्कसंगत बनाना।
- बीमा पालिसी में विकलांग व्यक्तियों को शामिल करने हेतु प्रोत्साहित करना।

8. **अनुसंधान (Research):**

विकलांग व्यक्तियों के लिए नई प्रौद्योगिकी विकसित करने हेतु अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से अनुसंधान कार्य को बढ़ावा दिया जाएगा। अनुसंधान के संदर्भ में शोध परिणामों का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाएगा।

9. **खेलकूद, मनोरंजन और सांस्कृतिक कार्यकलाप (Sports, Recreation & Cultural Activities):**

विकलांग व्यक्तियों को खेलकूद, मनोरंजन और सांस्कृतिक कार्यकलापों के लिए समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए जाएँगे:

- मनोरंजन के स्थानों को सुगम्य बनाना।
- मनोरंजन कार्यकलापों के आयोजन में विकलांग व्यक्तियों की सभी जरूरतों को ध्यान में रखते हुए सभी सुविधाएँ प्रदान की जाए।
- विकलांग व्यक्तियों की प्रतिभा की पहचान।
- खेलकूद तथा सांस्कृतिक समिति के निर्माण को बढ़ावा दिया जाएगा।
- खेलकूद में उत्कृष्टता के लिए एक राष्ट्रीय पुरस्कार शुरू किया जाएगा।

कार्यान्वयन की जिम्मेदारी (Responsibility for implementation):

- सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय इस नीति के कार्यान्वयन से सम्बन्धि सभी मामलों पर समन्वय करने के लिए नोडल मंत्रालय होगा। इसके कार्यान्वयन के लिए अंतर्राष्ट्रीय निकाय का गठन किया जाएगा। इस नीति के कार्यान्वयन से संबंधित मामलों के समन्वय के लिए जिला विकलांगता पुनर्वास केंद्रों की जिला स्तरीय समितियों के कार्य में, पंचायती राज संस्थाओं और शहरी स्थानीय निकायों को सहयोजित किया जाएगा।
- गृह मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, ग्रमीण विकास मंत्रालय, शहरी विकास मंत्रालय, युवा कार्य एवं खेलकूद मंत्रालय, रेल मंत्रालय, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, श्रम मंत्रालय, तथा प्रारंभिक शिक्षा और साक्षरता विभाग, माध्यमिक और उच्च शिक्षा विभाग, सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग, लोक उद्यम विभाग, महिला और बाल कल्याण विभाग, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग तथा कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग इस नीति के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक तंत्र स्थापित करेंगे।
- केंद्रीय स्तर पर विकलांग व्यक्तियों के मुख्य आयुक्त और राज्य स्तर पर राज्य आयुक्त अपने संवैधानिक दायित्वों के अतिरिक्त, राष्ट्रीय नीति के कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएँगे।

प्रत्येक 05 वर्ष में राष्ट्रीय नीति के कार्यान्वयन की विस्तृत समीक्षा की जाएगी।

टिप्पणी :- कृपया विस्तृत विवरण के लिए राष्ट्रीय विकलांग जन नीति 2006 की प्रमाणित प्रति का अवलोकन करें।

5. अक्षमता ग्रस्त व्यक्तियों के अधिकारों के लिए संयुक्त राष्ट्र समझौता (युनाइटेड नेशन्स कन्वेन्शन आनॅ द राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसएबिलिटीज- UNCRPD) -

अक्षमता ग्रस्त व्यक्तियों को सामान्य लोगों के बराबर अधिकार प्रदान करने के लिए यू.एन.सी.आर.पी.डी. में विभिन्न प्रावधान किए गए हैं।

परिचय (Introduction):

यू.एन.सी.आर.पी.डी. मानवाधिकार के क्षेत्र में एक नवीन खोज है। 03 मई 2008 को मानवाधिकारों तथा विकलांगता आंदोलन के इतिहास में महत्वपूर्ण तिथि के रूप में याद किया जाएगा क्योंकि इसी दिन इस समझौते को लागू किया गया। मानवाधिकारों के वैश्विक घोषणा की 60वीं वर्षगाँठ पर यू.एन.सी.आर.पी.डी. विश्व के समस्त नागरिकों के समान अधिकारों की आवश्यकता को पुनर्बलन प्रदान करता है। इसका उद्देश्य विश्व के समस्त अक्षमताग्रस्त व्यक्तियों के अधिकारों को सुरक्षा प्रदान करना भी है। इसमें गरीबी-विभेदीकरण तथा सुगम्यता के अभाव को दूर करने के लिए उपयुक्त उपाय करने की बात कही गई है।

यह सभी राज्य संस्थाओं को नागरिकों के अधिकारों का सम्मान करने के लिए कानूनी बाध्यता प्रदान करता है। इसमें विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों में वृद्धि करने, सुरक्षा प्रदान करने तथा उन्हें सुनिश्चित करने के लिए कानूनी प्रावधान दिए गए है। इसमें किसी नए अधिकार को प्रदान करने की बात नहीं कही गई है बल्कि वर्तमान समय में सभी व्यक्तियों के लिए स्वीकृत अधिकारों में समानता लाने पर बल दिया गया है। सभी हस्ताक्षरकर्ता देश विकलांगता अधिकारों की वृद्धि के लिए उत्तरदायी होंगे तथा जहाँ कहीं भी इसका उल्लंघन किया जाएगा वहाँ उसकी कानूनी क्षतिपूर्ति का प्रावधान होगा। इसके क्रियांवयन तथा निरीक्षण के लिए उपयुक्त तंत्र के निर्माण का उत्तरदायित्व भी राज्यों का होगा।

यह समझौता विकलांग व्यक्तियों के प्रति धारणाओं के संदर्भ में दर्शाता है कि विकलांग व्यक्तियो को दया की वस्तु के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए बल्कि उनका सम्मान अधिकार संपन्न व्यक्ति के रूप में किया जाना चाहिए जो कि अपने अधिकारों को प्राप्त करने में सक्षम हो तथा समाज में सक्रिय सदस्य के रूप में जीवन यापन करे। यह समझौता विकलांग व्यक्तियों के समाज को वैश्विक मान्यता प्रदान करता है।

अक्षमता (Disability):

यह समझौता अक्षमता को सुस्पष्ट रूप में परिभाषित नहीं करता है। समझौते की प्रस्तावना के अनुसार :

'अक्षमता के एक क्रमिक रूप से विकसित अवधारणा है तथा अक्षमता क्षति से प्रभावित व्यक्ति एवं अभिवृत्तात्मक तथा वातावरणीय बाधाओं के अंतःक्रिया की परिणाम है जो कि उसे अन्य व्यक्तियों के समान समाज में पूर्ण तथा प्रभावी सहभागिता को बाधित करती है ।'

समझौते के अध्याय 2 के अनुसार :

'अक्षमताग्रस्त व्यक्ति वे कहलाते है जो दीर्घकालिक शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक अथवा संवेदी क्षति से प्रभावित हो तथा विभिन्न बाधाएँ उनके समाज में पूर्ण एवं प्रभावी प्रतिभागिता में रूकावट पैदा करें।'

अक्षमता असमावेशित समाज तथा व्यक्तियों के अंतःक्रिया का परिणाम है। उदाहरण के लिए एक व्हीलचेयर प्रयोग करने वाले व्यक्ति को उसकी व्हीलचेयर के कारण रोजगार प्राप्त करने मे समस्या हो सकती है क्योंकि वातावरणीय बाधाओं जैसे- बसों, सीढ़ियों में सुगम्यता नहीं है।

समझौते की संरचना : इसमें प्रस्तावना तथा 50 अध्याय है जिनका संक्षिप्त विवरण निम्नलिखित है :

प्रस्तावना (Preamble):

1. वर्तमान समझौते में शामिल सभी राज्य संस्थाएँ निम्न बिन्दुओं को मान्यता प्रदान करेंगी :

- मानव अधिकारों के संबंध में संयुक्त राष्ट्र की वैश्विक घोषणा जिसके अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति को बिना किसी भेदभाव के प्रत्येक अधिकार तथा स्वतंत्रता प्रदान की जाएगी।
- विकलांग व्यक्तियों से संबंधित विश्व कार्ययोजना तथा विकलांग व्यक्तियों के लिए अवसरों की समानता से संबंधित मानक नियमों के सिद्धांतों तथा योजना दिशा-निर्देशों के महत्व को स्वीकार करना।
- विकलांगता की धारणा विकसित हो रही है तथा विकलांगता क्षतिग्रस्तता से प्रभावित व्यक्ति एवं अभिवृत्तात्मक तथा वातावरणीय बाधाओं के मध्य अंतःक्रिया के परिणामस्वरूप प्रकट होती है जो कि समाज में उसकी पूर्ण तथा प्रभावी भागीदारी में रूकावट पैदा करती हैं।
- विकलांग व्यक्तियों में विविधताएँ होती है।
- सभी विकलांग व्यक्तियों के मानवाधिकारों को विकसित करने तथा सुरक्षित करने की आवश्यकता है।
- प्रत्येक देश, विशेष रूप से विकासशील देशों में विकलांग व्यक्तियों के जीवन प्रणाली में सुधार लाने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग महत्वपूर्ण है।
- विकलांग व्यक्तियों द्वारा सामाजिक विकास में दिए गए योगदान को महत्व प्रदान करना तथा इस बात पर ध्यान देना कि यदि उन्हें मानवाधिकार, मौलिक स्वतंत्रता, पूर्ण सहभागिता प्रदान की जाए तो विकलांग व्यक्ति मानव, सामाजिक तथा आर्थिक विकास में अपना योगदान दे सकते हैं तथा गरीबी उन्मूलन में सहयोग प्रदान कर सकते है।
- विकलांग व्यक्तियों की व्यक्तिगत स्वायत्तता तथा स्वतंत्रता महत्वपूर्ण होती है जिसमें स्वयं निर्णय लेने की स्वतंत्रता शामिल है।
- विकलांगता से प्रभावित महिलाएँ तथा बालिकाएँ घर के भीतर तथा बाहर हिंसा, चोट, शोषण, आदि कारकों से अधिक प्रभावित होती हैं।
- विकलांग बच्चों को अन्य बच्चों की भाँति मानवाधिकारों तथा मौलिक स्वतंत्रता का पूर्ण आनन्द प्राप्त करने का अधिकार है तथा इसके लिए राज्य संस्थाओं को बच्चों के अधिकारों से संबंधित समझौते को याद रखना चाहिए।
- विकलांग व्यक्तियों द्वारा समस्त अधिकारों तथा मौलिक स्वतंत्रता का आनन्द प्राप्त करने के लिए भौतिक, सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक वातावरण, स्वास्थ्य एवं शिक्षा, सूचना तथा संप्रेषण में सुगम्यता होनी चाहिए।

2. सभी राज्य संस्थाएँ निम्न बिन्दुओं को याद रखेंगी :

- संयुक्त राष्ट्र संविधान में घोषित सिद्धांत जो कि सभी मनुष्यों को जन्मजात प्रतिष्ठा तथा समस्त अधिकार प्रदान करता है जो विश्व में स्वतंत्रता, न्याय तथा शांति के लिए आवश्यक है।
- आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार - राजनैतिक तथा नागरिक अधिकार, समस्त प्रकार के नस्लीय भेदभाव का उन्मूलन, महिलाओं के प्रति समस्त प्रकार के भेदभाव का उन्मूलन, यंत्रणा तथा अन्य क्रूर, अमानवीय व्यवहारों तथा दण्ड को समाप्त करना, बाल अधिकार, प्रवासी कामगारों एवं उनके परिवार के सदस्यों के सम्बंध में किए गए अंतर्राष्ट्रीय समझौते।
- विकलांग व्यक्तियों के समस्त मानवाधिकारों तथा मौलिक स्वतंत्रता के सार्वभौमिकता, वैयक्तिकता, अंत:निर्भरता तथा अंत:संबंधों को तथा विकलांग व्यक्तियों को बिना किसी भेदभाव के पूर्ण सहभागिता को पुन:स्वीकृति प्रदान करना।
- विकासात्मक नीतियों में विकलांगता से संबंधित विषयों को शामिल करना।
- इस बात पर ध्यान देना के वर्तमान प्रावधानों के बावजूद विकलांग व्यक्तियों को समाज में समान सदस्यों के रूप में भागीदारी करने में बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है तथा उनके मानवाधिकारों का हनन हो रहा है।
- विकलांग व्यक्तियों को नीतियों तथा कार्यक्रमों के निर्माण में सक्रिय सहभागिता का अवसर प्रदान होना चाहिए। विशेष रूप से जो उनके हितों से संबंधित हो।
- विकलांग व्यक्तियों के कठिन परिस्थितियों पर ध्यान देना जो कि उनके नस्ल, रंग, लिंग, भाषा, क्षेत्र, राजनैतिक तथा अन्य विचार संबंधी भेदभाव शोषण, बुरे बर्ताव से संबंधित हैं।
- विकलांगता से प्रभावित व्यक्तियों के सभी प्रकार के मानवाधिकारों तथा मौलिक स्वतंत्रता प्रदान करने के क्रम में लैंगिक अनुपात को ध्यान देना।
- इस बात पर प्रकाश डालना कि अधिकतर विकलांग व्यक्ति गरीबी में जीवन-यापन कर रहें है।
- अशांति की स्थिति में सयुक्त राष्ट्र संविधान के अनुसार विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा को ध्यान में रखना चाहिए।
- विकलांग व्यक्तियों तथा उनके परिवार को सुरक्षा एवं सहायता उपलब्ध कराई जानी चाहिए जिससे परिवार विकलांग व्यक्ति को सहयोग प्रदान कर सके।
- विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों को सुरक्षित तथा प्रोन्नत करने के लिए समग्र समझौते पर सहमति प्राप्त करना जो कि उनके नागरिक, राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक क्षेत्रों में पूर्ण भागीदारी प्राप्त करने में सहायक होगी तथा सभी विकसित तथा विकासशील देशों में लागू होगी।

अध्याय 1 - उद्देश्य (Purpose):

इस समझौते का उद्देश्य अक्षमता ग्रस्त व्यक्तियों को उनके मानवाधिकारों एवं मूल स्वतंत्रता के पूर्ण एवं समान आनन्द प्राप्ति को बढ़ाना, संरक्षित करना तथा सुनिश्चित करना है।

अक्षमता ग्रस्त व्यक्ति वे कहलाते है जो दीर्घकालिक, शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक अथवा संवेदी क्षति से प्रभावित हो तथा विभिन्न बाधाएँ उनका समाज में पूर्ण एवं प्रभावी प्रतिभागिता में रूकावट पैदा करें।

अध्याय 2 - परिभाषाएँ (Definitions):

इसके अंतर्गत संप्रेषण, भाषा, अक्षमता आधारित विभेदन, तर्कसंगत प्रवास एवं वैश्विक प्रारूप को परिभाषित किया गया हैं।

- संप्रेषण के अंतर्गत भाषाएँ, पठन सामग्री का प्रस्तुतीकरण, ब्रेल, स्पर्श संप्रेषण, बड़े आकार की छपाई, सुगम्य मल्टीमीडिया के साथ-साथ लिखित, श्रव्य भाषा, मानव वाचक तथा सवंर्धित एवं वैकल्पिक संप्रेषण के माध्यम, सुगम्य सुचनाएँ तथा संप्रेषण तकनीक शामिल हैं।
- भाषा के अंतर्गत मौखिक तथा सांकेतिक भाषा एवं अमौखिक भाषा के अन्य प्रकार शामिल हैं।
- अक्षमता आधारित विभेदन का अर्थ है विकलांगता के आधार पर किसी भी प्रकार का भेद-भाव अथवा रुकावट जिसका उद्देश्य अथवा प्रभाव समस्त राजनैतिक, आर्थिक, नागरिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक क्षेत्रों में मानवाधिकारों तथा मौलिक स्वतंत्रता की मान्यता तथा आनन्द प्राप्ति को समाप्त करना है।

इसमें सभी प्रकार के विभेदन शामिल हैं जिसमें तर्कसंगत प्रवास उपलब्ध न कराना भी शामिल हैं।

- तर्कसंगत प्रवास का अर्थ है विकलांग व्यक्तियों को मानवाधिकारों तथा मौलिक स्वतंत्रता का आनन्द प्राप्त करने के लिए के लिए आवश्यक तथा उपयुक्त समायोजन करना जिसमे गैर-अनुपातिक बोझ न पड़े।
- 'वैश्विक प्रारूप' का अर्थ है उत्पाद, वातावरण कार्यक्रम तथा सेवाओं की संरचना इस प्रकार से हो जिससे वे अधिकतम स्तर तक अक्षम व्यक्तियों के लिए उपयोगी हों।

'वैश्विक प्रारूप' में अक्षम व्यक्तियों के उपयोग में आने वाले सहायक उपकरणों को अलग नहीं किया जाना चाहिए।

अध्याय 3- सामान्य सिद्धांत (General Principles):

वर्तमान समझौते के सिद्धांत हैं -

1. निहित प्रतिष्ठा का सम्मान करना।
2. अविभेदीकरण।
3. समाज में पूर्ण एवं प्रभावी प्रतिभागिता एवं समावेशन।
4. मानव भिन्नताएँ एवं मानवतावाद के रूप में अक्षमताग्रस्त व्यक्तियों की भिन्नताओं एवं स्वीकार्यता का सम्मान करना।
5. अवसरों की समानता।
6. अधिगमता।
7. पुरूष एवं स्त्री मे समानता।
8. अक्षमताग्रस्त बच्चों की क्षमताओं का सम्मान करें तथा उनकी वैयक्तिक पहचान को संरक्षित करें।

अध्याय 4 - सामान्य दायित्व/ कर्तव्य (General Obligations):

राज्य भेदभाव किए बिना विकलांग व्यक्तियों के सभी मानवाधिकार तथा मौलिक स्वतंत्रता को सुनिश्चित करें तथा उसमे वृद्धि करें। इसके लिए :

- राज्य संस्थाएँ अक्षम व्यक्तियों के संदर्भ में उपयुक्त नियम व कानून बनाएँ, भेदभाव को समाप्त करने की दिशा में कार्य करें, नई तकनीकों से संबंधित सूचनाएँ उपलब्ध कराएँ तथा पुनर्वास के क्षेत्र में मानव संसाधन विकसित करें।
- राज्य संस्थाएँ अक्षम व्यक्तियों के आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारों के संबंध में उपलब्ध संसाधनों का अधिकतम उपयोग करने का प्रयास करें तथा अंतर्राष्ट्रीय सहयोग प्राप्त करें।
- वर्तमान समझौते से संबंधित कानून तथा नीतियों के विकास एवं क्रियांवयन में विकलांग व्यक्तियों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की जाए।
- वर्तमान समझौता किसी राज्य संस्था द्वारा विकलांग व्यक्तियों को प्रदान किए जा रहे बेहतर अधिकारों में किसी प्रकार की कमी करने का आधार नहीं होगा।
- वर्तमान समझौते के प्रावधानों को राज्य के सभी भागों में बिना किसी कमी के लागू किया जाएगा।

अध्याय 5 - समानता तथा अविभेदीकरण (Equality and non-discrimination):

राज्य संस्थाएँ सभी अक्षम व्यक्तियों को समान न्यायिक सुरक्षा एवं अधिकार तथा तर्कसंगत अवसर प्रदान करें।

अध्याय 6 - अक्षमताग्रस्त महिलाएँ (Woman with disabilities):

राज्य संस्थाएँ महिलाओं के पूर्ण विकास, आधुनिकीकरण, तथा सशक्तीकरण के लिए उपयुक्त प्रयास करें।

अध्याय 7 - अक्षमताग्रस्त बच्चे (Children with disabilities):

राज्य संस्थाएँ अक्षमताग्रस्त बच्चों के विकास के लिए सार्थक प्रयास करें तथा उनके विचारों को महत्व प्रदान करें।

अध्याय 8 - जागरुकता वृद्धि (Awareness-raising):

राज्य संस्थाएँ अक्षम व्यक्तियों से संबंधित अधिकारों, उनकी क्षमताओं तथा योगदान के विषय में जागरुकता फैलाएँगी एवं लिंग व आयु के आधार पर उनके प्रति रूढियों, पूर्वाग्रहों तथा हानिकारक व्यवहारों को समाप्त करने का प्रयास करेंगी।

अध्याय 9 - सुगम्यता (Accessibility):

राज्य संस्थाएँ अन्य व्यक्तियों की भाँति भौतिक वातावरण, यातायात, सूचना तथा संप्रेषण, शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में जनसामान्य को प्रदान की जा रही सुविधाओं एवं सेवाओं को विकलांग व्यक्तियों के लिए सुगम्य बनाने के लिए उपयुक्त कदम उठाएँगी।

अध्याय 10 - जीवन के अधिकार (Right to life):

राज्य संस्थाएँ पुनःनिश्चय करेंगी कि जीवन का अधिकार प्रत्येक व्यक्ति का जन्मजात होता है तथा उसके पूर्ण आनन्द प्राप्ति के लिए उपयुक्त उपाय करेंगी।

अध्याय 11 - खतरे की स्थिति तथा मानवतावादी आपात स्थितियाँ (Situations of risk and humanitarian emergencies):

अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानून की बाध्यता के संदर्भ में राज्य संस्थाएँ खतरे की स्थिति, सशस्त्र संघर्ष अथवा प्राकृतिक आपदाओं में अक्षम व्यक्तियों की सुरक्षा सुनिश्चित करें।

अध्याय 12 - कानून के समक्ष समानता (Equal recognition before law):

अक्षमता से प्रभावित व्यक्ति को अन्य व्यक्तियों के समान सभी जगह कानून में समानता प्राप्त हो। इसके लिए राज्य संस्थाएँ सभी आवश्यक उपाय करें।

अध्याय 13 - न्याय की सुगम्यता (Access to justice)

राज्य संस्थाएँ यह सुनिश्चित करें की अक्षम व्यक्ति को अन्य की भाँति न्याय की सुगम्यता प्राप्त हो इसके लिए प्रक्रियात्मक तथा आयु अनुरूप प्रवास, गवाही, उपयुक्त प्रशिक्षण, आदि शामिल हैं।

अध्याय 14 - व्यक्ति की स्वतंत्रता तथा सुरक्षा (Liberty and security of the person):

राज्य संस्थाएँ सभी अक्षम व्यक्तियों को समान रूप से स्वतंत्रता तथा सुरक्षा प्रदान करना सुनिश्चित करें। इससे वंचित व्यक्तियों के लिए विशेष प्रयास जिसमें उपयुक्त प्रवास सम्मिलित है, करें।

अध्याय 15 - यंत्रणा या क्रूरता, अमानवीय व्यवहार या दण्ड से मुक्ति (Freedom from torture or cruel, inhuman or degrading treatement or punishment):

- किसी के साथ भी यंत्रणा या क्रूरता, अमानवीय व्यवहार नहीं किया जा सकता है।
- किसी को भी उसकी सहमति के बिना चिकित्सीय अथवा वैज्ञानिक प्रयोगों मे शामिल नहीं किया जा सकता है। इसके लिए राज्य संस्थान सभी प्रभावी संवैधानिक, प्रशासनिक, न्यायिक अथवा अन्य उपाय करें।

अध्याय 16 - शोषण, हिंसा एवं अपमानजनक शब्दों के प्रयोग से मुक्ति (Freedom from exploitation, violence and abuse):

- अक्षम व्यक्तियों को शोषण हिंसा तथा अपमानजनक शब्दों से घर में तथा बाहर बचाने के लिए राज्य संस्थाएँ सभी उपयुक्त प्रभावी संवैधानिक, प्रशासनिक, सामाजिक, शैक्षणिक तथा अन्य उपाय करें।
- इसके लिए विकलांग व्यक्तियों को लिंग तथा आयु उपयुक्त सहायता प्रदान करें, जिसमें इस घटनाओं की पहचान तथा रिपोर्ट करने के संबंध में सूचना प्रदान करना शामिल है। इन कार्यक्रमों की निगरानी स्वतंत्र निकायों के माध्यम से की जानी चाहिए।
- शोषण हिंसा तथा अपमानजनक शब्दों से प्रभावित अक्षम व्यक्तियों के लिए राज्य संस्थाएँ शारीरिक संज्ञानात्मक तथा मनोवैज्ञानिक क्षति पूर्ति, पुनर्वास तथा सामाजिक पुर्नमिलन के लिए सभी उपयुक्त उपाय करें।

अध्याय 17 - व्यक्ति की अखण्डता का बचाव (Protecting the integrity of the person):

प्रत्येक विकलांग व्यक्ति को अन्य की भाँति अपनी शारीरिक तथा मानसिक अखण्डता का सम्मान करने का अधिकार है।

अध्याय 18 - गत्यात्मकता तथा राष्ट्रीयता की स्वतंत्रता (Liberty of movement and Nationality):

- राज्य संस्थाएँ इसका ध्यान रखें कि विकलांग व्यक्तियों को अन्य की भाँति गत्यात्मकता की स्वतंत्रता, आवास तथा राष्ट्रीयता के चयन की स्वतंत्रता मिले।
- उन्हे राज्य से बाहर जाने अथवा राज्य में प्रवेश पर विकलांगता के आधार पर भेद-भाव का सामना न करना पड़े।

अध्याय 19 - स्वतंत्र जीवन एवं सामुदायिक समावेशन (Living independently and being included in the community):

विकलांग व्यक्तियों को समुदाय में रहने का समान अधिकार राज्य संस्थाएँ उन्हें पूर्ण आनन्द प्रदान करने के लिए सभी उपयुक्त तथा प्रभावी उपाय करें।

अध्याय 20 - व्यक्तिगत गतिशीलता (Personal Mobility):

राज्य संस्थाएँ अक्षम व्यक्ति को अधिकतम स्वतंत्रता के साथ-साथ गतिशीलता प्रदान करने के लिए प्रभावी उपाय करें। इसके लिए उपयुक्त मूल्य, सहायक उपकरण, प्रशिक्षण, आदि की व्यवस्था की जानी चाहिए।

अध्याय 21- अभिव्यक्ति तथा विचारों की स्वतंत्रता एवं सूचनाओं की सुगम्यता (Fredom of expression and opinion and access to information):

- राज्य संस्थाएँ यह सुनिश्चित करें कि अक्षम व्यक्ति तथा विचारों की स्वतंत्रता के अधिकार का प्रयोग कर सकें तथा सूचनाएँ प्राप्त कर सकें।
- इसके लिए बिना किसी अतिरिक्त मूल्य के सूचनाएँ संकेत भाषा, ब्रेल, आदि माध्यमों से दी जानी चाहिए । इसमें मीडिया तथा इंटरनेट की सहायता ली जा सकती है।

अध्याय 22 - निजता का सम्मान (Repect for privacy):

किसी भी अक्षम व्यक्ति की निजता को भंग नहीं किया जाना चाहिए। इसकी रक्षा के लिए उपयुक्त कानूनी उपाय किए जाने चाहिए। राज्य सरकारों को विकलांग व्यक्तियों की व्यक्तिगत स्वास्थ्य तथा पुनर्वास सूचनाओं की सुरक्षा करनी चाहिए।

अध्याय 23 - घर तथा परिवार के लिए सम्मान (Respect for home and family):

विकलांग व्यक्तियों के लिए विवाह, परिवार निर्माण से संबंधित भेदभाव को समाप्त करने के उपाय करने चाहिए।

वैवाहिक आयु के सभी विकलांग व्यक्तियों को विवाह करने, बच्चों की संख्या तथा उनमें अंतर निर्धारित करने का अधिकार है।

अध्याय 24 - शिक्षा (Education):

राज्य संस्थाएँ विकलांग व्यक्तियों के शिक्षा के अधिकार को मान्यता प्रदान करें। राज्य संस्थाएँ सभी स्तरों पर समावेशित शिक्षण प्रणाली तथा जीवन पर्यन्त अधिगम की व्यवस्था करें, जो कि

- मानव क्षमताओं तथा आत्म-सम्मान का पूर्ण विकास करें तथा मानवाधिकार, मौलिक स्वतंत्रता एवं मानवीय भिन्नताओं के प्रति सम्मान को मजबूत बनाए।

- विकलांग व्यक्तियों के व्यक्तित्व, कुशलताओं तथा सृजनात्मकता के साथ-साथ उनकी मानसिक तथा शारीरिक क्षमताओं का अधिकतम् विकास करना।
- विकलांग व्यक्तियों को समाज में प्रभावी भागीदारी के योग्य बनाना।

इन अधिकारों को समझते हुए राज्य संस्थाएँ सुनिश्चित करें कि

- विकलांगता के आधार पर अक्षम व्यक्तियों को सामान्य शिक्षण तंत्र से अलग नहीं किया जाना चाहिए तथा विकलांग बच्चों को निःशुल्क तथा अनिवार्य प्राथमिक अथवा माध्यमिक शिक्षा से वंचित नहीं किया जाना चाहिए।
- विकलांग व्यक्ति समावेशित, गुणात्मक तथा निःशुल्क प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा समान रूप से प्राप्त कर सकें।
- वैयक्तिक आवश्यकताओं के अनुसार उपयुक्त प्रवास प्रदान किया जाना चाहिए।
- विकलांग व्यक्तियों को उनके प्रभावी शिक्षण के लिए सामान्य शिक्षण प्रणाली में आवश्यक सहयोग प्रदान किए जाने चाहिए।
- प्रभावी वैयक्तिक सहयोग प्रदान किया जाना चाहिए जो कि शैक्षणिक तथा सामाजिक विकास को अधिकतम स्तर तक ले जा सके।
- राज्य संस्थाएँ विकलांग व्यक्तियों को शिक्षा तथा समुदाय के सदस्य के रूप में पूर्ण तथा समान प्रतिभागिता प्रदान करने के लिए जीवन तथा सामाजिक विकास के कौशलों के अधिगम में समर्थ बनाए। इसके लिए राज्य संस्थाएँ उपयुक्त उपाय करें जैसे :
  - ब्रेल अधिगम।
  - संप्रेषण के वैकल्पिक उपाय, चलन प्रशिक्षण, आयु समूह का सहयोग आदि।
  - सांकेतिक भाषा के अधिगम को उपलब्ध कराना।
  - दृष्टि अक्षम तथा श्रवण अक्षम बच्चों को सर्वाधिक उपयुक्त भाषाओं तथा संप्रेषण के माध्यमों द्वारा शिक्षा प्रदान करनी चाहिए तथा ऐसा वातावरण उपलब्ध कराना चाहिए जिनमें उनका अधिकतम् शैक्षणिक तथा सामाजिक विकास हो सके।
  - इस अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए राज्य संस्थाएँ प्रशिक्षित शिक्षक, शैक्षणिक तकनीक तथा सामग्रियों को उपलब्ध कराए।
  - राज्य संस्थाएँ यह सुनिश्चित करें की विकलांग व्यक्तियों को शिक्षा, व्यवसायिक प्रशिक्षण, वयस्क शिक्षा तथा जीवन पर्यन्त अधिगम बिना किसी भेदभाव के सुगम्य हो। इसके लिए तर्कसंगत प्रयास किया जाए।

अध्याय 25 - स्वास्थ्य (Health):

विकलांग व्यक्तियों को अन्य व्यक्तियों के समान गुणवत्तायुक्त स्वास्थ्य सेवाएँ निःशुल्क अथवा उनकी क्षमता के अंतर्गत दरों पर उपलब्ध कराईं जाए।

- शीघ्र पहचान तथा हस्तक्षेप सेवाएँ प्रदान की जाएँ।
- स्वास्थ्य सेवाएँ निकटतम् क्षेत्रों में हों तथा इनका विस्तार ग्रामीण क्षेत्रों में किया जाए।

- चिकित्सा विशेषज्ञों को विकलांगता के संबंध में प्रशिक्षण प्रदान जाए।
- स्वास्थ्य बीमा तथा जीवन बीमा में विकलांग व्यक्तियों के साथ किसी प्रकार का भेदभाव न किया जाए।

स्वास्थ्य सेवाओं में किसी भी प्रकार के भेदभाव को रोका जाए।

अध्याय 26 - योगीकरण तथा पुनर्वास (Habilitation and rehabilitation):

राज्य संस्थाएँ समग्र योगीकरण तथा पुनर्वास कार्यक्रम को संगठित, मज़बूत तथा विस्तार करें। इसमें बहुआयामी दल द्वारा व्यक्ति की आवश्यकताओं तथा क्षमताओं का आकलन शामिल है।

- राज्य संस्थाएँ योगीकरण तथा पुनर्वास के क्षेत्र में कार्यरत व्यवसायिकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कराएँ। सहायक उपकरणों तथा तकनीकि का प्रयोग किया जाए।

अध्याय 27 - कार्य एवं रोज़गार (Work and employment):

विकलांग व्यक्तियों को अन्य की भाँति ही रोजगार के अवसर प्राप्त हों। इसके लिए:

- विकलांगता के आधार पर भेदभाव को समाप्त किया जाए।
- कार्य की समान स्थितियाँ उपलब्ध कराईं जाए तथा किसी भी प्रकार के शोषण से सुरक्षा प्रदान की जाए।
- विकलांग व्यक्ति अपना रोजगार संगठन बनाने के लिए स्वतंत्र है।
- रोजगार में प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से सुगम्यता को बढ़ाया जाए।
- रोजगार के अवसरों को बढ़ाया जाए तथा रोजगार प्राप्त करने में सहायता की जाए।
- सार्वजनिक क्षेत्र में विकलांग व्यक्तियों को रोजगार प्रदान किया जाए।
- उपयुक्त नीतियाँ बनाकर निजी क्षेत्र में विकलांग व्यक्तियों के रोजगार के अवसरों को बढ़ाया जाए।
- कार्यस्थल पर तर्कसंगत प्रवास की व्यवस्था की जाए।
- विकलांग व्यक्तियों के मुक्त बाजार में कार्य अनुभवों को बढ़या जाए।
- प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाए।

अध्याय 28 - पर्याप्त जीवन स्तर तथा सामाजिक सुरक्षा (Adequate standard of living and social protection):

राज्य संस्थाएँ विकलांग व्यक्तियों तथा उनके परिवार को पर्याप्त जीवन स्तर के अधिकार को मान्यता प्रदान करें जिसमें पर्याप्त भोजन, कपड़ा, आवास तथा जीवन स्थितयों में सुधार शामिल है। विकलांगता आधारित भेदभाव को समाप्त किया जाए।

अध्याय 29 - सामाजिक तथा नागरिक जीवन में प्रतिभागिता (Participation in political and public life):

विकलांग व्यक्ति को चुनावों में वोट देने के अधिकार को सुनिश्चित किया जाए। इसके लिए:

- यह सुनिश्चित किया जाए कि वोट देने की प्रक्रिया, सुविधाएँ तथा सामग्री सुगम्य हो।
- गुप्त मतदान को सुनिश्चित किया जाए।
- अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रदान की जाए।

अध्याय 30 - सांस्कृतिक जीवन, सृजनात्मक, मनोरंजनात्मक क्रियाएँ तथा खेल में प्रतिभागिता (Participation in cultural life, recreation, leisure and sport):

सार्वजनिक कार्यक्रमों में विकलांग व्यक्तियों की सहभागिता सुनिश्चित की जाए। इसके लिए गैर-सरकारी संगठनों को शामिल होने तथा सक्रिय भागीदारी का अवसर प्रदान किया जाए।

- विकलांग व्यक्तियों द्वारा समस्त सांस्कृतिक स्रोतों का लाभ प्राप्त करने का अवसर प्रदान किया जाए।
- विकलांग व्यक्तियों के विशिष्ट सांस्कृतिक तथा भाषाई पहचान को बनाए रखने के अधिकार को सुनिश्चित किया जाए।
- विकलांग व्यक्तियों के सृजनात्मक तथा कलात्मक कार्यो का विकास किया जाए तथा उसे प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया जाए।

उनकी सभी मनोरंजनात्मक तथा खेल क्रियाओं में समान भागीदारी को बढ़ाने के लिए उपयुक्त उपाय किए जाए।

अध्याय 31 - सांख्यिकी तथा आँकड़े एकत्र करना (Statistics and data collection):

नीतियों के निर्माण तथा क्रियान्वयन के लिए राज्य संस्थाएँ उपयुक्त सूचनाएँ जिसमें सांख्यिकी तथा शोध आँकड़ें शामिल हैं, उन्हें एकत्र करें।

अध्याय 32 - अंतर्राष्ट्रीय सहयोग (International cooperation):

इस समझौते के क्रियांवयन के लिए राज्य संस्थाएँ अंतर्राष्ट्रीय सहयोग प्राप्त करने का प्रयास करें। इसमें निम्नलिखित शामिल हैं:

- अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को सुनिश्चित करना जिसमें अंतर्राष्ट्रीय विकास कार्यक्रमों में विकलांग व्यक्तियों को शामिल करना तथा उसे सुगम्य बनाना शामिल है।
- सूचनाओं, अनुभवों, प्रशिक्षण कार्यक्रमों के आदान-प्रदान के माध्यम से क्षमता विकास।
- वैज्ञानिक तथा तकनीकि क्षेत्र में शोध एवं सुगम्यता में सहयोग करना।
- तकनीकि ज्ञान को साझा करना।

अध्याय 33 - राष्ट्रीय क्रियांवयन तथा निरीक्षण (National implementation and monitoring):

- प्रस्तुत समझौते के क्रियांवयन के लिए विभिन्न क्षेत्रों में समन्वय बनाना।
- न्यायिक तथा प्रशासनिक तंत्रों में क्रियांवयन हेतु आवश्यक उपाय करना।
- विकलांग व्यक्तियों तथा उनके लिए कार्यरत संगठनों को निरीक्षण प्रक्रिया में शामिल करना।

अध्याय 34 - विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों हेतु समिति (Committee on the rights of Persons with Disabilities):

विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों पर समिति का गठन किया जाएगा जो कि संबंधित कार्यो को देखेगी। समिति के सदस्यों की अधिकतम संख्या 18 निर्धारित की गई है।

अध्याय 35 - राज्य संस्थाओं द्वारा आख्या (Reports by State Parties):

प्रत्येक राज्य संस्था समिति को वर्तमान समझौते के लागू होने के 02 वर्ष के भीतर इसके प्रावधानों को लागू करने के लिए किए गए प्रयासों तथा प्रगति संबंधित समग्र आख्या प्रस्तुत करेगी।

- तत्पश्चात् राज्य संस्थाएँ अगली आख्याओं को प्रत्येक 04 वर्ष के बाद तथा समिति के अनुरोध पर प्रस्तुत करेगी।
- आख्या की विषयवस्तु का निर्धारण समिति द्वारा किया जाएगा।
- आख्या तैयार करते समय पारदर्शी प्रक्रिया अपनाई जाएगी।

आख्याओं में वर्तमान समझौते के प्रावधानों को लागू करने में होने वाली समस्याओं का उल्लेख किया जा सकता है।

अध्याय 36 - आख्या पर विचार (Consideration of Reports):

प्रत्येक आख्या पर समिति द्वारा विचार किया जाएगा तथा आवश्यक सुझाव दिया जाएगा।

राज्य संस्थाएँ अपनी आख्याओं को अपने नागरिको के समक्ष सार्वजनिक करेंगी।

अध्याय 37 - राज्य संस्थाओं तथा समिति के मध्य सहयोग (Cooperation between State Parties and the Committee):

प्रत्येक राज्य संस्था समिति का सहयोग करेगी तथा उसके सदस्यों के कार्य में सहायता करेगी।

समिति राज्य संस्थाओं को अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के साथ वर्तमान समझौते को क्रियांवित करने के लिए राष्ट्रीय क्षमताओं के तरीकों तथा माध्यमों पर अपने सुझाव देंगी।

अध्याय 38 - समिति का अन्य संस्थाओं से संबंध (Relationship of the Committee with other bodies):

वर्तमान समझौते के प्रभावी क्रियान्वयन में वृद्धि के लिए तथा समझौते के क्षेत्रों में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ाने के लिए :

- समिति विशेषज्ञ एजेंसियों तथा संयुक्त राष्ट्र के अन्य अंगों को उनसे संबंधित क्रियाकलापों के माध्यम से समझौते को लागू करने संबंधी आख्या माँग सकती है।
- समिति अन्य संबंधित संस्थाओं से उनके कार्य के संबंधित आख्या माँग सकती है, जिससे किसी प्रकार के भ्रम की स्थिति उत्पन्न न हो।

अध्याय 39 - समिति की आख्या (Report of the Committee):

समिति द्वारा 02 वर्षो के अंतराल पर संयुक्त राष्ट्र महासभा में तथा आर्थिक व सामाजिक परिषद के समक्ष उसके क्रियाकलापों के संबंध में आख्या प्रस्तुत करनी होगी। वह राज्य संस्थाओं से प्राप्त आख्याओं के परीक्षण के आधार पर सुझाव तथा प्रावधान प्रस्तुत कर सकती है।

अध्याय 40 - राज्य संस्थाओं का सम्मेलन (Conference of State Parties):

राज्य संस्थाएँ नियमित रूप से राज्य संस्थाओं के सम्मेलन में प्रतिभाग करेंगी जिससे वर्तमान समझौते के क्रियान्वयन के संबंध में विचार-विमर्श किया जा सके।

अध्याय 41 - संरक्षक (Depository):

संयुक्त राष्ट्र महासचिव वर्तमान समझौते के संरक्षक होंगे।

अध्याय 42 - हस्ताक्षर (Signature):

वर्तमान समझौते को संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में 30 मार्च 2007 को सभी राज्यों तथा क्षेत्रीय एकीकृत संगठनों द्वारा हस्ताक्षर के लिए प्रस्तुत किया जाएगा।

अध्याय 43 - सीमा को स्वीकार करना (Consent to be bound):

वर्तमान समझौते को सभी हस्ताक्षरकर्ता राज्यों तथा क्षेत्रीय एकीकृत संगठनों के समक्ष सहमति के लिए प्रस्तुत किया जाएगा।

अध्याय 44 - क्षेत्रीय एकीकृत संगठन (Regional integration organizations):

क्षेत्रीय एकीकृत संगठन का आशय किसी क्षेत्र के संप्रभु राज्यों के संगठन से है जिसके सदस्य राज्यों में इस समझौते से संबंधित मुद्दों पर नीति निर्धारण का अधिकार उसे प्रदान किया हो।

अध्याय 45 - लागू करना (Entry into force):

प्रस्तुत समझौते को उसकी 20 वीं सहमति के 30 दिनों के पश्चात् लागू कर दिया जाएगा।

अध्याय 46 - आरक्षण (Reservations):

प्रस्तुत समझौते के विषय तथा उद्देश्य असंगत आरक्षणों की अनुमति नहीं दी जाएगी।

आरक्षण को किसी भी समय हटाया जा सकता है।

अध्याय 47 - संशोधन (Amendments):

कोई भी राज्य संस्था वर्तमान समझौते में संसोधन को प्रस्तावित कर संयुक्त राष्ट्र महासचिव के समक्ष प्रस्तुत कर सकती है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव राज्य संस्थाओं को प्रावधानों पर विचार-विमर्श तथा निर्णय लेने के लिए सम्मेलन आयोजित करने के अनुरोध के साथ प्रस्तावित संसोधन भेजेंगे। एक-तिहाई संस्थाओं की सहमति के बाद सम्मेलन आयोजित किया जाएगा तथा दो-तिहाई बहुमत के साथ वोट प्राप्त होने पर संसोधन किया जाएगा।

अध्याय 48 - निंदा (Denunciation):

राज्य संस्था वर्तमान समझौते की निंदा लिखित अधिसूचना के माध्यम से संयुक्त राष्ट्र महासचिव के समक्ष प्रस्तुत कर सकती है। महासचिव द्वारा अधिसूचना प्राप्ति के 01 वर्ष के पश्चात् उक्त निंदा प्रभावी होगी।

अध्याय 49 - सुगम्य प्रपत्र (Accessible format):

प्रस्तुत समझौते की पठन सामग्री सुगम्य प्रपत्र के माध्यम से उपलब्ध कराई जाएगी।

अध्याय 50 - प्रमाणिक अवतरण (Authentic text):

प्रस्तुत समझौते के अरबी, चीनी, अंग्रेजी, फ्रेंच, रूसी तथा स्पेनिश अवतरण समान रूप से प्रमाणिक होंगे।

निष्कर्ष (Conclusion)

अब इस समझौते के क्रियांवयन की चुनौती है। इसके लिए :

- प्रशिक्षण, क्षमता विकास, जागरूकता वृद्धि तथा प्रबंधन के ज्ञान की आवश्यकता है। सभी विकासात्मक क्रियाओं में विकलांगता को शामिल करना।
- संगठनों की आंतरिक प्रणालियों में समझौते के सिद्धांतों के क्रियांवयन की आवश्यकता है।
- क्रियांवयन के सभी स्तरों पर विकलांग व्यक्तियों को शामिल करना आवश्यक है तथा विकलांग व्यक्तियों के संगठनों की क्षमता को विकसित किया जाना चाहिए।

टिप्पणी Remarks :

कृपया विस्तृत विवरण के लिए यू.एन.सी.आर.पी.डी. की प्रमाणित प्रति का अवलोकन करें।

6. शिक्षा का अधिकार अधिनियम (Right to Education Act) 2009:

भारतीय संविधान के 86वें संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 21 'अ' के अंतर्गत 06 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को मौलिक अधिकार के रूप में मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का प्रावधान किया गया है। इसका अर्थ है कि 06 से 14 वर्ष तक की आयु के प्रत्येक बच्चे को नियमित विद्यालयों में संतोषजनक एवं गुणवत्तायुक्त शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। इसके अंतर्गत निम्नलिखित बिन्दु शामिल हैं :

- बच्चों को उनके आस-पास के विद्यालयों में मुफ्त एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है।
- अनिवार्य शिक्षा का अर्थ है कि यह सरकार की जिम्मेदारी है कि वह मुफ्त प्राथमिक शिक्षा प्रदान करे तथा 06 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को अनिवार्य प्रवेश, उपस्थिति तथा प्राथमिक शिक्षा को पूरा करना सुनिश्चित करे। 'मुफ्त' का अर्थ है कि किसी भी बच्चे को ऐसी किसी धनराशि का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है जो कि उसकी प्राथमिक शिक्षा को जारी रखने एवं पूरा करने से रोकती हो।
- शिक्षा का अधिकार अधिनियम मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने में सरकार, स्थानीय निकाय एवं अभिभावकों की जिम्मेदारी को स्पष्ट करता है तथा केन्द्र एवं राज्य सरकारों के बीच धन एवं अन्य जिम्मेदारियों को भी बाँटता है।
- शिक्षा का अधिकार अधिनियम विद्यार्थी-शिक्षक अनुपात, भवन एवं स्थापत्य, विद्यालय के कार्य-दिवस, शिक्षकों की कार्य अवधि, आदि के मानदण्डों एवं मानकों को निर्धारित करता है।
- शिक्षा का अधिकार अधिनियम ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में शिक्षकों की उपलब्धता को सुनिश्चित करने का प्रावधान करता है। इसके अतिरिक्त जनगणना, स्थानीय निकायों, राज्य विधान सभाओं एवं संसद के चुनाव तथा आपदा प्रबन्धन के अतिरिक्त किसी भी अन्य गैर-शैक्षणिक कार्यों में शिक्षकों को शामिल करने पर रोक लगाता है।

- शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत प्रशिक्षित शिक्षकों की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है।
- शिक्षा का अधिकार अधिनियम निम्नलिखित पर रोक लगाता है:
  - शारीरिक दण्ड एवं मानसिक यंत्रणा।
  - विद्यालय में प्रवेश प्रदान करने के लिए बच्चों का परीक्षण करना।
  - प्रवेश प्रदान करने के लिए प्रतिव्यक्ति शुल्क (capitation fee) लेना।
  - शिक्षकों द्वारा निजी ट्यूशन प्रदान करना।
  - गैर-मान्यता प्राप्त विद्यालयों का संचालन करना।
- शिक्षा का अधिकार अधिनियम ऐसे पाठ्यक्रम को तैयार एवं लागू करने की बात करता है जो कि हमारे संवैधानिक मूल्यों को विकसित कर सके एवं बच्चे के ज्ञान, क्षमता, योग्यता को बढ़ाते हुए तथा भय, आघात् एवं तनाव से मुक्त वातावरण में उसके सर्वांगीण विकास का बढ़ाने का कार्य करे।

शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत किसी भी प्रकार की एवं किसी भी स्तर की अक्षमता से प्रभावित 06 से 14 वर्ष की आयु के बच्चे को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करने के उसके मौलिक अधिकार से उसे वंचित नहीं रखा जा सकता है। कोई भी विद्यालय किसी विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे को उसकी अक्षमता के आधार पर उसे प्रवेश देने से मना नहीं कर सकता। सरकार, स्थानीय निकाय एवं विद्यालय द्वारा अक्षमताग्रस्त बच्चे के मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करने के मौलिक अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक उपाय किए जाने चाहिए।

टिप्पणी :-

कृपया विस्तृत विवरण के लिए शिक्षा का अधिकार अधिनियम,2009 की प्रमाणित प्रति का अवलोकन करें।

7. अक्षमता से प्रभावित व्यक्तियों के ''अधिकारों को वास्तविक बनाने हेतु'' इंचियॉन नीति (Incheon Strategy to "Make the Right Real" for Persons with Disabilities), 2012:

एशिया तथा प्रशांत देशों के लिए संयुक्त राष्ट्र आर्थिक तथा सामाजिक आयोग (The United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific- ESCAP) द्वारा बीजिंग, चीन में 1993 से 2002 की अवधि को ''एशिया तथा प्रशांत देशों के अक्षमता से प्रभावित व्यक्तियों के लिए दशक'' (Asian Pacific Decade for Disabled Persons) घोषित किया गया। इस अवधि में अक्षमता से प्रभावित व्यक्तियों को समान अवसर प्रदान करने, उनके अधिकारों की रक्षा करने तथा उनके लिए प्रयोग किए जाने वाले अपमानजनक शब्दों, उनकी उपेक्षा एवं उनके प्रति होने वाले भेद-भाव को रोकने के लिए कानूनी प्रावधानों को पारित करने पर बल दिया गया। भारत में विकलांग व्यक्ति (समान अवसर, अधिकरों का संरक्षण एवं पूर्ण भागीदारी) अधिनियम 1995 एवं राष्ट्रीय स्वपरायणता, प्रमस्तिक घात, मानसिक मंदता और बहु-विकलांगताग्रस्त व्यक्ति कल्याण न्यास अधिनियम 1999 इसी अवधि में पारित हुए।

इसके पश्चात् वर्ष 2003 सें 2012 की अवधि को पुनः ''एशिया तथा प्रशांत देशों के अक्षमता से प्रभावित व्यक्तियों के लिए दशक'' (Asian Pacific Decade for Disabled Persons) के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया एवं एशिया तथा प्रशांत

देशों में अक्षमता से प्रभावित व्यक्तियों हेतु समावेशित, बाधामुक्त एवं अधिकारों पर आधारित समाज के निर्माण हेतु ''बिवाको सहस्त्राब्दी सामाजिक व्यवस्था के लिए कार्ययोजना (Biwako Millennium Framework for Action- BMF)'' तैयार की गई। इसके अन्तर्गत 07 प्राथमिकता क्षेत्र एवं 21 लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। बिवाको सहस्त्राब्दी सामाजिक व्यवस्था के लिए कार्ययोजना के अन्तर्गत दिए गए प्राथमिकता क्षेत्र हैं :

- अक्षमता से प्रभावित व्यक्तियों हेतु स्वयं-सेवी संगठन।
- अक्षमताग्रस्त महिलाएँ।
- शीघ्र-हस्तक्षेप एवं शिक्षा।
- प्रशिक्षण एवं रोज़गार जिसमें स्व- रोज़गार शामिल है।
- निर्माण एवं यातायात के साधनों को सुगम्य बनाना।
- सूचना एवं संप्रेषण को सुगम्य बनाना जिसमे सूचना एवं संप्रेषण सहायक प्रौद्योगिकी शामिल है।
- क्षमता विकास, सामाजिक सुरक्षा एवं जीविकोपार्जन के कार्यक्रमों द्वारा गरीबी उन्मूलन करना।

वर्ष 2012 में दक्षिण कोरिया गणराज्य के इंचियान शहर में एक बार फिर ''एशिया तथा प्रशांत देशों के अक्षमता से प्रभावित व्यक्तियों के लिए दशक'' (Asian Pacific Decade for Disabled Persons) को आगे बढ़ाते हुए वर्ष 2013 सें 2022 की अवधि के लिए इंचियान नीति तैयार की गई। इंचियान नीति बिवाको सहस्त्राब्दी सामाजिक व्यवस्था के लिए कार्ययोजना एवं अक्षमताग्रस्त व्यक्तियों के अधिकारों के लिए संयुक्त राष्ट्र समझौता (यू.एन.सी.आर.पी.डी.) पर आधारित है। इंचियान नीति एशिया तथा प्रशांत देशों में रहने वाले 65 करोड़ अक्षमता से प्रभावित व्यक्तियों के जीवनस्तर में सुधार तथा अधिकारों को प्रदान करने की दिशा में हुई प्रगति का आकलन करने में सहायक होगी। यह यू.एन.सी.आर.पी.डी. के कार्यान्वयन एवं समावेशी विकास को बढ़ाने में सहायता करेगी।

इंचियान नीति के अन्तर्गत ''अधिकारों को वास्तविक बनाने'' के लिए 10 लक्ष्य दिए गए हैं जो निम्नलिखित हैं :

- गरीबी को कम करना तथा कार्य एवं रोज़गार की संभावनाओं को बढ़ाना।
- राजनैतिक गतिविधियों एवं निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में सहभागिता को बढ़ाना।
- भौतिक वातावरण, यातायात सेवाओं, ज्ञान, सूचना एवं संप्रेषण की सुगम्यता को बढ़ाना।
- सामाजिक सुरक्षा को सुदृढ़ करना।
- लैंगिक अनुपात में समानता एवं महिला सशक्तीकरण को सुनिश्चित करना।
- समावेशी आपदा प्रबंधन सुनिश्चित करना एवं जोखिम को कम करना।
- अक्षमता से प्रभावित बच्चों के लिए शीघ्र-हस्तक्षेप सेवाओं एवं शिक्षा कार्यक्रमों को बढ़ावा देना।
- अक्षमता से संबंधित आँकड़ों की विश्वसनीयता एवं तुलनात्मकता में सुधार करना।

- अक्षमताग्रस्त व्यक्तियों के अधिकारों के लिए संयुक्त राष्ट्र समझौता (यू.एन.सी.आर.पी.डी.) की संपुष्टि एवं कार्यान्वयन को बढ़ाना एवं राष्ट्रीय कानूनों को इसके अनुरूप बनाना।
- उप-क्षेत्रीय, क्षेत्रीय एवं अंतरक्षेत्रीय सहयोग बढ़ाना।

इंचियान नीति के उद्देश्य वांछनीय परिणामों की व्याख्या करते हैं। इसमें 27 लक्ष्य एवं 62 उपलब्धि संकेतक दिए गए हैं।

टिप्पणी :-

कृपया विस्तृत विवरण के लिए इंचियान नीति, 2012 की प्रमाणित प्रति का अवलोकन करें।

अतः हम देखते हैं कि वर्तमान समय में अक्षमता से प्रभावित व्यक्तियों हेतु समावेशी समाज में बिना किसी भेद-भाव के जीवनयापन करने एवं उपलब्धि हासिल करने की दिशा में राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अनेक कानूनी प्रावधान किए गए हैं। सामुदायिक भागीदारी द्वारा इन्हे प्रभावी ढंग से लागू करने की आवश्यकता है।

* * *

"हम जो करते हैं हमें लगता है कि वह सागर में एक बूँद के समान है, किन्तु उस एक बूँद के अभाव में सागर अधूरा ही रहेगा।"

-मदर टेरेसा

संदर्भ/अतिरिक्त पठन
References/Further Readings

1. थ्रेसियाकुट्टी ए. टी. एण्ड राव एल. गोविन्दा (2001) ट्रांजिसन ऑफ पर्सन विद मेंटल रिटार्डेशन फ्राम स्कूल टू वर्क- ए गाइड, एन.आइ.एम.एच. सिकंदराबाद।
2. ग्रोवर यू. (2001) प्ले फन एन लर्न, एन.आइ.एम.एच. सिकंदराबाद।
3. जयचंद्रन पी. एण्ड विमला वी. (1992) - मद्रास डवलेपमेंट प्रोग्रामिंग सिस्टम (एम.डी.पी.एस.) विजय ह्यूमन सर्विसेज़, चेन्नई।
4. कोहली टी. (1987) पोर्टाज बेसिक ट्रेनिंग कोर्स फॉर अर्ली स्टीमूलेशन ऑफ प्री स्कूल चिल्ड्रन इन इण्डिया, यूनीसेफ, नई दिल्ली।
5. कृष्णास्वामी जे. एण्ड जयचंद्र पी. (1989) उपनयन, अ प्रोग्राम ऑफ डेवलपमेंट ट्रेनिंग फॉर चिन्ड्रन विद मेंटल रिटार्डेशन, मधुरम नारायण सेंटर, चेन्नई।
6. नरायन जे., माइरेड्डी वी., रेड्डी एस., एण्ड राजगोपाल पी. (1995) फंक्शनल असेसमेंट चेकलिस्ट फॉर प्रोग्रामिंग (एफ.ए.सी.पी.) एन.आइ.एम.एच., सिकंदराबाद।
7. पेशावरिया आर. एण्ड वैंकटेशन एस. (1992) बिहेवियरल असेसमेंट स्केल्स फॉर इण्डियन चिल्ड्रन विद मेंटल रिटार्डेशन, एन.आइ.एम.एच., सिकंदराबाद।
8. नारायन जे., ग्रेड लेवल असेसमेंट डिवाइस फॉर चिल्ड्रन विद लर्निंग प्राब्लम्स इन स्कूल्स, एन.आइ.एम.एच., सिकंदराबाद।
9. पेशावरिया आर., मेनन डी.के. , बैले डॉन, स्कीनर डेब्रा, गांगुली राहुल, राजशेखर सी. बिहेवियरल असेसमेंट स्केल्स फॉर एडल्ट लिविंग-मेंटल रिटार्डेशन, एन.आइ.एम.एच., सिकंदराबाद।

* * *

लेखक-परिचय

डा. (श्रीमती) उषा ग्रोवर

डा. उषा ग्रोवर वर्तमान समय में राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान, क्षेत्रीय केन्द्र, कस्तूरबा निकेतन, लाजपत नगर, नई दिल्ली में प्रभारी अधिकारी के पद पर कार्यरत हैं। शिक्षा शास्त्र में परास्नातक की उपाधि प्राप्त करने के पश्चात् वर्ष 1984 में उन्होने विस्टिल कालेज, यूनिवर्सिटी ऑफ बर्मिंघम (यू.के.) में विशेष शिक्षा में एक वर्ष का सघन प्रशिक्षण प्राप्त किया। वर्ष 2005 में उन्होने ज़ामिया मिलिया विश्वविद्यालय,नई दिल्ली से शिक्षा शास्त्र में पी एच. डी. पूरी की ।

पिछले 25 वर्षों से वे बौध्दिक अक्षमता, स्वलीनता एवं अधिगम अक्षमता से प्रभावित व्यक्तियों के शिक्षण-प्रशिक्षण में सक्रिय योगदान दिया है। वे विशेष शिक्षा के क्षेत्र में डिप्लोमा, स्नातक एवं परास्नातक स्तर के कार्यक्रमों के संचालन में शामिल रहीं हैं ।

उन्होने कई सम्मानित राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय पत्रिकाओं में विशेष शिक्षा से संबंधित विषयों पर लेख प्रकाशित किए तथा वर्ष 1994 में जापान में आयोजित 'एशियन पेसिफिक कांफ्रेंस इन स्पेशल एड्यूकेशन' में भारत का प्रतिनिधित्व किया । डा. ग्रोवर ने प्रशिक्षु शिक्षकों हेतु निर्देशात्मक सामग्रियों के लेखन में योगदान दिया है तथा ''प्ले, फन 'एन' लर्न'' नामक पुस्तक भी प्रकाशित की है।

रवि प्रकाश सिंह

श्री रवि प्रकाश सिंह वर्तमान समय में एमिटी इंस्टीट्यूट ऑफ रिहेबिलिटेशन साइंसेज़, एमिटी यूनिवर्सिटी उ.प्र., सेक्टर 125, नौएडा, उ.प्र. में एसिसटेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हैं । वर्ष 2003-05 में विशेष शिक्षा में डिप्लोमा करने के पश्चात् श्री सिंह ने विशेष शिक्षा में बी.एड. एवं समाजशास्त्र में परास्नातक की उपाधि प्राप्त की। इसके बाद उन्होने ओस्मानिया यूनिवर्सिटी, हैदराबाद से विशेष शिक्षा में एम.एड. उपाधि प्राप्त की।

श्री सिंह ने सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत लगभग 03 वर्षों तक जनपद मैनपुरी एवं मथुरा, उ.प्र. में परिभ्रामी शिक्षक, संसाधन शिक्षक एवं प्रभारी जिला समन्वयक (समेकित शिक्षा) के पद पर कार्य करते हुए शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों के शिक्षण-प्रशिक्षण एवं पुनर्वास में सक्रिय योगदान दिया है । श्री सिंह में 03 वर्षों तक राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान, क्षेत्रीय केन्द्र, कस्तूरबा निकेतन, लाजपत नगर, नई दिल्ली में गेस्ट फैकेल्टी के रूप में कार्य करते हुए विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों के शिक्षण-प्रशिक्षण एवं पुनर्वास तथा विशेष शिक्षा के क्षेत्र में डिप्लोमा एवं स्नातक स्तर के कार्यक्रमों के संचालन में योगदान दिया है। इस अवधि में श्री सिंह विकलांगता पुनर्वास से संबंधित विषयों पर कार्यशालाओं का आयोजन किया है। इसके अतिरिक्त श्री सिंह ने प्रशिक्षु शिक्षकों हेतु हिन्दी में निर्देशात्मक सामग्रियों के लेखन में भी योगदान दिया है एवं ''बौध्दिक एवं विकासात्मक अक्षमता से प्रभावित व्यक्तियों हेतु पाठ्क्रम विकास'' नामक पुस्तक प्रकाशित की है ।

बौद्धिक अक्षमता निर्देश पुस्तिका

Boudhik Akshamata- Nirdesh Pustika

(Language : Hindi)

विशेष शिक्षा विभाग

राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान

(सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार)
(आई.एस.ओ. 9001:2008 संस्थान)
मनोविकास नगर, सिकन्दराबाद - 500 009, तेलंगाना, भारत
ग्राम्स : "मनोविकास" फोन : 040-27751741-745 फैक्स : 040-27750198
ई-मेल : library@nimhindia.org वेबसाइट : www.nimhindia.gov.in

Department of Special Education

National Institute for the Mentally Handicapped

(Ministry of Social Justice & Empowerment, Government of India)
(An ISO 9001:2008 Institution)
Manovikasnagar, Secunderabad -500 009, Telangana, INDIA.
Grams : "MANOVIKAS" Phone : 040-27751741- 745 Fax: 040-27750198
E-mail : library@nimhindia.org Website : www.nimhindia.gov.in

nqa. ISO 9001 Registered